दसम माला, खंड 8, अंक 8

बुधवार, 4 मार्च, 1992
14 फाल्गुन, 1913 (शक)

# लोक सभा वाद-विवाद
# का
# हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र

(दसवीं लोक सभा)



(खंड 8 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : आठ रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा]

लोक सभा वाद- विवाद

का

हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र

(दसवीं लोक सभा)

बुधवार, 4 मार्च, 1992 / 14 फाल्गुन, 1913 (शक)

का

शुद्धि - पत्र

| पृष्ठ संख्या | पंक्ति | शुद्धि |
|---|---|---|
| 40 | नीचे से दसवीं | "1169" के स्थान पर "1168" पढ़िये। |
| 197 | नीचे से पाँचवीं | "श्री डी॰डी॰खनोरिया" के स्थान पर "श्री डी॰डी॰ खनेरिया" पढ़िये। |
| 215 | नीचे से आठवीं | "श्री जार्ज फर्नान्डीज" के पहले "1332" जोड़िये। |
| 272 | ऊपर से दूसरी | संख्या "1389" के स्थान पर "1388" पढ़िये। |
| 274 | नीचे से चौदहवीं | संख्या 1392 "द्वारिका परियोजना में भूमि का अतिक्रमण" पढ़िये। |
| 275 | नीचे से चौथी | संख्या "1094" के स्थान पर "1394" पढ़िये। |

# विषय सूची

राज्य सभा, खंड 8 तीसरा सत्र, 1992/1913,(शक)

अंक 8 बुधवार, 4 मार्च, 1992 14 फाल्गुन, 1913 (शक)


| विषय | | पृष्ठ |
|---|---|---|
| प्रश्नों के मौखिक उत्तर : | | |
| *तारांकित प्रश्न संख्या : | 101 से 104, 107, 108 और 110 से 112 | 1—28 |
| प्रश्नों के लिखित उत्तर : | | |
| *तारांकित प्रश्न संख्या : | 106, 109 और 113 से 121 | 28—37 |
| अतारांकित प्रश्न संख्या : | 1164 से 1185, 1187 से 1194, 1196 से 1270, 1272 से 1284, 1286 से 1295 और 1297 से 1398 | 38—281 |
| झुग्गी-झोंपड़ी बस्तियों के सुधार के बारे में दिनांक 27.11.1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 976 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण | | 281 |
| सभा पटल पर रखे गए पत्र | | 296—301 |
| गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति | | |
| चौथा प्रतिवेदन—प्रस्तुत | | 302 |
| नियम 377 के अधीन मामले | | |
| (एक) ऋण राहत योजना, 1990 के अन्तर्गत 10,000 रुपये से कम राशि के जानबूझकर व्यतिक्रम करने वालों का निर्धारण | | 303-307 |


* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

करने की अलेवारी प्रणाली शर्त को हटाने की आवश्यकता

श्री सुधीर सावन्त 303—304

(दो) कोचीन, केरल में एक नए हवाई अड्डे का निर्माण करने की आवश्यकता

प्रो. के. वी. थामस 304

(तीन) पीलीभीत, उत्तरप्रदेश के नोर्मल स्कूल परिसरों में भारतीय खाद्य निगम के अस्थायी गोदामों में हो रही गेहूं की बरबादी की घटना की ओर ध्यान देने की आवश्यकता

डा. परशुराम गंगवार 304

(चार) चिकित्सकों के हितों की रक्षा करने के लिए चिकित्सा सेवाओं को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के खंड (2) (ण) के अन्तर्गत लाने की आवश्यकता

डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी 304—305

(पांच) बिहार की पुनपुन-दारधा सिंचाई परियोजना को आठवीं योजना में सम्मिलित करने की आवश्यकता

श्री नीतीश कुमार 305

(छह) रक्षा विभाग से सम्बन्धित खाली भूमि की बिक्री के प्रस्ताव को त्याग देने की आवश्यकता

श्री मोरेश्वर सावे 305—306

(सात) पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में कांगलोई नदी के बेसिन के साथ अनाज के क्षेत्रों में जमा हुई ताप विद्युत संयंत्र, फरक्का की राख को हटाने की आवश्यकता

श्री आयनल अबेदिन 306

(आठ) मद्रास और कलकत्ता में महानगर टेलीफोन निगमों को स्थापना करने के प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने तथा मुम्बई और दिल्ली में इसे जारी रखने की समीक्षा करने की आवश्यकता

श्री विजय नवल पाटिल 306—307

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव 307—365

| | |
|---|---|
| प्रो. के. वी. थामस | 307—313 |
| श्री सोमनाथ चटर्जी | 313—326 |
| श्री विश्वनाथ दास शास्त्री | 326—329 |
| श्री जगमोत सिंह बराड़ | 329—336 |
| श्री उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु | 336—341 |
| श्री अयूब खां | 341—343 |
| श्री पी. सी. थामस | 343—345 |
| श्री पीयूष तीरकी | 345—348 |
| श्री पीटर जी. मारबनियांग | 348—350 |
| श्रीमती गिरिजा देवी | 350—352 |
| श्री जे. चोक्का राव | 352—356 |
| प्रो. के. वेंकटगिरि गौड | 356—361 |

# लोक सभा

बुधवार 4 मार्च, 1992/14 फाल्गुन, 1913 (शक)

लोक सभा 11 बजे म. पू. पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

### जर्मनी के सहयोग से उद्योग

*101. श्री मुमताज अंसारी :

+

श्री साईमन मरांडी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मनी के कुछ उद्योगपति भारत में संयुक्त उद्यम लगाने के इच्छुक हैं;

(ख) यदि हां, तो उनके साथ हुई वार्ता का ब्योरा क्या है,

(ग) जर्मनी के सहयोग से स्थापित किये जाने वाले उद्योगों का ब्योरा क्या है और ये कहां-कहां स्थापित किये जायेंगे तथा प्रत्येक परियोजना में केन्द्रीय सरकार और जर्मनी के उद्योगपतियों की कितनी-कितनी भागीदारी होगी,

(घ) इस संबंध में क्या-क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं, और

(ङ) ये परियोजनाएं कब से चालू हो जाएंगी ?

(अनुवाद)

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) विदेशी निवेश से सम्बद्ध उदार तथा सरल पद्धति से संबंधित नीति विषयक पहलुओं के कारण, जैसाकि 24-7-1991 को संसद के दोनों सदनों में रखी गयी औद्योगिक नीति संबंधी वक्तव्य में दिया गया है, अनेक देशों जिसमें जर्मनी भी शामिल है, के विदेशी निवेशकारों में पर्याप्त रुचि पैदा हुई है।

जर्मनी के उद्योगपतियों के शिष्ट मंडल नीति की घोषणा के बाद भारत में जर्मनी के निवेश को और बढ़ाने तथा तकनालाजी के अंतरण की संभावनाओं का पता लगाने के लिए भारत आ रहे हैं। इस सिलसिले में, उन्होंने भारतीय उद्योगों के प्रतिनिधियों के साथ समझौते तथा बातचीत की है।

(ग) से (ङ) स्वीकृत विदेशी सहयोग के प्रस्तावों के ब्यौरे अर्थात् भारतीय कम्पनियों के नाम, विदेशी सहयोगकर्ताओं के नाम, विदेशी सहयोग का स्वरूप तथा विनिर्माण की मदें भारतीय निवेश केन्द्र, नई दिल्ली द्वारा अपने मथली न्यूज लेटर के परिशिष्ट के रूप में नियमित रूप से प्रकाशित किए जाते हैं। इस प्रकाशन की प्रतियां संसद पुस्तकालय को नियमित रूप से भेजी जाती हैं।

एक औद्योगिक परियोजना चालू होने की प्रारंभिक अवधि न केवल प्रत्येक उद्योग के लिए अलग-अलग होगी बल्कि यह प्रत्येक परियोजना के लिए भी अलग-अलग होगी। विदेशी निवेश प्रस्तावों की अनुमति एक निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया है। अतः इस संबंध में कोई निश्चित समयावधि नहीं बताई जा सकती।

श्री मुमताज अंसारी : अध्यक्ष महोदय, 14 फरवरी में, मद्रास में जर्मनी के राजदूत, डा. हांस आर्ज वीक ने कहा कि यदि जी. ए. टी. टी. वार्ता का यूरावे दौर असफल हो जाता है तो यह सारे विश्व के लिए अत्यन्त घातक होगा।

इससे यह लगता है कि जर्मनी का रुख भी जी. ए. टी. टी. के महा निदेशक श्री डंकेल की नीतियों की ओर है। क्या सरकार श्री डंकेल की नीतियों और उनके द्वारा रखी गई शर्तों को स्वीकार करेगी।

अध्यक्ष महोदय : यह इस प्रश्न से किस प्रकार संबंधित है।

प्रो. पी. जे. कुरियन—महोदय, जैसा कि आप जानते हैं यह प्रश्न मुख्य प्रश्न के क्षेत्र में नहीं आता।

श्री मुमताज अंसारी : यह भी उद्योगों के संबंध में है।

अध्यक्ष महोदय : आप इस प्रश्न से संबंधित प्रश्न पूछें।

श्री मुमताज अंसारी : मेरा अन्य पूरक प्रश्न यह है। पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन करने

वाले उद्योगों के क्षेत्रों में कितने संयुक्त उद्यम लगाए जाएंगे और इनमें से उपभोक्ता संबंधी वस्तुओं के उत्पादन के उद्योगों के क्षेत्र में हमारे देश में कितने संयुक्त उद्यम स्थापित किए जाएंगे ?

प्रो. पी. जे. कुरियन : महोदय, मैं नहीं जानता कि वह क्या पूछना चाह रहे हैं। क्या आपका मतलब यह है कि सार्वजनिक क्षेत्र में कितने उद्यम स्थापित किए जाएंगे और कितने निजी क्षेत्र में या कि आप कुल संख्या जानना चाहते हैं कि कुल विदेशी पूंजी निवेश कितना होगा आपका प्रश्न क्या है ?

श्री मुमताज अंसारी : पूंजी निवेश भी कितना होगा। सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों में लगाए जाने वाले उद्योगों की कुल संख्या क्या होगी ? पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योगों और उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन करने वाले उद्योगों की संख्या क्या होगी

अध्यक्ष महोदय : प्रो. कुरियन सार्वजनिक, निजी और अन्य तरह के उद्योगों के विकास के लिए जर्मनी की सहायता का किस प्रकार उपयोग करेंगे। आप मोटे तौर पर इसका ब्योरा दीजिए।

प्रो. पी. जे. कुरियन : नई औद्योगिक नीति के पश्चात् सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न कर रही है कि औद्योगिक क्षेत्र विशेषत: उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में पर्याप्त निवेश किया जा सके। हमने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र चुन लिए हैं। अनुबंध-III में हमने इन्हें श्रेणीबद्ध किया है। अनुबंध III के प्राथमिकता क्षेत्रों वाले उद्योगों में जो निवेश किया जाएगा। उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक से स्वत: ही अनुमति मिल जाएगी। हमने पहले कई प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। मेरे पास उनकी सूची है। हम ऐसे निवेशों को बढ़ावा दे रहे हैं। इन क्षेत्रों में घरेलू निवेश के संबंध में 3500 से अधिक आवेदन औद्योगिक अनुमति सचिवालय में दर्ज कर दिए गए हैं। उनमें से अधिकतर···

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : महोदय, यह प्रश्न बहुत ही सामान्य तथा व्यापक है। किन्तु मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि रक्षा के क्षेत्र में तथा अन्य ऐसे विकसित क्षेत्रों में जहां पर विदेशी तकनीकों जानकारी की आवश्यकता है, क्या वे जर्मन उद्योगपतियों का सहयोग ले रहे हैं. मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस संयुक्त उद्यम में रक्षा सामग्री को भी रखा जा सकता है।

प्रो. पी. जे. कुरियन : मैंने यह पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि सरकार ने पहले ही उच्चतर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों की घोषणा कर दी है और उन्हें अनुबन्ध-III में श्रेणीबद्ध कर दिया है। और वे सब उद्योग जो अनुबंध-III में आते हैं, उन्हें हम स्वत: अनुमति दे रहे हैं। अन्य क्षेत्रों में यदि जर्मनी अथवा किसी अन्य देश की ओर से निवेश सम्बन्धी कोई प्रस्ताव आए तो हम योग्यता के आधार पर निर्णय लेंगे।

श्री चन्द्रजीत यादव : जर्मनी के अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने जर्मन उद्योगपतियों से विस्तृत चर्चा की। वे कुछ भारतीय उद्योगपतियों को भी अपने साथ ले गए। उसके पश्चात् नई आर्थिक नीति और उदारवादी नीति के अनुसार जो निर्णय लिए गए क्या भारत सरकार को उन्होंने यह अवगत करा दिया है कि वे पर्याप्त नहीं है और वे चाहते हैं कि सरकार कुछ और अधिक विशिष्ट प्रस्ताव रखे। और उन्होंने जो कतिपय विशिष्ट प्रस्ताव रखे हैं। वे प्रस्ताव निर्णय के लिये सरकार के पास लम्बित पड़े हैं।

प्रो. पी. जे. कुरियन : नहीं । हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने वहां यात्रा के दौरान भारतीय उद्योगपतियों को संबोधित किया । उसके पश्चात् जर्मन शिष्ट मंडल भारत आया । उन्होंने उदार-वादी नीति का स्वागत किया । और शिष्ट मंडल ने निवेश के लिए कतिपय क्षेत्र भी चुने । ऐसा कुछ नहीं है । कि जो हमने किया है उससे निवेशकर्ता संतुष्ट नहीं हैं; नई नीति की घोषणा के बाद जिन निवेश प्रस्तावों को अनुमति दी जा रही है उससे यह स्पष्ट हो जाता है । माननीय सदस्यों की सूचना के लिए मैं यह कहना चाहता हूं कि नीति घोषणा के पश्चात् हमने विदेशी निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी है । औद्योगिक अनुमति सचिवालय ने उन्हें मंजूरी दे दी है । यह अनुमति 997.63 करोड़ रुपए, लगभग 1000 करोड़ रुपए के लिए थी । पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में यह कैसी रही ? यह अत्यन्त रोचक है कि पिछले वर्ष की इसी अवधि के लिए निवेश मात्र 72.99 करोड़ रु. लगभग 73 करोड़ रुपए था । अत: आप जान सकते हैं कि इस नीति की घोषणा के पश्चात् पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में निवेश में 14 गुना अधिक वृद्धि हुई है । इससे पता चलता है कि हमारी नीति का सर्वत्र स्वागत हुआ है । और सिर्फ यही नहीं, हमारी इस नीति से राष्ट्र को भी काफी लाभ हुआ है कि इन निवेशों के माध्यम से हमें जिस विदेशी मुद्रा की अत्यन्त आवश्यकता है, वह मिल जाएगी ।

इनमें से अधिकांश निवेश प्राथमिकता क्षेत्रों में किए गए हैं ।

प्रधानमंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : मैं इसमें कुछ और जोड़ना चाहता हूं जिसके बारे में मेरे साथी शायद नहीं जानते हैं । अगले दो या तीन दिनों में हमारे निवेश में 9 0 करोड़ या 1000 करोड़ से अन्य 1000 करोड़ रुपए की वृद्धि की आशा है । बहुत बड़ी परियोजनाएं आरम्भ होने वाली हैं, वे लगभग अन्तिम अवस्था में हैं फिर भी मैं यह नहीं कहता कि यह पूरा हो गया है ।

ऐसी पूरी सम्भावना है कि ये स्वीकृत हो जाएंगी । जिसका अर्थ है कि अगले कुछ दिनों में निवेश में 1000 करोड़ रुपए से 2000 करोड़ रुपए तक की अभूतपूर्व वृद्धि होगी ।

श्री दिग्विजय सिंह : कम से कम वामपंथी और जनता दल को इस औद्योगिक नीति का समर्थन करना चाहिए ।

## राजकोषीय प्रबंधन में सुधार

+

*102. श्री जार्ज फर्नान्डीज :

श्री मोहन रावले :

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विकास परिषद की दिसम्बर, 1991 के अन्तिम सप्ताह में दिल्ली में बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या बैठक में राजस्व बढ़ाने तथा व्यय कम करने के लिए केन्द्रीय सरकार

तथा राज्य सरकारों, दोनों के द्वारा राजकोषीय प्रबंधन में सुधार करने के उपायों पर भी विचार किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो उसकी प्रमुख बातें क्या हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : (क) जी, हां। राष्ट्रीय विकास परिषद की 43वीं बैठक 23 तथा 24 दिसम्बर, 1991 को दिल्ली हुई थी।

(ख) और (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

"आठवीं योजना के उद्देश्य, महत्व तथा वृहद आयाम" शीर्षक के विशात्मक पत्र के पैरा 91 में राजस्व में वृद्धि तथा व्यय में कमी करने के लिए वित्तीय प्रबंध में सुधार लाने के प्रश्न पर पर्याप्त रूप से ध्यान दिया गया है जिसका राष्ट्रीय विकास परिषद ने 23 तथा 24 दिसम्बर, 1991 को हुई अपनी बैठक मे विचार तथा अनुमोदन किया था। दस्तावेज को लोक सभा के पटल पर 26 फरवरी, 1992 को रख दिया है : दिशात्मक पत्र के पैरा 91 मे दिया गया संबद्ध उद्धरण निम्नलिखित है।

"राज्यों तथा केन्द्र द्वारा किये गए राजकोषीय प्रबंध सुधार का उद्देश्य राजस्व में वृद्धि करने तथा व्यय को कम करने का होना चाहिए। राजस्व के सम्बन्ध में कुछ क्षेत्र ऐसे है जिन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है : सकल घरेलू उत्पाद के एक अनुपात के रूप मे प्रत्यक्ष करों को बढ़ाना, कर योग्य आय के आकलन में छूट तथा रियायतों को कम करना तथा अनुमानित कर जैसे उपायों के जरिए कर जाल का विस्तार करना तथा कर जाल के तहत कृषि आय को लाना। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के शेयरों का अनिवेश हाल के बजट में सोची गई सीमा से अधिक करने के अलावा, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को बिक्री जा कि आवश्यक कोर सैक्टर में नहीं है, प्राप्तियों को बढ़ाने के लिए समग्र-कार्यनीति का एक अंग बन सकते है। इमदादों को युक्ति-संगत बनाने तथा कुछ उत्पादों तथा सेवाओं जैसे बिजली, जल तथा परिवहन में और अधिक उचित मूल्य निर्धारण भी संगतपूर्ण है। जहां तक व्यय का सम्बन्ध है, कर्मचारियों की संख्या मे वृद्धि को नियंत्रित करने के अलावा इस पर भी विचार करना होगा कि क्या कुछ क्षेत्रों मे केन्द्र तथा राज्यों के दोहरे कार्यों से बचा जा सकता है जिसके परिणामस्वरूप स्टाफ का अधिक युक्तियसंगत रूप में वितरण हो सकता है। यदि समग्र व्यय को नियंत्रित करने के प्रयास को सफल बनाना है तो रक्षा व्यय में भी कटौती किए जाने की आवश्यकता है।"

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न यहां पर ऐसे समय में आया है जबकि हम बजट पर बहस करने जा रहे हैं। मैं सरकार की नीतियों को लेकर कोई बड़ी बात नहीं पूछूंगा लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि 23-24 दिसम्बर को नैशनल डेवलपमेंट काऊंसिल की मीटिंग में रखी सरकार की नीति और इस बजट में इन्होंने जिस नीति का कार्यान्वयन किया है वह नीति, इन

दोनों में सख्त अन्तर्विरोध नजर आ रहा है। अन्तर्विरोध इस मायने में है कि वहां आप कह रहे हैं।

[अनुवाद]

"राज्यों तथा केंद्र द्वारा किये गए राजकोषीय प्रबन्ध सुधार का उद्देश्य यह भी और वह भी दोनों होना चाहिए। राजस्व के सम्बन्ध में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, सकल घरेलू उत्पाद के एक अनुपात के रूप में प्रत्यक्ष करों को बढ़ाना ।"

[हिन्दी]

फिर आगे जाकर है, एज पर एक्सपेंडीचर, आप यह कह रहे हैं—

[अनुवाद]

"कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि पर नियन्त्रण तथा रक्षा व्यय में कटौती इत्यादि की भी आवश्यकता है।"

[हिन्दी]

अब हमें यह नजर आ रहा है कि आपका यह जो दस्तावेज है नेशनल डवलपमेंट काउंसिल ने एक राय से शायद इसको पास किया होगा, इसमें और इस साल के बजट में आपने जिस प्रकार की बातें रखी हैं, इन दोनों में जो अंतर्विरोध है, इसके बारे में ये आपको क्या करना है ?

[अनुवाद]

श्री एच. आर. भारद्वाज : महोदय, जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है, मुद्दा यह है कि राजकोषीय प्रबन्ध में सुधार कैसे हो तथा व्यय को किस प्रकार कम किया जाये और राजस्व को किस प्रकार बढ़ाया जाये। राष्ट्रीय विकास परिषद् इस बात पर एकमत थी कि हमारे लिए व्यय कम करने और राजस्व बढ़ाने का यह अच्छा मौका है। इस बारे में कोई दो राय नहीं है। उस हेतु प्रधानमन्त्री महोदय ने तत्काल ही मितव्ययता पर उड़ीसा के मुख्य मन्त्री श्री बीजू पटनायक की अध्यक्षता में, एक समिति गठित की है, जिसके चार मुख्यमन्त्री और केन्द्रीय मंत्री सदस्य हैं। इस प्रकार मितव्ययिता ही केवल एक उपाय है जो राजकोषीय प्रबन्ध में सुधार लायेगी। दूसरी बात राजस्व में वृद्धि करने की है। मैं वह उत्तर नहीं देने जा रहा हूं जो बजट में दिया गया है। बल्कि हर व्यक्ति यह महसूस करता है कि अगर आपके पास युक्तिसंगत और उचित कर-व्यवस्था हो तो राजस्व में वृद्धि अवश्य होगी। इस बात की अब व्यवस्था की गई है और बजट में दिए गए प्रस्तावों के लाभों के बारे में बजट पर अब पूरा वाद-विवाद होगा। वह बिलकुल एक अलग प्रश्न है।

[हिन्दी]

श्री आर्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, मेरा जो प्रश्न था और आपका जो उत्तर है, उसका कोई

तालमेल है नहीं, यहां पर। मैंने यह पूछा कि आपके इस दस्तावेज में आपने नेशनल डवलपमेंट काउंसिल में जिन चीजों को लिखा है, उसमें और अभी जो बजट आपने पेश किया है, उसमें जो नीतियां हम देख रहे हैं इसमें कोई तालमेल है ही नहीं। अब आपने आस्टेरिटी वगैरह की जो बात कही, मैं उस पर बहस नहीं करूंगा, क्योंकि, उस पर बहुत कुछ कहा जा सकता है और उसका अलग वक्त रहेगा, यहां पर कहने के लिए, लेकिन यह जो अन्तर्विरोध है, इस पर यहां कुछ नहीं कह रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री एच. आर. भारद्वाज : माननीय सदस्य को जो अंतर्विरोध है, उस पर प्रश्न रखने दीजिये। मुझे तो कोई अंतर्विरोध नहीं लगता।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अंतर्विरोध यह है कि आप कह रहे हैं कि सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में प्रत्यक्ष करों को बढ़ाना सहायक होगा, यह आपने क्या किया ?

श्री एच आर. भारद्वाज : यह कर की मात्रा बढ़ाने के लिए किया गया है। अगर कर-प्राप्ति बढ़ जाती है तो हमें अधिक राजस्व प्राप्त होगा, और इन नीतियों से आपको अधिक कर और राजस्व की प्राप्ति होगी। उसमें कुछ अविवेकपूर्ण बात नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : राष्ट्रीय विकास परिषद ने सिफारिश की है। उन्हें इसका ध्यान है और यथा-संभव उन्होंने इसे स्वीकार भी कर लिया है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : राष्ट्रीय विकास परिषद ने सिफारिश की है और सरकार आगामी वर्ष के बजट में उन पर विचार करेगी।

अध्यक्ष महोदय : उन्होने जहां तक संभव हो सकता है, उसे स्वीकार कर लिया है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, मंत्री महोदय ने प्रश्न का जो उत्तर दे दिया, उसी को लेकर मैं एक और प्रश्न पूछना चाहता हूं। मेरा प्रश्न यह है कि जब आप यह कह रहे हैं कि हमें खर्च को कम करना है और हम खर्च कम करने की दिशा में जा चुके हैं, खर्च को कम करने के मामले में। आपने अभी जो इकोनोमिक सर्वे, आर्थिक समीक्षा जो रखी, इसके 24 नवम्बर के पन्ने पर आपने अपनी फिस्कल पालिसी क्या है, इसका जिक्र किया है। अब मैं जानता हूं कि आपकी पालिसी और आपके मैनेजमेंट में भी अन्तर्विरोध हो सकता है, जैसे एन. डी. सी. में पास किए हुए दस्तावेज में और आपके आचरण में अन्तर्विरोध है, वैसे ही आपने जो पालिसी फार्मूलेट है, उसमें सरकार की नीति क्या है, करके बताया है, उसमें और अभी जो आप कह रहे हैं, उसमें भी अन्तर्विरोध हो सकता है चूंकि आपकी फिस्कल पालिसी में आप यह कहते हैं।

[अनुवाद]

सरकार को, उच्च-स्तर की सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने, आधारभूत ढांचे तथा मानव

संसाधनों के मामले में अधिक निवेश करने की सरकार की सामर्थ्य को बनाये रखने तथा अर्थव्यवस्था को मार्ग-दर्शन देने तथा कमजोर और अल्प सुविधा-प्राप्त लोगों की देखभाल करने में व्यय करने के लिए निर्देश देने हेतु यह किया गया है।

[हिन्दी]

आपने इस साल बजट में अब मैनेजमेंट का जो भी ढांचा बनाया तो इस नीति को आपने अपनी आर्थिक समीक्षा में जिस नीति का वर्णन किया है और व्यवहार में आप जो काम कर रहे हैं, यहां भी कोई तालमेल नहीं है यहां भी सम्पूर्ण अन्तर्विरोध है तो इसलिए मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि···(व्यवधान)···अन्तर्विरोध यानी कण्ट्राडिक्शन। मुझे लगा कि आपकी मातृभाषा हिन्दी है। यह मुझे मालूम नहीं था कि आपकी मातृभाषा हिन्दी नहीं।···(व्यवधान)···मुझे समझ में नहीं आता हिन्दी भाषा को लेकर भी यहां ऐसी परेशानियां लोग उठाते हैं।

मेरा इसलिए यह कहना था कि सरकार के अलग-अलग जो विभाग हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री, प्लानिंग कमीशन और नेशनल डवलपमेंट काउंसिल, इन तीनों में कोई यंगमंजस्य बिठाने का काम क्या सरकार करने का कदम उठायेगी ? क्योंकि उनकी कथनी और करनी में मुझे जो अन्तर दिखाई देता है, इसकी एक बार सफाई होनी चाहिए।

**सभापति महोदय** : फर्नान्डीज साहब, इसमें यह हो रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर ने जो कहा है, एनडीसी ने जो कहा है और प्लान में जो किया है, उसकी सारी तुलना करके सर्वेक्षण आवर में लाना उचित नहीं होगा।

**श्री जार्ज फर्नान्डीज** : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही आपको कहा है···

**अध्यक्ष महोदय** : आप थोड़ा सा प्वाइंटेड बता दीजिये।

**श्री जार्ज फर्नान्डीज** : इस साल के बजट में जितने आपके आब्जैक्टिव्स हैं और तमाम क्षेत्रों में जो आपने पैसा आवंटन किया है, वह कम किया है। यहां आप कह रहे हैं कि यह हमारी नीति है।·· (व्यवधान) ··

**अध्यक्ष महोदय** : उनका कहना है कि आपने जो कहा है, दूसरा है और जो किया है, वह दूसरा है-ऐसा कुछ है क्या ?

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : यह सारी तुलना सर्वेक्षण आवर में नहीं हो सकेगी। दो मिनट तो आपको मिलते हैं।

(व्यवधान)

**श्री एच. आर. भारद्वाज** : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि कथनी और करनी में कोई अन्तर नहीं है और न अन्तर्-विरोध है। सवाल यह है कि हमारे देश में

यह महसूस किया गया कि जो इकोनोमिक क्राइसेस है, उसमें नान-प्लान-एक्सपैंडीचर को रिस्ट्रिक्ट करें। इसलिये एक्सपोर्ट सब्सिडी को एबालिश किया गया, फर्टिलाइजर सब्सिडी को रैशनलाइज किया गया, और भी नान-प्लान एक्सपैंडीचर को कम करने का कार्यक्रम चल रहा है। विभिन्न सरकारों में और सैन्टर में भी इनको करना है। इसके बाद मिनिमाइजिंग एग्जैम्पशन करने के बाद और प्रिजम्पटिव टैक्स जो अभी किया गया है, ये चीजें उस दिशा में है। जहां तक पैसा देने की बात है··· (व्यवधान)···

[अनुवाद]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : यह सच नहीं है। महोदय वह सभा को गुमराह कर रहे हैं। उन्हें ऐसा कहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। आपका यह बजट सामने है। आपका राजस्व व्यय 73,516 करोड़ रुपए से बढ़कर 89,000 करोड़ रुपये हो गया है। आपका यह पूंजीगत व्यय 31,800 करोड़ रुपये से कम होकर 21,530 करोड़ रुपये रह गया है ··(व्यवधान) महोदय उन्हें सभा को गुमराह किए जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए ··(व्यवधान)

श्री एच. आर. भारद्वाज : महोदय, मेरी आदत सभा को गुमराह करने की नहीं है। यह तो दूसरी तरफ बैठे लोगों का काम है। मैं सभा को गुमराह नहीं करता। मैं ऐसी टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करूंगा।··· (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष महोदय, आपको उन्हें सभा को गुमराह करने की अनुमति दे देनी चाहिए··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आंकड़ों की जांच की जा सकती है।

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या मैं स्पष्ट और सटीक प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं ?··· (व्यवधान) जब आप गलत जानकारी दे रहे हैं तो क्या मैं उत्तेजित भी न होऊं ? यह मेरी आदत नहीं है···

(व्यवधान)

श्री एच. आर. भारद्वाज: आप हमेशा यही करते है। आप संतुलन खो बैठते हैं।···

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : आपका कार्य सभा को गुमराह करना नहीं है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं सदस्यों से निवेदन कर सकता हूँ कि वे अध्यक्ष पीठ को संबोधित करें ?

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय विकास परिषद में सरकारी खर्च को कम करने

के लिए प्रधान मन्त्री जी ने जो आह्वान किया था, उसका सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने समर्थन किया है, लेकिन सरकार द्वारा उसके बारे में कोई कदम नहीं उठाया गया है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, 1975-76 में जो तीन हजार करोड़ रुपए गैर-योजना व्यय हुआ था और अब यह पन्द्रह हजार करोड़ रुपए हुआ है, इसको कम करने के लिए आप अगले तीन सालों में कितनी कटौती करने वाले हैं और इस कटौती को पूरा करने के लिए आप उसको किस प्रकार प्राप्त करेंगे ?

[अनुवाद]

श्री एच. आर. भारद्वाज : महोदय, राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में लिए गए निर्णय को लागू किया जा रहा है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि कुछ मुख्य मंत्रियों और केन्द्रीय मंत्रियों की एक समिति 19 फरवरी को गठित की गई है, उसके विचारार्थ विषयों का उल्लेख उसमें है। यही एक तरीका है जिससे हम इस पर बहस कर सकते। क्योंकि यह एक राष्ट्रीय प्रयास है। केन्द्र और राज्यों को इस पर सामंजस्य करना होगा। और उस मामले पर मैं आंकड़े इकट्ठे करूंगा और माननीय सदस्य को दूंगा।

प्रो. के. वी. थामस : महोदय, वर्तमान बजट में दिए गए नये सुझाव और सरकार की नई औद्योगिक नीति वर्तमान सरकार द्वारा राजकोषीय प्रबन्ध को दिये महत्व को दर्शाती है। महोदय, जब तक राज्य सरकारें भी उसी उत्साह से कार्य नहीं करती, तब तक सरकार द्वारा इस पर किए दबाव को प्रभावी नहीं बनाया जा सकेगा। सरकार द्वारा ऐसे कौन से कदम उठाए गए हैं, जिससे वही औद्योगिक नीति, वित्तीय उपाय तथा अन्य बातें कमोबेश राज्य और केन्द्र, दोनों स्तरों पर, अधिक प्रभावी रुप में कार्य कर सके ?

अध्यक्ष महोदय : केन्द्रीय तथा राज्य स्तर पर नीति सम्बन्धी सामंजस्य के लिए क्या कोई उपाय किए गए हैं ?

श्री एच. आर. भारद्वाज : जहां तक औद्योगिक नीति का संबंध है, यह सर्वविदित है कि यह नीति तैयार करने के बाद माननीय सभा के सम्मुख रखी गई है और उस पर वाद-विवाद हुआ है। और फिर हम इसे योजना आयोग के कार्यान्वयन संबंधी भाग में लेते हैं तथा राज्य और केन्द्र के बीच होने वाली चर्चा के अनुसार सभी आवंटन किए जाते हैं। अलग से अथवा बिना चर्चा के कुछ भी निर्णय नहीं लिया जाता है।

## भारत में विदेशी पूंजी निवेश

*103. श्री हरि किशोर सिंह : क्या प्रधानमन्त्री मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में विदेशी पूंजी निवेश को आकर्षित करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा तैयार की गई योजना का ब्योरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : एक विवरण सभापटल पर रखा जाता है।

विवरण

भारत में औद्योगिक निवेश हेतु विदेशी पूंजी आकृष्ट करने के वास्ते सरकार द्वारा जो नीतिगत विभिन्न उपाय किये गये हैं उनका उल्लेख 24 जुलाई 1991 को संसद के दोनों सदनों में रखे गये औद्योगिक नीति सम्बन्धी वक्तव्य में किया जा चुका है। इस नीति के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वक्तव्य के अनुबन्ध-3 में सूचीबद्ध उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में 51% तक विदेशी अंशधारिता के लिए सीधे विदेशी निवेश को स्वतः अनुमोदन दिया जा रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच सुगम बनाने के लिए प्रमुख रूप से निर्यात कार्यों में संलग्न व्यापारिक कम्पनियों में 51% तक की अधिकांश विदेशी अंशधारिता के लिए भी भारतीय रिजर्व बैंक स्वतः अनुमोदन दे रहा है। इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक विद्यमान कम्पनियों में भी पहले से विद्यमान कुछ विदेशी अंशधारिता को 51% तक बढ़ाने के अनुमोदन स्वतः ही दे दिये जा रहे हैं बशर्ते कि वे कम्पनियां उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र (अनुबंध-3) में विस्तार का वचन दें अथवा यदि वे अनुबंध-3 के कार्यकलापों में पहले से ही संलग्न हों। स्वतः स्वीकृति की सीमाओं से बाहर वाले अन्य विदेशी निवेश के प्रस्तावों पर भी सरकार विचार करती है और उनके गुणदोष के आधार पर उन्हें निपटाती है।

जिन परियोजनाओं से भारतीय अर्थव्यवस्था को लाभ हो सकता है और जो विदेशी निवेश प्रस्तावों की अनुमति हेतु निर्धारित विनियमन नीति के दायरे में नहीं आती उन परियोजनाओं में अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा भारत में निवेश को आमंत्रित करने और सुगम बनाने के लिए सरकार ने एक अधिकार प्राप्त विशेष निकाय का गठन किया है जिसका नाम विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड है।

श्री हरि किशोर सिंह : महोदय, इस विवरण से यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं होता कि सरकार आगे क्या विस्तृत नीतियां अपनाने जा रही है। विदेशी कम्पनियों के लिए 51 प्रतिशत तक की अंशधारिता की अनुमति दे दी गई है। क्या माननीय मन्त्री महोदय से यह पूछ सकता हूं कि इसके क्या परिणाम निकले हैं और क्या पर्याप्त विदेशी निवेश प्राप्त हो रहा है और यदि हां, तो किस क्षेत्र में। दूसरे, क्या यह सही है कि उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र विशेषकर कोका-कोला और केलोग के फास्ट फूड क्षेत्रों में निवेश करने की अनुमति के लिए सरकार पर दबाव रहा है।

प्रो. पी. जे. कुरियन : महोदय, मैं पहले ही कह चुका हूं कि नई औद्योगिक नीति के प्रति बड़ी सकारात्मक प्रतिक्रिया है। मैंने यह भी स्पष्ट किया है कि हमें लगभग 1000 करोड़ रुपये का स्पष्ट विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है, जोकि गत वर्ष की इसी अवधि में 14 गुना से भी अधिक है। माननीय प्रधानमन्त्री महोदय ने कहा है कि 1,000 करोड़ रुपये का निवेश और प्राप्त होने वाला है।

जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि ये निवेश अधिकतर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में हैं और इन विदेशी निवेशों में 70 प्रतिशत से अधिक निवेश परिशिष्ट-III में, यानि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के हैं।

श्री हरि किशोर सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार पर देश में कोका-कोला

और केलोग फूड की इकाइयां स्थापित करने की अनुमति देने के लिये कोई दबाव पड़ रहा है अथवा नहीं तथा सरकार की इस सम्बन्ध में क्या नीति है ।

श्री पी जे कुरियन : महोदय, मैं यह बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सरकार किसी भी तरफ से किसी भी दबाव में नहीं आयेगी । हमें वे ही निर्णय लेंगे जो सरकार के अधिकाधिक हित में होंगे ।

श्री मृत्युन्जय नायक : क्या सरकार के पास बीमा पालिसी अथवा बैंक सिक्योरिटी बांड जैसी ही अप्रवासी भारतीयों या विदेशी निवेशकों को ऐसे बांड खरीदने और हमारे देश के लिये और अधिक विदेशी निवेश प्राप्त करने को प्रोत्साहित करने का कोई प्रस्ताव है ।

श्री पी. जे. कुरियन : वित्त मन्त्री ने अपने बजट भाषण में पहले ही यह स्पष्ट कर दिया है कि सरकार की क्या नीति है ।

## राष्ट्रीय नवीकरण निधि

*104. श्री वी कृष्णा राव ।

श्री सुदर्शन रायचौधरी :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का कामगारों के लिए एक राष्ट्रीय नवीकरण निधि स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित निधि की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का इस संबंध में विभिन्न श्रमिक संघो और राज्य सरकारों से परामर्श करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो. पी जे. कुरियन) : (क) से (घ) एक विवरण सभापटल पर रखा जाता है ।

### विवरण

(क) और (ख) सरकार ने एक राष्ट्रीय नवीकरण कोष का गठन किया है । इस कोष से श्रमिकों को पुन: प्रशिक्षण देने तथा उन्हें पुन: रोजगार देने का खर्च उठाने में मदद दी जाएगी तथा किसी औद्योगिकक एकक की पुनः रचना किये जाने के परिणामस्वरूप मजदूरों को जो मुआवजा देना होगा उसके लिए भी सहायता दी जाएगी । इस कोष से भारतीय उद्योग का औद्योगिकीय उत्थान तथा आधुनिकीकरण करने मे सहायता मिलेगी । यह कोष सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों प्रकार के उपक्रमो को मदद देगा और इसमें भारत सरकार, राज्य सरकारें, वित्तीय संस्थान, भारत का सामान्य बीमा निगम तथा औद्योगिक एकक अंशदान करेंगे ।

कोष का प्रशासन औद्योगिक विकास विभाग द्वारा किया जाएगा। कोष को प्रशासित करने की प्रक्रिया निर्धारित की जा रही है।

(ग) और (घ) नयी औद्योगिक नीति से श्रमिकों पर पड़ने वाले प्रभावों तथा अन्य संबद्ध विषयों पर विचार करने के लिए श्रम मन्त्रालय ने एक विशेष त्रिपक्षीय समिति का गठन किया है। राष्ट्रीय नवीकरण कोष का अवधारणा पत्र (कनसेप्ट पेपर) उक्त समिति के सम्मुख नयी दिल्ली में 20.1.92 को हुई इसकी दूसरी बैठक में रखा गया था।

विशेष त्रिपक्षीय समिति में सरकार, कर्मचारियों और श्रमिक संघों के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं।

उक्त अवधारणा पत्र राज्यों के श्रम मन्त्रियों की कानफ्रेंस में भी रखा गया था जो 6 फरवरी, 1992 को हुई थी।

श्री बी. कृष्णाराव : महोदय, मैं माननीय प्रधानमन्त्री और सम्बन्धित मन्त्रियों को आज गरीबी की रेखा से नीचे सबसे अधिक गरीब लोगों के उत्थान हेतु इस नई औद्योगिक नीति को लागू करने के लिए बधाई देता हूँ। क्या मैं सरकार से जान सकता हूं कि क्या सरकार ने इस राष्ट्रीय नवीकरण कोष को लागू करने के लिए कोई ठोस परियोजना तैयार की है, यदि नहीं, तो कब यह ठोस परियोजना लागू की जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : क्या कोई ठोस परियोजना है और इसे लागू करने की क्या ठोस योजना है ?

श्री पी. जे. कुरियन : हां, एक ठोस योजना है। हमारे वित्त मन्त्री ने पहले ही, जैसा कि सभा को विदित ही है, 1000 करोड़ रुपये आई. डी. ए. से और 1000 करोड़ रुपये पूंजी निवेश कम करने की योजना में से आवंटित किए हैं तथा पिछले बजट के दौरान पहले ही 200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। इस प्रकार, हमारे पास 2200 करोड़ रुपये का प्रावधान है, जिसमें से 500 करोड़ रुपए विशेष रूप से कमजोर वर्गों के लिये, जो कि नीति परिवर्तित किये जाने से प्रभावित हुए हैं, के लिए अलग से रखे गये हैं और बकाया राशि उन मजदूरों के लिये जो कि पुनर्गठन से प्रभावित हुए हैं, उन्हें पुन. प्रशिक्षित करने और उनके पुनर्नियोजन के लिये रखे जायेंगे। विशेष कार्य योजना होने ही वाली है।

श्री बी. कृष्ण राव : महोदय, क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस कोष को अगले पांच वर्षों तक उतना ही बजट-आवंटन प्राप्त होगा, जैसा कि आई. डी. बी. आई. के मामले में हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, क्या आप अगले पांच वर्षों की गारंटी दे सकते हैं ?

श्री पी. जे. कुरियन : महोदय, अगले वर्ष के लिये यह पहले ही स्पष्ट है। आगामी वर्षों के के लिये, जैसी स्थिति होगी वैसी ही सरकार इस पर कार्रवाई करेगी।

श्री सुदर्शन रायचौधरी : महोदय राष्ट्रीय नवीकरण कोष की अवधारणा सरकार की वर्तमान 'एक्जाट' नीति से लगभग मिलती-जुलती है, जो कि नई आर्थिक नीति का एक निर्णायक तत्व है और जिसके खिलाफ काफी असन्तोष रहा है और आज भी पूरे देश से वामपंथी मोर्चे के सांसद और विधायक धरना दे रहे हैं। मंत्री महोदय ने लिखित वक्तव्य में स्वयं यह कहा है कि विशेष त्रिपक्षीय समिति की बैठक 20-1-1992 को हुई थी और राज्य श्रम मंत्रियों के 6-2-1992 के सम्मेलन में अवधारणा-पत्र भी परिचालित किया गया था। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि विभिन्न व्यापार संघों और भारत के राज्यों के श्रम मन्त्रियों की राष्ट्रीय नवीकरण कोष के बारे में क्या प्रतिक्रियाएं थीं। मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि अब उस प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार राष्ट्रीय पुनर्निर्माण निधि एवं एक्जिट नीति की समूची अवधारणा पर पुनर्विचार करने के लिए तैयार है।

श्री पी. जे. कुरियन : महोदय, पहले मैं प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर देना चाहता हूं। सरकार राष्ट्रीय पुनर्निमाण निधि पर पुनर्विचार करना आवश्यक नहीं समझती क्योंकि सरकार महसूस करती है कि ये कामगारों के हित में है और उस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता नहीं है। रही बात एक्जिट नीति की तो मैं नहीं जानता कि माननीय मंत्री जो जो कुछ कह रहे हैं वो कहां से कह रहे हैं। हमने ये कहा था कि बी. आई. एफ. आर. को रुग्ण इकाइयों को सूचना दी जाएगी, जो इस बात की जांच करने वाला निकाय है कि इकाई को पुनः चालू किया जा सकता है अथवा नहीं। एक्जिट का प्रश्न ही नहीं उठता। एक्जीट नाम की कोई चीज नहीं है। जहां तक संभव हो सके हम सभी रुग्न इकाइयों को पुनरुज्जीवित करना चाहते हैं और इसका अन्तिम निर्णय बी. ए. एफ. आर. को करना है। ये प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर है।

जहां तक प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है, यह सच है कि विशेष त्रिपक्षीय समिति में अवधारणा-पत्र पर चर्चा हुई थी। यदि आप अनुमति देंगे तो मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री संगमा जिन्होंने उस बैठक की अध्यक्षता की थी और जो अब यहां पर है, वे उस प्रश्न का उत्तर देंगे तथा वे उसका ब्यौरा दे सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, वो ऐसी बात नहीं है।

(व्यवधान)

प्रो. पी. जे. कुरियन : ठीक है। जो भी सूचना मेरे पास है, मैं दे दूंगा (व्यवधान)...

प्रधानमंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : दूसरे मंत्री जो इस का काम देख रहे थे। मैं त्रिपक्षीय समिति में हुई बातचीत की ताजा स्थिति माननीय सदस्यों को सदैव उपलब्ध करा सकता हूं। यह कोई समस्या नहीं है।

श्री सुदर्शन रायचौधरी। महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि विशेष त्रिपक्षीय बैठक में विभिन्न मजदूर संघों की सुस्पष्ट प्रतिक्रिया क्या रही और श्रम राज्य मंत्रियों की क्या प्रतिक्रिया थी।

श्री पी. जे. कुरियन :श्रम राज्य मन्त्रियों को अवधारणापत्र भेजा गया है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि मजदूर संघों ने मजदूरों के पुन: प्रशिक्षण एवं मजदूरों को पुन: तैनात करने का स्वागत किया है। क्योंकि कई मजदूर संघों ने यह महसूस किया है कि यह मजदूरों के हित में है। (व्यवधान)

श्री सुबर्शन रायचौधरी : क्या आप इस अवधारणा से सहमत हैं।

श्री पी. जे. कुरियन : मैं आपको जानकारी दूंगा। मुझे कहने दीजिए। (व्यवधान) कृपया मेरी बात सुनिए। (व्यवधान)

श्री पी. वी. नरसिंह राव: महोदय, यह प्रश्न गलत मन्त्री से पूछा गया है। बात यह है कि त्रिपक्षीय सम्मेलन चल रहा है। परामर्श हो रहे हैं। अब हर रोज क्या स्थिति है, इसकी सूचना देना संभव नहीं है। मैं माननीय सदस्य या किसी अन्य सदस्य को आज की स्थिति के बारे में बताने के लिए तैयार हूं। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर दूसरे मन्त्रालय अथवा उस विषय से सम्बद्ध मन्त्री द्वारा दिया जाना चाहिए। मुझे खेद है कि उद्योग मन्त्रालय का इससे सम्बन्ध नहीं है। श्री संगमा इसके प्रभारी मन्त्री हैं। मैं श्रम मन्त्री रहा। ये सूचना सदन अथवा किसी सदस्य को देना मेरी बाध्यता है। और मैं इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार हूं।

श्री राम नाईक: महोदय, एक प्रश्न पूछा गया था कि क्या कोई ठोस योजना बनाई गई है। उसका उत्तर नहीं दिया गया। इसका अर्थ ये हुआ कि ये बिना सीमेंट के ठोस हुआ है। अब मेरा विशेष प्रश्न यह है। जो कुछ भी प्रारूप तैयार किया गया या जो भी सूत्रबद्ध हुआ, क्या प्रधान मन्त्री जी यह बतलायेंगे कि इस विषय से सम्बद्ध आज की सही स्थिति क्या है जिससे हमें उसकी जानकारी हो सके। और प्रधानमन्त्री जी ने ये कहा था कि वे सूत्रबद्ध योजना की ताजा स्थिति की सूचना देंगे। यदि वे सूचना दे सकेंगे तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी।

श्री पी. वी. नरसिंह राव : ताजा स्थिति यह है कि एक भी मजदूर को नौकरी से नहीं निकाला गया।

श्री पी. सी. चाको: महोदय, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण निधि, नई औद्योगिक नीति के कारण मजदूरों के प्रभावित होने की स्थिति में, मजदूर को पुन: प्रशिक्षण उपलब्ध कराने और उन्हें पुन: तैनात करने के लिए, सरकार द्वारा उठाया गया असाधारण कदम है। कुछ मजदूर संघों द्वारा, विशेषकर वाम मजदूर संघों द्वारा सचेतन और मध्यावधि अभियान शुरू किया गया था जो कि आज बिना किसी कारण के, धरना दे रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कोई सम्मेलन का आयोजन करेगी या इन मजदूर संघों को आह्वान देगी और उन्हें इस अनावश्यक आन्दोलन न करने के लिए समझाएगी जो कि इस औद्योगिक नीति से होने वाले पूरे लाभ को कम कर देगी और नई पहल करेगी।

श्री पी. वी. नरसिंह राव : महोदय, जैसा कि मैंने कहा था, परामर्श हो रहा है। जहां तक आन्दोलन का सवाल है, हम सब जानते हैं कि आन्दोलन के लिए किसी कारण की जरूरत नहीं होती है।

श्री सुदर्शन रायचौधरी : ऐसा कहना गलत है। सारा राष्ट्र जानता है कि वामपंथी के सांसद वहां पर किन कारणों से धरना दे रहे हैं। (व्यवधान) हां, कारण राजनैतिक और आर्थिक भी है। यह स्पष्ट कारण है। इसके लिए निश्चित ही एक कारण है। उसको यूं तोड़-मरोड़ कर पेश नहीं किया जा सकता। सारा राष्ट्र जानता है कि तुम्हारी नीतियों का क्या उद्देश्य है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय। आपको उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। आप कृपया शांत रहिए।

अब प्रश्न सं. 107, श्री नारायण सिंह चौधरी जी।

## राज्यों को सौफ्ट कोक की सप्लाई

[हिन्दी]

*107. श्री नारायण सिंह चौधरी :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों को सौफ्ट कोक देने हेतु मानदंड क्या है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यों को कितनी मात्रा में सौफ्ट कोक दिया गया है ?

[अनुवाद]

कोयला मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एस. बी. न्यायगौड) : (क) और (ख) इस सम्बन्ध में एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

### विवरण

(क) सम्बद्ध उपभोक्ता राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को साफ्ट कोक का आवंटन कोयला मंत्रालय द्वारा छमाही आधार पर, अन्य बातों के अलावा, उक्त राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की आवश्यकताओं और विगत के आवेदनों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्रों को प्रेषण किए गए साफ्ट कोक का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(आंकड़े 000 टन में)

| राज्य/संघ शासित क्षेत्र | 1989-90 | 90-91 | 91-92 (जनवरी 92 तक) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. बिहार | 423.1 | 436.4 | 343.56 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 2. | पश्चिम बंगाल | 379.3 | 244.4 | 185.54 |
| 3. | उत्तर प्रदेश | 33.10 | 26.0 | 19.18 |
| 4. | उड़ीसा | 0.10 | — | — |
| 5. | मध्य प्रदेश | 1.2 | 3.8 | 1.65 |
| 6. | महाराष्ट्र | — | — | — |
| 7. | गुजरात | 1.9 | 1.7 | 4.36 |
| 8. | राजस्थान | 1.00 | 0.4 | — |
| 9. | दिल्ली | 50.1 | 40.8 | 21.49 |
| 10. | पंजाब | 0.1 | — | 0.01 |
| 11. | हरियाणा | 0.1 | 0.2 | 0.20 |
| 12. | तमिलनाडु | — | — | — |
| 13. | आंध्र प्रदेश | — | — | — |
| 14. | कर्नाटक | 0.4 | 0.8 | 0.38 |
| 15. | केरल | — | — | — |
| 16. | जम्मू और काश्मीर | — | 0.3 | — |
| 17. | हिमाचल प्रदेश | — | 0.2 | 0.06 |
| 17. | चंडीगढ़ | — | — | — |
| 19. | असम | 7.7 | 9.5 | 2.95 |
| 20. | सिक्किम | 9.1 | 9.2 | 1.85 |
| 21. | नागालैंड | 5.2 | 5.7 | 2.15 |
| 22. | अरूणाचल प्रदेश | 0.4 | 0.5 | 0.34 |
| 23. | मिजोरम | 0.7 | 3.3 | 0.17 |
| 24. | त्रिपुरा | — | — | — |
| 25. | मणीपुरा | — | — | 0.15 |
| 26. | मेघालय | — | — | 0.10 |

[हिन्दी]

श्री नारायण सिंह चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के उत्तर के "क" भाग में दर्शाया गया है कि गुजरात राज्य को छोड़कर 1991-92 में तकरीबन प्रत्येक राज्य को कोयला पिछले वर्षों की अपेक्षा कर दिया गया है। इसके क्या कारण है।

[अनुवाद]

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा)। महोदय, साफ्ट कोक का उत्पादन हर वर्ष घटता जा रहा है और मैं इस माननीय सदन के सामने ये स्वीकार करना चाहता हूं कि यह जानबूझकर भी किया गया है क्योंकि साफ्ट कोक की उत्पादन लागत बहुत अधिक है।

महोदय, आज साफ्ट कोक की उत्पादन लागत 555 रुपये प्रतिटन है और राज्य सरकार ने साफ्ट कोक का विक्रय मूल्य 175 रुपये प्रति टन निर्धारित किया है। अतः यह अव्यवहार्य बन गया है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कोल इन्डिया कई समस्याओं से घिरा हुआ है और हमें 2500 करोड़ की हानि हुई है। इस क्षेत्र से काफी हानि हुई है और इसलिए कोल इन्डिया को जीवन क्षम बनाने के लिए हम साफ्ट कोक का अधिक उत्पादन नहीं कर रहे हैं। इस कारण वश मैं स्वीकार करता हूं कि कई वर्षों से राज्य सरकारों को की जाने वाली साफ्ट कोक की आपूर्ति घटती जा रही है।

[हिन्दी]

श्री नारायण सिंह चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न है। माननीय मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करें कि क्या साफ्ट कोक का उत्पादन राज्यों की मांग एवं आवश्यकता के अनुरूप होता है ? यदि नहीं तो आवश्यकता से कितने प्रतिशत कम होता है तथा इस कमी को दूर करने के क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

[अनुवाद]

श्री पी. ए. संगमा : महोदय, 1990-91 के दौरान 'कुकिंग कोल' का उत्पादन 6.52 रहा तथा निश्चित रूप से यह पूर्व वर्ष से कम था। जैसे कि मैंने कहा है कि उत्पादन कम हो रहा है तथा इसीलिए हम राज्य सरकारों की मांगों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। परन्तु कोयले को घरेलू ईंधन बनाने की हमारी योजना है। इसके लिए हमने दो महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। एक तो बिलेय धूआं रहित ईंधन इकाईयां बनाना तथा दूसरा ईंटों की इकाईयां बनाना। ईंटों की इकाईयां बनाना अधिक आसान होगा। कोयले के घरेलू ईंधन बनने से दो समस्याएं उत्पन्न होती है। इससे धूआं बहुत पैदा होता है। इसके लिए हमने तकनीक विकसित की है तथा इस समस्या पर काबू पा लिया गया है। दूसरी समस्या यह है कि कोयला जलने में बहुत समय लेता है। यह जलने में 5 से 10 मिनट का समय ले लेता है। पहले हमें कुछ लकड़ी डालनी पड़ती है इसके पश्चात् कोयला तथा फिर यह जलता है। फ्रांस तथा कोरिया जैसे देशों में उन्होने ऐसी तकनीक विकसित की है जिससे कि कोयले को तुरन्त जलाया जा सकता है। इसे माचिस द्वारा तुरंत जलाया जा सकता है। हमने फ्रांस को अपने कोयले के नमूने भेजे है तथा अभी-अभी करीब एक सप्ताह पहले, ये परिणामों सहित

बावल आ गये हैं। फ्रांस यह तकनीक हमें देने को तैयार हो गया है। इस तकनीक को प्राप्त कर लेने के पश्चात् मेरे विचार में हम कोयले को घरेलू ईंधन के रूप में काफी हद तक प्रचलित कर पायेंगे परन्तु मैं यह कहना चाहूंगा कि इसमें अभी समय लगेगा।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि राज्यों को जो सोफ्ट कोल की डिमान्ड है तो क्या उतना ही कोल सप्लाई करते हैं। कैश एंड कैरी पद्धति के अनुसार जितना एडवांस जमा किया है तो उतना ही कोल आप सप्लाई करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : पहले ही उसका जवाब दिया है कि नहीं करते हैं।

[अनुवाद]

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : महोदय, जो उत्तर माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उससे आन्ध्र प्रदेश को कोयले के आवंटन के सम्बन्ध में कोई संकेत नहीं मिलता। पालवांचा में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान 'द स्पेज आयरन (इंडिया) लिमिटेड को कोयले की आपूर्ति के अभाव के कारण बन्द किया जा रहा है। इसलिए, इस तथ्य को मद्देनजर रखते हुए, सार्वजनिक क्षेत्र के इस प्रतिष्ठान में कोयले की आवश्यकता की ओर ध्यान देंगे तथा इस प्रतिष्ठान को रुग्ण होने से बचाने के लिए कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठायेंगे ?

श्री पी. ए. संगमा : महोदय, 'साफ्ट कोक' साधारणतया उन्हीं राज्यों में प्रयोग किया जाता है जहां कि कोयले का उत्पादन होता है। कोयले के प्रसंस्करण का तरीका बहुत पुराना है तथा यह देश के दो मुख्य राज्यों-पश्चिम बंगाल तथा बिहार तक ही सीमित है।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे। आन्ध्र प्रदेश में भी सिंगरेनी कालियरी है।

श्री पी. ए. संगमा : प्रश्न 'कोल इंडिया' को सम्बोधित किया गया है। इसलिए मेरे पास इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है, परन्तु मैं सूचना एकत्र करके आपको दे दूंगा। जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, मैं इस पर विचार करूंगा।

## नयी औषध नीति

+

*408. श्री पृथ्वीराज डी. जम्हाण :

श्री दत्तात्रेय बंडारु :

क्या प्रधान मन्त्री की यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय औषध नीति में कोई संशोधन करने पर विचार कर रही है,

(ख) यदि हां, तो इसमें क्या-क्या संशोधन किये जाने की सम्भावना है,

(ग) नयी नीति कब तक लागू किए जाने की सम्भावना है

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. चिन्ता मोहन)। (क) से (ग) औषध नीति, 1986 और औषध (कीमत नियन्त्रण) आदेश, 1989 की पुनरीक्षा पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

श्री पृथ्वी राज डी चव्हाण। महोदय, नीति की पुनरीक्षा की जा रही है। परन्तु इस सम्बन्ध में भारी मतभेद हैं कि कौन सी औषधियां को मूल्य नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत रखा जाए। औषधियों की संख्या 143 से घटा कर 63 करना तथा 82 औषधियों को कीमत नियंत्रण आदेश की परिधि से निकालने सम्बन्धी कथित निर्णय को मुद्रा स्फीति बढ़ाने वाला तथा गरीबों के लिए अहितकर माना जा रहा है। बहुत सी स्वयंसेवी संस्थाओं ने इस निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए अभ्यावेदन भी दिए है। इन तथ्यों को सामने रखते हुए मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि मूल्य निर्धारण सम्बन्धी निर्णयों को लेने का काम रसायन विभाग की बजाय औषध (कीमत नियंत्रण) आयोग अथवा किसी अन्य स्वतंत्र संस्था को सौंपा जाये।

डा. चिन्ता मोहन। मूल्य निर्धारण योजना के अध्ययन के लिए हमने एक समिति नियुक्त की है। तीन महीने में यह समिति अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर देगी। उसके बाद ही इस सम्बन्ध में मैं कुछ कह पाऊंगा।

श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण: महोदय, यह सर्व विदित तथ्य है कि यू. एस. ट्रेड एक्ट, सुपर 301 के अन्तर्गत कार्यवाही अमरीकी फार्मेस्यूटीकल उद्योग के कारण हो रही है जो कि भारतीय पेटन्ट कानून में परिवर्तन चाहता है। अगर इसे स्वीकार कर लिया गया तो इससे भारत में दवाईयों तथा औषधियों की कीमत पांच से छह गुणा बढ़ जायेगी मैं यह जानना चाहता हूं कि औषधि नीति घोषित करने में विलम्ब का कारण अमरीकी दबाव है। तथा अमरीकी सरकार से द्विपक्षीय बातचीत के दौरान क्या इस मुद्दे पर बातचीत की गयी।

डा. चिन्ता मोहन: कहीं से भी कोई दबाव नहीं डाला जा रहा है। परन्तु नीति को लोगों के समक्ष लाने से पहले, हम संसद तथा दूसरे सम्बद्ध लोगों के विचार जानना चाहते हैं।

श्री दत्तात्रेय बंडारू: मन्त्री महोदय ने यह उत्तर दिया है कि "नीति पर सरकार सनियम रूप से विचार कर रही है।" आपके माध्यम से मैं यह जानना चाहता हूं कि 'सनियम रूप से विचार करने का क्या अर्थ है।

अध्यक्ष महोदय। "सनियम रूप से विचार का अर्थ है कि गम्भीरता पूर्वक विचार किया जा रहा है।

श्री दत्तात्रेय बंडारू: मैं वास्तविक अर्थ जानना चाहता हूं। शाब्दिक अर्थ में समझ गया हूं।

सरकार की ढीली निति के कारण मिलावट तथा इस उद्योग में ईकाईयों की अनियन्त्रित रूप में वृद्धि हो रही है। इसके कारण कीमतों में भी वृद्धि हुई है।

कीमतों को नियन्त्रित करने तथा मिलावट को रोकने के लिए क्या सरकार द्वारा कोई विशेष कदम उठाये जा रहे हैं ?

डा. चिन्ता मोहन : इन पहलुओं को स्वास्थ्य मन्त्रालय देखता है। भारत का औषध नियन्त्रक इनकी पुनरीक्षा करता है।

डा कृपासिन्धु मोई : औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश के अन्तर्गत औषधियों की संख्या 120 से कम करके 60 करते हुए, क्या वे इस बात का ध्यान रखेंगे कि टी. बी. निरोधक; कुष्टरोग निरोधक तथा मलेरिया-निरोधक दवाईयों पर कोई प्रभाव न पड़े तथा उदारीकरण के कारण कीमतें प्रभावित न हों ?

डा चिन्ता मोहन : इस प्रस्ताव का अध्ययन करेंगे तथा उचित समय पर निर्णय लेंगे।

श्री सैयद शाहाबुद्दीन : उस प्रदेशीय देशों में बीमारियों के फैलने की घटनाओं को देखते हुए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आवश्यक औषधियों की एक मानक सूची तैयार की है, जिन्हें कि लोगों को उचित मूल्यों पर उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि लगभग 70 औषधियों की वह सूची बनाई जा रही है, क्या उसमें उन सभी औषधियों को रखा गया है जो कि हमारे देश जैसे उष्णप्रदेशीय क्षेत्रों के लिए आवश्यक मानी गयी हैं ?

डा. चिन्ता मोहन : यह भविष्य की नीति के बारे में है। इस समय 1986 के औषध नीति के तहत ये सभी आवश्यक औषधिया हैं।

श्री मुरली देवरा : औषध नीति का मुख्य उद्देश्य सस्ते मूल्य पर अच्छी गुणवत्ता की औषधियां उपलब्ध कराना है। पिछले दो महीनों में बड़े फार्मास्यूटिकल उद्योगों की सहायक इकाईयों के रूप में ऋण लाइसेंस व्यवस्था के तहत निर्माण कर रही 12,000 से अधिक औषधि-उत्पादन इकाईयां स्वास्थ्य मंत्रालय तथा उवरक और रसायन विभाग के बीच समन्वय की कमी के कारण बन्द हो गई हैं।

औषध-नियन्त्रक जिन्हें ऐसे कार्यों का निरीक्षण करना होता है, इस स्थिति में नहीं हैं कि यह कह सकें कि अमुक इकाई सही है और यह नकली दवाएं नहीं बनाएगी।

मैं प्रधान मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि मन्त्रालय इस संबंध में हस्तक्षेप करे और वह सुनिश्चित करें कि पूरे भारत में स्थापित ये 12 000 इकाईयां पुनः काम करने लगें।

अध्यक्ष महोदय : यह नीति से सम्बन्धित बात है।

डा चिन्ता मोहन : कुछ लोग न्यायालय में गए और यह बात न्यायालय के विचाराधीन है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में लगे पूंजी निवेश में विदेशी ऋणों का हिस्सा

[हिन्दी]

*110 श्री नीतीश कुमार :

श्री भगवान शंकर रावत :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों में लगे पूंजी-निवेश में विदेशी ऋणों का कितना हिस्सा है;

(ख) इन ऋणों पर ब्याज की अनुमानत: कितनी राशि दी गयी है; और

(ग) वर्ष 1990-91 के दौरान इन उपक्रमों ने कितना शुद्ध लाभ कमाया ?

[अनुवाद]

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी के थुंगन) : (क) 31.3.1991 तक केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में किए गए कुल पूंजीनिवेश में विदेशी ऋणों का हिस्सा 15.54% बैठता है।

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान विदेशी ऋणों पर ब्याज की राशि 1338.57 करोड़ रुपये थी।

(ग) वर्ष 1990-91 के दौरान केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों ने कुल मिलाकर 2367.74 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया ।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने प्रश्न के सी भाग के उत्तर में कहा है कि 1990-91 में मुनाफा 2367.74 करोड़ रुपया के लगभग है जबकि सरकार ने एक प्रश्न के उत्तर में राज्य सभा में वर्ष 1989-90 में कुल मुनाफा 3781 करोड़ रु. बताया था। इसका मतलब यह है कि मुनाफा हर साल घटता जा रहा है। हम सरकार से यह जानना चाहते हैं कि पब्लिक सेक्टर को ज्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए, उसमें अधिक से अधिक मुनाफा हो सके, इसके लिए कोई टाईम बाऊंड एक्शन प्लान है जिससे फिजूलखर्ची कम हो सके और मैं यह जानना चाहता हूं कि इसमें जो नेट प्राफिट घटता जा रहा है, उसके लिए सरकार कोई टाईम बाऊंड प्लान बनाना चाहती है ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों में लगे पूंजी-निवेश में विदेशी ऋणों और इन उपक्रमों द्वारा कमाए कुल लाभ से संबंधित है।

श्री पी. के. घुंगन : लाभ में कमी के मुख्य कारण कच्चे तेल का कम उत्पादन, वेतन में वृद्धि और कच्चे माल की लागत में वृद्धि तथा खाड़ी का युद्ध थे।

जहां तक उत्पादन वृद्धि के कार्यक्रम का सम्बन्ध है, हमारी नई औद्योगिक नीति में यह पहले ही स्पष्ट कहा गया है कि हम और अधिक उत्पादन और कुशलता प्राप्त करने के प्रयास कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, पब्लिक सैक्टर में जो फिजूलखर्ची है, जो इनएफिशिएंसी है, उनके संबंध में एक बात सरकार से जानना चाहता हूं कि सरकार के पास कोई ऐसा प्रोग्राम है कि पब्लिक सैक्टर को और ज्यादा वायोबल बनाने के लिए, सुझाव देने के लिए कोई एक्सपर्ट कमेटी सरकार बनाने जा रही है और उसके मैनेजमेंट में सुधार लाने के लिए उनके जो कर्मचारी हैं, उनके मैनेजमेन्ट में हिस्सेदारी देने जा रही है, ऐसा कोई निर्णय सरकार ने लिया है ?

[अनुवाद]

श्री पी. के. घुंगन : सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को कुशल बनाना एक सतत् प्रक्रिया है। हम प्रायः हर महीने और हर वर्ष सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम के कार्य निष्पादन की समीक्षा करते हैं। इनका आधुनिकीकरण और इन्हें कुशल बनाना एक सतत् प्रक्रिया है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि नई औद्योगिक नीति के तहत सरकारी क्षेत्र की इकाईयों को और अधिक सक्षम बनाने के लिए हम विभिन्न उपाय कर रहे हैं तथा इन उपायों पर इस सभा में पहले ही चर्चा हो चुकी है। सरकारी क्षेत्र की विभिन्न इकाईयों को पुनः चलाने, उन्हें मजबूत बनाने और उनके आधुनिकीकरण के लिए हमने योजनाएं और कार्यक्रम बनाए हैं। अगर माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में विशेष इकाईयों के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं उन्हें बाद में सूची दे सकता हूं।

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत : मान्यवर, केन्द्रीय उद्योगों के अन्दर भारत सरकार ने जितनी विपुल राशि अब तक लगायी है, इस प्लान्ड डेवलेपमेंट के अन्दर, मैं यह जानना चाहता हूं कि उनमें से ऐसे कितने और कौन कौन से उद्योग हैं जो घाटे में चल रहे हैं और उनमें कितने रुपये का इन्वेस्टमेंट भारत सरकार ने किया है ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इस संबंध में आंकड़े दे सकते हैं ? क्या समय से आंकड़े आपके पास मौजूद हैं ?

श्री पी. के. घुंगन : इस समय मेरे पास ये आंकड़े नहीं हैं। लेकिन मैं यह बता सकता हूं कि 1989-90 तक रुग्ण औद्योगिक इकाई की कुल संख्या 90 थी। आठ अन्य रुग्ण इकाईयां थी।

डा. देवी प्रसाद पाल : सरकारी क्षेत्र के उपक्रम प्रायः विदेशी प्रौद्योगिकी का आयात करते हैं। विदेशी प्रौद्योगिकी के लिए अदायगी करने के लिए वे या तो विदेशी मुद्रा देते हैं या इक्विटी पूंजी देते हैं। क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के मामले में ऐसा प्रस्ताव है कि जब वे विदेशी प्रौद्योगिकी का आयात करें तो इसके बदले वे विदेशी निवेशकों के लिए इक्विटी पूंजी जारी करके अदायगी करें ?

श्री पी. के. चुंगन। जहां तक इस पहलू का संबंध है, मेरे पास कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है। लेकिन इस मामले पर हमारी औद्योगिक नीति एकदम स्पष्ट है। इक्विटी के एक निश्चित स्तर तक ऐसी कोई पाबन्दी नहीं है।

## जवाहर रोजगार योजना

[हिन्दी]

*111. डा0 परशुराम गंगवार।

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जवाहर रोजगार योजना के कार्यान्वयन हेतु धनराशि के आवंटन में वृद्धि कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

[अनुवाद]

ग्रामीण विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी वेंकटस्वामी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

डा परशुराम गंगवार। अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि जवाहर रोजगार योजना में राज्यों को कितना-कितना धन आवंटित किया गया है ? उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन को देखते हुए उस धनराशि में कोई वृद्धि की गयी है या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय। ये उत्तर प्रदेश के लिए पूछ रहे हैं।

श्री जी. वेंकट स्वामी : अध्यक्ष जी, जवाहर रोजगार योजना के तहत उत्तर प्रदेश को भी धन दिया गया है। अध्यक्ष जी, जवाहर रोजगार योजना के तहत 2100 करोड़ रुपए का गवनमेंट आफ इंडिया का बजट था जिस में से हरेक स्टेट को उसके गावों में पावर्टी लाइन के नीचे की प्रपोर्शनेट पोपुलेशन के लिहाज से जिस तरह से भी उन का परसेंटेज आता है, उस लिहाज से हर स्टेट को दिया जाता है। उसी तरह से उत्तर प्रदेश को भी उसका शेयर दिया गया है।

डा. परशुराम गंगवार। अध्यक्ष जी, यदि धनराशि नहीं बढ़ाई गई है तो मैं सरकार से

निवेदन करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश इतना पिछड़ा हुआ प्रदेश है और उन्होंने जवाहर रोजगार योजना में उसकी सहायता नहीं बढ़ाई है, इसलिए उसमें कुछ धन बढ़ाया जाए।

अध्यक्ष महोदय : यह आपका सुझाव है, इसमें उत्तर की आवश्यकता नहीं है।

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नितला : महोदय, जवाहर रोजगार योजना कार्यक्रम को लागू किए जाने के बारे में अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कार्यक्रम का समवर्ती मूल्यांकन करेगी और कमियों में सुधार करेगी और शिकायतों को दूर करने का प्रयास करेगी।

[हिन्दी]

श्री जी. वेंकट स्वामी : अध्यक्ष जी, इस बारे में कंप्लेंट्स आई हैं। उसके लिए हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि ऐक्शन लें।

(अनुवाद)

श्री के. पी. रेड्डय्या यादव : मन्त्री महोदय ने कहा है कि जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत आवंटित राशि बढ़ाई नहीं गई है। क्या मन्त्री महोदय जानते हैं कि रुपये का अवमूल्यन करने से ग्रामीण रोजगार उपलब्ध कराने में 20% की कमी हुई? इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

[हिन्दी]

श्री जी. वेंकटस्वामी : डीवैल्यूएशन से इसके ऊपर कोई असर नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय : इनका कहना है कि डीवैल्यूएशन की वजह से जिसका पैसा रखा है, उसमें से 20% पैसा कम मिलने वाला है।

[अनुवाद]

प्रधान मन्त्री (श्री पी. वी नरसिंह राव) : मैं यहां कुछ कहना चाहता हूं। हम सभी जानते हैं कि यह वर्ष कठिनाई का वर्ष है। इस वर्ष की संभावनाओं में अर्थात् चालू वर्ष 1991-92 में सभी क्षेत्रों में कुछ कमियां आई हैं। मैं ग्रामीण विकास में कमी नहीं करना चाहता था। लेकिन फिर भी हमें कुछ कमियां करनी पड़ी। 1992-93 में न केवल चालू वर्ष की कमी को पूरा करने बल्कि उससे अधिक विकास करने के लिए हम तत्काल कार्यवाही करेंगे। इसे पूरा करने के लिए हमें अन्य स्रोतों से धन मिल गया है। आज यह स्थिति है। मुझे स्वीकार··· (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रासा सिंह रावत : जब आप राज्यों के एलोकेशन में कटौती करेंगे तो उससे राज्य के लोगों का विकास क्रम रुक जाएगा। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी. वी. नरसिंह राव : जवाहर रोजगार योजना के परिव्यय में कमी के परिणामों की मुझे जानकारी है। यह सच है कि ऐसा चालू वर्ष में हुआ। हमें ऐसे उपाय करने हैं कि अगले वर्ष ऐसा न हो। वास्तव में इस आवंटन में वृद्धि की गई है और इस बारे में वित्त मन्त्री अपने भाषण में पहले ही कह चुके हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, श्रमी मंत्री जी ने बता.या कि जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत भारत सरकार विभिन्न राज्यों को पैसे आवंटन करती है, मैं आपके माध्यम से जानना चाहती हूं कि इस योजना के तहत राज्यों को जो राशि प्रदान की जाती है, भारत सरकार के द्वारा, क्या उसकी कोई मोनिटरिंग हुई है। अगर हुई है तो उसके क्या परिणाम निकले हैं।

श्री जी वेंकट स्वामी : मैंने कहा है कि कुछ कम्पलेंटस जरूर आयी हैं, उनकी छानबीन हो रही है, स्टेट गवर्नमैंटस भी कर रही है और सैन्ट्रल गवर्नमैंट की तरफ से भी की जा रही है।

श्रीमती कृष्णा साही : मैं चाहती हूं कि जब भारत सरकार इस योजना में पैसा देती है तो उसकी मोनिटरिंग भी की जानी चाहिये, स्टेट गवर्नमैंट पर इस काम को नहीं छोड़ देना चाहिए।

श्री जी. वेंकटस्वामी : हम कर रहे हैं, ठीक है। (व्यवधान)

## ग्रामीण क्षेत्रों में "औद्योगिक क्षेत्र"

*112. श्री राम नारायण बैरवा : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के पास बड़े नगरों एवं शहरों की तरह ग्रामीण क्षेत्रों में "औद्योगिक क्षेत्र" (इंडस्ट्रियल एस्टेट्स) स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है, और

(ख) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस संबंध में प्रस्तावित नई नीति का ब्यौरा क्या है ?

[अनुवाद]

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री ( प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) और (ख) एक विवरण सभापटल पर रखा जाता है।

### विवरण

(क) और (ख) केन्द्र सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक बस्तियां स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। किन्तु लघु, अति लघु और ग्रामीण उद्यमियों को को बढ़ावा देने तथा उन्हें मजबूत बनाने के लिए 6 अगस्त 1991 को जो नीतिगत उपाय घोषित किये गये थे उनका अनुसरण करते हुए ग्रामीण/पिछले क्षेत्रों में लघु उद्योगों हेतु मूलभूत सुविधाओं (जिसमें तकनीकी सहायता सेवाएं भी शामिल हैं) के विकासार्थ एक समेकित योजना बनायी गयी है जो आठवीं पंचवर्षीय

योजना (1992-97) के प्रस्तावों में सम्मिलित कर ली गयी है। केन्द्र तथा राज्य/संघ शासित क्षेत्रों के संबंधित प्राधिकरणों से परामर्श करके इस योजना के मसौदे को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री राम नारायण बेरवा : अध्यक्ष जी, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को यह जानकारी है कि चीन और भारत दोनों की समस्याएं जनसंख्या और रोजगार की दृष्टि से लगभग एक जैसी हैं जबकि चाईना ने अपने यहां रूरल इंडस्ट्रीज का इस्टैब्लिश करके, गांवों का काफी विकास किया है। क्या सरकार ने चाईना के सिस्टम को स्टडी कराने का कोई प्रयास किया है।

[अनुवाद]

प्रो पी. जे. कुरियन : मैं नहीं समझता कि हमें किसी अन्य देश की प्रणाली अपनाने की आवश्यकता है। हमारी अपनी प्रणाली है जिसे हम काफी प्रभावी समझते हैं।

[हिन्दी]

श्री राम नारायण बेरवा : अध्यक्ष जी, अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि रूरल डेवलपमैंट के काम को हम ज्यादा एम्फैसिस देकर कर रहे हैं लेकिन भारत की कुल आबादी का अधिकतर भाग लगभग 75 प्रतिशत हिस्सा गांवों में निवास करता है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि सरकार ने इंटीग्रेटिड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमैंट से सम्बन्धित जो पोलिसी बनायी है, क्या सरकार उस योजना को गांवों के विकास के लिये काफी समझती है, उससे गांव का विकास हो जायेगा।

अध्यक्ष महोदय। मंत्री जी, आपने जो योजना बनायी है, क्या वह गांवों के विकास के लिये काफी है, यह बताइये।

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : कोई भी ऐसा दावा नहीं कर सकता कि पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ऐसी योजना बनाई जाएगी जिसमें सब कार्य कर दिए जाएंगे। हमेशा कोई न कोई कमी रहेगी और आवश्यकताएं बढ़ती रहेंगी। आवश्यकताओं को पूरा करने की हमारी क्षमता देश में उपलब्ध संसाधनों द्वारा सीमित हो जाती है।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी : अध्यक्ष जी, मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि नई नीति के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में निर्यातोन्मुखी गुड्स का निर्माण हो रहा है। उनमें निर्यातोन्मुखी वस्तुएं निर्मित होने के बावजूद, उन्हें सरकार की तरफ से प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : जोशी जी, आपको हिन्दी इंगलिश से डिफिकल्ट नहीं होनी चाहिए।

श्री दाऊ दयाल जोशी : जब इन निर्यातोन्मुखी वस्तुओं के निर्माण पर एक पैसे की भी विदेशी मुद्रा व्यय नहीं हो रही है तो इसे देखते हुए सरकार ने नई नीति के तहत, इस बात को क्यों

तक क्यों घोषित नहीं किया है कि निर्यातोन्मुखी ग्रामीण वस्तुओं के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिये सरकार कोई विशेष अनुदान देने का विचार रखती है, कृपया वह स्पष्ट करें ।

[अनुवाद]

प्रो. पी. जे. कुरियन : मुझे खेद है कि ऐसा नहीं है । वास्तव में सरकार की पूर्ण औद्योगिक नीति का लक्ष्य निर्यातोन्मुखी उद्योगों का विस्तार करना और उन्हें प्रोत्साहन देना है । मैं नीति के ही अनेक मामले उद्धृत कर सकता हूँ । हम गुणवत्ता में सुधार कर, बेहतर तकनीक अपनाकर और निर्यात संवर्धन उद्योगों को बढ़ावा देकर अपना निर्यात क्षमता में सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं ।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री । क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या देश में ऐसे बहुत से बड़े क्षेत्र हैं जो असंतुलित हैं । क्या आप ऐसे क्षेत्रों का कोई सर्वेक्षण करायेंगे जहां पर सरकारी उद्योगों को स्थापित करने से वहां उद्योग पनप सकते हैं । उस सर्वेक्षण के आधार पर क्या नई नीति के तहत आप उन क्षेत्रों में उद्योग लगाने का प्रयत्न करेंगे ।

[अनुवाद]

प्रो. पी. जे. कुरियन : हां महोदय, सरकार के पास देश के पिछड़े क्षेत्रों की सूची पहले से ही है । इन क्षेत्रों में उद्योगों को आकर्षित करने के लिए जो भी संभव है वह सरकार कर रही है । हमारी विकास केन्द्र योजना है जिसके माध्यम से हम पिछड़े क्षेत्रों में आधारभूत ढांचा प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं ।

---

## प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

### जोधपुर लिफ्ट कैनाल परियोजना

*106. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य और इंजीनियरी संगठन द्वारा वर्ष 1989 में इन्दिरा गांधी नहर से "जोधपुर लिफ्ट कैनाल" की एक जल आपूर्ति योजना मंजूर की गई थी;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1991-92 के दौरान रक्षा मन्त्रालय, भारतीय जीवन बीमा निगम/राज्य आयोजना (शहरी और ग्रामीण) के स्रोतों से इस परियोजना के लिए कितनी-कितनी धन-राशि उपलब्ध कराई गई;

(ग) क्या जीवन बीमा निगम ने इस परियोजना के लिए अपने भाग की धनराशि दे दी है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण कारण हैं और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : (क) जी, हां।

विवरण

(ख) राजस्थान सरकार का 1991-92 वर्ष के दौरान परियोजना के लिए निम्न स्रोतों से 25.52 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराने की योजना थी :—

(करोड़ रुपए)

| | मूल आबटन | अब तक किया गया प्रावधान |
|---|---|---|
| (I) रक्षा ऋण | 4.00 | 4.00 |
| (II) राज्य योजना | | |
| शहरी | 9.50 | 12.00 |
| ग्रामीण | 2.02 | 2.02 |
| (III) जीवन बीमा निगम ऋण (अप्रत्याशित) | 10.00 | — |
| जोड़ | 25.51 | 18.02 |

(ग) जीवन बीमा निगम ने परियोजना के लिए योजना आबंटन के अलावा उस समय प्रचलित 14 प्रतिशत के वाणिज्यिक ब्याज दर पर 23.69 करोड़ रुपए के एक ऋण को जून, 1989 में स्वीकृत किया है। ऐसी स्कीमों पर पर अब ब्याज दर को बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है। राजस्थान जल आपूर्ति तथा मल अपवन निगम ने परियोजना के लिए जीवन बीमा निगम की किसी किस्त को प्राप्त करने के लिए अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया है।

(घ) राजस्थान सरकार ने ऊंची ब्याज दर के कारण जीवन बीमा निगम के ऋण की प्रथम किस्त अदायगी के लिए अभी तक कोई अनुरोध नहीं किया है। योजना आबंटन के अलावा वाणिज्यिक ब्याज दर पर पहले ही स्वीकृत जीवन बीमा ऋण को उपयोग में लाने के मामले पर राज्य सरकार विचार कर रही है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में लघु उद्योग

*109. श्री फूल चन्द वर्मा : क्या प्रधान मंत्री मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान मध्य प्रदेश में कितने लघु उद्योग स्थापित किये गए हैं;

(ख) क्या यह संख्या पिछले दो वर्षों की तुलना में कम है; यदि हां, तो कितनी; और

(ग) राज्य में और अधिक लघु उद्योग स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाएंगे ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. जे. कुरियन) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अप्रैल, 1991 से जनवरी, 1992 की अवधि के दौरान मध्य प्रदेश में स्थापित पंजीकृत लघु एककों की संख्या 18,048 थी। यह संख्या 1980-90 और 1990-91 की इसी अवधि के दौरान स्थापित पंजीकृत लघु एककों की संख्या से ज्यादा है।

(ग) मध्य प्रदेश सहित देश में लघु, अत्यन्त छोटे और ग्राम्य उद्यमों को बढ़ावा देने तथा इन्हें सुदृढ़ बनाने के लिए नीति संबंधी उपाय 6 अगस्त, 1991 को संसद में रखे गए थे।

विकास केन्द्रों की परियोजना रिपोर्टें

[अनुवाद]

*113. श्री अन्ना जोशी :

(श्रीमती) रीता वर्मा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों ने विकास केन्द्रों की परियोजना रिपोर्टें केन्द्रीय सरकार को भेज दी हैं;

(ख) उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश की सरकारों द्वारा केन्द्रीय सरकार को भेजे गये प्रस्तावों का ब्योरा क्या है;

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इन प्रस्तावों पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) इस सम्बन्ध में इन राज्यों को यदि कोई धनराशि आवंटित की गई है तो कितनी-कितनी ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) से (घ) आन्ध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, जम्मू तथा कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश सरकारों से परियोजना रिपोर्टें प्राप्त हो गई हैं।

विकास केन्द्र योजना के अधीन उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और आन्ध्रप्रदेश को क्रमश: 8, 5, 5, 3 और 4 विकास केन्द्र आवंटित किये गये हैं। अन्तिम चयन राज्य सरकारों से परामर्श करके किया गया है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 प्रस्ताव भेजे थे जो आगरा, अलीगढ़, बाराबंकी, बुलन्दशहर, बस्ती, इटावा, गोरखपुर, झांसी, जौनपुर, कानपुर देहात, मुरादाबाद पौड़ी गढ़वाल, और शाहजहांपुर के बारे में थे। इनमें से बुलन्दशहर, इटावा, गोरखपुर, झांसी, जौनपुर, मुरादाबाद, पौड़ी गढ़वाल और शाहजहांपुर जिलों का चयन किया गया था।

राजस्थान सरकार ने 10 प्रस्ताव भेजे थे जो भरतपुर, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, झालावाड़, बीकानेर, सिरोही, अजमेर, अलवर, धोलपुर और बेहोर के बारे में थे। इनमें से भीलवाड़ा, झालावाड़, बीकानेर सिरोही और धोलपुर जिलों का चयन किया गया था।

महाराष्ट्र सरकार ने 12 प्रस्ताव भेजे थे जो परभनी, चन्द्रपुर, नादेड़, नासिक, रत्नागिरी, गढ़चिरोली, अकोला, वर्धा, कोरक्षापुर, यदतमाल, वर्धा और धूले के बारे में थी। इनमें से अकोला, रामपुर, धूले, नान्देड़ और रत्नागिरी जिलों का चयन किया गया था।

गुजरात सरकार ने 6 प्रस्ताव भेजे थे जो कच्छ, बनाटकंठा, भड़ौच, सुरेन्द्रनगर के बारे में थे। उनमें से कच्छ, बनासकंठा और भड़ौच जिलों का चयन किया गया था।

आन्ध्र प्रदेश सरकार ने 8 प्रस्ताव भेजे थे जो नलगोंडा, मेटक, खम्माम, विजयनगरम, प्रकाशम, शामसुन्दरी, चित्तूर और अनन्तपुर के बारे में थे। इनमें से खम्माम, विजयनगरम, प्रकाशम और अनन्तपुर जिलों का चयन किया गया था।

उपयुक्त राज्यों से 31.3.91 तक आन्ध्र प्रदेश से केवल चार, राजस्थान से चार, और उत्तर प्रदेश से दो परियोजनायें प्राप्त हुई थी और इनको 50-50 लाख रुपये की राशि दी गई थी।

## न्यूनतम आवश्यकताएं कार्यक्रम

*114. श्री गंगाधर सानीपल्ली : क्या योजना और कार्यान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में न्यूनतम आवश्यकताएं कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्धियों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्यक्रम के लिए चालू वर्ष के दौरान कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

योजना और कार्यान्वयन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : (क) जी, नहीं। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति का पता लगाए जाने के लिए कोई सर्वेक्षण या अध्ययन नहीं किया गया। फिर भी कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य निष्पादन की समीक्षा परस्पर अन्तर-मन्त्रालय बैठकों में समय-समय पर की जाती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 1991-92 के दौरान न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिए 4282.07 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया गया।

## 20 सूत्री कार्यक्रम

*115. श्री. सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20 सूत्री कार्यक्रम को संक्षिप्त करके 5 सूत्री कार्यक्रम में बदले जाने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक कार्यान्वित किये जाने की सम्भावना है ?

योजना और कार्यान्वयन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

## अखबारों का कागज उद्योगों की स्थापना

*116. श्री वमंण्णा पोंड्या साहुल :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखबारी कागज उद्योगों की स्थापना सम्बन्धी कुछ प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रस्तावों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों पर कब तक मंजूरी दिए जाने की सम्भावना है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

(ग) सरकार इन प्रस्तावों पर सुव्यवस्थित कार्यविधि के अनुसार निर्णय लेगी।

### विवरण

उत्तर प्रदेश

(1) 8। करोड़ रु. की कुल पूंजीगत लागत से गाजियाबाद (उ. प्र.) जिले में (1) चीनी (45,000 मी. टन), (2) अखबारी कागज (30,000 मी. टन) और (3) औद्योगिक अल्कोहल/-

पोटेबल अल्कोहल (28,000 मी. टन) के विनिर्माण के लिए आशय-पत्र की मंजूरी हेतु श्री आर. के. अग्रवाल से प्राप्त दिनांक 9 1-1992 का आवेदन ।

असम

(1) 3 करोड़ रु. की लागत से कुछ सन्तुलनकारी उपकरण लगाने के लिए कागज और गत्ते की 1 लाख मी. टन कुछ लाइसेंस प्राप्त क्षमता के भीतर 20.000 मी. टन प्रति वर्ष अखबारी कागज के उत्पादन के लिए आशय-पत्र की मन्जूरी के लिए (सरकारी क्षेत्र के उपक्रम) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि. से प्राप्त दिनांक 17-2-1992 का आवेदन । यह उत्पादन असम में स्थित इसकी कछार पेपर मिल में किया जाएगा ।

(2) 1 लाख मी. टन कागज और गत्ते की कुल लाइसेंस प्राप्त क्षमता के भीतर 20,000 मी. टन वार्षिक अखबारी कागज के उत्पादन के लिए आशय-पत्र की मन्जूरी के लिए (केन्द्र सरकार के उपक्रम) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि. से प्राप्त 17-2-1992 का आवेदन । यह उत्पादन असम में स्थित इसकी नोगांव पेपर मिल में किया जाएगा ।

आन्ध्र प्रदेश

(1) 750 करोड रु. की कुल अनुमानित लागत से पूर्वी गोदावरी जिले में चीनी (1.2 लाख मी. टन), अखबारी कागज (1 लाख मी. टन) और छपाई/लिखाई कागज (1 लाख मी. टन) के उत्पादन के लिए (आशय-पत्र की मन्जूरी के लिए आन्ध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल डिवेलपमेंट कारपोरेशन लि. से प्राप्त 10-9-91 का आवेदन ।

नागालैंड

(1) 33,000 मी. टन सुगदी और कागज की कुल लाइसेंस प्राप्त क्षमता के भीतर 20.000 मी. टन अखबारी कागज के उत्पादन के लिए आशय-पत्र की मन्जूरी हेतु मै0 नागालैंड पल्प एण्ड पेपर कं. लिमिटेड से प्राप्त 26-2-92 का आवेदन । यह उत्पादन इसकी मौजूदा मिल में किया जाएगा ।

[हिन्दी]

*117. श्री ललित उराँव :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों के नाम क्या है;

(ख) इन जिलों के औद्योगिक विकास हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा किस प्रकार के उद्योगों को प्राथमिकता दी जा रही है; और

(ग) इस बारे में लाइसेंस कब तक जारी किये जाने की सम्भावना है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) । (क) बिहार में केन्द्र द्वारा घोषित

पिछड़े जिलों के नाम ये हैं :—भागलपुर, चम्पारन, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पलामू,पुर्णिया, सहरसा, संथाल परगना, सारन, नालंदा, औरंगाबाद, नवादा, गया, भोजपुर बेगुसराय, मुंगेर, खगरिया और माधेपुर।

(ख) और (ग) पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक विकास केन्द्र योजना की घोषणा की है, जिसे आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वित किया जाएगा। विकास केन्द्रों को बिजली, पानी, दूरसंचार और बैंकिंग जैसी मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इस योजना के अन्तर्गत बिहार को छह विकास केन्द्र आवंटित किए गए हैं जिसमें से पांच का चयन कर लिया गया है और इनकी घोषणा कर दी गई है। इनमें से पांच विकास केन्द्र औरंगाबाद, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया के पिछड़े जिलों में हैं।

सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों के लिए किसी प्राथमिकता वाले उद्योग का पता नहीं लगाया है। जिन उद्योगों के लिए लाइसेंस लेना जरूरी है, उन मामलों में आशय-पत्र मंजूर करते समय पिछड़े क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

[अनुवाद]

## सिंगल सुपर फास्फेट उद्योग पर संकट

*118. श्री हंन्नान मोल्लाह :

श्री गुरुदास कामत :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पूरे देश में सिंगल सुपर फास्फेट का उत्पादन करने वाले उर्वरक उद्योगों को गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) देश में कितने सिंगल सुपर फास्फेट उद्योग हैं और हाल में इनमें से कितने एककों को बंद कर दिया गया है तथा ऐसा करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में सरकार को कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा. चिन्ता मोहन) : (क) और (ग) जी हां। सिंगल सुपर फास्फेट (एस एस पी) एककों से उनके समापन तथा लाभप्रदता की समस्याओं के सम्बन्ध मे सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) विभाग मे उपलब्ध सूचना के अनुसार देश मे लगभग 80 चालू एस एस पी एकक हैं। उनमे से 24 एककों ने एस एस पी का उत्पादन बन्द कर दिया है तथापि इनमे से कुछ एककों ने

सब्फ्यूरिक एसिड का उत्पादन करना जारी रखा हुआ है। एककों ने एस एस पी के उत्पादन को बन्द करने के निम्नलिखित मुख्य कारण बताये हैं : राजसहायता के अपर्याप्त/विलंबित भुगतान से उत्पन्न गम्भीर समापन समस्या, राजसहायता की सीमा निर्धारित करना तथा विभिन्न निवेशों को लागत में तीव्र वृद्धि के लिए उन्हें क्षतिपूर्ति करने में विलम्ब ।

(घ) अभ्यावेदनों में यह बताया गया है कि राजसहायता पर लगायी गयी सीमा, भुगतान में विलम्ब के कारण एस एस पी एककों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आयोजित निवेशों की लागत में वृद्धियों को ध्यान में रखते हुए राजसहायता की सीमा को संशोधित करके बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा, सम्बद्ध आंकड़ों के आधार पर शीघ्र भुगतान करने के लिए हर प्रयास किया जा रहा है।

## कोयला क्षेत्र के लिए उपभोक्ता परिषदें

*119. डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

डा. ए. के. पटेल :

क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला क्षेत्र के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की तथा क्षेत्रीय स्तर की पांच के उपभोक्ता परिषदों का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) ये परिषदें उपभोक्ताओं के लिए किस प्रकार सहायक सिद्ध होंगी ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) से (ख) (ग) कोयला उपभोक्ताओं की शिकायतों को सुनने की प्रक्रिया के एक भाग के रूप में कोयला कम्पनी स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता परिषदों की संकल्पना की गई है। किसी कोयला कम्पनी में उपभोक्ताओं से प्राप्त शिकायतों पर एक क्षेत्रीय कोयला उपभोक्ता परिषद द्वारा निगरानी रखी जाएगी। इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक कोयला कम्पनी में एक परिषद भी स्थापित की जाएगी। यदि किसी शिकायतकर्ता को एक महीने के अन्दर उत्तर नहीं मिलता है अथवा कोई शिकायतकर्ता उत्तर से संतुष्ट नहीं है तो वह कोल इंडिया लि. द्वारा स्थापित की जाने वाली राष्ट्रीय कोयला उपभोक्ता परिषद् को शिकायत भेज सकता है। शिकायतों पर निगरानी रखने के अलावा परिषद कोयले की आवश्यकताओं, कोयले की आपूर्ति, कोयले की गुणवत्ता, वाणिज्यिक मामलों, आदि के सम्बन्ध में भी विचार-विमर्श कर सकती है। चूंकि ये परिषद अभी स्थापित की जानी हैं और इनका कोयला कम्पनियों द्वारा कार्यचालन किया जाना है, अतः उन्हें इस सम्बन्ध में अपेक्षित कार्रवाई किए जाने का परामर्श दिया गया है।

## ग्रामीण महिलाओं का उत्थान

*120. श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय संदर्शी योजना में उल्लिखित महिला मुखिया वाले ग्रामीण निर्धन परिवारों की स्थिति में सुधार करने के लिए कोई विशेष कार्यक्रम तैयार किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं और इसके लिए तैयार किये गए कार्यक्रमों का ब्योरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री उत्तम भाई एच.पटेल) : (क) और (ख) महिला मुखिया वाले ग्रामीण निर्धन परिवार समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण महिला तथा शिशु विकास योजना (डवाकरा) और जवाहर रोजगार योजना आदि जैसे चल रहे कार्यक्रमों के अन्तर्गत सहायता पाने के पात्र हैं। महिला मुखिया वाले ग्रामीण निर्धन परिवारों के लिए अलग से कोई कार्यक्रम नहीं है।

## ग्रामीण गरीबों के लिए मकान

*121. श्री सुधीर सावन्त :

श्री के. राममूर्ति टिडिवनाम :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) देश में गत 6 महीनों के दौरान ग्रामीण गरीबों को कम लागत वाले अग्निरोधी आवास उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये गए;

(ख) क्या सरकार ने इस प्रयोजनार्थ विश्व बैंक और कुछ अन्य अधिकरणों से वित्तीय सहायता मांगी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकटस्वामी) : (क) से (ग) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के तत्वाधान में कार्य करते हुए केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की ने मकानों को अग्निरोधी बनाने के लिए अनेक निर्माण तकनीकें विकसित की हैं। वे ऐसी निर्माण तकनीकों का विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में अपने विस्तार केन्द्रों की मार्फत और विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित करके प्रचार कर रहे हैं। गत 6 से 7 महीनों के दौरान इस संबंध में की गयी कार्यवाही निम्नलिखित है :—

1. अग्निरोधी छप्पर

विभिन्न प्रकार के छप्पर (ग्रामीण क्षेत्रों में आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली छत बनाने की सामग्री) बनाने के लिए तकनीक को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान ने उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों में 8 स्थानों पर प्रदर्शन किये हैं।

2. प्रदर्शनियां

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कम लागत वाले अग्निरोधी मकानों के निर्माण के बारे में पुणे, नागपुर, भोपाल, बीकानेर और रुड़की में प्रदर्शनियां आयोजित की गयी हैं।

3. समन्वित प्रशिक्षण कार्यक्रम

विगत में कुछ समय पहले कम लागत की मकान निर्माण सामग्री तथा मकान बनाने, जिसमें ग्रामीण मकानों के लिए अग्निरोधी निर्माण तकनीकों के बारे में प्रशिक्षण शामिल है, के सम्बन्ध में 6 प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं।

4. इन्दिरा आवास योजना

इन्दिरा आवास योजना, जोकि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और मुक्त बंधुआ मजदूरों में से निर्धन लोगों के लिए मकान बनाने का कार्यक्रम है, के अन्तर्गत बनाए जाने वाले मकान टिकाऊ और स्थायी स्वरूप के होने अपेक्षित है, जिसका अर्थ अन्य बातों के साथ-साथ यह है कि वे अग्निरोधी होने चाहिए। राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार अगस्त, 1991 से जनवरी, 1992 की अवधि के दौरान कार्यक्रम के अंतर्गत 87199 मकान बनाए गए हैं।

5. अन्य एजेंसियों द्वारा आयोजित कार्यशालाएं

संस्थान अन्य एजेंसियों द्वारा आयोजित कार्यशालाओं/सेमिनारों में भाग लेता है और विभिन्न चीजों के बारे में निदर्शन/प्रदर्शनियां लगाता है। 24 परगना और नागपुर में लगायी गयी प्रदर्शनियों में कम लागत वाली अग्निरोधी निर्माण तकनीकें शामिल की गयी थीं।

6. प्रदर्शन मकान

निम्नलिखित स्थानों पर, जहां इस समय मकानों का निर्माण कार्य प्रगति पर है, प्रदर्शन मकानों के निर्माण में कम लागत वाली अग्निरोधी तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है :—

(क) राजस्थान के जिला भरतपुर के सोंका और पालका गांवों में शौचालयों सहित 63 मकानों का निर्माण।

(ख) असम के जिला बारपेटा मकतावार बाजार गांव में शौचालयों और धुंआ रहित चूल्हों सहित 50 मकानों का निर्माण।

(ग) पश्चिम बंगाल के जिला पश्चिमी दिनाजपुर के बिधान नगर गांव में शौचालयों और धुंआ रहित चूल्हों सहित 100 मकानों का निर्माण।

7. विश्व बैंक से वित्तीय सहायता

इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा विश्व बैंक और अन्य एजेंसियों से अभी तक कोई सहायता नहीं ली गई है। इसलिए इस बारे में ब्यौरे देने का प्रश्न नहीं उठता।

मृत पशुओं के शवों को हटाना

1164. श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की सड़कों और गलियों में मृत पशुओं के शवों का कई दिनों तक पड़े रहना एक आम बात हो गयी है; और

(ख) यदि हां, तो मृत पशुओं के शवों को हटाने के लिए की गयी व्यवस्था का ब्योरा क्या है ?

शहरी विकास मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि मृत पशुओं के शव उठाने का ठेका सी-48, कोटला मुबारकपुर, त्रिलोक कालोनी, नई दिल्ली निवासी श्री रामे, सुपुत्र श्री अत्तर सिंह को दिया गया है। यह ठेका 21.3.1993 को समाप्त होने वाली अवधि तक के लिये वैध है। मृत पशुओं को उठाने के लिए श्री रामे के पास 14 वाहन हैं और शिकायतें प्राप्त करने के लिये 4 टेलिफन सं 0690517, 4620321, 4620322 और 460323 (निवास) है और इस व्यवस्था को पर्याप्त समझा गया है। नई दिल्ली नगर पालिका ने भी इसी व्यक्ति से ठेका किया है।

छावनी बोर्ड ने सूचित किया है कि कर्मचारियों के ध्यान में आने पर तत्काल ही मृत पशुओं को हटाया जाता है और छावनी क्षेत्र से बाहर डाल दिया जाता है।

सहकारी सामूहिक आवास समितियों की प्रतीक्षा सूची

1165. डा. असीम बाला :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी समितियों के पंजीयक (रजिस्ट्रार) ने कई सहकारी आवास समितियों के सदस्यों की प्रतीक्षा सूची को रद्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उन समितियों के नाम क्या हैं तथा उनकी सूचियों को रद्द करने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या उप-राज्यपाल द्वारा जारी किये दिशा निर्देशों के अन्तर्गत, सहकारी समितियों को भावी रिक्तियां भर कर प्रतीक्षा सूची बनाये रखने की अनुमति दी गयी है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख) नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार वर्ष 1991-92 के दौरान दो सहकारी गृह निर्माण समितियों के मामले में प्रतीक्षा सूचियां रद्द करने के आदेश दिए गए हैं :—

1. ईश्वर नगर सहकारी गृह निर्माण समिति—

15 सदस्यों की प्रतीक्षा सूची रद्द कर दी गयी हैं क्योंकि समिति के पास उपलब्ध प्लाटों की संख्या की अपेक्षा सदस्यों की संख्या अधिक हो गई थी।

2. कोहाट सहकारी गृह निर्माण समिति—

समिति ने समय-समय पर तीन प्रतीक्षा सूचियां तैयार की थी। तथापि, इस समिति के पास केवल एक प्लाट उपलब्ध है। चूंकि समिति के पास भूमि उपलब्ध नहीं है, अत: समिति द्वारा 1987 में तैयार की गयी 21 सदस्यों की सूची को छोड़कर सभी प्रतीक्षा सूचियां रद्द करने का निर्णय लिया गया था।

(ग) उप राज्यपाल, दिल्ली के दिनांक 5.7.77 के निर्देश में विशेष रूप से व्यवस्था है कि किसी भी समिति में किसी भी हालत में सदस्यों की संख्या उपलब्ध प्लाटों से अधिक नहीं होनी चाहिए। तथापि, सभी औपचारिकताओं का पालन करने के पश्चात होने वाली भावी रिक्तियों को के लिए प्रतीक्षा सूची रखी जा सकती है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा संचित हानि/लाभ

1166. श्री. मणि शंकर अय्यर :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1970-1991 तक की अवधि के दौरान घाटे में चल रहे केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की कुल संचित हानि कितनी है;

(ख) इस अवधि के दौरान असफल गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को अधिग्रहण के फलस्वरूप राष्ट्रीय कपड़ा निगम तथा अन्य केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का उसमें कितना हिस्सा था;

(ग) इसी अवधि के दौरान लाभ अर्जित करने वाले केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का संचित लाभ कितना है; और

(घ) इसी अवधि के दौरान पैट्रोलियम उत्पादों से संबंधित केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का कुल संचित लाभ में कितना हिस्सा था ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) घाटा उठा रहे सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की संचित हानि 31.3.70 को 427.54 करोड़ रुपये से बढ़ कर 31.3.91 को 15353.97 करोड़ रुपए हो गयी।

(ख) नेशनल टेक्सटाईल समूह तथा अधिकार में लिए गए केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के अन्य उद्यमों की संचित हानि इस प्रकार रही।

(करोड़ रुपयों में)

| | 31.3.70 | 31.3.91 |
|---|---|---|
| नेशनल टेक्सटाईल कारपो. (समूह) | — | 1621.97 |
| अधिकार मे लिए गए सरकारी क्षेत्र के अन्य उद्यम | 7.37 | 2185.05 |

(ग) 31.3.70 को केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की कुल मुक्त आरक्षित निधि 248.74 करोड़ रुपये से बढ़कर 31.3.91 को 31262.35 करोड़ रुपए हो गई।

(घ) 31.3.70 को पेट्रोलियम क्षेत्र की मुक्त आरक्षित निधि 96.45 करोड़ रुपए से बढ़कर 31.3.91 को 17281.11 करोड़ रुपए हो गई है।

[हिन्दी]

आदर्श औद्योगिक शहर

1167. श्री शिव शरण वर्मा :

क्या योजना और कार्यक्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-जापान अध्ययन समिति द्वारा बनाई गई उस समिति ने एक आदर्श औद्योगिक शहर की स्थापना के संबंध में अपनी रिपोर्ट दे दी है,

(ख) यदि हां, तो सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

सरकारी क्वार्टरों की दीवारों में दरारें

1169. श्री केशरी लाल :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या लक्ष्मी बाई नगर तथा किदवई नगर में सरकारी क्वार्टरों की दीवारों में काफी समय से दरारें आ गयी हैं और इसके परिणामस्वरूप वर्षा के मौसम के दौरान इनमें सीलन आ जाती है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे क्वार्टरों की संख्या कितनी है; और

(ग) इस संबंध में शिकायतें दर्ज कराने के बावजूद इन क्वार्टरों की मरम्मत न कराने के क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

## रंगीन टेलीविजन का मूल्य

1169. श्री अर्जुन सेठी ।

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रंगीन टेलीविजन के मूल्यों में वृद्धि हो गयी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) । (क) जी, हां ।

(ख) रंगीन टेलीविजन की कीमतों में वृद्धि मुख्यत: कच्ची सामग्रियों, सघटक-पुर्जों, जनशक्ति, परिवहन, कार्यशील पूंजी की लागत तथा उत्पादन शुल्क में वृद्धि होने के कारण हुई है ।

## महिलाओं की प्रति व्यक्ति आय

1170. श्री बापू हरि चौरे :

श्री मानिकराव होडल्या गावीत :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक दशक के दौरान भारतीय महिलाओं ने रोजगार के अवसरों में भागीदारी में क्या भूमिका निभाई है;

(ख) क्या इस संदर्भ में देश में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों की महिलाओं की भूमिका में धीरे-धीरे वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो महिलाओं की भागीदारी के सम्बन्ध में राज्यवार ब्यौरा क्या है और भारत में महिलाओं की आर्थिक स्थिति कैसी है तथा उनकी प्रति व्यक्ति आय का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पवन सिंह घटोवार) : (क) और (ख) 1991 जनगणना के अनन्तिम आंकड़ों से यह पता चलता है कि शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की रोजगार में भागीदारी दर में वृद्धि हुई है । महिला कर्मकारों की संख्या में सभी क्षेत्रों में 42.26; ग्रामीण क्षेत्रों में 40.25 और शहरी क्षेत्रों में 60.99 (असम तथा जम्मू व कश्मीर को छोड़कर) प्रतिशत वृद्धि हुई है ।

(ग) सभी क्षेत्रों में 1981-1991 के दौरान महिला कर्मकारों की संख्या में राज्यवार प्रतिशतता-वृद्धि दर्शाने वाला विवरण संलग्न है । देश में महिलाओं की आर्थिक स्थिति दिखाते हुए महिला कर्मकारों के बारे में प्रति व्यक्ति आय संबंधी राज्यवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

विवरण

सभी क्षेत्रों में 1981 और 1991 में कुल श्रमिकों की प्रतिशतता

| भारत/राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र | महिलाएं | | |
|---|---|---|---|
| | कर्मकारों की प्रतिशतता | | कर्मकारों की संख्या में प्रतिशतता वृद्धि |
| | 1981 | 1991 | 1981-91 |
| 1 | 8 | 9 | 10 |
| भारत* | 19.67 | 22.73 | 42.26 |
| राज्य | | | |
| 1. आन्ध्र प्रदेश | 33.54 | 34.81 | 28.42 |
| 2. अरुणाचल प्रदेश | 45.68 | 39.61 | 18.74 |
| 3. बिहार | 13.50 | 15.69 | 40.85 |
| 4. गोवा | 21.88 | 20.48 | 8.17 |
| 5. गुजरात | 20.66 | 27.08 | 57.78 |
| 6. हरियाणा | 10.60 | 11.29 | 34.83 |
| 7. हिमाचल प्रदेश | 31.86 | 34.79 | 31.94 |
| 8. कर्नाटक | 25.23 | 29.27 | 39.35 |
| 9. केरल | 16.61 | 16.90 | 16.50 |
| 10. मध्य प्रदेश | 30.64 | 32.53 | 33.92 |
| 11. महाराष्ट्र | 30.13 | 33.02 | 35.11 |
| 12. मणिपुर | 39.48 | 37.50 | 21.47 |
| 13. मेघालय | 37.49 | 36.69 | 28.51 |
| 14. मिजोरम | 37.72 | 43.94 | 62.80 |

| 1 | | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 15. | नागा लैण्ड | 43.20 | 39.25 | 44.85 |
| 16. | उड़ीसा | 19.81 | 20.85 | 25.18 |
| 17. | पंजाब | 6.16 | 6.78 | 33.08 |
| 18. | राजस्थान | 21.06 | 27.01 | 63.72 |
| 19. | सिक्किम | 37.61 | 52.74 | 84.71 |
| 20. | तमिल नाडु | 26.52 | 30.88 | 33.51 |
| 21. | त्रिपुरा | 12.78 | 14.31 | 49.70 |
| 22. | उत्तर प्रदेश | 8.07 | 12.87 | 99.64 |
| 23. | पश्चिम बंगाल | 8.07 | 11.67 | 80.84 |
| | संघ राज्य क्षेत्र | | | |
| 1. | अण्डमान निकोबार द्वीप समूह | 10.78 | 12.86 | 84.19 |
| 2. | चण्डीगढ़ | 9.10 | 10.52 | 66.77 |
| 3. | दादर एवं नागर हवेली | 41.33 | 48.88 | 56.08 |
| 4. | दमण व द्वीव | 22.62 | 23.06 | 25.26 |
| 5. | दिल्ली | 6.84 | 7.67 | 71.43 |
| 6. | लक्ष दीप | 9.16 | 7.48 | 3.19 |
| 7. | पांडिचेरी | 13.48 | 15.48 | 52.92 |

*असम एवं जमू व कश्मीर को छोड़कर
आंकड़े अनन्तिम हैं।

## जापान द्वारा भारत में पूंजी निवेश

1171. श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जापान की औद्योगिक, वाणिज्यिक और वित्तीय संस्थाओं से भारतीय उद्यागों में पूंजी निवेश करने का अनुरोध किया है,

(ख) क्या जापान की प्रतिक्रिया अभी तक उत्साहवर्धक नहीं रही है, और

(ग) यदि हां, तो भारत में जापानी पूंजी निवेश को आकर्षित करने हेतु उन्हें नई औद्योगिक नीति की प्रमुख बातों की जानकारी देने तथा उपयुक्त सुविधाएं प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) से (ग) 24 जुलाई, 1991 को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखे गये औद्योगिक नीति वक्तव्य में विस्तार से उल्लिखित विभिन्न नीतिगत प्रयासों का उद्देश्य मुख्यतया विदेशी पूंजी निवेश और प्रौद्योगिकी अंतरण को आकर्षित करना करना है। जापान सहित विभिन्न देशों की कंपनियों ने भारत में पूंजी निवेश करने में रुचि दिखायी है। नई औद्योगिक नीति की घोषणा के बाद 31 दिसम्बर, 1991 तक जारी किए गए विदेशी सहयोग अनुमोदनों में जापानी कंपनियों द्वारा भारत में कुल 40.32 करोड़ रु. का सीधे विदेशी पूंजी निवेश किए जाने का प्रस्ताव है। यह निवेश वर्ष 1990 के दौरान अनुमोदित जापानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से 8 गुना से भी अधिक है।

(हिन्दी)

रामानुजम समिति की रिपोर्ट

1172. श्री बारे लाल जाटव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक विवादों से संबंधित रामानुजम समिति की रिपोर्ट की जांच के संबंध में राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों के साथ आवश्यक बातचीत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घोटाबार) : (क) जी हां।

(ख) श्रम मंत्रियों का 40वां सम्मेलन 6.2.92 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में अन्य बातों के साथ-साथ औद्योगिक संबंध कानून पर रामानुजम समिति की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श किया गया।

बैठक में इस बात पर मतैक्य था कि समिति की उन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया जाए जो सर्वसम्मत हैं। यह भी निर्णय लिया गया था कि मतैक्य प्राप्त करने की दृष्टि से रामानुजम समिति की रिपोर्ट में असहमति के क्षेत्रों की जांच करने के लिए पांच राज्य श्रम मंत्रियों की एक समिति नियुक्त की जाए। इस निर्णय के अनुसरण में कोयला राज्य मंत्री श्री पी. ए. संगमा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है जिसमें उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु के श्रम मन्त्री शामिल हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बंद हुए औद्योगिक एककों के श्रमिकों को भविष्य निधि का भुगतान न किया जाना

1173. श्री विजय नवल पाटिल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बन्द हुए रुग्ण एककों के कर्मचारियों को भविष्य निधि तथा अन्य लाभ न दिए जाने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं,

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है कि श्रमिकों को एककों के बन्द होने से पूर्व देय वेतन का बकाया तथा अन्य लाभों का भुगतान हो जाए;

(ग) क्या सरकार का विचार औद्योगिक एककों के बन्द होने से पैदा हुई समस्याओं को सुलझाने के लिए कोई विशेष सैल स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो विशेष सैल को क्या मार्ग निर्देश दिए जायेंगे ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घटोबार) : (क) और (ख) भविष्य निधि, मजदूरी तथा अन्य लाभों की अदायगी संगत परिनियमों द्वारा विनियमित की जाती हैं, जो कि नियोक्ताओं द्वारा अदायगी में चूकों के मामले में उपयुक्त उपचारात्मक कार्रवाई हेतु समुचित प्राधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है ।

हिमाचल प्रदेश में उद्योग

1174. श्री डी. डी. खतोरिया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में कितने लघु, मध्यम और बड़े उद्योग लगाये गये हैं,

(ख) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने ऐसे उद्योग स्थापित करने के लिए सस्ती दरों पर अपेक्षित बिजली और जल उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव भेजा है, और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) शून्य ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

कोयला और लिग्नाइट परियोजनाओं के लिए सहायता

1175. श्री जे. चोक्का राव :

क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मनी की वित्त एजेंसी 'के. एफ. डब्लू.' विभिन्न लिग्नाइट और कोयला परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश के सिंगरेनी कोयला क्षेत्र में रामगुडम में "ओपन कास्ट" खनन परियोजना के लिये इस एजेंसी से कितनी सहायता मिल रही है; और

(ग) तत्संबंधी शर्तें क्या हैं ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस. बी. श्यामगौड) : (क) जी, हां।

(ख) सिंगरेनी कोलियरीज की रामागुंडमा ओपन कास्ट परियोजना के लिए 172.388 मि. डच मार्क की सहायता प्राप्त होगी जो कि वर्तमान विनियम दर की 263.75 करोड़ रुपये की राशि के बराबर है।

(ग) रामागुंडमा ओपन कास्ट परियोजना के सहायता दिए जाने के लिए विस्तृत शर्तें तय की गई हैं :—

| | | |
|---|---|---|
| 1. | ऋण की राशि : | 172.388 मि. डच मार्क की राशि 86.194 मि. डच मार्क के बराबर दो भागों में। |
| 2. | ब्याज की दर : | ऋण के लिये ब्याज की संयुक्त दर समग्र रूप में 2.1% |
| 3. | प्रति संदाय : | भाग-I : 77 अर्द्ध-वार्षिक किश्तों में (डच मार्क में) जो कि 30 जून, 2003 ई से शुरू होगी। भाग-II : 20 बराबर की बाद की अर्द्ध वार्षिक किश्तों में (डच मार्क में), जो कि 31 दिसम्बर, 1993 ई. से शुरू होगी। |
| 4. | अन्तिम रूप में देय | भाग-I : 30 जून, 2039 ई.<br>भाग-II : 30 जून, 2003 ई. |

[हिन्दी]

परियोजनाओं का आरम्भ करना

1176. श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निकट भविष्य में जिन कोयला परियोजनाओं को शुरू किये जाने की संभावना है उनके ब्यौरे क्या हैं तथा वे किन-किन क्षेत्रों में शुरू की जाएंगी; और

(ख) इन्हें कब तक शुरु किये जाने की संभावना है ?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. बी. न्यामगौड) : (क) और (ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार के तीन नई परियोजनाओं को अर्थात् सा.ई.को.लि. की अनंता ओपनकास्ट परियोजना (4 मि. ट. प्रति वर्ष), वे. को. लि. की ऊकनी ओपनकास्ट परियोजना (1.10 मि. ट. प्रति वर्ष) और सा. ई. को. लि. की लखनपुर ओपनकास्ट (5.0 मि. ट. प्रति वर्ष) को मंजूरी दी है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाएं जिनका आठवीं योजना के दौरान विकास किए जाने के लिए पता लगाया गया है, नीचे दी गई हैं :—

| | परियोजना | कंपनी |
|---|---|---|
| | 1 | 2 |
| 1. | कलिंगा परियोजना | सा.ई.को.लि. |
| 2. | दुधीचुआ विस्तार | मा.को.लि. |
| 3. | बाकुलिया भू. ग. | ई.को.लि. |
| 4. | सामलेश्वरी | सा.ई.को.लि. |
| 5. | झारखंड ओ. का. | से.को.लि. |
| 6. | मेदापल्ली खान | सिं.को.कं.लि. |
| 7. | बीना खान-11 | मा.को.लि. |
| 8. | पारेज ओ. का. | से.को.लि. |
| 9. | के. डी. होसलांग विस्तार | से.को.लि. |
| 10. | गोन्देगांव ओ. का. | वे.को.लि. |
| 11. | मुगली ओ. का. | वे.को.लि. |
| 12. | ढोपा | से.को.लि. |
| 13. | पद्मावती खानी भू. ग. | वे.को.लि. |
| 14. | कठारा | से.को.लि. |
| 15. | तवा भू. ग. | वे.को.लि. |
| 16. | कारो-1 ओ.का. | से.को.लि. |
| 17. | अशोक ओ.का. | से.को.लि. |
| 18. | दीपका ओ.का. (विस्तार) | सा.ई.को.लि. |

| | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 19. | ब्लाक "बी" ओ.का.प. | ना.को.लि. |
| 20. | मुराईडोह ओ.का. | भा.को.को.लि. |
| 21. | कवेरी ओ.का. | से.को.लि. |

परियोजनाओं पर निवेश का निर्णय, अन्य बातों के अलावा, परस्पर तकनीक-आर्थिक व्यवहार्यता, संसाधनों, कोयला उत्पादन स्थापित करने की सम्भावनाओं और वन सम्बन्धी अनुमोदन, आदि पर निर्भर करता है।

भूकम्प प्रतिरोधी झोंपड़ियों का निर्माण

1177. श्री विश्वनाथ शास्त्री।

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरकाशी में भूकम्प पीड़ित लोगों के लिए भूकम्प प्रतिरोधी झोंपड़ियों का निर्माण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है;

(ग) उक्त झोंपड़ियों का कब तक आवंटन करने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार उपर्युक्त भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में इस तकनीक के आधार पर स्थायी आवासों का निर्माण करने की कोई योजना बना रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम्) : (क) से (ग) यह सूचित किया गया है कि प्रभावित परिवारों के लिए राज्य सरकार लगभग 2000 आपाती आश्रमों का निर्माण कर रही है।

(घ) और (ङ) उत्तर काशी के भूकंप पीड़ित लोगों के मकानों का पुनर्निर्माण करने के लिए हुडको ने 30 करोड़ रुपए की ऋण की बचनबद्धता के साथ 38.71 करोड़ रुपए की राज्य सरकार की दो स्कीमें मंजूर की हैं, जिनमें से 14.25 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास बोर्ड को पहले ही रिलीज किए जा चुके हैं। ये स्कीमें लगभग 20,000 विहायशी एककों की व्यवस्था करेंगे। इन मकानों में भूकंप प्रतिरोधी तकनीक और डिजाइन समाविष्ट है।

[अनुवाद]

यूरिया का उत्पादन तथा आयात

1178. प्रो. अशोक आनंदराव देशमुख।

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान यूरिया के उत्पादन, मांग, सप्लाई तथा आयात का वर्ष-वार ब्योरा क्या है;

(च) क्या उसका उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार का विचार कोई कार्यक्रम बनाने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. चिन्ता मोहन) । (क) गत तीन वर्षों के दौरान यूरिया के उत्पादन, मूल्यांकित मांग अनुमानित खपत और आयात के वर्षवार ब्योरे नीचे दिए गए हैं :—

लाख टन

| | 1988-89 | 1989-90 | 1990-91 |
|---|---|---|---|
| उत्पादन | 118.58 | 124.81 | 128.91 |
| मूल्यांकित मांग | 71.45× नाइट्रोजन | 77.64× नाइट्रोजन | 141.26 यूरिया |
| अनुमानित खपत | 126.13 | 125.38 | 140.77 |
| आयात | 1.11 | (गुजरात को छोड़कर) ×× कोई आयात नहीं | कोई आयात नहीं |

नोट × 1988-89 तथा 1989-90 के संबंध में, मांग का मूल्यांकन नाइट्रोजन के रूप में किया गया था और यूरिया के रूप में कोई अलग मूल्यांकन नहीं किया गया था।

×× 1989-90 के दौरान गुजरात में यूरिया के खपत से संबंधित आंकड़ों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना शेष है।

(ङ) और (ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के भाग में, यूरिया सहित विभिन्न प्रकार के उर्वरकों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए वर्तमान संयंत्रों के आधुनिकीकरण/रेट्रोफिटिंग के अतिरिक्त नए संयंत्र स्थापित करने तथा वर्तमान एककों का विस्तार करने का प्रस्ताव है। आठवीं योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है और योजना को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद ही और ब्योरे उपलब्ध होंगे।

## सरकारी क्षेत्र के बांड

1179. श्री जार्ज फर्नान्डीज :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के बांड जारी करके पूंजी बाजार से धन उगाहने का है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पूंजी बाजार से धनराशि न जुटाये जाने से सरकारी क्षेत्र के अनेक उपक्रमों की निवेश योजनाओं पर प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. कुंचन) : (क) से (घ) अपनी योजनागत परियोजनाओं के वांछित वित्तीयन के लिए केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के विविध उद्यम सरकारी क्षेत्र के बाहर जारी कर पूंजी बाजार से प्राप्त करते रहे हैं, जिसका ब्यौरा प्रति वर्ष संसद में रखे जाने वाले वार्षिक बजट दस्तावेज में दिया जाता है।

[हिन्दी]

"डी.डी.ए. व्यावसायिक फ्लैट्स योजना-कब्जे देने का वायदा अधूरा" शीर्षक समाचार

1180. श्री सुरेन्द्रपाल पाठक :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 जनवरी, 1992 के जनसत्ता में डी.डी.ए. व्यावसायिक फ्लैट्स योजना कब्जे का वायदा अधूरा" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. जगन्नाथन) : (क) जी, हां।

(ख) संलग्न विवरणानुसार है।

विवरण

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि निम्नलिखित व्यावसायिक केन्द्रों में वाणिज्यिक फ्लैटों के आवंटन के लिए 1984 में एक स्वचित्त पोषित योजना विज्ञापित की गई थी :

1. नेहरू प्लेस व्यावसायिक केन्द्र।

2. भीखा जी कामा प्लेस व्यावसायिक केन्द्र।

3. जनकपुरी व्यावसायिक केन्द्र।

4. लक्ष्मी नगर व्यावसायिक केन्द्र।

कुल 699 आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिनमें से 673 को उपयुक्त समझा गया। पंजीकृतों के मध्य नियतन के लिए 5.9.84 को ड्रा हुआ और निम्नलिखित नियतन किये गए।—

| | |
|---|---|
| 1. नेहरू प्लेस व्यावसायिक केन्द्र | 133 |
| 2. भीखा जी कामा व्यावसायिक केन्द्र | 56 |
| 3. जनकपुरी व्यावसायिक केन्द्र | 42 |
| 4. लक्ष्मी नगर व्यावसायिक केन्द्र | 47 |

असफल पंजीकृतों को या तो पंजीकरण राशि वापस कर दी गयी या स्व-वित्त पोषित योजना 1985 के अन्तर्गत पुन: पंजीकरण हेतु विकल्प दिया गया। उसके बाद अप्रैल, 85 से जनवरी, 87 के बीच देय प्रत्येक छमाही मध्यान्तर में भुगतान की जाने वाली 5 किस्तों में देय योजना को दर्शाते हुए आवंटितियों को मांग व नियतन पत्र जारी किये गये थे। 6ठीं किस्त की मांग बाद में की गयी और जिसमें फ्लैट की शेष कीमत सम्मिलित कर दी गई थी।

नेहरू प्लेस में प्रस्तावित भवन का निर्माण 198. में ऊंचे भवनों के निर्माण में रोक लगने के कारण नहीं हो सका। बाद में नेहरू प्लेस में भवन निर्माण के लिए चिह्नित प्लाट पर वाणिज्यिक भवन के निर्माण का विचार छोड़ देना पड़ा और यह निर्णय लिया गया कि नेहरू प्लेस के आवंटितियों से भीखा जी कामा प्लेस में पुन: नियतन हेतु विकल्प का प्रस्ताव किया जाय। नेहरू प्लेस के आवंटितियों में केवल 33 ने प्रस्ताव को स्वीकार किया और तदनुसार विकल्प चुना।

भीखा जी कामा प्लेस भवन का निर्माण कार्य पूरा होते समय प्रतीक्षा करने वाले आवंटितियों की संख्या इस प्रकार थी :—

| | | |
|---|---|---|
| भीखा जी कामा प्लेस | (क) मूल | 33 |
| | (ख) नेहरू प्लेस से समायोजित | 34 |
| जनकपुरी व्यावसायिक केन्द्र | | 12 |
| लक्ष्मी नगर व्यावसायिक केन्द्र | | 10 |

भीखा जी कामा के मूल आवंटितियों को 33 प्लाट आवंटित करने हेतु 8.5.91 को ड्रा हुआ और तदनुसार आवंटन किए गये। 6ठीं और अन्तिम किस्त के लिए मांग पत्र नवम्बर, 1991 में जारी किये गये थे। दूसरा ड्रा 6.12.91 को, नेहरू प्लेस के आवंटितियों जिन्होंने भीखा जी कामा प्लेस में पुन: नियतन स्वीकार किया था के लिए, हुआ था और 19 फ्लेट आवंटित किये गये। एक फ्लैट नेहरू प्लेस के मूल आवंटिती मैसर्स विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड को आवंटित किया गया। इन आवंटितियों को फ्लैटों की शेष कीमत की अदायगी के लिए मांग पत्र शीघ्र ही भेजे जा रहे हैं। नेहरू प्लेस के 14 शेष आवंटिती हैं और भीखा जी कामा प्लेस में 9 फ्लैट उपलब्ध हैं। इसके लिए निर्धारित फ्लैटों के आवंटन हेतु शीघ्र ही एक ड्रा हो रहा है। असफल आवंटितियों को उनके विकल्प के अनुसार व्यावसायिक केन्द्र जनकपुरी और लक्ष्मीनगर में समायोजित किया जायेगा।

निर्माण की अवधि के दौरान निर्माण सामग्री की कीमतों में तीव्र वृद्धि के कारण इन फ्लैटों के निर्माण की लागत में वृद्धि हो गई है। भीखा जी कामा प्लेस के भवन का निर्माण कार्य पूरा हो

चुका है और यह कब्जे के लिये तैयार है। अग्निशमन प्राधिकारी से अनुमोदन पहले ही प्राप्त कर लिया गया है। यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि भवन सभी बाधाओं से मुक्त है। आवटियों से पूरा प्रिमियम प्राप्त कर लिए जाने के बाद कब्जा दे दिया जायेगा।

## परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की अधिष्ठापित/उपयोग क्षमता

1181. श्री सैयद शाहबुद्दीन।

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 31 दिसम्बर 1991 की स्थिति के अनुसार, देश में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की संयंत्र-वार अधिष्ठापित क्षमता क्या है;

(ख) वर्ष 1991 के दौरान परियोजना-वार कितनी अतिरिक्त क्षमता अधिष्ठापित की जानी थी;

(ग) वर्ष 1991 के दौरान विद्यमान परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की कितनी क्षमता का उपयोग हुआ; और

(घ) क्या परमाणु ऊर्जा निगम के विभाग ने अतिरिक्त परमाणु ऊर्जा क्षमता की स्थापना के लिए दीर्घकालिक योजनाओं को अन्तिम रूप दे दिया है; यदि हां, तो क्षमता और समय सीमा के सन्दर्भ में क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) चालू परमाणु बिजली घरों की पुन: निर्धारित क्षमता निम्नानुसार है :

| बिजली घर | मूल क्षमता (मेगावाट) | 1.1.92 को संशोधित क्षमता (मेगावाट) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| तारापुर परमाणु बिजलीघर 1 तथा 2 | 2×210 | 2×160 मेगावाट* |
| राजस्थान परमाणु बिजलीघर-1 | 1×220 | 1×100 मेगावाट |
| राजस्थान परमाणु बिजलीघर-2 | 1×220 | 1×200 मेगावाट |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| मद्रास परमाणु बिजली घर 1 तथा 2 | 2×235 | 2×220 मेगावाट |
| नरोरा परमाणु बिजलीघर 1 तथा 2 | 2×235 | 2×220 मेगावाट** |

* अगस्त, 1985 में कम क्षमता निर्धारित की गई ।

**दूसरे यूनिट को 5 जनवरी, 1992 को पहली बार ग्रिड के साथ जोड़ा गया ।

(ख) सन् 1991 में निर्माणाधीन और यूनिट निम्नलिखित हैं:—

| | | |
|---|---|---|
| ककरापार परमाणु विद्युत परियोजना 1 तथा 2 | | 2×220 मेगावाट |
| राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना 3 तथा 4 | — | 2×220 मेगावाट |
| कैगा परियोजना 1 तथा 2 | — | 2×220 मेगावाट |

तारापुर परमाणु विद्युत परियोजना 3 तथा 4 जिनमें प्रत्येक यूनिट की क्षमता 500 मेगावाट है, के लिए जनवरी, 1991 में संस्वीकृति दे दी गई है और इन संयंत्रों का निर्माण सम्बन्धी कार्य शुरू करने के लिए धन उपलब्ध होने की प्रतीक्षा है ।

(ग) चालू बिजलीघरों के सम्बन्ध में कलैण्डर वर्ष 1991 (1.1.1991 से 31.12.1991 तक) के दौरान प्राप्त क्षमता गुणक निम्नानुसार है :

| | | | क्षमता का उपयोग | क्षमता के उपयोग की प्रतिशतता नीचे दी क्षमता का प्रतिशत है |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | | 2 |
| तारापुर | — | 1 | 61% | 160 मेगावाट |
| तारापुर | — | 2 | 66 % | 160 मेगावाट |
| राजस्थान | — | 1 | 13% | 220 मेगावाट* |
| राजस्थान | — | 2 | 55% | 220/200 मेगावाट** |

| | | | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|
| मद्रास | — | 1 | 29 /. | 235 मेगावाट*** |
| मद्रास | — | 2 | 61 /. | 235 मेगावाट*** |
| नरोरा | ... | 1 | 28 /. | 235 मेगावाट*** |

* 1.1.1992 से क्षमता 100 मेगावाट पुन: निर्धारित की गई है।

** 1.4.1991 से क्षमता 220 मेगावाट से 200 मेगावाट पुन: निर्धारित की गई है।

*** 1.1.1992 से क्षमता 220 मेगावाट पुन: निर्धारित की गई है।

(घ) वर्तमान योजना यह है कि सन् 2002 तक बिजली की कुल स्थापित क्षमता 7700 मेगावाट कर दी जाए बशर्ते कि धन उपलब्ध हो। इस योजना में 2000 मेगावाट की विद्युत क्षमता वाला वह प्रस्तावित बिजली घर भी शामिल है जिसको लगाने के लिए सोवियत संघ और भारत के बीच नवम्बर, 1988 में एक अन्तर्सरकारी सहकार करार पर हस्ताक्षर किए गए थे।

## औद्योगिक एककों को बन्द किया जाना

1182. डा. अयन्त रंगपी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: :

(क) विभिन्न क्षेत्रों में और विभिन्न दर्जे बन्द पड़े औद्योगिक एककों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) इन एककों के बंद रहने के कारण कितने कामगार और कितनी सार्वजनिक पूंजी प्रभावित हुई है;

(ग) एककों के बंद होने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने इस प्रकार के एककों को पुन: चालू करने के लिए क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पवन सिंह घटोवार) : (क) उपलब्ध अद्यतन सूचना के आधार पर विभिन्न राज्यों में 1991 के दौरान क्षेत्र वार बन्द इकाईयों की संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। लोगों को बन्द करने पर वेतनमान-वार सूचना मन्त्रालय में नहीं रखी जाती।

(ख) इस प्रकार इकाईयों के बन्द होने से प्रभावित कर्मकारों की संख्या 4338 है। इस प्रकार की घटनाओं से प्रभावित सार्वजनिक पूंजी की सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि इस प्रकार की सूचना इस मन्त्रालय में संकलित नहीं की जाती है।

(ग) इस प्रकार की बन्दियों के कारण वित्तीय संकट, कच्चे माल की कमी, बिजली की कमी, उत्पादों की मांग में कमी इत्यादि रही है।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए विधानिर्देशों के अनुसरण में मामला-दर-मामला आधार पर संबद्ध बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों द्वारा रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के बारे में पुनर्वास पैकेज तैयार किए जाते हैं। बैंक तथा वित्तीय संस्थान समय-समय पर रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के प्रबंधन द्वारा किए गए पुनर्वास पैकेजों के कार्यान्वयन की समीक्षा करते हैं और जहां कहीं आवश्यक हो उपचारी कार्रवाई करते हैं।

रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत आने वाली इकाइयों के लिए औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निमाण बोर्ड (बी आई एफ आर) को उपचारी उपायों के निर्धारण और प्रवर्तन के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त है।

## विवरण

1991 के दौरान बन्द इकाइयों की संख्या (अनन्तिम)

| राज्य | सार्वजनिक क्षेत्र | निजी क्षेत्र |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| आन्ध्र प्रदेश | — | 8 |
| अरुणाचल प्रदेश | — | — |
| असम | — | — |
| बिहार | — | 1 |
| गोवा | — | 4 |
| गुजरात | — | 26 |
| हरियाणा | — | 5 |
| हिमाचल प्रदेश | — | 1 |
| जम्मू और कश्मीर | — | — |
| कर्नाटक | — | — |
| केरल | — | 2 |
| मध्य प्रदेश | — | — |
| महाराष्ट्र | — | 30 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| मणिपुर | — | — |
| मेघालय | — | — |
| नागालैंड | — | — |
| उड़ीसा | — | 2 |
| पंजाब | — | 6 |
| राजस्थान | 2 | 2 |
| सिक्किम | — | — |
| तमिलनाडु | — | — |
| त्रिपुरा | — | 17 |
| उत्तर प्रदेश | — | — |
| पश्चिम बंगाल | — | — |
| अण्डमान निकोबार द्वीप समूह | — | — |
| चण्डीगढ़ | — | — |
| दादर एवं नागर हवेली | — | — |
| दिल्ली | — | 2 |
| दमन और द्वीप | — | — |
| लक्ष द्वीप | — | — |
| पाण्डिचेरी | — | — |
| योग | 2 | 113 |

— = शून्य
... = उपलब्ध नहीं
स्रोत: श्रम ब्यूरो शिमला।

[हिन्दी]

**राजस्थान में रसायन की फैक्टरियां**

1183. श्री बाऊ दयाल जोशी :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

से अधिक मोटाई वाली सीमों में) कुल 1,96,022.90 मिलियन टन कोयले के भंडार विद्यमान हैं। इन भंडारों का श्रेणी-वार ब्योरा नीचे दिया गया है :

| | | |
|---|---|---|
| कोककर कोयला | — | 29700.23 मिलियन टन |
| अकोककर कोयला | — | 166322.67 ,, ,, |
| | जोड़ | 1,96,022.90 ,, ,, |

(ख) और (ग) भारतीय भू-सर्वेक्षण और अन्य एजेन्सियों द्वारा 1991 के दौरान किए गए अन्वेषणों के परिणामस्वरूप 1-1-92 की स्थिति के अनुसार 1,96,022.90 मि. टन कोयले के कुल भंडार होने का अनुमान लगाया गया है, जबकि इसकी तुलना में 1-1-91 की स्थिति के अनुसार कोयले के कुल भंडार 1,92,359.15 मि. टन थे, जो कि 3,663.75 मिलियन टन की वृद्धि को दर्शाता है। 1-1-91 और 1-1-92 को कोयले के भंडारों का राज्यवार ब्योरा नीचे दिया गया है :

(भंडार मिलियन टन में)

| राज्य | वर्ष | | अतिरिक्त अनुमानित भंडार |
|---|---|---|---|
| | 1-1-91 की स्थिति के अनुसार | 1-1-92 की स्थिति के अनुसार | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| आंध्र प्रदेश | 10,771.35 | 10,810.75 | 39.4 |
| अरुणाचल प्रदेश | 90.23 | 90.23 | — |
| असम | 295.18 | 295,18 | — |
| बिहार | 62,084.85 | 63,398.31 | 1313.46 |
| मध्य प्रदेश | 37,053.18 | 38,451.85 | 1398.67 |
| महाराष्ट्र | 6,071.18 | 6,099.51 | 28.33 |
| मेघालय | 459.43 | 459.43 | — |
| नागालैंड | 19.94 | 19.94 | — |
| उड़ीसा | 44,304.43 | 45,188.32 | 883.89 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| उत्तर प्रदेश | 1,062.21 | 1,062.21 | — |
| प. बंगाल | 30,147.17 | 30,147.17 | — |
| जोड़ | 1,92,359.15 | 1,96,022.90 | 3663.75 |

(च) और (ङ) नई कोयला परियोजनाओं, आदि को विकसित किया जाना एक निरन्तर स्वरूप की प्रक्रिया है। वर्ष 1990-91 के दौरान देश में कोयले का वास्तविक उत्पादन 211.73 मि. टन था। वर्तमान दीर्घावधि प्रक्षेपणों के अनुसार कोयले का उत्पादन आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में अर्थात् वर्ष 1996-97 में लगभग 306.00 मि. टन होने की संभावना है। इस उत्पादन को विद्यमान खानों, चालू परियोजनाओं, खानों तथा नई परियोजनाओं का पुनर्गठन करके प्राप्त किए जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम-जवाहर रोजगार योजना का कार्यान्वयन

1196. श्री गोविन्दराव निकाम :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है कि ग्रामीण विकास के लिए समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना जैसी योजनाओं का उचित ढंग से कार्यान्वयन किया जाये;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो जरूरतमंद लोगों को इन योजनाओं का लाभ पहुँचाने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तम भाई पटेल) : (क) जी हां।

(ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने समय-समय पर विभिन्न कार्यक्रमों जैसे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम आदि का समवर्ती मूल्यांकन किया है। इस समय जवाहर रोजगार कार्यक्रम के प्रभाव का आयजा लेने हेतु स्वतंत्र अनुसंधान संस्थानों/संगठनों की मार्फत जनवरी, 1992 से जवाहर रोजगार योजना का समवर्ती मूल्यांकन शुरू कराया गया है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के समवर्ती मूल्यांकन का अगला (चौथा) दौर वर्ष 1992-93 में शुरु किये जाने का प्रस्ताव है।

विभाग के अलावा, योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने भी सृजित परिसम्पत्तियों की उपयोगिता आदि के मूल्यांकन हेतु देश के 10 प्रमुख राज्यों में जवाहर रोजगार योजना एक द्रुत अध्ययन किया है ।

(ग) पिछले समवर्ती मूल्यांकनों के निष्कर्षों का इस्तेमाल गरीबी उन्मूलन की नीतियों में सुधार लाने हेतु किया गया है । कार्यान्वयन की प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए राज्यों का राज्य विशेष के निष्कर्ष सूचित कर दिए गए हैं ।

मोटर साइकिलों के उत्पादन के लिए जर्मनी के साथ सहयोग

1197. श्री अरविन्द त्रिवेदी :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या संघ सरकार का विचार मोटर साइकिल के उत्पादन के लिए जर्मनी के साथ संयुक्त उद्यम चलाने का है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और प्रस्तावित परियोजना कहां पर स्थापित की जायेगी,

(ग) इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी और उसमें जर्मनी की सरकार का कितना हिस्सा है, और

(घ) वहां पर उत्पादन कब से प्रारम्भ हो जाने की सम्भावना है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) । (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

निजी कम्प्यूटर प्रशिक्षण संस्थान

1198. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा गत एक वर्ष के दौरान राज्यवार कितने निजी कम्प्यूटर प्रशिक्षण संस्थानों को मान्यता प्रदान की गई है;

(ख) क्या इन संस्थानों की डिग्री अथवा डिप्लोमा को मान्यता प्रदान की गई है और यह सरकारी कम्प्यूटर प्रशिक्षण संस्थानों की डिग्री अथवा डिप्लोमा के समतुल्य है;

(ग) क्या सरकार का विचार विभिन्न राज्यों में पिछड़े क्षेत्रों में नए कम्प्यूटर प्रशिक्षण संस्थान खोलने का है;

(घ) यदि हां, तो विशेष रूप बुन्देलखंड क्षेत्र के संदर्भ में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) और (ख) भारत सरकार के इलेक्ट्रानिकी विभाग के दिनांक 16 अगस्त, 1990 के संकल्प के अनुसार घोषित मान्यता प्रदान करने की योजना के अन्तर्गत "ओ" (आरम्भिक) स्तर के पाठ्यक्रम के संचालन के लिए 200 निजी कम्प्यूटर प्रशिक्षण संस्थानों को अन्तिम रूप से मान्यता दी गयी है। इनके राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। इस योजना के अन्तर्गत, सभी चारों स्तरों अर्थात् "ओ" (आधारभूत), "ए" (उन्नत डिप्लोमा) "बी" (स्नातक) तथा "सी" (स्नातकोत्तर) के पाठ्यक्रम के लिए परीक्षा भारतीय कम्प्यूटर संस्था (सी एस आई) तथा इलेक्ट्रानिकी एवं दूर-संचार इंजीनियरी संस्थान (आई ई टी ई) नामक दो व्यावसायिक निकायों द्वारा आयोजित किए जाते हैं। सफल उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र/डिप्लोमा दिए जाते हैं, जिन्हें सरकार/सरकार से सहायता प्राप्त संस्थानों आदि द्वारा दिए जाने वाले प्रमाण पत्र/डिप्लोमा तथा डिग्री के बराबर मान्यता दी गई है।

(ग) से (ङ) पिछड़े क्षेत्रों में नये कम्प्यूटर संस्थान खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि सरकार ने देश के सभी भागों में डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण-पत्र के स्तर पर अनेक संस्थाओं को सहायता प्रदान की है। मान्यता प्रदान करने की उपर्युक्त योजना, जिसका उद्देश्य निजी कम्प्यूटर प्रशिक्षण संस्थानों को नियंत्रित ढंग से चलाना है, देश भर में उपलब्ध कम्प्यूटर प्रशिक्षण सुविधाओं में और अधिक वृद्धि करेगी।

विवरण

ओ स्तर के मान्यता प्राप्त संस्थान

राज्यवार ब्यौरे

| | |
|---|---|
| आंध्र प्रदेश | 21 |
| चण्डीगढ़ (संघ शासित क्षेत्र) | 2 |
| गुजरात | 6 |
| हरियाणा | 1 |
| कर्नाटक | 16 |
| केरल | 33 |
| जम्मू तथा कश्मीर | 1 |
| महाराष्ट्र | 29 |
| मध्य प्रदेश | 6 |
| तमिलनाडु | 33 |

| | |
|---|---|
| पंजाब | 1 |
| उड़ीसा | 6 |
| राजस्थान | 2 |
| बिहार | 1 |
| गोआ | 1 |
| उत्तर प्रदेश | 13 |
| पश्चिम बंगाल | 14 |
| दिल्ली (संघ शासित क्षेत्र) | 14 |
| कुल योग | 200 |

[अनुवाद]

पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों का औद्योगीकरण

1199. श्री पी. जी. नारायणन :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई औद्योगिक नीति के अन्तर्गत उद्योग खोलने सम्बन्धी योजनाएं वापस ले ली गई हैं,

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पिछड़े जिलों में नये उद्योग स्थापित करने के लिये दी जाने वाली राज सहायता बन्द की जा रही है,

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश के पिछड़े अविकसित और आदिवासी क्षेत्रों के औद्योगीकरण को प्रोत्साहन देने का है, और

(च) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उठाये गए/उठाये जाने वाले कदमों का ब्योरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) और (ख) सरकार देश में पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए विकास केन्द्र योजना तथा परिवहन राज-सहायता योजना चला रही है।

(ग) और (घ) जुलाई, 1971 में शुरू की गई केन्द्रीय विदेश सहायता योजना 1.10.1988 से समाप्त कर दी गई। यह विकास केन्द्र योजना ऐसे उद्योगों को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त

मात्रा में बुनियादी सुविधाएं सृजित करने का प्रयास करती है जो पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिकीकरण के केन्द्र बिन्दु हो सकते हैं।

(ङ) और (च) किसी क्षेत्र के औद्योगिकीकरण की प्राथमिक जिम्मेदारी सम्बन्धित राज्य सरकार की है। केन्द्र सरकार, जहां कहीं सम्भव होता है, उनके प्रयासों में सहायता करती है। उन उद्योगों के सम्बन्ध में जिन्हें लाइसेंसों की जरूरत पड़ती है, आशय-पत्र जारी करने में पिछड़े क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

## युगोस्लाविया को मारुति कारों का निर्यात

1200. श्री विजय कुमार यादव।

श्री बलराज पासी।

श्री बारेलाल जाटव :

श्री राम कृष्ण कुसमारिया :

श्री संतोष कुमार गंगवार :

श्री प्रभुदयाल कठेरिया।

श्रीमती गिरिजा देवी :

श्री राम बदन :

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :

क्या प्रधान मन्त्री की यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 जनवरी, 1992 के हिन्दी दैनिक "जनसत्ता" में "मारुति, कमाने और गंवाने की कहानी", शीर्षक से समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या वर्ष 1989 में युगोस्लाविया से बिना साख पत्र प्राप्त हुए 125 लैंकटहैड ड्रिवैन मारुति कारें युगोस्लाविया को भेजने के लिए कांडला पत्तन को भेजी गई थीं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या कांडला पर सही तरह से हैंडलिंग न होने के कारण ये कारें क्षतिग्रस्त हो गई थी जिन्हें बाद में बिना विदेशी मुद्रा के हंगरी को बेच दिया गया था;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या इन कारों के बदले हंगरी से आयात किए गए स्पीडोमीटर खराब थे;

(छ) क्या सरकार ने इस बारे में कोई जांच की है;

(ज) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(झ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी. के. थुंगन)। (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मारुति उद्योग लिमिटेड ने 300 लैफटहैंड ड्राइव कारों के निर्यात के लिए यूगोस्लाविया में मेसर्स बालकनिजा के साथ 7.4.89 को एक करार पर हस्ताक्षर किए थे। मेसर्स बालकनिजा ने मई-जून, '989 की अवधि में कारों के नौ-परिवहन की इच्छा व्यक्त की थी तथा साख पत्र खोलने का आश्वासन दिया था। नौ-परिवहन समय-सारणी को पूरा करने के लिए वाहनों के उत्पादन का कार्य शुरू किया गया और वाहनों को पोत तक प्रेषण का कार्य आरम्भ किया गया था। तथापि, 19-5- 9 को प्रेषण उस समय रोक दिया गया, जब कांडला को 120 कारें भेजी गई थीं, क्योंकि उस समय ऐसा पता चला कि बालकनिजासाख पत्र नहीं खोलेगा। इन कारों का उत्पादन और कांडला को प्रेषण यह मानते हुए कि बालकनिजा साख पत्र खोलेगा, नेक नीयती से आरम्भ किया गया था।

(घ) और (ङ) इन कारों को कोई गंभीर क्षति नहीं पहुँची थी तथा बाद में, इन कारों को विदेशी मुद्रा में पूरा मूल्य प्राप्त करने के पश्चात, हंगरी को निर्यात किया गया था।

(च) हंगरी से आयात किए जा रहे स्पीडोमीटर उस देश के साथ कराए पर किए गए हस्ताक्षर के हिस्से के रूप में है तथा मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा केवल उन्हीं स्पीडोमीटरों को स्वीकार किया जाता है तथा भुगतान किया जाता है तथा भुगतान किया जाता हैजो विदेशों को पूरा करते हैं।

(छ) से (झ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

देश में इलेक्ट्रानिक पार्क

1201. श्री यशवंत राव पाटिल।

श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति।

श्री गुरुदास कामत :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में कुछ हार्डवेयर/सोफ्टवेयर इलेक्ट्रानिक पार्कों का निर्माण करने के लिए अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र के अहमदनगर में और राजस्थान के जयपुर में इस प्रकार के पार्क के निर्माण कार्य को स्वीकृति प्रदान करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट आल्वा) : (क) से (ङ) भारत सरकार ने पुणे, बंगलौर, भुवनेश्वर, हैदराबाद, त्रिवेन्द्रम, गांधीनगर तथा नोएडा में पहले ही सात सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों की स्थापना कर ली है। राजस्थान इलेक्ट्रानिक इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेट के तत्वावधान में जयपुर में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना की है। मोहाली, गुड़गांव, पटना कोयम्बटूर भोपाल, कलकत्ता तथा गुवाहाटी में सात और सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों की स्थापना करने का प्रस्ताव है, बशर्ते उनके लिए धन राशि उपलब्ध हो जाए।

राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्र के प्रशासन तथा निजी क्षेत्र द्वारा देश के विभिन्न भागों में इलेक्ट्रानिक सॉफ्टवेयर टेक्नोलाजी पार्क स्थापित करने के लिए अनुमति प्रदान करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

## शीतागार की सुविधाएं

1202. श्री राम टहल चौधरी :

श्री सुखदेव पासवान :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बिहार में फलों, सब्जियों और बाजरे के लिए भंडारण की सुविधाएं अपर्याप्त है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या प्रयास किये गये हैं अथवा किये जाने का विचार है ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच. पटेल) : (क) और (ख) बिहार में फलों, सब्जियों और बाजरे के लिए भण्डारण की सुविधाओं की अपर्याप्तता के सम्बन्ध में सरकार को कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

बिहार में कुल 4.35 लाख मीटरी टन की क्षमता वाले 208 शीत भण्डार पहले से कार्य कर रहे हैं। गत वर्ष के दौरान 8 और शीत भण्डारों के निर्माण के लिए अनुमति दी जा चुकी है।

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित बकाया पदों को भरना

1203. श्री राम विलास पासवान :

श्री रवि राय :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े हुए तथा आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लोगों के लिए आरक्षित बकाया पदों को भरने हेतु कोई विशेष अभियान चलाया है;

(ख) यदि हां, तो यह अभियान कब चलाया गया था; और

(ग) कितने बकाया पदों को भरा गया है और क्या विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत आरक्षित पदों को भरने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम बनाया गया है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों में 31-3-1991 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित बकाया पदों को भरने के लिए अक्तूबर, 1991 में एक विशेष अभियान चलाया गया है। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा भी इसी प्रकार का एक अभियान चलाया गया है। अभियान के अन्तर्गत पता लगाए गए रिक्त पदों को भरने की तारीख 31 मार्च, 1992 निर्धारित की गई है। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा आर्थिक रूप से पिछड़े अन्य वर्गों के लोगों के लिए आरक्षण का पूरा मुद्दा उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीन है। अतः सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा आर्थिक रूप से पिछड़े अन्य वर्गों के लोगों के लिए आरक्षित बकाया पदों को भरने का इस समय प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) अब तक प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार मंत्रालय/विभागों में पता लगाए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित बकाया पदों की संख्या 11056 है। इसके मुकाबले 3348 पदों के लिए नियुक्ति प्रस्ताव भेज दिए गए है।

[हिन्दी]

"कापार्ट" से अनुदान प्राप्त कर रहे स्वयंसेवी संगठन

1204. श्री श्रीकांत जेना।

श्री हरि केवल प्रसाद :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्वयंसेवी संगठनों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है, जिन्हें उनके कल्याण कार्यों को प्रोत्साहन देने के लिए "कापार्ट" द्वारा अनुदान दिया जा रहा है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में उनमें से प्रत्येक संगठन को कितनी धनराशि दी गयी;

(ग) उन संगठनों का ब्यौरा क्या है, जो नियमित रूप से अपने लेखे और वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं; और

(घ) इन संगठनों ने अपने उद्देश्य किस हद तक प्राप्त कर लिए हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच. पटेल) : (क) और (ख) लोक कार्यक्रम तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कापार्ट) द्वारा चालू वर्ष में और गत तीन वर्षों के दौरान स्वयंसेवी संगठनों को मुहैया कराई गई सहायता का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

| वर्ष | स्वयंसेवी संगठनों की संख्या | स्वीकृत की गई राशि (करोड़ रुपये में) |
|---|---|---|
| 1988-89 | 1257 | 28.26 |
| 1989-90 | 1154 | 20.84 |
| 1990-91 | 1157 | 17.34 |
| 1991-92 (जनवरी, 1992 तक) | 1877 | 28.50 |

(ग) उन संगठनों, जिन्होंने नियमित रूप से अपने लेखे और वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की हैं, की संख्या 132 है।

(घ) कुल मिलाकर स्वयंसेवी संगठन अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रहे हैं।

[अनुवाद]

**सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित आयातित गेहूं पर राज सहायता देना**

1205. प्रो. के. वी. थामस :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय गेहूं, चावल और चीनी की कुल खपत कितनी है;

(ख) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित आयातित गेहूं पर राज सहायता देने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) अनाजों और चीनी की प्रति व्यक्ति, प्रति वर्ष अनुमानित निवल उपलब्धता निम्नवत है :—

| | | |
|---|---|---|
| अनाज (1991) | — | 171.6 कि. ग्रा. |
| चीनी (1990-91) | | 12.5 कि. ग्रा. |

(ख) और (ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिये राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भारतीय खाद्य निगम द्वारा (भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से) आयातित गेहूं और देश में वसूल किया गया गेहूं समान केन्द्रीय निर्गम मूल्य पर जारी किया जाता है। गेहूं का 280/- रु. प्रति क्विंटल का वर्तमान केन्द्रीय निर्गम मूल्य, भारतीय खाद्य निगम द्वारा व्यय की जाने वाली वार्षिक लागत से कम है और इस पर केन्द्रीय सरकार द्वारा राज सहायता दी जाती है।

## बेरोजगारी भत्ता

1206. श्री के. एच. मुनियप्पा :

श्री वी. कृष्ण राव :

क्या योजना और कार्यान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों का नाम क्या है जिनमें बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है,

(ख) क्या अखिल भारतीय स्तर पर बेरोजगारी भत्ता देने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है, और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, पंजाब, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्य सरकारें अपने संबंधित राज्यों में कुछ विशेष वर्ग के रोजगार पाने के इच्छुक व्यक्तियों को अपने संसाधनों से कुछ सीमित अवधि के लिए बेरोजगारी भत्ता दे रही हैं।

(ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

## गैस पर आधारित पेट्रोकैमिकल्स परियोजनाओं की स्थापना

1207. कुमारी पुष्पा देवी सिंह।

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या सरकार का विचार आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गैस पर आधारित कुछ पेट्रोकैमिकल्स परियोजनाओं की स्थापना करने का है,

(ख) यदि हां, तो कहां-कहां ।

(ग) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश में विजयपुर के निकट ऐसी एक परियोजना की स्थापना करने का है, और

(घ) यदि हां, तो उक्त परियोजना पर कितना खर्च होने का अनुमान है और उसकी कब तक स्थापना होने की संभावना है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मंत्री (डा. चिन्ता मोहन): (क) से (ख) सरकार द्वारा गंधार (गुजरात) ओरैया (यू. पी.) और असम में गैस आधारित क्रेकर काम्पलेक्सों की स्थापना के लिए आशय-पत्र जारी किये गये हैं ।

(ग) से (घ) गैस अथारिटी आफ इंडिया ने विजयपुर (मध्य प्रदेश) में प्रोपेन डिहाइड्रोजेनेरेशन प्रौद्योगिकी पर आधारित प्रोपिलीन (प्रति वर्ष 100,000 टन क्षमता) के विनिर्माण के लिए सी-3 स्ट्रीम का प्रयोग करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है । किन्तु प्रमाणित प्रौद्योगिकी के लिए सहयोग न होने के कारण प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं किया जा सका ।

## सूखा-प्रवण क्षेत्र

1208. श्री के. प्रधानी :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में सूखा प्रवण क्षेत्रों की पहचान कर ली है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) सूखा-प्रवण क्षेत्रों के किसानों की सहायता करने हेतु सरकार का विचार आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन-सी योजनायें शुरू करने का है ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकटस्वामी) : (क) जी हां ।

(ख) चुने गए क्षेत्रों में सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, जो कि एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है, चलाया जा रहा है । चुने गए सूखा प्रवण क्षेत्रों और सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत कवर किए गए क्षेत्रों के ब्योरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

(ग) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम को आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जारी रखने का प्रस्ताव है । यह कार्यक्रम एक क्षेत्र विकास कार्यक्रम है न कि लाभार्थी-उन्मुख कार्यक्रम । फिर भी, आठवीं योजना में भूमि तथा नमी संरक्षण, जल संसाधन विकास और वनरोपण तथा चरागाह विकास के क्षेत्रों में किए जाने वाले मुख्य कार्यों से अन्ततः परियोजना क्षेत्र के किसानों को अच्छी किस्म की भूमि, अधिक सिंचाई सुविधाओं, भूमि कटाव पर नियंत्रण आदि के रूप में लाभ होगा जिससे भूमि, जल तथा मानव संसाधन की उत्पादकता बढ़ेगी ।

विवरण

| सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य वार कवरेज | | | क्षेत्र (अनन्तिम) जनसंख्या - 1981 की जनगणना खण्ड - भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त | |
|---|---|---|---|---|
| राज्य | कवर किए गए जिलों की संख्या | कवर किए गए ब्लाकों की संख्या | सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम वाले क्षेत्रों में जनसंख्या (मिलियन में) | कवर किया गया क्षेत्र 000 वर्ग कि.मी. |
| 1. आन्ध्र प्रदेश | 8 | 69 | 9.41 | 77.15 |
| 2. बिहार | 5 | 34 | 4.39 | 22.25 |
| 3. गुजरात | 8 | 43 | 4.13 | 51.39 |
| 4. हरियाणा | 1 | 9 | 0.83 | 3.01 |
| 5. जम्मू व कश्मीर | 2 | 13 | 0.25 | 16.24 |
| 6. कर्नाटक | 11 | 71 | 13.46 | 95.70 |
| 7. मध्य प्रदेश | 6 | 49 | 4.12 | 40.78 |
| 8. महाराष्ट्र | 12 | 74 | 14.65 | 116.48 |
| 9. उड़ीसा | 4 | 39 | 2.38 | 22.10 |
| 10. राजस्थान | 8 | 30 | 3.27 | 30.05 |
| 11. तमिलनाडु | 6 | 43 | 4.21 | 17.20 |
| 12. उत्तर प्रदेश | 16 | 87 | 6.67 | 49.23 |
| 13. पश्चिम बंगाल | 3 | 24 | 2.98 | 11.20 |
| योग : | 90 | 615 | 70.75 | 553.36 |

[हिन्दी]

[illegible] [illegible]

1209. श्री विनय कटियार :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) उत्तर प्रदेश में विभिन्न केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के ऐसे कार्यालयों की संख्या कितनी है जिनमें कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या 25 अथवा उससे अधिक है;

(ख) उनमें से ऐसे कार्यालयों की संख्या कितनी है जिनमें राजभाषा क्रियान्वयन समिति का गठन किया गया है और उसकी त्रैमासिक बैठक नियमित रूप से होती है; और

(ग) उनमें से ऐसे कार्यालय कितने हैं जिनमें यह देखने के लिये निरीक्षण कराया गया है कि सरकारी कार्य में राजभाषा का प्रयोग हो रहा है; तथा क्या राजभाषा नीति का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

[अनुवाद]

## डिटरजेंट परियोजनाएं

1210. डा. सी. सिलवेरा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने डिटरजेंट उत्पादों के उत्पादन हेतु तमिलनाडु पैट्रो प्रोडक्टस लिमिटेड और हेन्कल आफ जर्मनी के मध्य संयुक्त उद्यम कंपनी स्पीक फाइन केमिकल में साम्यपूंजी का निवेश करने की पेशकश की है,

(ख) यदि हां, तो ऐसे पूंजीनिवेश की शर्तों तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या डिटरजेंट परियोजना के स्थापन स्थल के बारे में कोई निर्णय ले लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ करने हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ङ) क्या अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम के पूंजी निवेश के साथ मिजोरम में भी इस प्रकार की परियोजनाएं शुरू किए जाने का विचार है; और

(च) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) और (ख) मैं. तमिल नाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लि. द्वारा संबंधित एक संयुक्त उद्यम कंपनी मैं. स्पिक फाइन केमिकल्स लि. और मैं. हेंकेल के. जी. ए ए., जर्मनी, जो संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी में सिंथेटिक डिटरजेंट्स संयंत्र स्थापित कर रही है, को मै. इन्टरनेशनल फाइनेंस कार्पोरेशन, वाशिंगटन को देश-प्रत्यावर्तन के आधार पर प्रस्तावित कुल 2340 लाख रु. प्रदत्त पूंजी में से 234 लाख रु. के 23 लाख इक्विटी शेयर जारी करने की अनुमति दे दी गई है।

(ग) और (घ) यह परियोजना संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी में तहसील और जिला कारोकल में लगाये जाने का प्रस्ताव है। वाणिज्यिक उत्पादन नवम्बर, 1992 तक शुरु हो जाने की आशा है।

(ङ) और (च) ऐसे निवेश से मिजोरम में औद्योगिक एकक स्थापित करने के लिए मै. इन्टरनेशनल फाइनेंस कारपोरेशन, वाशिंगटन से इस मन्त्रालय में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं में प्रथम श्रेणी के अधिकारी

1211. श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं में प्रथम श्रेणी के कितने अधिकारी कार्यरत हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं में राज्यों के प्रथम श्रेणी के अधिकारी भी तैनात किए जाते हैं;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं में कतिपय संख्या में राज्यों से भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को तैनात करने के लिये कुछ मानदंड निर्धारित किये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट आल्वा)। (क) 1-1-1992 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सचिवालय में केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के तहत कार्यरत श्रेणी-1 अधिकारियों (अवर सचिव तथा ऊपर के स्तर) की संख्या 2072 है।

(ख) जी हां। केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के तहत केन्द्रीय सचिवालय में विभिन्न राज्य संवर्गों के अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को तैनात किया जाता है। विरले मामलों में, राज्य सरकार की सेवाओं के अधिकारियों को भी केन्द्रीय सचिवालय में तैनात किया जाता है।

(ग) अखिल भारतीय सेवा अर्थात् : भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को केन्द्रीय स्टाफिंग योजना में शामिल केन्द्र सरकार के अधीन विभिन्न स्तर के पदों पर लिया जाता है। भा. प्र. से. के अधिकारियों के सम्बन्ध में राज्य-वार ब्यौरा कृपया विवरण "क" पर देखें। केन्द्रीय सचिवालय में कार्यरत भा. प्र. से. तथा भा. वन सेवा के अधिकारियों की संख्या कम है और इसलिए इनका राज्य-वार ब्यौरा नहीं दिया गया है।

(अ) जी, हां।

(ब) अखिल भारतीय सेवा के प्रत्येक राज्य संवर्ग को केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व आवंटित किया गया है जो राज्य संवर्ग के कुल आकार के अनुपात में है। यह अनुपात भा.पु.से. के मामले में प्रत्येक राज्य संवर्ग के वरिष्ठ ड्यूटी पदों का 40% तथा भारतीय वन सेवा के मामले में वरिष्ठ ड्यूटी पदों का 20% होता है। केन्द्रीय सचिवालय/केन्द्रीय पुलिस स्थापनाओं/वन महानिदेशालय के कार्यालय में कार्य के लिए चुने गए विभिन्न राज्यों के अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की संख्या मुख्यतः उस राज्य संवर्ग के केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व के अनुरूप है।

विवरण

| क्रम संख्या | राज्य | एक जनवरी को स्थिति के अनुसार | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1990 | 1991 | 1992 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | असम तथा मेघालय | 30 | 33 | 34 |
| 2. | आन्ध्र प्रदेश | 54 | 50 | 51 |
| 3. | बिहार | 50 | 56 | 58 |
| 4. | गुजरात | 42 | 39 | 39 |
| 5. | हिमाचल प्रदेश | 20 | 25 | 20 |
| 6. | हरियाणा | 27 | 28 | 25 |
| 7. | जम्मू तथा कश्मीर | 15 | 16 | 21 |
| 8. | केरल | 36 | 35 | 36 |
| 9. | कर्नाटक | 43 | 45 | 46 |
| 10. | महाराष्ट्र | 51 | 57 | 63 |
| 11. | मध्य प्रदेश | 65 | 60 | 62 |
| 12. | मणिपुर-त्रिपुरा | 16 | 19 | 22 |
| 13. | नागालैण्ड | 7 | 5 | 5 |
| 14. | उड़ीसा | 34 | 38 | 37 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 15. | पंजाब | 33 | 28 | 25 |
| 16. | राजस्थान | 41 | 40 | 39 |
| 17. | सिक्किम | 1 | 2 | 2 |
| 18. | तमिलनाडु | 37 | 45 | 40 |
| 19. | उत्तर प्रदेश | 81 | 81 | 83 |
| 20. | संघ शासित प्रदेश | 42 | 42 | 46 |
| 21. | पश्चिम बंगाल | 53 | 51 | 50 |
| | कुल : | 778 | 801 | 798 |

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में नियुक्ति पर प्रतिबन्ध

1212. श्री मुकुल वासनिक :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने 1 जनवरी, 1992 से सभी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में नई नियुक्तियों तथा पदोन्नतियों पर प्रतिबंध लगा दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. धुंगन) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

भारतीय उद्योगों में सीधे विदेशी पूंजी निवेश

1213. श्री लोकनाथ चौधरी :

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही :

श्री फूलचंद वर्मा :

श्री रवि राय :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्व बाजार में अपने उत्पाद बेचने के प्रयोजन से ढांचागत सह-उद्योगों सहित विभिन्न उद्योगों में सीधे विदेश पूंजी निवेश का आह्वान किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और इन पर क्या प्रतिक्रिया हुई है;

(ग) इस सम्बन्ध में विदेशी निवेशकों को क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध कराने का विचार है;

(घ) क्या उद्योग में पूंजी निवेश सम्बन्धी प्राथमिकताएं हमारे देश के लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निर्धारित की गई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो. पी. जे. कुरियन)। (क) से (ङ) सरकार द्वारा विदेशी निवेश को आकर्षित करने की दिशा में अपनाई गई नीति 24 जुलाई, 1992 को संसद की दोनों सदनों के पटल पर रखी गई औद्योगिक नीति सम्बन्धी वक्तव्य में दी गई है। इस नीति के तहत, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उक्त वक्तव्य के विवरण III में सूचीबद्ध उच्च प्राथमिकता वाले उद्यमों में 51% तक विदेशी इक्विटी सीधे विदेशी पूंजी निवेश के लिए स्वत: अनुमोदन किये जा रहे हैं। नई औद्योगिक नीति की घोषणा के बाद, जनवरी 1992 के अंत तक विदेशी सहयोग के 760 प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया है। इनमें भारतीय कम्पनियों में लगभग 580 करोड़ रु. का सीधे विदेश पूंजी निवेश करने के 250 प्रस्ताव भी शामिल हैं।

[हिन्दी]

**मारुति कार और वैन के लिये विदेशों के आदेश**

1214. श्री बी. एल. शर्मा "प्रेम" :

डा. लक्ष्मीनारायण पांडेय :

श्री फूल चंद वर्मा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को 1992-93 के लिए मारुति कार/वैन की खरीद के लिए विदेशों से आदेश प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होगी ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी. के. चुंगन)। (क) और (ख) मारुति उद्योग लिमिटेड की वर्ष 1992-93 में लगभग 25,000 वाहनों के निर्यात की एक निदर्शनात्मक योजना है। डीलरों द्वारा खरीद के आर्डर, वास्तविक उत्पादन शुरू होने के बाद ही दिए जाते हैं।

(ग) वर्ष 1992-93 में निर्यात से कुल लगभग 80 मिलियन अमरीकी डालर विदेशी मुद्रा के अर्जन की आशा है।

## उद्योगों में गैर सरकारी पूंजी निवेश

1215. डा. लाल बहादुर राबल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर 1990 के औद्योगिक क्षेत्र में गैर-सरकारी पूंजी निवेश की दर घट रही है,

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1991 के अन्त तक कुल कितनी गैर-सरकारी राशि का पूंजी निवेश हुआ,

(ग) इस संबंध में गत दो वर्षों के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं; और

(घ) औद्योगिक क्षेत्र में गैर-सरकारी पूंजी निवेश की दर में कमी आने के क्या कारण है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. जे. कुरियन) : (क) से (घ) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा प्रकाशित सम्पूर्ण औद्योगिक क्षेत्र हेतु सकल पूंजी रचना वित्तीय वर्ष 1990-91 तक वार्षिक आधार पर उपलब्ध है। वित्तीय संस्थाओं द्वारा वितरण सम्बन्धी अतिरिक्त सूचना तथा पूंजीगत अनुमोदन (केवल ऋणों को छोड़कर) अप्रैल-दिसम्बर, 1991 तक उपलब्ध हैं।

1988-89 के बाद उक्त सूचना का एक विवरण संलग्न है।

विवरण

उद्योग में निवेश—चालू मूल्यों में

(करोड़ रु. में)

| वर्ष | उद्योग में एकक पूंजी रचना | वित्तीय संस्थाओं द्वारा वितरण | पूंजीगत अनुमोदन (केवल ऋण) | उद्योग में सकल पूंजी रचना | नए वर्ष की तुलना में परिवर्तित प्रतिशत वित्तीय वर्ष की तुलना में वित्तीय संस्थाओं द्वारा वितरण | पूंजीगत अनुमोदन (केवल ऋण) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988-89 | 37714.0 | 9163.1 | 8234.7 | 13.9 | 35.0 | 51.4 |
| 1989-90 | 46607.0 | 10240.2 | 12075.9 | 23.6 | 11.8 | 46.6 |
| 1990-91 | 53422.0 | 12480.3 | 12631.5 | 14.6 | 21.9 | 4.6 |
| अप्रैल-दिसंबर 90 | | 7305.8 | 9502.1 | | 29.1 | —13.9 |
| अप्रैल-दिसंबर 91 | | 9053.0 | 12621.1 | | 23.9 | 32.8 |

[अनुवाद]

विदेशी पूंजी इक्विटी

1216. श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मुख्यत. निर्यात करने वाली व्यापारिक कम्पनियों में 100 प्रतिशत तक विदेशी पूंजी इक्विटी की अनुमति देने का निर्णय लिया है,

(ख) यदि हां, तो क्या गत जुलाई में घोषित औद्योगिक नीति में 51 प्रतिशत तक ही विदेशी पूंजी इक्विटी का प्रावधान किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त नीति में परिवर्तन करने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

तकनीक विकास महानिदेशालय में पदों को समाप्त करना

1217. श्री रूपचन्द पाल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने तकनीकी विकास महानिदेशालय के कार्यालय में सैकड़ों पदों को समाप्त करने के बारे में कोई अंतिम निर्णय लिया है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितने कर्मचारी और अधिकारी प्रभावित होंगे ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) । (क) से (ग) प्रमुख औद्योगिक राजस्व तथा व्यापार सम्बन्धी उदारताओं के रूप में सरकार की हाल की आर्थिक पहल ने विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों/संगठनों की भावी भूमिकाओं, कार्यों तथा संगठनात्मक ढांचे के बारे में संशोधित जानकारी की प्रेरणा दी है । जिसके परिणामस्वरूप, तकनीकी विकास महानिदेशालय (डी. जी. टी. डी.) सहित इनमें से अनेक विभागों को पुन: संरचना करना जरूरी हो सकता है । सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है । फिर भी, डी. जी. टी. डी. की भूमिका तथा कार्यों के पुन: मूल्यांकन के कारण, डी. जी. टी. डी. में (समूह 'क' से समूह 'घ' के) 170 पद समाप्त करने का निणय लिया गया है । इन पदों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं । केवल 23 व्यक्तियों को बेशी घोषित किया जायेगा । कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग में बेशी प्रकोष्ठ (सरप्लस सेल) से बेशी व्यक्तियों के हितों की रक्षा करने और इन्हें कहीं और पुन: तैनात करने के प्रबन्ध करने की आशा की जाती है ।

विवरण

इंजीनियरी प्रभाग

| क्र. सं. | पद का नाम | वेतन मान | पदों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1. | औद्योगिक सलाहकार | 4500-5700/-रुपये | 2 |
| 2, | अपर औद्योगिक सलाहकार | 4100-5300/-रुपये | 3 |
| 3. | विकास अधिकारी | 3000-4500/-रुपये | 2 |
| 4. | सहायक विकास अधिकारी | 2200-4000/रुपये | 8 |
| | रसायन प्रभाग | | |
| 5. | औद्योगिक सलाहकार | 4500-5700/-रुपये | 1 |
| 6. | अपर औद्योगिक सलाहकार | 4100-5300/-रुपये | 2 |
| 7. | विकास अधिकारी | 3000-4500/-रुपये | 3 |
| 8. | सहायक विकास अधिकारी | 2200-4000/-रुपये | 11 |
| | विविध पद | | |
| 9. | निदेशक | 3700-5000/-रुपये | 1 |
| 10. | उप-निदेशक | 3000-4500/-रुपये | 1 |
| 11. | अनुसंधान अधिकारी | 2200-4000/-रुपये | 1 |
| 12. | प्रोग्रामर | 2200-4000/रुपये | 1 |
| 13. | अनुभाग अधिकारी | 2000-3500/-रुपये | 8 |
| 14. | निजी सचिव | 2000-3500/-रुपये | 3 |
| 15. | सलाहकार (सूचना पद्धति) | 4500-5700/-रुपये | 1 |
| 16. | संयुक्त निदेशक (पद्धति) | 3700-5000/रुपये | 1 |
| 17. | सहायक | 1640-2900/-रुपये | 8 |
| 18. | उच्च श्रेणी लिपिक | 1200-2040/-रुपये | 29 |
| 19. | अवर श्रेणी लिपिक | 950-1500/-रुपये | 15 |
| 20. | आशुलिपिक ग्रेड-ग | 1640-2900/-रुपये | 14 |
| 21. | आशुलिपिक ग्रेड-घ | 1200-2040/-रुपये | 16 |

| क्र. सं. | पद का नाम | वेतन मान | पदों की संख्या |
|---|---|---|---|
| | **अराजपत्रित संवर्ग पद** | | |
| 22. | कनिष्ठ विश्लेषक | 2000-3500/-रुपये | 1 |
| 23. | प्रोग्राम सहायक | 1640-2900/-रुपये | 3 |
| 24. | अनुसंधान सहायक (कार्य अध्ययन) | 1640-2900/-रुपये | 1 |
| 25. | तकनीकी फील्ड आफीसर | 1640-2900/-रुपये | 16 |
| 26. | कलाकार | 1640-2900/-रुपये | 1 |
| 27. | सांख्यिकीय सहायक | 1400-2300/-रुपये | 4 |
| 28. | कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक | 1400-2600/रुपये | 1 |
| 29. | सी. पी. बी. (चेकर/पंचर/-वेरीफायर) | 950-1500/-रुपये | 2 |
| | **समूह घ पद** | | |
| 30. | चपरासी | 775-1025/-रुपये | 7 |
| 31. | चपरासी | 750-940/-रुपये | 9 |
| | | | 176 |

**साफ्टवेयर का निर्माण करने की अनुमति**

1218. श्री विजय कृष्ण हान्डिक :

क्या प्रधान मंत्री मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ साफ्टवेयर निर्माताओं को भारत में बिक्री के लिए अपने साफ्ट-वेयर का मरूप तैयार करने की अनुमति देने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन संत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) साफ्टवेयर विनिर्माताओं को स्वत्वाधिकारियों की अनुमति से देश में आयातित साफ्टवेयर का डुप्लीकेट तैयार करके भारत में उसकी बिक्री करने की अनुमति प्रदान करने का प्रस्ताव है।

(ख) देश में ही सापटवेयर का डुप्लिकेट तैयार करने की अनुमति प्रदान करने का मुख्य कारण विदेशी-मुद्रा में काफी बचत करना और साथ ही देश के भीतर ही पर्याप्त रूप से कम कीमत पर सापटवेयर उपलब्ध कराना है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश और बिहार में जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण

1219. श्री अर्जुन सिंह यादव।

श्री राम लखन सिंह यादव :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत बिहार और उत्तर प्रदेश में कुल कितने किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया और इन पर व्यय हुई धनराशि का अलग-अलग ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकटस्वामी) : उत्तर प्रदेश और बिहार सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1989-90 (अर्थात जिस वर्ष से जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई थी) से बनाई गई सड़कों और उन किए गए खर्च का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

| वर्ष | उत्तर प्रदेश | | बिहार | |
|---|---|---|---|---|
| | बनाई गई सड़कें (किलोमीटर) | किया गया खर्च (लाख रु.) | बनाई गई सड़कें (किलोमीटर) | किया गया खर्च (लाख रु.) |
| 1989-90 | 46130.36 | 23740.98 | 17224.86 | 3857.30 |
| 1990-91 | 16671.36 | 8064.92 | 24766.81 | 8935.00 |
| 1991-92 दिसम्बर 1991 तक | 8047.00 | 5007.20 | 8766.95 | 2155.00 |

[अनुवाद]

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों के संवर्ग की पुनरीक्षा

1220. श्री जितेन्द्र नाथ दास :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के जूनियर इंजीनियरों के संवर्ग की पुनरीक्षा का प्रस्ताव काफी लम्बे समय के मंजूरी के लिए लम्बित पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

शहरी विकास राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) तथा (ख) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कनिष्ठ इंजीनियरों और अनुभागीय अधिकारियों (उद्यान) के द्वितीय संवर्ग पुनरीक्षण प्रस्ताव संबंधित विभागों के परामर्श से प्रक्रियाधीन है ।

## खाद्य तेलों का आयात

1221. श्री वी. धनंजय कुमार :

श्री अवध कुमार पटेल :

श्री विलासराव लालमाधवराव गुंडेवार :

श्री दाऊ दयाल जोशी :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल के मूल्यों में वृद्धि की प्रवृत्ति को रोकने के लिए खाद्य तेलों का पर्याप्त मात्रा में आयात किया गया है;

(ख) यदि हां, तो जुलाई से दिसम्बर, 1991 और जनवरी, 1992 के दौरान विभिन्न खाद्य तेलों का कितनी मात्रा में आयात किया गया; और

(ग) इन महीनों के दौरान महीनावार थोक और खुदरा मूल्यों के ब्यौरे सहित इस आयात से मूल्य नियन्त्रण में वृद्धि को रोकने में मिली सहायता का ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) जुलाई, 1991 से जनवरी, 1992 के दौरान राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित परिष्कृत पामोलीन का विवरण निम्नवत है :—

| माह | मात्रा (मी. टन में) |
|---|---|
| जुलाई, 91 से दिसम्बर, 91 | 66,000 |
| जनवरी, 92 | 29,000 |

किसी अन्य खाद्य तेल का आयात नहीं किया गया ।

(ग) प्रमुख खाद्य तेलों का मासान्त थोक मूल्य और खुदरा मूल्य संलग्न विवरण में दिया गया है । विगत कुछ सप्ताहों से मुख्य खाद्य तेलों के मूल्यों में गिरावट का रुख दिखाई पड़ रहा है ।

विवरण

महत्वपूर्ण केन्द्रों पर मुख्य खाद्य तेलों का मासांत थोक और खुदरा मूल्य

| खाद्य तेल (केन्द्र) | जुलाई, 91 | अगस्त, 91 | सितम्बर, 91 | अक्तूबर, 91 | नवम्बर, 91 | दिसम्बर, 91 | जनवरी, 92 | फरवरी, 92 (26.2.92) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| थोक मूल्य (रु. प्रति क्विंटल) | | | | | | | | |
| सरसों का तेल (कानपुर) | 3047.00 | 3100.00 | 3050.00 | 3100.00 | 2225.00 | 3200.00 | सू.न. | 2525.00 |
| मूंगफली का तेल (बम्बई) | 3850.00 | 3800.00 | 3900.00 | 3900.00 | 4000.00 | 3818.00 | 3700.00 | 3650.00 |
| वनस्पति (दिल्ली) | 3943.00 | 3900.00 | 3987.00 | 4257.00 | 4187.00 | 4027.00 | 3802.00 | 3643.00 |

खुदरा मूल्य (रु. प्रति कि. ग्रा.)

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सरसों का तेल (कानपुर) | 32.00 | 35 00 | 31.50 | 34.00 | 34.00 | 33.50 | 35.50 | 27.50 |
| मूंगफली का तेल (बम्बई) | 40.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 44.00 | 39.00 | 41.00 | 40.00 |
| वनस्पति (दिल्ली) | 40.00 | 42.00 | 42.00 | 45.00 | 44.00 | 42.00 | 42.00 | 38.09 |

सू.न. = सूचना नहीं।

बंगलोर नगर में उपरिपुल

1222. श्री जी. माडेगोडा :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने बंगलोर नगर में उपरोपुलों और उपमार्गों का निर्माण करने के लिए हुडको से सहायता माँगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री चित्त थिरनल अस्पताल त्रिवेन्द्रम

1223. श्री थाइल जान अजलोज ।

क्या प्रधानमन्त्री मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिवेन्द्रम में श्री चित्त थिरुनल अस्पताल के विकास के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित पड़ी नई परियोजनाओं का ब्योरा क्या है;

(ख) क्या इस अस्पताल में अनुसंधान सम्बन्धी कुछ नई परियोजनाएं शुरु करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेन्शन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गेट अल्वा) : (क) सरकार के पास श्री चित्रा थिरनल इंस्टीट्यूट फार मेडिकल साइन्सेस एंड टेक्नोलाजी त्रिवेन्द्रम की कोई नई परियोजना लम्बित नहीं है ।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्त्रोतों के उपलब्ध होने पर, श्री चित्रा थिरुनल इंस्टीट्यूट फार मेडिकल साइन्सेस एंड टेक्नालजी, त्रिवेन्द्रम (अस्पताल स्कंध सहित) के विकास के लिए निम्नलिखित कार्यकलाप प्रस्तावित है :—

1. प्रयोज्य और आरोपण अनुप्रयोगों के लिए जैव चिकित्सा का विकास,

2. आरोपण हेतु सामग्री का मूल्यांकन ।

3. जैव सामग्री और यंत्रो का मुख्य संयंत्र स्तर पर उत्पादन ।

4. अस्पताल प्रबन्ध पद्धतियों का आधुनिकीकरण ।

5. विद्यमान उपस्करों का बेड़ा बढ़ाना।

6. पुनर्वास सेवाओं की स्थापना।

(ख) और (ग) अस्पताल में विशेषकर हृदय रोग विज्ञान, तंत्रिका रसायन, संवहन तंत्र रोग और जैव रसायन में अनुसंधान कार्य किया जाता है। पिछले पांच वर्षों में सरकारी वित्त पोषण एजेंसियों और प्राइवेट न्यासों द्वारा 8 अनुसंधान परियोजनाओं को समर्थन दिया गया है। सरकार ने इस अवधि के दौरान संस्थान के जैव चिकित्सा प्रौद्योगिक स्कंध में 12 अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को भी समर्थन दिया था।

कागज उत्पादन के लिए खोई की मात्रा

1224 : श्री शंकरराव काले :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : पिछले दो वर्षों से देश में कागज तथा गत्ते के उत्पादन हेतु कितनी मात्रा में खोई उपयोग में लाई जा रही है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. पी.जे. कुरियन) : सरकार देश में विभिन्न मिलों द्वारा कागज तथा गत्ते का उत्पादन करने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग की जाने वाली खोई की मात्रा संबंधी आंकड़े नहीं रखती। फिर भी, देश में कागज गत्ते का उत्पादन करने के लिए प्रतिवर्ष लगभग 18 लाख मी. टन खोई का इस्तेमाल होने का अनुमान है।

[हिन्दी]

दिल्ली में जनसंख्या नियंत्रण

1225. श्री भक्त दर्शन नायक :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य महानगरों की तुलना में दिल्ली में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है; और

(ख) यदि हां, तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए क्या कदम उठाने का विचार है,

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचल) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संतुलित और सुव्यवस्थित विकास के उद्देश्य से एक क्षेत्रीय योजना तैयार की है। क्षेत्रीय योजना जो 23.1.89 से लागू की गई है, में क्षेत्र के विकेन्द्रीकृत विकास के निमित्त उपाय शामिल हैं।

[अनुवाद]

मुम्बई में मेट्रो रेल सेवा

1226. श्री अरविन्द तुलशीराम काम्बले :

श्री राम नाईक :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई में मेट्रो रेल सेवा शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना को कब से शुरू कर दिए जाने की संभावना है,

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री एम. अरुणाचल

(क) बम्बई में पहले से ही यात्रियों की सुविधा के लिए सब-अर्बन भूतल रेलवे प्रणाली है। बम्बई में भूमिगत मेट्रो रेलवे का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

औषधों का विपणन

1227. श्री संतोष कुमार गंगवार :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फार्मूले से निर्मित कुछ औषधियां बाजार में भिन्न-भिन्न ब्रांड नामों से बेची जा रही हैं, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और इस स्थिति पर काबू पाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. चिन्ता मोहन) : (क) और (ख) प्रश्न में उल्लिखित "सूत्रयोग" और "दवाइयां" शब्दों का आशय एक ही चीज है। इन्हें एक या अधिक प्रयुक्त औषधों से निर्मित किया जाता है। सामान्यतः इन्हें ब्रांड नामों के अन्तर्गत बेचा जाता है जिसकी नियमों के अन्तर्गत अनुमति है। अनेक निर्माता अपने सूत्रयोगों को जेनेरिक नामों के अन्तर्गत बेचते हैं। जेनेरिक नाम के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए जेनेरिक नाम के अन्तर्गत बेचे जाने वाले एकल घटक सूत्रयोगों को डीपीसीओ, 1987 के अन्तर्गत कीमत नियंत्रण से छूट प्राप्त है।

राज्यों में वनों पर आधारित उद्योग

1228 : श्री काशीराम राणा :

श्री हरिकेवल प्रसाद :

श्री ओकान्त जेना :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में वनों पर आधारित उद्योग स्थापित करने का है।

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं, और

(ग) इस सम्बन्ध में कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) से (ग) इस समय उद्योग मंत्रालय के पास मझोले तथा बड़े क्षेत्रों में बनों पर आधारित उद्योगों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के एक उपक्रम में हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लि और इसकी सहायक कम्पनी से उनकी कुल लाइसेंसीकृत क्षमता के भीतर उनके मौजूदा एककों में अखबारी कागज के निर्माण के लिए तीन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं । इस प्रकार के आवेदनों का निपटान करते समय सरकार पर्यावरण-संबंधी तथा पारिस्थितिक पहलुओं और राष्ट्रीय वन नीति के प्रावधानों को ध्यान में रखती है ।

[अनुवाद]

## औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

1229 : श्री सुधीर गिरि ।

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1991-92 के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का ब्यौरा क्या है ।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. पी जे. कुरियन) : केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा संकलित औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक के संबंध में उपलब्ध नवीनतम सूचना के अनुसार कुल मिलाकर विकास दर अप्रैल.नवम्बर, 1991 के दौरान (-) 0.9% थी। इसी अवधि के दौरान खनन, निर्माण तथा विद्युत क्षेत्रों में विकास की दरें क्रमशः (-) 1.6%, ( ) 2. 3% और 7.8% थीं ।

[हिन्दी]

## बिहार में ग्रामीण विकास कार्यक्रम

1230. श्री रामदेव राम :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में ग्रामीण विकास परियोजनाओं का जिलावार ब्यौरा क्या है ।

(ख) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में इनमें से प्रत्येक परियोजना के लिए वर्ष-वार कितनी धनराशि का आबंटन किया गया, और

(ग) इन सभी परियोजनाओं को समयानुसार पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है ।

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच. पटेल) : (क) और (ख) सरकार द्वारा बिहार में ग्रामीण विकास परियोजनाओं के बारे में जिलावार सूचना नहीं रखी जाती है। तथापि, बिहार सरकार को जवाहर रोजगार योजना, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और त्वरित ग्रामीण जलसप्लाई कार्यक्रम जैसे विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए 1989-90 1990-9 , और 1992 के दौरान आवंटित निधियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) ग्रामीण विकास कार्यक्रम निरन्तर चलने वाले कार्यक्रम हैं और उन्हें वर्ष दर वर्ष के आधार पर जारी रखा जा रहा है।

विवरण

| कार्यक्रम का नाम | वर्ष | आवंटित निधियां |
|---|---|---|
| जवाहर रोजगार योजना* | 1989-90 | 38711.91 |
| | 1990-91 | 38466.78 |
| | 1991-92 | 38466.78 |
| समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम | 1989-90 | 11025.89 |
| | 1990-91 | 11025 89 |
| | 1991-92 | 10361.80 |
| त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम | 1989-90 | 2710.00 |
| | 1990-91 | 2710.00 |
| | 1991-92 | 2999.00 |

*राज्य संघ शासित

कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा फर्निशिंग और रखरखाव पर व्यय की गई राशि

1231. आचार्य विश्वनाथ दास शास्त्री :

क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान फर्निशिंग और रखरखाव पर व्यय की गई राशि का ब्योरा क्या है; और

(ख) किन-किन मदों पर यह राशि व्यय की गई थी ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) और (ख) इस सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

पंचायती राज विधेयक

1232. श्री मनोरंजन भक्त :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ग्रामीण विकास कार्यों के सम्बन्ध में पंचायतों को अधिक शक्तियां प्रदान करने हेतु कोई व्यापक पंचायती राज विधेयक लाने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं तथा यह विधेयक कब तक पेश किया जायेगा ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकटस्वामी) : (क) और (ख) पंचायतों से सम्बन्धित संविधान (बहत्तरवां संशोधन) विधेयक 1991 को लोकसभा में 16.9.1991 को प्रस्तुत कर दिया गया है। विधेयक अब संसद की एक संयुक्त समिति के समक्ष लम्बित है।

विकलांगों के लिये मारुति कारें

1233. श्री शंकरसिंह वाघेला :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकलांगों के लिये डिजाइन की गयी मारुति कारों पर उत्पाद शुल्क से छूट लागू थी ;

(ख) क्या इस छूट को हटा लेने के कारण विकलांगों के लिये डिजाइन की गयी मारुति कार की कीमत में दिसम्बर, 1990 से अब तक लगभग अस्सी हजार रुपये की वृद्धि हो गयी है ;

(ग) क्या कीमत में कमी लाने के लिये सरकार का ऐसी कारों पर उत्पाद शुल्क छोड़ देने का विचार है; और

(घ) क्या कुछ अन्य कार कम्पनियों का भी विकलांगों के लिये कार बनाने का विचार है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) और (ख) मारुति उद्योग लिमिटेड ने विकलांगों के लिए 34 वाहनों के सम्बन्ध में दिनांक 1-8-90 से 9-12-90 के बीच उत्पाद शुल्क में छूट का दावा प्रस्तुत किया था। तथापि यह दावा कलेक्टर (अपील) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था। इसलिए मारुति उद्योग लिमिटेड को इन 34 कारों पर पूरा उत्पाद शुल्क देना पड़ा जो शुल्क की शून्य दर पर क्लीयर की गई थीं। दिनांक 9-12-90 तक इस प्रकार के वाहनों के सी. टी. डी. माडल का फैक्टरी से निकलते समय, बिना उत्पाद शुल्क के, मूल्य 81,757 रु. था। फैक्टरी से निकलते समय, सामान्य उत्पाद शुल्क सहित मूल्य दिसम्बर,

1990 में 1,10,362 रु. था। इस समय फैक्टरी से निकलते समय मूल्य (डीलर को कमीशन के बिना) 1,56,942 रुपये है।

(ग) और (घ) भारी उद्योग विभाग में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

सार्वजनिक क्षेत्र में रुग्ण इकाइयों के लिये निष्क्रमण नीति

1234. श्री शरत चन्द्र पटनायक :

श्री कोडाकनी गौडामा शिवप्पा :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की रुग्ण इकाईयों के लिए कोई निष्क्रमण नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस नीति को कब तक कार्यान्वित किये जाने की सम्भावना है; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप इकाई-वार कितने श्रमिक प्रभावित होंगे ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी. के. चुंगन) : (क) से (घ) संशोधित रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के सभी रुग्ण औद्योगिक कम्पनियों को उक्त अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार, उनके (कम्पनियों के) लिये उपयुक्त पुनरुद्धार/पुनर्स्थापन सम्बन्धी योजनायें तैयार करने के उद्देश्य से औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड के पास भेजा जायेगा। उद्यमों तथा इनमें कार्यरत कामगारों की संख्या का ब्यौरा दिसम्बर, 1991 में संसद सदस्यों को परिचालित, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्य-निष्पादन की स्थिति पर निबन्ध (ओसीपीपी) के खण्ड-I में दिया गया है तथा इससे जो कामगार प्रभावित होंगे, उनके बारे में औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड द्वारा विचार किया जायेगा।

आवासीय नीति के अन्तर्गत आवास सुविधाएं

1235. श्री के. राममूर्ती टिंडिवनाम :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कम आय वर्गों, कमजोर वर्ग और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को आवास सुविधा देने के लिए क्या योजनाएं बनाने का विचार है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान मकान निर्माण के लिए दी गई वित्तीय सहायता और ऋण सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सन् 2000 तक के लिए क्या योजनाएं बनाई गई हैं और प्रत्येक वर्ग के कितने प्रतिशत लोगों को ये सुविधाएं उपलब्ध होंगी ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) आवास राज्य का विषय है और राज्य सरकारें तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अपनी प्राथमिकताओं तथा उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप विभिन्न आय वर्गों के लिये आवास स्कीमें प्रतिपादित और कार्यान्वित करने के लिये स्वतन्त्र हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम तथा राज्य क्षेत्र के अन्य सामाजिक आवास कार्यक्रमों के अन्तर्गत राज्यों में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय वर्ग के लिये कई आवास स्कीमें कार्यान्वयनाधीन हैं। इन स्कीमों के अन्तर्गत विभिन्न रिहायशी एककों का कुछ प्रतिशत, प्रत्येक राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा निर्धारित किये गये कोटा के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये उद्दिष्ट है। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा मुक्त किये गये बन्धुआ मजदूरों को मुफ्त आवास सुविधा प्रदान करने हेतु इन्दिरा आवास योजना नामक एक केन्द्रीय योजना चल रही है। पटरी वासियों सहित शहरी निर्धनों को आवास सुविधाएं देने के लिये नेहरू रोजगार योजना तथा रैन बसेरा योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय अनुदान तथा हुडको ऋणों के रूप में वित्तीय सहायता भी उपलब्ध है।

(ख) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय वर्ग के लिये रिहायशी एककों के निर्माणार्थ गत तीन वर्षों के दौरान कार्यान्वयन अभिकरणों को निम्नलिखित वित्तीय सहायता दी गई है :

(रु. करोड़ में)

| | हुडको ऋण | 89-90 | 90-91 | 91-92 (31.1.92 तक) |
|---|---|---|---|---|
| (i) | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (शहरी) | 108.91 | 158.12 | 91.81 |
| (ii) | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ग्रामीण) | 84.49 | 115.18 | 48.26 |
| (iii) | निम्न आय वर्ग | 154.39 | 172.12 | 94.43 |
| | इन्दिरा आवास योजना (केन्द्रीय अनुदान) | 175.86 | 189.96 | 119.06 (दिसम्बर 91 तक) |
| | आवास-स्थल सह-निर्माण सहायता (न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 20 सूत्र कार्यक्रम) (राज्य क्षेत्र प्राधिकार) | 156.13 | 129.65 | 128.91 |

(ग) राष्ट्रीय आवास नीति के संशोधित प्रारूप के अनुसार, गृह विहिनता को कम करना तथा अपर्याप्त वास में रहने वाले स्लम निवासियों अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व अन्य उपेक्षित वर्गों के लाभ के लिये ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सभी बेकार मकानों के उन्नयन में सहायता करना मुख्य लक्ष्य हैं। तथापि, प्रत्येक वर्ग को शामिल करना, आवास क्षेत्र में संसाधन वियतन पर निर्भर करता है।

## राजधानी से कार्यालयों का अन्यत्र स्थानांतरण

1236. श्री सनत कुमार मंडल :

श्री गंगवीर सिंह :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का कोई कार्यालय दिसम्बर, 1991 से दिल्ली के बाहर स्थानान्तरित किया गया है और अभी कितने कार्यालय स्थानांतरित किये जाने हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख) संलग्न विवरण-I पर दी गई सूची के अनुसार केन्द्रीय सरकार के 13 और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के 24 कार्यालयों को दिल्ली से बाहर स्थानान्तरित करने का निर्णय लिया गया है। तथापि, दिसम्बर, 1991 से इस मन्त्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार केन्द्रीय सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का कोई भी कार्यालय स्थानान्तरित नहीं हुआ है।

### विवरण

(क) केन्द्रीय सरकार के कार्यालय

| क्र. सं. | कार्यालय का नाम |
|---|---|
| 1. | तट रक्षक मुख्यालय। |
| 2. | डाक विभाग का अनुसंधान और विकास केन्द्र। |
| 3. | पूर्ति विभाग का निरीक्षण निदेशालय, उत्तरी निरीक्षण सर्कल। |
| 4. | सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अन्तर्गत प्रकाशन प्रभाग, फिल्म प्रभाग, गायिकी और नाटक प्रभाग और क्षेत्र प्रचार निदेशालय। |
| 5. | गृह मंत्रालय के अन्तर्गत राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो। |
| 6. | डिपार्टमेंट आफ लाइट हाऊसिस एण्ड लाइट सिपसु। |
| 7. | रोजगार सेवाओं में अनुसंधान और प्रशिक्षण का केन्द्रीय संस्थान, श्रम-मन्त्रालय। |

8. भूगतान आयुक्त औद्योगिक विकास विभाग ।

9. प्रकाशन विभाग ।

10. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग प्रशिक्षण संस्थान ।

11. राष्ट्रीय सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नारकोटिक्स अकादमी ।

12. अखिल भारतीय मृदा और भू-प्रबंध सर्वे, कृषि और सहकारिता विभाग ।

13. औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड, वित्त मन्त्रालय ।

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम :

1. राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड ।

2. स्टेट फार्मस कार्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड ।

3. केन्द्रीय भण्डागार निगम ।

4. भारतीय खाद्य निगम ।

5. हास्पीटल सर्विसेज कन्सलटेंसी कार्पोरेशन आफ इण्डिया ।

6. हैलिकाप्टर कार्पोरेशन आफ इण्डिया ।

7. एअर लाइन्स एलाइड सर्विसेज लिमिटेड ।

8. भारत का राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ।

9. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड ।

10. राष्ट्रीय उर्वरक निगम लिमिटेड ।

11. हिन्दुस्तान उर्वरक निगम लिमिटेड ।

12. भारत का उर्वरक निगम ।

13. पाइरिटिस, फास्फेट्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड ।

14. पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड ।

15. इण्डो-बर्मा पैट्रोलियम कम्पनी लिमिटेड (केमिकल प्रभाग) ।

16. राष्ट्रीय जल-विद्युत शक्ति निगम लिमिटेड ।

17. राष्ट्रीय वस्त्र निगम (दिल्ली पंजाब और राजस्थान) लिमिटेड ।

18. खनिज तथा धातु व्यापार निगम लिमिटेड ।

19. राज्य व्यापार निगम लिमिटेड ।

20. राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड ।

21. ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड ।

22. राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड ।

23. भारत हैवी इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड ।

24. भारतीय सीमेंट निगम लिमिटेड ।

ट्रेड मार्क सम्बन्धी कानून

1237. डा. आर. ओधरन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों और संघ राज्यों क्षेत्रों से ट्रेड मार्क सम्बन्धी कानूनों को सख्त बनाने के लिए मार्ग निदेश जारी किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री ( प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

[हिन्दी]

निजी भवन निर्माताओं के माध्यम से फ्लैटों का निर्माण

1238. श्री मदन लाल खुराना :

श्री गुरुदास कामत :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या सरकार ने निर्णय लिया है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण निजी भवन निर्माताओं के माध्यम से फ्लैटों का निर्माण करेगी; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम्) । (क) और (ख) भवन निर्माण की प्रक्रिया में निजी भवन निर्माताओं/विकासकर्ताओं की अन्तर्ग्रस्तता को सम्भावना का पता लगाने के लिए सरकार ने दिल्ली विकास प्राधिकरण को परामर्श दिया है ।

[अनुवाद]

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत महाराष्ट्र में परियोजनायें

1239. श्री सुधीर सावन्त :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत महाराष्ट्र में कितनी परियोजनायें स्वीकृत की गई; और

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी राज सहायता दी गई ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तम भाई पटेल) : (क) और (ख) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवारों को ऋण और सबसिडी देकर सहायता पहुँचाई जाती है ताकि वे आय सृजन की गतिविधियां शुरू कर सकें। सामान्यतः समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत परियोजनायें मन्जूर नहीं की जाती हैं। महाराष्ट्र में पिछले तीन वर्षों के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता प्राप्त परिवारों की संख्या तथा उन्हें उपलब्ध कराई गई सबसिडी का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

| | सहायता प्राप्त परिवार (संख्या लाख में) | सबसिडी (केन्द्र तथा राज्य) (लाख रुपये में) |
|---|---|---|
| 1988-89 | 2.52 | 5009.69 |
| 1989-90 | 2.48 | 5670.04 |
| 1990-91 | 2.14 | 5314.61 |

केरल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए दी जाने वाली खाद्य राजसहायता को समाप्त करना

1240. श्री एम. रैमन्ना :

प्रो. के. वी. थामस :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण किए जाने वाले चावल, गेहूं, चीनी जैसी आवश्यक वस्तुओं के लिए दी जाने वाली खाद्य राजसहायता को हाल ही में समाप्त कर दिया गया है;

(ख) क्या कुछ राज्यों ने मांग की है कि या तो खाद्य राजसहायता पुनः शुरू की जाये अथवा खाद्य राजसहायता की प्रतिपूर्ति के लिए राज्यों को पर्याप्त वित्तीय सहायता दी जाये; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) जी नहीं। लेकिन केन्द्रीय सरकार ने 28 दिसम्बर, 1991 से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिये राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को (भारतीय खाद्य निगम

के गोदाममें से) दिए जाने वाले चावल तथा गेहूं के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों में प्रति क्विंटल क्रमशः 88/-रु. तथा 46/-रु. की वृद्धि की है, ताकि 1991-92 के खरीफ तथा रबी विपणन मौसम तक धान व गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में की गई वृद्धि को आंशिक रूप से समासित किया जा सके। इस वृद्धि के बावजूद भी केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्न देने में राजसहायता की काफी राशि खर्च करनी होगी।

लेवी चीनी के उपभोक्ता मूल्य को, गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य में वृद्धि तथा अन्य लागत वृद्धि को ध्यान में रखते हुए 21.1.1992 से 6.10 रु. प्रति कि. ग्रा. से बढ़ाकर 6.90 रु. प्रति कि. ग्रा. कर दिया गया है।

केन्द्रीय निर्गम मूल्य सारे देश में एक समान हैं और केन्द्रीय सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न के वितरण के लिए वहन की जा रही समग्र राजसहायता के अलावा राज्य सरकारों तथा राज्य क्षेत्र प्रशासनों को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाती है।

**जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत धन-राशि का आवंटन एवं प्रगति**

1241. श्री आर. जीवरत्नम :

श्री भैरू लाल मीणा :

श्री काशी राम राणा :

क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों को वर्ष-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई तथा तथा उन्होंने कितनी धन-राशि का उपयोग किया;

(ख) उपर्युक्त वर्षों के दौरान, वर्ष-वार तथा राज्य-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे तथा क्या उपलब्धि प्राप्त हुई;

(ग) जवाहर रोजगार योजगार योजना को अधिक परिणामोन्मुख बनाने के लिए क्या प्रयास किए गए रहे हैं;

(घ) क्या इस योजना को कार्यान्वित न किए जाने के बारे में केन्द्रीय सरकार को कोई शिकायत मिली है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) और (ख) जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1989-90 से लेकर 1991-92 तक आवंटित/उपयोग किए गए संसाधनों, रोजगार सृजन के निर्धारित लक्ष्यों तथा उपलब्धियों का राज्यवार ब्योरा विवरण में दिया गया है।

(ग) भारत सरकार द्वारा जवाहर रोजगार योजना तो निरन्तर निगरानी रखी जा रही है ताकि योजना के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। इसके अलावा, भारत सरकार ने कार्यक्रम के

निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के ध्येय से ग्रामीण क्षेत्रों पर पड़े इसके प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए स्वतन्त्र संस्थाओं/संस्गठनों के जरिए जवाहर रोजगार योजना के समवर्ती मूल्यांकन का कार्य भी शुरु किया है। शुरु किये जा चुके समवर्ती मूल्यांकन में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों के स्वरुप पर कार्यक्रम का प्रभाव, आम तौर पर समाज के लिए और विशेष रुप से समुदाय के गरीब वर्गों के लिए इसकी उपयोगिता तथा गरीबी की रेखा से नीचे बसर कर रहे परिवारों के कल्याण के लिए जवाहर रोजगार योजना का योगदान मुख्य मुद्दे हैं।

योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने भी उपलब्ध कराये गए रोजगार की सीमा, सृजित परिसम्पत्तियों की गुणवत्ता तथा उपयोगिता आदि का जायजा लेने के लिए देश के 10 प्रमुख राज्यों में जवाहर रोजगार योजना का शीघ्र अध्ययन आरम्भ किया है।

यदि समवर्ती मूल्यांकन तथा योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा किए गए शीघ्र अध्ययन के परिणामों से औचित्य दिखाई दिया तो सरकार कार्यक्रम का पुनर्गठन करेगी।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(लाख रुपए में)

| क्र. सं. | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | 1989-90 | | 1990-91 | | 1991-92 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | राज्य अंश सहित आवंटन | उपयोग | राज्य अंश सहित आवंटन | उपयोग | राज्य अंश सहित आवंटन | उपयोग |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 19319.51 | 18415.55 | 19166.20 | 19317.09 | 19166.20 | 11355.76 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 307.15 | 165.40 | 330.68 | 223.75 | 330.67 | 120.57 |
| 3. | असम | 5278.90 | 4801.66 | 5114.59 | 5648.57 | 5114.59 | 2576.12 |
| 4. | बिहार | 38711.91 | 31690.69 | 38466.78 | 42645.86 | 38456.78 | 18554.33 |
| 5. | गोआ | 378.75 | 325.42 | 357.28 | 277.12 | 357.27 | 248.57 |
| 6. | गुजरात | 7954.79 | 8076.28 | 8090.71 | 7513.03 | 8090.71 | 6494.51 |
| 7. | हरियाणा | 2068.19 | 1970.95 | 1926.83 | 2085.43 | 1926.82 | 1097.14 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 1153.50 | 987.48 | 1135.28 | 1270.68 | 1135.28 | 689.59 |
| 9. | जम्मू व कश्मीर | 1682.74 | 1770.50 | 2000.00 | 1636.30 | 1611.51 | 788.92 |
| 10. | कर्नाटक | 12093.58 | 10942.81 | 12059.70 | 10684.41 | 12059.70 | 6100.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. केरल | 6569.99 | 6587.35 | 6396.19 | 6819.92 | 6396.19 | 4368.38 |
| 12. मध्य प्रदेश | 25618.79 | 20562.93 | 26402.50 | 24234.17 | 26402.50 | 16647.19 |
| 13. महाराष्ट्र | 20993.90 | 21059.06 | 20424.84 | 19254.92 | 20424.85 | 11723.90 |
| 14. मणिपुर | 441.73 | 440.01 | 423.83 | 490.06 | 423.83 | 103.41 |
| 15. मेघालय | 458.13 | 172.29 | 495.91 | 339.35 | 495.91 | 341.62 |
| 16. मिजोरम | 187.41 | 188.07 | 208.90 | 833.41 | 208.90 | 186.32 |
| 17. नागालैंड | 504.99 | 504.99 | 610.00 | 617.46 | 531.58 | 285.75 |
| 18. उड़ीसा | 12655.81 | 10445.27 | 13094.93 | 12845.26 | 13094.93 | 7992.45 |
| 19. पंजाब | 1608.66 | 1120.68 | 1675.65 | 1222.55 | 1675.65 | 751.36 |
| 20. राजस्थान | 12594.24 | 10648.94 | 12805.28 | 17029.54 | 12885.28 | 9403.60 |
| 21. सिक्किम | 197.83 | 155.85 | 193.54 | 197.78 | 193.54 | 198.97 |
| 22. तमिलनाडु | 17659.64 | 20162.77 | 17223.66 | 19661.60 | 17223.66 | 14749.50 |
| 23. त्रिपुरा | 541.43 | 542.26 | 550.49 | 525.40 | 550.49 | 312.32 |
| 24. उत्तर प्रदेश | 51706.13 | 52950.57 | 51093.28 | 45773.98 | 51093.28 | 27929.53 |
| 25. पश्चिम बंगाल | 21610.16 | 19975.36 | 21786.94 | 17019.09 | 21786.94 | 12104.18 |
| 26. अंड, व निकोबार | 164.80 | 95.59 | 156.56 | 102.02 | 156.56 | 46.77 |
| 27. चंडीगढ़ | 40.77 | 27.00 | 38.81 | 12.29 | 0.00 | 0.00 |

| 1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. दादर व नागर हवेली | 83.80 | 89.01 | 84.99 | 66.53 | 84.99 | 69.45 |
| 29. दमन और दीव | 52.40 | 32.28 | 50.07 | 15.46 | 50.07 | 23.25 |
| 30. दिल्ली | 187.42 | 90.39 | 184.18 | 56.84 | 0.90 | 0.00 |
| 31. लक्ष द्वीप | 81.75 | 62.15 | 78.49 | 64.11 | 78.49 | 39.18 |
| 32. पांडिचेरी | 157.80 | 194.20 | 153.25 | 164.48 | 153.25 | 147.42 |
| योग : | 263066.60 | 245853.76 | 262780.27 | 258648.46 | 262090.38 | 155450.27 |

लाख श्रम दिन

| क्र. राज्य संघ सं. शासित क्षेत्र | 1989-90 | | 1990-91 | | 1991-92 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि |
| 1 2 | 0 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. आंध्र प्रदेश | 772.78 | 727.43 | 919.98 | 810.66 | 691.53 | 431.26 |
| 2. अरुणाचल प्रदेश | 9.60 | 7.25 | 12.40 | 8.44 | 22.27 | 3.54 |
| 3. असम | 155.26 | 122.51 | 122.51 | 126.02 | 114.99 | 56.53 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. बिहार | 944.19 | 907.31 | 1125.86 | 1130.11 | 923.20 | 467.48 |
| 5. गोवा | 10.52 | 8.62 | 11,91 | 8.88 | 11.05 | 6.85 |
| 6. गुजरात | 198.87 | 202.93 | 242.72 | 188.82 | 246.05 | 153.98 |
| 7. हरियाणा | 34.12 | 34.13 | 37.60 | 35.03 | 28.97 | 18.26 |
| 8. हिमाचल प्रदेश | 32.04 | 37.86 | 33.68 | 35.86 | 29.86 | 21.25 |
| 9. जम्मू और कश्मीर | 54.86 | 25.19 | 61.68 | 54.27 | 70.63 | 26.76 |
| 10. कर्नाटक | 490.11 | 407.56 | 570.87 | 473.20 | 429.36 | 2219.92 |
| 11. केरल | 214.18 | 231.79 | 244.83 | 180.96 | 140 58 | 107.36 |
| 12. मध्य प्रदेश | 1129.83 | 932.24 | 1156.31 | 958.57 | 966.90 | 674.60 |
| 13. महाराष्ट्र | 749.60 | 795.93 | 859.99 | 850.22 | 787.33 | 451.69 |
| 14. मणिपुर | 10.84 | 10.50 | 9.83 | 12.16 | 8.67 | 2.21 |
| 15. मेघालय | 15.27 | 4.02 | 18.98 | 7.88 | 8.69 | 871 |
| 16. मिजोरम | 3.35 | 4.79 | 4.48 | 19.69 | 3.40 | 4.28 |
| 17. नागालैंड | 16.83 | 20.29 | 21.26 | 18.98 | 15.95 | 11.07 |
| 18. उड़ीसा | 612.13 | 517.63 | 324.61 | 341.97 | 346.44 | 196.60 |

| 1 | 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. | पंजाब | 28.88 | 34.23 | 31.72 | 21.81 | 29.81 | 13.00 |
| 20. | राजस्थान | 439.21 | 448.77 | 392.43 | 506.01 | 308.72 | 274.32 |
| 21. | सिक्किम | 7.07 | 6.28 | 7.91 | 8.80 | 5.79 | 7.32 |
| 22. | तमिलनाडु | 716.39 | 910.81 | 688.95 | 755.21 | 585.81 | 579.04 |
| 23. | त्रिपुरा | 18.88 | 19.53 | 19.81 | 19.06 | 17.88 | 8.43 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 1486.28 | 2624.93 | 1703.11 | 1628.27 | 1631.66 | 959.51 |
| 25. | पश्चिमी बंगाल | 572.15 | 558.81 | 643.16 | 516.85 | 706.85 | 299.91 |
| 26. | अंडमान व निकोबार द्वीप समूह | 4.37 | 3.08 | 4.44 | 2.97 | 6.52 | 1.47 |
| 27. | चंडीगढ़ | 0.94 | 0.42 | 1.08 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
| 28. | दादर व नगर हवेली | 3.70 | 3.04 | 3.47 | 2.84 | 3.71 | 2.97 |
| 29. | दमन व दीव | 1.43 | 1.08 | 1.61 | 0.63 | 2.55 | 0.75 |
| 30. | दिल्ली | 4.34 | 2.30 | 5.12 | 0.89 | 8.00 | 0.00 |
| 31. | लक्षद्वीप | 2.27 | 2.53 | 2.62 | 2.23 | 3.07 | 1.74 |
| 32. | पांडिचेरी | 6.96 | 8.08 | 5.87 | 4.89 | 5.56 | 4.23 |
| | योग : | 8757.25 | 8643.87 | 9291.04 | 8732.29 | 8152.90 | 5015.44 |

[हिन्दी]

ग्रामीण जनसंख्या संबंधी विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट

1242. श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने गांव/खंड और जिला स्तर पर समेकित विकास के लिए स्वयंसेवी स्वयं प्रबंधित संगठनों/वितरण प्रणालियों के अध्ययन और विकास हेतु सिफारिश करने के लिए प्रो. एम. के. सिंह की अध्यक्षता में एक कृतिक बल गठित किया है,

(ख) यदि हां, तो इस कृतिक बल द्वारा की गई सिफारिशें क्या हैं,

(ग) इस बल की रिपोर्ट का कब तक कार्यान्वित किए जाने की सम्भावना है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज)।

(क) जी, हां।

(ख) कृतिक बल की मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं :—

(1) त्वरित और समय से निर्णय करने की प्रक्रिया में परिवर्तन करने, निर्णय करने की प्रक्रिया को शुरू करने ताकि राजनीतिक निर्णय लेने वालों को सृजनकारी विकल्प प्रस्तुत किए जा सकें, संरचनात्मक समायोजन ताकि विभागों के बीच और अधिक तालमेल स्थापित हो, तथा योजना में कम विखंडन और कार्यान्वयन, और अन्तर मन्त्रालय परामर्शों को कम करने के लिए कार्यविधि का तर्कसंगतकरण करने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार के प्रचलित प्रशासनिक ढांचे का अध्ययन।

इन लक्ष्यों की प्रति कुछ विशिष्ट उपाय करने की सिफारिश की गई है, जैसे मंत्रालयों/विभागों की भूमिका को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना ताकि दैनिक प्रशासनिक कार्यों की बजाए नीतिनियोजन पर बल दिया जा सके, सरकार द्वारा व्यावसायिक कार्यकुशलताओं का और-अधिक उपयोग करना, अंतरमन्त्रालयीन/विभागीय कृतिक बलों का गठन जिन्हें परिणाम प्राप्त करने का कार्यभार सौंपा गया हो, व्यय अथवा वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति से स्पष्टतया परिभाषित अभियानों के प्रति लक्ष्यों के लिए कार्य निष्पादन के मूल्यांकन के आधार में परिवर्तन, तथा "विनियमन और नियंत्रण" तथा "लेशेफ" से "एक विकासशील एवं "परिपयोगमुखी दृष्टिकोण" की प्रवृत्ति में परिवर्तन।

(2) जिला और खंड स्तरों पर समूचे विकासशील प्रशासन में अधिक एकीकरण करने के उद्देश्य से यह सुझाव दिया गया है कि मौजूदा सिविल और विकासशील प्रशासन को विलय कर दिया जाय जैसा कि प. बंगाल में किया गया है। यह भी सुझाव किया गया है कि ग्रामीण स्तर के कार्यकर्ताओं को फिर से समूहबद्ध किया जाए ताकि वह सुदृढ़ और समन्वित कार्य करने में सक्षम हो सके और इसके फलस्वरूप स्टाफ में कमी हो सके।

(3) सहकारी समिति अधिनियम और सहकारी समिति परिसमापन अधिनियम का सरलीकरण ।

(4) यह सुझाव दिया गया है कि राजनीतिक दबावों से रहित विकास के प्रयोजन से एक ग्रामीण संस्था की स्थापना की जाए जिसे "ग्राम विकास संगम" कहा जाए । ताकि एक सामान्य कारण के लिए लोगों को एकजुट किया जा सके बजाए इसके कि उनके हितों को विपरीत लक्ष्यों में विभाजित किया जाए । ऐसे संस्थाओं के नेताओं का चयन सर्वसम्मति से किया जाए और यदि अव्यावहारिक हो तो चुनाव द्वारा किया जाए । गांव की सामान्य परिसम्पत्तियां इन संस्था में निहित हों ताकि उनका सर्वोत्तम उपयोग हो सके तथा समुदाय गांव में स्थित परती भूमि के विकास हेतु दायित्वों का निर्वाह कर सके । विभिन्न शिक्षा/विकास विभाग के कार्मिकों को ग्रामीण समुदाय के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए । गांवों का खण्ड स्तर पर के परामर्शी संगठनों के केन्द्र के जरिए कौशल तथा प्रशिक्षण उपलब्ध कराकर दिशानिर्देश किया जाना चाहिए । ग्रामीण संस्थाओं को अवैध शराब बनाने को समाप्त करने, शैक्षणिक प्रणाली में सुधार, परिवार कल्याण में वृद्धि, अस्पृश्यता का उन्मूलन आदि जैसे सुधारों को भी अपनाना चाहिए ।

(5) इसने स्वैच्छिक संगठनों को बढ़ाने के लिए सरकारी संगठन के रूप में नहीं बल्कि एक पंजीकृत समिति के रूप में केन्द्र में एक राष्ट्रीय केन्द्र बनाने की संस्तुति की है ।

(6) इसने पता लगाया है कि आदर्श वित्तीय समर्थन प्रणाली एकमात्र खिड़की प्रणाली होनी चाहिए ताकि मन्जूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया सरल और कारगर हो जाय ।

(7) संस्थाओं की वृद्धि को प्रोत्साहित करते समय इसने संदिग्ध प्रवृत्ति के बेईमान लोगों से पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता पर विचार दिया है । अधि- तथा वित्तीय संसाधनों का दुरुपयोग उन संस्थाओं में सर्वाधिक होने की संभावना है जो प्रयोगकर्त्ताओं, उत्पादकों आदि के प्रति उत्तरदायी नहीं है । इसमें यह इंगित किया है कि ग्राम विकास संगम पंचायत या स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा अधिकारों तथा या निधि के दुरुपयोग को केवल उत्तरदायित्व ही नियंत्रित करेगा । इसी तरह से स्वैच्छिक संस्थाओं के मामले में यह सिफारिश की जा चुकी है कि यह आवश्यक बनाया जाए कि वे समुदाय/प्रयोगकर्ताओं/सदस्यों द्वारा अपने लेखों को जांच के लिए प्रस्तुत करें ।

(8) इसका अभिप्राय ट्रेक रिकार्ड वाली उन अभिनिर्धारित संस्थाओं को विभिन्न गांवों में वही या उसी प्रकार के कार्य शुरू करने में समर्थन देना होगा जिससे गुणात्मक प्रभाव का सृजन किया जा सके ।

(9) इसमें सिफारिश की गई है कि स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रबंधन हेतु समुदाय के नेताओं को प्रशिक्षण तथा उनको तैयार करने के लिए पैकेजों का विकास किया जाए ।

(ग) और (घ) जैसाकि कृतिक बल की सिफारिशों से स्पष्ट है कि इसके लिए मन्त्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों, स्वैच्छिक अभिकरणों इत्यादि से व्यापक परामर्श किए जाने की आवश्यकता है। योजना आयोग कृतिक बल की रिपोर्ट को ऐसे निकायों/व्यक्तियों को भेजने की प्रक्रिया में है। उन से परामर्श करने के बाद उपयुक्त उपायों को विकसित करना होगा ताकि उनका आठवीं योजना में आयोजना की प्रक्रिया तथा कार्यान्वयन पर प्रभाव पड़े।

[अनुवाद]

कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा धनराशि की वापसी

1243. डा. सुधीर राय :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इण्डिया लिमिटेड ने लगभग एक वर्ष पूर्व लघु उद्योगों से 150 करोड़ रुपये एकत्रित किए थे;

(ख) क्या कोल इण्डिया लिमिटेड ने इस जमा राशि के बदले न तो कोयला/कोक ही सप्लाई किया और न अग्रिम धनराशि ही वापस की; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) से (ग) इस सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कागज उद्योग में कच्चे माल की कमी

1244. श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति :

श्री श्रीनिवास प्रसाद :

श्री शंकरराव काले :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कागज उद्योग को कच्चे माल की कमी का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो कागज उद्योग के लिए कच्चे माल की कमी दूर करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) और (ख) राष्ट्रीय वन नीति के कारण, औद्योगिक प्रयोजन के लिए वन आधारित कच्चे माल के प्रयोग को प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है। इसलिए कच्चे माल की अपर्याप्त आपूर्ति कागज उद्योग के सम्मुख आने वाली समस्याओं में से एक है। उपचार के उपाय के रूप में, सरकार कृषि अपशेषों, खाई, तथा अन्य गैर-परंपरागत कच्चेमाल के इस्तेमाल को प्रोत्साहन देती है। उक्त कच्चे माल से बनी कम से कम 75% लुगदी पर आधारित कागज को इकाइयां अनिवार्य लाइसेंसीकरण उपबंधों से मुक्त हैं।

आवास के क्षेत्र में अनिवासी भारतीयों द्वारा पूंजी निवेश

1245. श्रीमती आशा रावेश्वरी :

(क) क्या सरकार का विचार अनिवासी भारतीयों की आवास के क्षेत्र में और पूंजी मूल्य में वृद्धि के आकर्षण के साथ "रिअल इस्टेट" के अन्य रूपों में बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश के लिए प्रेरित करने की कोई योजना शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख) अनिवासी भारतीयों के निवेश को प्रोत्साहन देने के बारे में 1991-92 के बजट में की गई घोषणा के अनुसार सरकार आवास, स्थावर सम्पदा आवास वित्त संस्थानों तथा भवन-निर्माण सामग्रियों के विनिर्माण इकाइयों में, अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश को प्रोत्साहित करने की स्कीम को तैयार करने की प्रक्रिया में लगी हुई है। चूंकि इसमें कुछ नीति सम्बन्धी निर्णय लिए जाने हैं, अतः अन्तिम निर्णय लिए जाने से पूर्व कुछ और समय लग सकता है।

सरकारी स्थल (अप्राधिकृत अधिभोगियों को बेदखली) अधिनियम के अन्तर्गत बेदखली कार्यवाही

1246. श्री शरद दिघे :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी उपक्रमों के सरकारी स्थल (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम के अन्तर्गत उनके द्वारा अपने किरायेदारों के विरुद्ध बेदखली कार्यवाही करते समय अपनाये जाने हेतु कोई मार्गनिर्देश जारी किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

प्रामाणिक किरायेदारों को बेदखल करने के लिए लोक परिसर अधिनियम, 1971 के प्रावधानों के मनमाने उपयोग को रोकने और मुख्यतः अनधिकृत दखलकारों एवं उद्यमों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बेदखल करने के लिए अधिनियम के अधीन सांविधिक शक्तियों के प्रयोग को सीमित करने के उद्देश्य से सरकार ने प्रशासनिक मन्त्रालयों को उनके अधीन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले दिशा निर्देश जारी करने के लिए कहा है। दिशा निर्देश का सार संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(i) सार्वजनिक प्राधिकरणों के परिसरों के अनधिकृत दखलकारों या अनधिकृत किरायेदारों या उन कर्मचारियों को जो सेवा में नहीं हैं और इस प्रकार सुविधाओं के दखल के लिए पात्र नहीं हैं, पूर्ण रूप से बेदखल करने के लिए लोक परिसर

अधिनियम के उपबन्धों को पूर्ण रूप से प्रयोग में लाया जाय। कानून के आधार पर प्रामाणिक रूप से अनधिकृत हो जाने पर ही अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही आरम्भ की जाय।

(ii) वाणिज्यिक उद्देश्य या अपने स्वयं के कर्मचारियों को बसाने के उद्देश्य से उन परिसरों का जहां परिसर उस मूल किराएदार के कब्जे में है जिसे सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा किराए पर दिया गया था या उन व्यक्तियों द्वारा जिनसे परिसर अधिगृहीत किया गया था, कब्जा लेने के लिए अधिनियम के प्रावधानों को लागू किया जाय।

(iii) किसी परिसर के कानूनी दखल को मात्र किरायेदारी समाप्ति का नोटिस देने या अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किसी संविदागत करार खत्म हो जाने पर अनधिकृत दखलकार न समझा जाय या न माना जाय। साथ ही प्रत्येक राज्य में किराया नियंत्रण अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार सार्वजनिक प्राधिकरण को आवश्यक संशोधन करने या वह कब्जा लेने के लिए किराया नियंत्रण अधिनियम के अधीन प्रामाणिक आधार पर कार्यवाही कर सकता है। दूसरे शब्दों में, किराया नियंत्रण अधिनियम के अधीन निजी मकान मालिकों की तरह सार्वजनिक प्राधिकरणों को प्रामाणिक कानूनी किरायेदारों से निपटने का अधिकार होगा।

(iv) ऐसे आरोपों को बढ़ावा देना जरूरी नहीं है कि किराये में अवांछनीय वृद्धि के प्रयोजन से जानबूझकर बेदखली की गयी है अथवा व्यक्ति या संस्थान विशेष को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किरायेदारों में परिवर्तन की अनुमति दी गई थी ताकि विवेकाधिकारों का दुरुपयोग न किया जा सके। परिसरों को छुड़ाने या किरायेदारी में परिवर्तन के बारे में सार्वजनिक उपक्रम के निदेशक मंडल के स्तर पर निर्णय लिया जाना चाहिए।

(v) सभी सरकारी उपक्रम इन दिशा निर्देशों के संदर्भ में सम्पदा अधिकारी या न्यायालयों के समक्ष सभी विचाराधीन मामलों की तत्काल पुनरीक्षा करेंगे तथा इन दिशा निर्देशों के उपबन्धों से भिन्न आधारों पर प्रामाणिक किराएदारों के विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही वापस लेंगे। इसके बाद लोक परिसर अधिनियम के उपबन्धों का प्रयोग केवल इन मार्ग निदेशनों के अनुसार किया जायेगा।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक में चर्चित विषय

1247. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा।

श्री कोडी कुन्नील सुरेश :

कुमारी पुष्पा देवी सिंह।

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) राष्ट्रीय विकास परिषद् की दिसम्बर, 1991 में आयोजित बैठक में किन-किन विषयों पर चर्चा हुई और उसमें क्या निर्णय लिए गए;

(ख) क्या योजना आयोग का राज्यों को और अधिक वित्तीय सहायता आवंटित करने का विचार है; और

(ग) राज्यों को धनराशि आवंटित करने सम्बन्धी मानदण्ड क्या है ?

योजना और कार्यान्वयन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : (क) राष्ट्रीय विकास परिषद् (एन. डी. सी.) की दिसम्बर, 1991 को हुई 43वीं बैठक में निम्नलिखित विषयो पर विचार-विमर्श किया गया था :

(1) "आठवीं योजना के "उद्देश्यों महत्व और बृहत आयामों" पर दिशात्मक पत्र;

(2) केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं का भविष्य;

(3) आठवी योजना के दौरान राज्यों में केन्द्रीय सहायता और खुला बाजार ऋणों का वितरण; तथा

(4) जनसंख्या नियंत्रण;

(I) परिप्रेक्ष्य और योजना

(II) चुनौतियां एवं कार्यनीतियां बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए :—

(1) आठवीं योजना से सम्बन्धित दिशात्मक पत्र का अनुमोदन किया गया।

(2) यह सहमति व्यक्त की गई कि नरसिंह राव समिति द्वारा यथा प्रस्तावित 113 केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं को वित्तपोषण के लिए केन्द्रीय अंश सहित राज्यो को हस्तांतरित कर दिया जाएगा।

(3) राष्ट्रीय विकास परिषद ने गैर-विकास श्रेणी राज्यों को केंद्रीय सहायता के वितरण के लिए फार्मूले का भी अनुमोदन किया।

(4) राष्ट्रीय विकास परिषद ने जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित दो पत्रों का भी अनुमोदन किया :

(1) परिप्रेक्ष्य और योजना।

(2) चुनौतियां एवं कार्यनीतियां

(ख) उपलब्ध बजटीय समर्थन में से योजना आयोग ने वार्षिक योजना 1962-93 के लिये राज्यों को केन्द्रीय सहायता का आवंटन किया है। राज्यों को और अधिक निधियां आवंटित करने की गुंजाइश नहीं है।

(ग) राज्यों को केन्द्रीय सहायता के वितरण हेतु यथा अनुमोदित फार्मूला नीचे प्रस्तुत किया जाता है :—

1. कुल केन्द्रीय सहायता से विदेशी सहायता प्राप्त स्कीमों के लिए अपेक्षित निधियों का अलग रखना जैसा कि अब किया जा रहा है;

11. शेष राशि में से विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों के लिये समुचित राशि प्रदान करना, जैसे

(क) पहाड़ी क्षेत्र

(ख) जनजाति क्षेत्र

(ग) सीमावर्ती क्षेत्र; तथा

(घ) एन. ई. सी.

111. दस विशेष श्रेणी राज्यों के लिए शेष राशि में से 30 प्रतिशत रखते हुए; और

(Iv) निम्नलिखित मानदंड के अनुसार पन्द्रह गैर विशेष श्रेणी के राज्यों के बीच शेष राशि का आबंटन :—

| | मानदंड | अधिभार (प्रतिशत) |
|---|---|---|
| 1. | जनसंख्या (1071) | 60 प्रतिशत |
| 2. | प्रति व्यक्ति आय जिसमें : | 25 प्रतिशत |
| (क) | विचलन विधि के अनुसार जिसमें केवल वे राज्य आते हैं जिनकी प्रतिव्यक्ति एस डी पी राष्ट्रीय औसत से कम है | 20 प्रतिशत |
| (ख) | "अन्तर" विधि के अनुसार सभी 15 राज्य | 5 प्रतिशत |
| 3. | कार्य निष्पादन | 7.5 प्रतिशत |
| (क) | जिसमें पूर्व गाडगिल फार्मूले में यथापरिभाषित "कर प्रयास के अनुसार | 2.5 प्रतिशत |
| (ख) | पूर्व संशोधित फार्मूले में यथा परिभाषित राजकोषीय प्रबंधन के अनुसार; और | 2.5 प्रतिशत |
| (ग) | राष्ट्रीय लक्ष्यों के बारे में प्रगति के अनुसार | 2.5 प्रतिशत |
| 4. | विशेष समस्याएं | 7.5 प्रतिशत |

राष्ट्रीय प्राथमिकता के निश्चित कार्यक्रमों के बारे में कार्य निष्पादन के मानदण्ड के तहत अनुमोदित कामों में चार लक्ष्य शामिल हैं, जैसे :—

(1) जनसंख्या नियंत्रण (2) निरक्षरता उन्मूलन (3) विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं को समय पर पूरा करना और (4) भूमि सुधार में सफलता।

[अनुवाद]

कृषि भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम

1248. श्री पी. पी. कालियापेरुमल :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अधिशेष घोषित भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम के अंतर्गत अनुमानित अधिशेष भूमि से बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो अनुमानित/घोषित अधिशेष भूमि में अंतर को पूरा करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं अथवा करने का विचार है; और

(ग) भूमि परिसीमन सीमाओं में कमी करने के बारे में राजस्व मंत्रियों के सम्मेलन, 1985 में की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकटस्वामी) : (क) जी हां।

(ख) राज्यों को समय-समय पर सलाह दी गई है कि वे कानूनी खामियों को दूर करें, प्रशासनिक तन्त्र को चुस्त-दुरस्त बनायें तथा भूमि की अधिकतम सीमा कार्यक्रम के कार्यान्वयन में खामियों को समाप्त करें।

(ग) वर्ष 1985 में हुए राजस्व मंत्रियों के सम्मेलन में की गई सिफारिशों को कार्यान्वयन हेतु राज्यों को भेज दिया गया था। तथापि, जून, 1990 में हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन ने इस बात को माना था भूमि की मौजूदा अधिकतम सीमाएं पर्याप्त हैं।

[हिन्दी]

कोयले की उपलब्धता

1249. श्री लक्ष्मीनारायण मणि त्रिपाठी :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इंडिया लिमिटेड के बी.सी.सी.एल. तथा सी.सी.एल. में 31 दिसम्बर तक कुल कितने मीट्रिक टन कोयला उपलब्ध था;

(ख) प्रत्येक खान में कोयले के उपलब्ध भंडार का ब्योरा क्या है; और

(ग) वहां किस-किस श्रेणी के कोयले का भंडार है तथा प्रत्येक खान में, श्रेणी-वार, उसका कुल मूल्य क्या है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस. बी. स्वामीगौड़) : (क) और (ख) 31-12-91 को भा. को. को. लि. और से. को. ली. में कच्चे कोयले का पिटहैड स्टाक की क्षेत्र-वार स्थिति नीचे दी गई है :—

(लाख टन)

| | भा. को. को. लि. (अनंतिम) | | | से. को. लि. (अनंतिम) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | क्षेत्र | पिटहैड स्टाक | | क्षेत्र | पिटहैड स्टाक |
| 1. | बरोरा | 9.76 | 1. | बरकाकाना | 16.33 |
| 2. | ब्लाक-II | 15.69 | 2. | बरगढा | 3.76 |
| 3. | बीविन्दपुर | 11·77 | 3. | एन. के, | 11.70 |
| 4. | कैट. परि. | 1.57 | 4. | राजरा | 0.04 |
| 5. | सी. वी. परि. | 3.08 | 5. | पिपरवार | 1.00 |
| 6. | सील. परि. | 0.25 | 6. | देवनाद | 0.31 |
| 7. | चंच विक्टोरिया | 10.32 | 7. | राजरप्पा | 2 23 |
| 8. | महुदा | 0.51 | 8. | कुजु | 10.20 |
| 9. | कटरास | 1.98 | 9. | हजारीबाग | 6.98 |
| 10. | सिजुआ | 3.31 | 10. | कारगली | 3.48 |
| 11. | कुसुन्डा | 8·27 | 11. | गिरीडीह | 3.82 |
| 12. | बस्ताकोला | 15.28 | 12. | धोरी | 12.76 |
| 13. | लोडना | 4.44 | 13. | कठारा | 10.65 |
| 14. | मोरा | 6.70 | | | |
| 15. | अमलाबाद | 0.02 | | | |
| 16. | सुदामडीह | 0.03 | | | |
| 17. | सूनोडीह | 0·01 | | | |
| 18. | कुस्तोर | 9.61 | | | |
| | जोड़ | 102.(0 | | | 83.65 |

(ग) 31-12-91 को भा. को. को. लि. और से. को. लि. के कच्चे कोयले का पिटहैड स्टाक की श्रेणीवार स्थिति नीचे दी गई है :—

(लाख टन)

(अनंतिम)

31-12-91 को कोयले के स्टाक की स्थिति

| ग्रेड | भा. को. को. लि. | से. को. लि. |
|---|---|---|
| इस्पात-I | 0.06 | — |
| इस्पात-II | 0.32 | — |
| वाशरी-I | 3.47 | 0.59 |
| वाशरी-II | 5.66 | 4.40 |
| वाशरी-III | 17.03 | 10.92 |
| वाशरी-IV | 49.16 | 25.46 |
| | 0.03 | 0 29 |
| ए | — | 7.19 |
| बी | 1.03 | 4.79 |
| सी | 14.81 | 10.76 |
| डी | 2.70 | 18.26 |
| ई | 0.47 | 0.89 |
| एफ | 7.86 | — |
| कम वाष्प शीलता वाला नेचुरल सीफ्ट कोक | — | 0.10 |
| जोड़ | 102.60 | 63.65 |

श्रेणीवार कच्चे कोयले के पिट-हैड मूल्य के आधार पर भा. को. लि. और से. को. लि. के उपर्युक्त स्टाक की अनुमानित कीमत क्रमशः 370 करोड़ रु. और 290 करोड़ रु. होने का अनुमान लगाया गया है।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में इक्विटी शेयर

1250. श्री वी. एस. विजयराघवन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों का ब्यौरा क्या है जिनमें विदेशी कम्पनियों को 51 प्रतिशत इक्विटी शेयर रखने की अनुमति दी गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. चुंगन) : सरकार ने किसी विदेशी कम्पनी को सरकारी क्षेत्र के किसी भी उपक्रम में 51 प्रतिशत सामान्य शेयर रखने की अनुमति नहीं दी है।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा विद्युत चालित इंजनों का निर्माण

1251. श्री सुरेशानन्द स्वामी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान कितने विद्युत चालित इंजनों का निर्माण किया गया; और

(ख) क्या सरकार इन इंजनों का निर्यात करने के बारे में कोई कदम उठा रही है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी. के. चुंगन) : (क) बी.एच.ई.एल. वातानुकूलित और डीजल विद्युत, दोनों प्रकार के लोकोमोटिवों का निर्माण कर रहा है। पिछले तीन वर्षों के दौरान भेल द्वारा निर्मित लोकोमोटिव की कुल संख्या नीचे दी गई है :—

| लोकोमोटिव | 88-89 | 89-90 | 90-91 |
|---|---|---|---|
| वातानुकूलित | 4 | 7 | 12 |
| डीजल विद्युत | 9 | 9 | 12 |

(ख) बी.एच.ई.एल. लोकोमोटिवों के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी के उन्नयन के प्रयास कर रहा है। निर्यात बाजार का पता प्रौद्योगिक उन्नयन के पश्चात लगाया जायेगा।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में औद्योगिक परियोजनाएं

1252. श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1990-91, 1991-92 के दौरान अब तक महाराष्ट्र के लिए स्वीकृत की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या स्वीकृत परियोजनाओं में से किसी परियोजना की पुनः जांच पड़ताल की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) वर्ष 1990-91 में तथा 1 अप्रैल, 1991 से 31 जनवरी, 1992 तक की अवधि के दौरान महाराष्ट्र में औद्योगिक इकाइयां लगाने के लिए क्रमश: 185 तथा 102 आशय पत्र जारी किये गये थे। इसी अवधि के दौरान राज्य में औद्योगिक इकाइयों के लिए क्रमश: 83 तथा 36 औद्योगिक लाइसेंस जारी किये गये थे।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

[हिन्दी]

## एनबीसीसी में काम कर रहे कर्मचारी

1253. श्री राम निहोर राय :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम में काम कर रहे कर्मचारियों की श्रेणी-वार संख्या कितनी है,

(ख) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या कितनी है,

(ग) एन.बी.सी.सी. द्वारा वर्ष 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान देश में तथा विदेश में कितने उप-ठेकेदार नियुक्त किए गए हैं; और

(घ) उनमें से कितने उप-ठेकेदार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के हैं ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख) आवश्यक ब्यौरे संलग्न विवरण पत्र में दिये गये हैं।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

विवरण

| श्रेणी | कुल संख्या | अनु. जाति | अनु. जनजाति |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक | 01 | — | — |
| निदेशक (परियोजना) | 01 | — | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| निदेशक (आयोजना) | 01 | — | — |
| महाप्रबन्धक | 02 | — | — |
| महाप्रबन्धक (ई एण्ड एम) | 01 | — | — |
| मुख्य इंजीनियर | 02 | — | — |
| मुख्य इंजीनियर (ई एण्ड एम) | 01 | — | — |
| मुख्य परामर्शदाता | 01 | — | — |
| कार्यकारी निदेशक (सतर्कता) | 01 | — | — |
| मुख्य परियोजना प्रबन्धक | 23 | 01 | — |
| मुख्य (सिस्टम) | 01 | — | — |
| मुख्य प्रबन्धक (वास्तुकीय) | 01 | — | — |
| परियोजना प्रबन्धक | 30 | 03 | — |
| परियोजना प्रबन्धक (विद्युत) | 01 | — | — |
| परियोजना प्रबन्धक (यांत्रिकी) | 01 | 01 | — |
| प्रबन्धक (वास्तुकीय) | 03 | — | — |
| उप-परियोजना प्रबन्धक (सिविल) | 50 | 05 | — |
| उप-परियोजना प्रबन्धक (विद्युत) | 02 | — | — |
| उप-परियोजना प्रबन्धक (यांत्रिकी) | 04 | — | 01 |
| उप-प्रबन्धक (संरचनात्मक) | 01 | — | — |
| वरिष्ठ वास्तुक | 02 | — | — |
| वरिष्ठ संरचनात्मक इंजीनियर | 03 | — | — |
| रेजिडेन्ट इंजीनियर (सिविल) | 141 | 13 | 01 |
| रेजिडेन्ट इंजीनियर (यांत्रिकी) | 09 | 01 | — |
| रेजिडेन्ट इंजीनियर (विद्युत) | 17 | — | — |
| रेजिडेन्ट इंजीनियर (ई एस) | 02 | — | — |
| रेजिडेन्ट इंजीनियर (सी पी) | 01 | 81 | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| परियोजना परामर्शदाता | 02 | — | — |
| संरचनात्मक इंजीनियर | 03 | — | — |
| वरिष्ठ कोटि इंजीनियर | 01 | — | — |
| वास्तुक | 03 | — | — |
| उप-वास्तुक | 03 | — | — |
| असिस्टेंड इंजीनियर (सी) ग्रेड-I | 114 | 19 | 01 |
| सहायक इंजीनियर (ई) ग्रेड-I | 11 | 01 | — |
| सहायक इंजीनियर (एम) ग्रेड-I | 16 | 01 | — |
| सहायक इंजीनियर (ई एस) | 01 | — | — |
| सहायक इंजीनियर (ई पी) | 01 | — | — |
| प्रबन्ध ट्रेनी (सिविल) | 16 | 01 | — |
| प्रबन्ध ट्रेनी (वास्तुकीय) | 06 | 01 | 01 |
| सर्वेक्षण | 07 | 02 | — |
| सिस्टम विश्लेषक | 02 | — | — |
| वरिष्ठ नियोजक | 02 | 01 | — |
| सहायक नियोजक | 10 | 01 | — |
| सहायक इंजीनियर ग्रेड-II (सिविल) | 219 | 46 | 01 |
| सहायक इंजीनियर ग्रेड-II (यांत्रिकी) | 08 | — | 01 |
| सहायक इंजीनियर (विद्युत) | 08 | 02 | — |
| सहायक इंजीनियर ग्रेड-II (पीएच) | 01 | — | — |
| वास्तुकीय सहायक | 01 | — | — |
| वरिष्ठ ड्राफ्टमैन (संरचनात्मक) | 03 | 01 | — |
| वरिष्ठ ड्राफ्टमैन (सिविल) | 01 | — | — |
| ड्राफ्टमैन (सिविल) | 03 | — | — |
| स्नातक इन्जीनियर (सिविल) | 32 | 10 | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| स्नातक इंजीनियर (विद्युत) | 05 | — | — |
| स्नातक इंजीनियर (यांत्रिकी) | 01 | 01 | — |
| कनिष्ठ इंजीनियर (सिविल( | 70 | 12 | 01 |
| कनिष्ठ इंजीनियर (यांत्रिकी) | 11 | 05 | — |
| कनिष्ठ इंजीनियर (विद्युत) | 22 | 03 | — |
| फारमैन (पी सी) | 01 | — | — |
| वरिष्ठ फारमैन (पी सी) (एस सी) | 02 | — | — |
| वरिष्ठ फारमैन (विद्युत) | 01 | — | — |
| वरिष्ठ फारमैन (यांत्रिक) | 01 | — | — |
| वरिष्ठ फारमैं (सिविल) | 01 | 01 | — |
| फारमैन ग्रेड.1 (सिविल) | 09 | — | — |
| फारमैन ग्रेड-I (यांत्रिक) | 03 | — | — |
| फारमैन ग्रेड-II (सिविल) | 08 | — | — |
| फारमैन ग्रेड-II (यांत्रिक) | 02 | — | — |
| फारमैन ग्रेड-III (सिविल) | 01 | — | — |
| फारमैन (ग्रेडIII (यांत्रिक) | 07 | — | — |
| फारमैन ग्रेड-III (विद्युत) | 01 | — | — |
| फारमैन ग्रेड-IV (सिविल) | 03 | — | — |
| फारमैन ग्रेड-IV (यांत्रिक) | 08 | — | — |
| फारमैन ग्रेड-IV (विद्युत) | 06 | 01 | — |
| फारमैन ग्रेड-V (सिविल) | 07 | — | — |
| फारमैन ग्रेड-V (यांत्रिक) | 02 | — | — |
| फारमैन ग्रेड-V (सिविल) | 06 | — | — |
| फारमैन ग्रेड-VI (सिविल) | 09 | — | — |
| फारमैन ग्रेड-VI (यांत्रिकी) | 03 | — | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| चारमैन ग्रेड-VI (विद्युत) | 01 | — | — |
| वरिष्ठ स्टोरकीपर (एस जी) | 07 | — | — |
| वरिष्ठ स्टोरकीपर | 42 | 08 | 02 |
| स्टोरकीपर | 30 | 04 | — |
| स्टोरकीपर ग्रेड-II | 42 | 01 | — |
| उप-महाप्रबंधक (वित्त) | 01 | — | — |
| मुख्य प्रबंधक (वित्त) | 01 | — | — |
| प्रबंधक (वित्त) | 06 | 01 | — |
| उप-प्रबंधक (वित्त) | 16 | 02 | — |
| सहायक प्रबंधक (वित्त) | 30 | 05 | — |
| लेखा अधिकारी | 41 | 03 | — |
| अधीक्षक लेखा ग्रेड-I | 67 | 07 | 01 |
| अधीक्षक लेखा ग्रेड-II | 44 | 06 | 02 |
| सहायक लेखाकार | 136 | 24 | 05 |
| कार्यालय सहायक ग्रेड-II (लेखा) | 63 | 27 | 03 |
| कार्यालय सहायक ग्रेड-III (लेखा) | 09 | — | — |
| प्रबंधक (कार्मिक) | 01 | — | — |
| प्रबंधक (प्रशासन) | 01 | — | — |
| प्रबंधक (औद्योगिक सम्बन्ध) | 02 | — | — |
| प्रबंधक (प्रशिक्षण) | 01 | — | — |
| उप-प्रबंधक (चिकि) | 01 | — | — |
| उप-कम्पनी सेक्रेटरी | 01 | — | — |
| उप-प्रबंधक (कार्मिक/प्रशासन) | 04 | 01 | — |
| सहायक प्रबंधक (कार्मिक/प्रशासन | 11 | 03 | — |
| प्रशासनिक अधिकारी | 14 | 02 | 01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| कार्यालय अधीक्षक | 28 | 05 | 01 |
| वरिष्ठ निजी सचिव | 03 | — | — |
| निजी सचिव | 14 | — | — |
| रिसैप्शनिस्ट | 01 | — | — |
| कार्यालय सहायक ग्रेड-I (जी) | 49 | 11 | — |
| कार्यालय सहायक ग्रेड-II (हिन्दी) | 03 | — | — |
| कार्यालय सहायक ग्रेड-II (जी) | 39 | 11 | 01 |
| वरिष्ठ आशुलिपिक | 21 | 02 | — |
| कनिष्ठ आशुलिपिक | 11 | — | — |
| कम्प्यूटर आपरेटर | 02 | 01 | — |
| कार्यालय सहायक ग्रेड-III (जी) | 34 | 03 | — |
| कार्यालय सहायक ग्रेड-II (हिन्दी) | 03 | 02 | — |
| सामान्य क्लर्क ग्रेड-III | 43 | 04 | — |
| सामग्री प्रबंधक | 01 | — | — |
| सहायक सामग्री प्रबंधक | 02 | — | — |
| सामग्री अधिकारी | 05 | 02 | — |
| सहायक सामग्री अधिकारी | 10 | 03 | — |
| क्रेन आपरेटर ग्रेड-I | 05 | 01 | — |
| क्रेन आपरेटर | 11 | — | — |
| फिटर स्लिप फार्म ग्रेड-I | 01 | — | — |
| वरिष्ठ स्टाफ कार ड्राइवर | 01 | — | — |
| वरिष्ठ फैरा प्रिन्टर | 01 | — | — |
| स्टाफ कार ड्राइवर (एस जी) | 13 | 01 | — |
| आपरेटर कम मैकेनिक | 04 | — | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| स्टाफ कार ड्राईवर | 19 | 01 | — |
| ड्राईवर ग्रेड-I | 20 | 01 | — |
| ड्राईवर ग्रेड-II | 30 | 04 | — |
| ड्राईवर ग्रेड-III | 09 | — | — |
| वरिष्ठ रोड रोलर ड्राईवर | 01 | — | — |
| रोड रोलर ड्राईवर | 01 | — | — |
| मैकेनिक ग्रेड-I (स्पैशल) | 01 | 01 | — |
| मैकेनिक ग्रेड-I | 21 | 01 | — |
| मैकेनिक ग्रेड-II | 08 | 01 | — |
| मैकेनिक (हैवी अर्थमूविंग ग्रेड-II) | 05 | — | — |
| फिटर स्लिम फार्म ग्रेड-II | 07 | 01 | — |
| फिटर ग्रेड-I | 02 | — | — |
| फिटर ग्रेड-II | 13 | 01 | — |
| आपरेटर (क्रेन) | 01 | — | — |
| आपरेटर (बायबरेटर) | 01 | — | — |
| विच आपरेटर | 01 | — | — |
| आपरेटर (मिक्सर) | 09 | — | — |
| आपरेटर (पम्प) | 01 | — | — |
| आपरेटर स्टेटिक प्लान्ट ग्रेड-I | 17 | 02 | 01 |
| आपरेटर स्टेटिक प्लान्ट ग्रेड-II | 128 | 14 | — |
| आपरेटर स्टेटिक प्लान्ट ग्रेड-III | 13 | 05 | — |
| वरिष्ठ अर्दली (एस जी) | 01 | — | — |
| वरिष्ठ आपरेटर | 04 | — | — |
| आपरेटर ग्रेड-I | 23 | 02 | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| आपरेटर ग्रेड-I (अर्थमूविंग) | 06 | 02 | — |
| वरिष्ठ गेस्टेटनर आपरेटर | 01 | — | — |
| गेस्टेटनर आपरेटर | 03 | 01 | — |
| आटो इलेक्ट्रीशियन ग्रेड-I | 02 | — | — |
| इलेक्ट्रीशियन ग्रेड-I | 14 | — | — |
| इलेक्ट्रीशियन ग्रेड-II | 04 | 01 | — |
| इलेक्ट्रीशियन (पावर) ग्रेड-II | 01 | — | — |
| आपरेटर ग्रेड-II (अर्थमूविंग) | 05 | — | — |
| आपरेटर ग्रेड-II | 19 | 01 | — |
| आपरेटर-ग्रेड-III | 14 | 01 | — |
| वरिष्ठ माली | 01 | — | — |
| इलेक्ट्रीशियन ग्रेड-III | 03 | 01 | — |
| वायर मैन-ग्रेड-I | 12 | — | — |
| लिफ्ट आपरेटर | 02 | 62 | — |
| दफ्तरी (वरिष्ठ) | 07 | 01 | — |
| दफ्तरी तथा चपरासी | 25 | 04 | — |
| हैड चौकीदार | 02 | — | — |
| वरिष्ठ चौकीदार | 32 | 06 | — |
| वरिष्ठ सुरक्षा गार्ड | 01 | — | — |
| वर्क सुपरवाईजर (एस.जी.एम) | 02 | — | — |
| वर्क सुपरवाईजर ग्रेड-I (विशेष) | 02 | — | — |
| वर्क सुपरवाईजर ग्रेड-I (सी) | 30 | 05 | — |
| वर्क सुपरवाईजर ग्रेड-II (ई.) | 01 | — | — |
| वर्क सुपरवाईजर ग्रेड-I (सी.) | 29 | 04 | — |
| वर्क सुपरवाईजर ग्रेड-(ग्रेड-III (सी.) | 19 | 03 | 01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| चपरासी | 90 | 24 | — |
| चौकीदार तथा खलासी | 44 | 06 | — |
| सुरक्षा गार्ड | 205 | 40 | 03 |
| वरिष्ठ सफाई वाला | 02 | 02 | — |
| सफाई वाला | 08 | 08 | — |
| कुक | 01 | — | — |
| हैल्पर | 152 | 36 | 03 |
| हैल्पर (ई. एण्ड एम.) | 63 | 04 | 01 |
| हैल्पर मैक. | 01 | — | — |
| वरिष्ठ हैल्पर | 02 | — | — |
| बन्धनी | 02 | 01 | — |
| मैड एटेन्डेंट | 01 | — | — |
| मलखाज | 01 | 01 | — |
| मलखाज ग्रेड-II | 04 | 01 | — |
| कारपैन्टर ग्रेड-I | 08 | 03 | — |
| बारबैन्डर ग्रेड-II | 02 | — | — |
| बारबैन्डर ग्रेड-III | 09 | 02 | — |
| वैल्डर ग्रेड-I | 01 | — | — |
| वैल्डर ग्रेड-II | 12 | 01 | — |
| वैल्डर ग्रेड-III | 01 | — | — |
| मिस्त्री ग्रेड-I | 04 | — | — |
| मिस्त्री ग्रेड-II | 44 | 09 | — |
| मिस्त्री ग्रेड-III | 01 | — | — |
| टैक्नीशियन ग्रेड-III | 16 | 03 | — |
| टैक्नीशियन ग्रेड-III (बन्धनी) | 04 | — | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| टैक्नीशियनी ग्रेड-IV | 03 | — | — |
| माली | 01 | 01 | — |
| | 3108 | 482 | 32 |
| यूनियन के साथ करार के अनुसार 2.4.91 से डब्ल्यू.ई.एन.एम.आर. से नियमित। उनके अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति के स्तर का अभी पता लगाया जाना है। | (+)45 | | |
| कुल योग : | 3153 | 482 | 32 |

* ये आंकड़े अनन्तिम है चूंकि इसमें नियमित किये गये 1133 कर्मचारियों में से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी शामिल हैं (2.5.90 से 2.4.91 तक) जिनके बारे में उचित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्तर की अलग से जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

त्रिपुरा को चावल, गेहूं और चीनी का आवंटन

1254. श्री जीवन शर्मा।

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत बारह महीनों के दौरान त्रिपुरा को प्रत्येक माह कितना चावल, चीनी और गेहूं आवंटित किया गया;

(ख) क्या वहां पर कार्यरत माफिया गैंग द्वारा इस सप्लाई का अधिकांश भाग को बंगला देश और असम सहित अन्य पड़ोसी राज्यों को तस्करी से जाया गया है;

(ग) यदि हां, तो केंद्रीय सरकार को इन खाद्य मदों की तस्करी के कितने मामलों का पता चला है और उस पर क्या कार्यवाही की गई;

(घ) क्या सरकार का ध्यान 25 दिसम्बर, 1991 के हिन्दुस्तान टाइम्स के सन्डे मैगजीन में "कन्डैम्ड टु लिव" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) और (ग) त्रिपुरा से इन क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुएं भारी मात्रा में भेजे जाने की कोई विशिष्ट रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को जानकारी में नहीं आई है । केंद्रीय सरकार ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध किया है कि वे अनुचित व्यापार पद्धतियों तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं को हेरा-फेरी से खुले बाजारों में भेजे जाने को रोकने के लिये जमाखोरों, कालाबाजारियों तथा अन्य समाज विरोधी तत्वों की धर पकड़ हेतु आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा इसी प्रकार के अन्य कानूनों के उपबंधों को सख्ती से लागू करें । राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अधिकारी उचित दर की दुकानों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की आपूर्ति तथा उपलब्धता और उपभोक्ताओं को उनके वितरण के बारे में नजर रखने के लिए नियमित रूप से उचित दर की दुकानों की जांच करते हैं तथा अचानक दौरा करते हैं । फिर भी त्रिपुरा से बंगला देश की आद्यान्नों की तस्करी के मामलों की वास्तविक संख्या के बारे में सूचना प्राप्त की जा रही है।

(घ) व (ङ) जी हां । इसी प्रकार की रिपोर्टें प्रेस के अन्य वर्गों में प्रकाशित हुई हैं । केंद्रीय सरकार के अधिकारियों का एक अंतरमंत्रालयीय दल इन मामलों पर राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श करने के लिये अगरतला भेजा गया था । राज्य सरकार ने, जो राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है, इन रिपोर्टों का खण्डन किया है । केंद्रीय सरकार त्रिपुरा को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं को आवंटित मात्रा की सुपुर्दगी की निरंतर परिवीक्षा कर रही है ।

विवरण

मार्च, 1991 से त्रिपुरा को चावल, गेहूं तथा लेवी चीनी का आवंटन (माहवार)

(आंकड़े मी. टन में)

| महीना | आवंटन | | |
|---|---|---|---|
| | चावल | गेहूं | लेवी चीनी |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| मार्च, 91 | 12850 | 2500 | 1001 |
| अप्रैल, 91 | 12850 | 2500 | 1001 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| मई, 91 | 22850 | 2500 | 1001 |
| जून, 91 | 12850 | 2500 | 1001 |
| जुलाई, 91 | 12850 | 2500 | 1001 |
| अगस्त, 91 | 15850 | 2500 | 1001 |
| सितम्बर, 91 | 15850 | 2500 | 1001* |
| अक्तूबर, 91 | 16850 | 2500 | 1353 (302 मी. टन का त्यौहार कोटा शामिल है) |
| नवम्बर, 91 | 20850 | 2500 | 1051 |
| दिसम्बर, 91 | 16850 | 2250 | 1051 |
| जनवरी, 92 | 16850 | 2250 | 1001 |
| फरवरी, 92 | 16000 | 2000 | 1051 × |

*अगस्त व सितम्बर, 91 के लिए की गई 5% तदर्थ वृद्धि शामिल है।

× इस महीने के दौरान 50 मी. टन का अग्रिम आवंटन समायोजित किया गया।

[हिन्दी]

इन्सेट-2 ए का प्रक्षेपण

1255. श्री राजेश कुमार :

श्रीमती शीला गौतम :

श्री यशवंतराव पाटिल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्सेट-2-ए का अन्तरिक्ष में प्रक्षेपण का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस उपग्रह को कब तक प्रक्षेपित किया जाएगा;

(घ) क्या सरकार को अभी भी ऐसे उपग्रहों को अन्तरिक्ष में प्रक्षेपित करने के लिये दूसरे देशों की सहायता लेनी पड़ती है; और

(ङ) यदि हां, तो भविष्य में ऐसे उपग्रहों का देश से ही प्रक्षेपण करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ।

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) जी, हां ।

(ख) इन्सेट-2ए उपग्रह को यूटेलसेट संगठन के उपग्रह के साथ दोहरे प्रमोचन संरूपण में एरियन-4 प्रमोचक राकेट द्वारा छोड़ा जाना है । यद्यपि इन्सेट-2ए पूरी तरह तैयार है और इसकी जांच कर ली गयी है, यूटेलसेट अपने उपग्रह को जून 1992 तक ही प्रमोचन के लिए तैयार कर पायेगा । फलस्वरूप इसमें तीन माह का विलम्ब हुआ है । प्रमोचन तारीख का समायोजन दोनों पक्षों के लिये उपयुक्त प्रमोचन तारीख को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा ।

(ग) इन्सैट-2ए उपग्रह अब जून 1992 के के अन्त से पहले छोड़े जाने के लिए निर्धारित है ।

(घ) जी, हां अभी भी भारत के भूतल्यकाली उपग्रहों को अन्य देशों से वाणिज्यिक रूप में उपलब्ध प्रमोचक राकेटों के उपयोग द्वारा छोड़ा जा रहा है ।

(ङ) भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने भूतुल्यकाली उपग्रह प्रमोचक राकेट (जी.एस.एल.वी.) के लिए एक विकास कार्यक्रम शुरू किया है । जी.एस.एल वी. की जांच उड़ान के 1995-96 के समय ढांचे में किए जाने की सम्भावना है तथा इसके सफल विकास के बाद इन्सैट-2 श्रेणी के उपग्रहों को स्वयं भारत से ही छोड़ा जा सकेगा ।

[अनुवाद]

शहरी क्षेत्रों में पेय-जल सुविधाएं प्रदान करना

1256. श्री चन्द्रजीत यादव :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की सम्पूर्ण शहरी आबादी को पेय जल की सुविधाएं प्रदान करने के लिये कोई समयबद्ध कार्यक्रम शुरु करने पर सरकार विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजनार्थ कोई दीर्घावधि योजना तैयार की गई; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और इस परियोजना पर कितनी लागत आने का अनुमान है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जल आपूर्ति राज्य का विषय है । शहरी इलाकों में जनसाधारण के लिए स्वच्छ तथा पर्याप्त पेय जल की व्यवस्था करना राज्य सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों का उत्तरदायित्व है । आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए प्रस्ताव में शहरी जल आपूर्ति के 100% लाभान्वयन की अनुशंसा कार्य दल ने योजना आयोग को की है ।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विकास

1257. श्री पवन कुमार बांसल :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास का कार्य मूलत: निर्धारित गति से नहीं किया गया; और

(ख) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उक्त योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) यह एक तथ्य है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास पर कार्य की प्रगति अभी तक बुरी तरह से प्रभावित हुई है।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए प्रस्तावों की मुख्य-मुख्य बातों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

| | स्टेट सेक्टर | रु. करोड़ों में |
|---|---|---|
| 1. | भूमि अधिग्रहण तथा विकास निम्न के लिए | |
| | (क) आवासीय उपयोग \| | 648.00 |
| | (ख) आर्थिक कार्यकलाप \| | |
| 2. | उप-क्षेत्रीय केन्द्रों का विकास | 66.00 |
| 3. | काऊंटर मैगनेट क्षेत्रों का विकास | 100.00 |
| 4. | ब्याज दर अन्तरालों को कम करना | 10.00 |
| 5. | योजना कार्यान्वयन हेतु सांस्थानिक सुदृढ़ीकरण | 5.00 |
| 6. | क्षेत्रीय सड़कों का उन्नयन (भीतरी तथा बाहरी रिंग) | 176.00 |
| 7. | पावर विकास | (विचार-विमर्श के अधीन) |

| | | |
|---|---|---|
| 8. | डी.एम.ए, तथा प्राथमिकता नगरों में सहरी अवसंरचना का संवर्धन और पुनर्वास | 111.00 |
| | योग : रु. | 1116.00 करोड़ |

केन्द्रीय सेक्टर

| | (रु. करोड़ों में) |
|---|---|
| राष्ट्रीय राजमार्ग (भूतल परिवहन मंत्रालय) | 259.00 |
| एक्सप्रेसवे (भूतल परिवहन मंत्रालय) | 95.00 |
| रेलवेज (रेल मंत्रालय) | 443.00 |
| दूर-संचार (दूरसंचार विभाग) | |
| (क) एन.सी.आर के भीतर | 375.00 |
| (ख) काऊंटर-मैगनेट क्षेत्र | 155.00 |
| योग : रु. | 1327.00 करोड़ |

दिल्ली विकास प्राधिकरण का पुनर्संरचना

1258. श्री भुवन चन्द्र खंडूरी :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण रोहिणी जो दिल्ली की सबसे बड़ी आवासीय कालोनियों में से एक है, में फ्लैटों के निर्माण, पक्की सड़कों के निर्माण तथा मल-जल निकासी लाइन बिछाने के प्रति बहुत उदासीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस कालोनी के निवासियों से प्राप्त हो रही शिकायतों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और निवासियों की शिकायतों को दूर करने हेतु किए जाने वाले उपचारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण रोहिणी में विकास कार्य के प्रति उदासीन नहीं है। तथापि, भूमि की अनुपलब्धता, संसाधनों की

कमी और जलपूर्ति तथा मलजल से सम्बन्धित नगर निकायों द्वारा बड़ी लाइनों के अधसंरचना विकास की धीमीगति जैसी रुकावटों के कारण रोहणी के निवासियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

(ख) सरकार ने, दिल्ली विकास प्राधिकरण को उनके मकान निर्माण कार्यक्रमों को न केवल रोहणी में बल्कि उनके समस्त चालू तथा भविष्य के कार्यों को दिल्ली नगर निगम द्वारा अधसंरचना के प्रावधान के साथ जोड़ने की सलाह दी है।

सहकारी आवास समितियों को भूमि का आवंटन

1259. श्री प्रवीन डेका :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986 से अभी तक, वर्ष-वार, कितनी सहकारी सामूहिक आवास समितियों को भूमि आवंटित की गई हैं;

(ख) क्या इनमें से कुछ समितियों को बिना बारी के आवंटन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) दिल्ली में अभी कितनी सहकारी सामूहिक आवास समितियों को भूमि का आवंटन किया जाना शेष है; और

(ङ) क्या सरकार ने न्यायोचित समयावधि में भूमि आवंटित करने की कोई विशिष्ट योजना बनाई है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) 1986 से 1990 तक, किसी सहकारी सामूहिक आवास समिति को भूमि का आवंटन नहीं किया गया था। जनवरी, 1991 में 227 सामूहिक आवास समितियों को आवंटन एवं मांग पत्र जारी किए गए थे। तथापि ये आवंटन दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा तारीख 10-6-91 के आदेश के माध्यम से रद्द कर दिए गए थे। उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में एक विशेष छूट याचिका दायर की गई है तथा यह मामला न्यायाधीन है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) आज की स्थिति के अनुसार 1450 सामूहिक आवास समितियां भूमि आवंटन की प्रतीक्षा कर रही हैं।

(ङ) आठवीं योजनावधि के दौरान 400 सामूहिक आवास समितियों को द्वारका और नरेला में भूमि आवंटित किये जाने की आशा है।

औषध मूल्य नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत आने वाली दवाएं

1260. श्री मारप्पे गोवर्धन :

श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :

श्री अशोक आनंद राव देशमुख :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय औषध मूल्य नियंत्रण आदेश के दायरे में कौन-कौन सी दवायें आती हैं,

(ख) क्या सरकार का औषध नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत आने वाली कतिपय दवाओं पर से नियंत्रण हटाने का विचार है,

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(घ) क्या सरकार का नई औषध नीति के अन्तर्गत यह आदेश समाप्त करने का विचार है, और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा. चिन्ता मोहन) : (क) इस समय 143 *प्रमुख औषधें मूल्य नियंत्रण के अधीन हैं।*

(ख) से (ङ) डीपीसीओ, 1987 सहित औषध नीति, 1986 की इस समय समीक्षा की जा रही है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश कम करना

1261. श्री अजय मुखोपाध्याय :

क्या प्रधान मंत्री मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बहुत से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश कम करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) से (ग) वर्ष 1991-92 के बजट में की गई घोषणा के अनुसार संसाधन जुटाने तथा जनता की व्यापक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिये, सरकार ने सरकारी क्षेत्र के चुनिंदा उद्यमों में अपनी शेयरधारिता का एक भाग सरकारी क्षेत्र के पूंजीनिवेश संबंधी संस्थाओं तथा पारस्परिक निधियों को बेचने का निर्णय किया है। वर्ष 1991-92 के लिये 2500 करोड़ रुपये के निर्धारित लक्ष्य की तुलना में 30 कम्पनियों के करीब 8% शेयर सरकारी क्षेत्र की पूंजी निवेश संबंधी संस्थाओं, पारस्परिक निधियों/व्यापारिक बैंकों (मर्चेन्ट बैंक) को बेचे गए हैं और 3038 करोड़ रुपए प्राप्त किए गए हैं।

## मुंबई शहर की समस्यायें

1262. श्री प्रफुल्ल पटेल :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुंबई की बढ़ती जनसंख्या का जलापूर्ति, सड़क यातायात, आवास पर्यावरण, सफाई और स्वास्थ्य जैसी आधारभूत सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या नवें वित्त आयोग ने मुंबई शहरी की समस्याओं के समाधान के लिए विशेष सिफारिश की है;

(ग) क्या सरकार ने शहर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्ष 1991-92 के लिए अनुदान के प्रस्ताव को अन्तिम रुप दे दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) 9वें वित्त आयोग द्वारा बम्बई में आवश्यक मूलभूत सुविधाएं और अनिवार्य नागरिक सेवाओं की व्यवस्था के लिए 50 करोड़ रुपये राशि की स्वीकृति की है।

(ग) और (घ) शहरों और कस्बों का विकास राज्य का विषय है। कुछ विशेष मामलों में जहां शहर की वास्तविक स्थिति शीघ्र कार्रवाई का औचित्य प्रमाणित करती है केन्द्र सरकार वहां पर बहुत सीमित तरीके से सहायता की व्यवस्था करती है। शहरी क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिये निधियां सम्बन्धित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर उनके वार्षिक योजना स्कीमों के अन्तर्गत योजना आयोग के माध्यम से राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को दी जाती हैं। यह बम्बई शहर के लिए भी लागू होता है।

## कोयले के मूल्यों में वृद्धि

1263. श्री मोहन सिंह :

श्री सुधीर गिरि :

श्री जार्ज फर्नान्डीज :

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :

क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सारकार द्वारा हाल ही में विभिन्न किस्म के मूल्यों में की गई वृद्धि की प्रतिशतता क्या है; और इस क्या कारण हैं; और

(ख) सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उपभोक्ताओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और उत्पादन लागत में कुल कितनी वृद्धि होने का अनुमान है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) दिनांक 28-12-1991 से कोयले के मूल्यों म संशोधन किये जाने से कोल इंडिया लि. द्वारा उत्पादित कोयले के औसत पिट-हैड मूल्यो मे 29.3% और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. द्वारा उत्पादित पिट हैड कोयले के मूल्य में 30.6% की वृद्धि हुई है। मजदूरी और अन्य आगतों की लागत में हुई वृद्धि को पूरा किए जाने के लिये कोयले के मूल्यों में संशोधन किया गया है।

(ख) दिनांक 28-12-1991 से कोयले के मूल्यों में वृद्धि होने के कारण, कोयला उपभोग के तीन प्रमुख क्षेत्रों की उत्पादन लागत में हुई अनुमानित वृद्धि नीचे दी गई है :—

| | को. इं. लि. कोयला | सिं. को. कं. लि. कोयला |
|---|---|---|
| विद्युत (पैसे/कि.वा.घ.) | 5 | 6.48 |
| इस्पात (रु./टन) | 250.50 | — |
| सीमेंट (रु./टन) | 18.25 | 22.75 |

[हिन्दी]

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का कोटा

1264. श्री भेरू लाल मीणा : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियो के लिए निर्धारित आरक्षित कोटे को भरा गया है;

(ख) यदि हां, तो जुलाई, 1991 से कितने लोगों की भरती की गई है;

(ग) क्या 1991 तक निर्धारित आरक्षित कोटे को भरा गया है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस समय अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कितने व्यक्ति कार्य कर रहे है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) जी, नहीं।

(ख) भेल ने जुलाई, 1991 से दिसम्बर, 1991 की अवधि में 345 व्यक्ति भर्ती किए हैं। इनमें से, 119 व्यक्ति, अर्थात् लगभग 34.5 प्रतिशत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) भेल में कार्यरत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या यथा 31-12-1991 को 12,756 है।

[अनुवाद]

रुग्ण एककों के बारे में मजदूर संघों के साथ चर्चा

1265. श्री हारावन राय :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार रुग्ण सार्वजनिक क्षेत्र के एककों को औद्योगिक वित्त और पुनर्निर्माण ब्यूरो को सौंपने से पहले इनके मजदूर संघों और स्थानीय जन प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार की कोई चर्चा की गयी थी;

(ग) यदि हां, तो यह चर्चा जहां की गयी थी उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. चुंगन) : (क) से (घ) श्रम मंत्रालय ने एक विशेष त्रिपक्षीय समिति गठित की है जिसमें केन्द्रीय मजदूर संघ संगठनों, नियोक्ता संगठनों तथा केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि शामिल हैं। इस समिति ने अपनी पहली बैठक 21.12.1991 को आयोजित की जिसमें यह निर्णय किया गया था कि यह समिति लम्बे समय से रुग्ण चले आ रहे एककों के पुनर्स्थापन के लिए सामान्य सिद्धांतों पर विचार करेगी तथा उन उद्योगों में कार्यरत कामगारों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी तथा जिन औद्योगिक समितियों में रुग्ण एककों की संख्या अधिक है उनका पुनरुद्धार किया जाना चाहिये। 20.1.92 को आयोजित दूसरी बैठक में यह निर्णय किया गया था कि विभिन्न उद्योगों से सम्बन्धित पुनर्गठित औद्योगिक समितियां नामत: कपड़ा, पटसन, विद्युत उत्पादन, सड़क परिवहन, इंजीनियरी तथा रसायन-संबद्ध उद्योगों में रुग्ण एककों की एकबार समीक्षा करेंगी तथा उपयुक्त उपचारी उपाय निर्धारित करेंगी। रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अनुसार सभी रुग्ण कम्पनियों को औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड को भेजना एक स्वत: प्रक्रिया है। बहरहाल, भिन्न-भिन्न पुनर्गठित औद्योगिक समितियों/विशेष त्रिपक्षीय समिति तथा औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड द्वारा रुग्ण एककों के बारे में विचार करना अपने आप में एकमात्र उपाय नहीं है।

[हिन्दी]

कम कीमत वाले पर्सनल कम्प्यूटरों का निर्माण

1266. श्री सूर्यनारायण यादव :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में कम कीमत वाले पर्सनल कम्प्यूटरों का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो उनकी कीमत कितना होगा और क्या सरकार का विचार इन कम्प्यूटरों का निर्यात करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) इलेक्ट्रानिकी विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण के अन्तर्गत इलेक्ट्रानिक्स ट्रेड एण्ड टेक्नोलाजी डेवलेपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड नामक एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा कम कीमत वाले वैयक्तिक कम्प्यूटरों का विनर्माण करने का प्रस्ताव है ।

(ख) और (ग) ई टी एण्ड टी ने कम कीमत वाले जिन वैयक्तिक कम्प्यूटरों के विनिर्माण का प्रस्ताव किया है उन की कीमत बाजार में विद्यमान कीमतों की अपेक्षा 15 से 20 प्रतिशत कम होने की संभावना है । ई टी एण्ड टी इन कम्प्यूटरों का निर्यात करने की सम्भावनाओं का पता लगाने का भी विचार कर रही है ।

[अनुवाद]

**लक्षद्वीप में खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा रोजगार दिया जाना**

1267. श्री पी. एम. सईद :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी ग्रामोद्योग आयोग ने लक्षद्वीप में शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कोई प्रस्ताव तैयार किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इससे अब तक कितने बेरोजगार व्यक्तियों के लाभान्वित होने की सम्भावना है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) और (ख) विशेष रूप से ऐसा कोई प्रस्ताव खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा तैयार नहीं किया गया है । क्योंकि राज्य स्तर पर कार्यक्रम राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं, अतः आयोग ने लक्षद्वीप खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड से लक्षद्वीप में शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों के लाभ के लिए खादी और ग्रामोद्योग कार्यक्रम चलाने के लिए उपयुक्त कार्यान्वयन अभिकरणों का पता लगाने का अनुरोध किया है ।

**बेरोजगार ड्राफ्टर**

1268. श्री मोहन रावले :

क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1991 की स्थिति के अनुसार मुंबई के विशेष संदर्भ में महाराष्ट्र के रोजगार कार्यालय में कितने स्नातक और स्नातकोत्तर ड्राफ्टर दर्ज हैं; और

(ख) इस संख्या में प्रतिवर्ष कितनी वृद्धि होती है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घटोवर) : (क) 30 जून, 1990 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र और बम्बई के रोजगार के चालू रजिस्टर पर नौकरी चाहने वाले स्नातक एवं स्नातकोत्तर डाक्टरों की संख्या (अद्यतन उपलब्ध) निम्न प्रकार है :—

| | चालू रजिस्टर पर संख्या (हजारों में) |
|---|---|
| महाराष्ट्र | 3.95 |
| बम्बई | 0.70 |

(ख) महाराष्ट्र और बम्बई के रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर पिछले पांच वर्षों के लिए नौकरी चाहने वाले स्नातक एवं स्नातकोत्तर डाक्टरों की संख्या निम्न प्रकार है :—

| के अन्त में | हजारों में संख्या | |
|---|---|---|
| | महाराष्ट्र | बम्बई |
| 1985 | 3.51 | 0.58 |
| 1986 | 4.46 | 0.74 |
| 1987 | 3.79 | 0.61 |
| 1988 | 3.82 | 0 64 |
| 1989 | 3.79 | 0.63 |
| 19·0 (जून) | 3.95 | 0.70 |

### पिछड़े क्षेत्रों का विकास केन्द्र

1269. श्री सी. पी मुदालगिरिप्पा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए कितने विकास केन्द्रों को चुना गया है;

(ख) इन केन्द्रो के चयन के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं;

(ग) इन विकास केन्द्रों में उद्योग विकसित करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है, और

(घ) इन केन्द्रों को कितनी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री ( प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) विकास केन्द्र योजना के अन्तर्गत विकसित किये जाने वाले प्रस्तावित सत्तर विकास केन्द्रों में से 64 विकास केन्द्रों का चयन कर लिया गया है और उनकी घोषणा कर दी गई है।

(ख) इन विकास केन्द्रों के चयन हेतु विस्तृत मापदण्ड 1991 की जनगणना के अनुसार इस प्रकार हैं; ये विकास केन्द्र 25 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की सीमा से 50 कि. मी. के भीतर, 15 लाख से अधिक परन्तु 25 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों की सीमा से 30 कि. मी. के भीतर और 7.5 लाख किन्तु 15 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों की सीमा से 15 कि मी. के भीतर नहीं होंगे। ये विकास केन्द्र जिला/उप-मण्डल/ब्लाक/तालुक मुख्यालयों अथवा विकासशील शहरी केन्द्रों के नजदीक स्थापित होंगे और ये बुनियादी सुविधाओं के दायरे में होंगे।

(ग) और (घ) इस योजना के तहत चुने गये विकास केन्द्रों को विशेषत: बिजली, दूर-संचार पानी तथा बैंकिंग सम्बन्धी बुनियादी सुविधायें दी जायेंगी ताकि ये केन्द्र उद्योगों को आकर्षित कर सकें। 10 विकास केन्द्रों के सम्बन्ध में परियोजना रिपोर्टों का अनुमोदन कर दिया गया है और 15 करोड़ रु. की केन्द्रीय सहायता दे दी गई है। यह योजना आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वित की जायेगी।

चावल की भूसी से तेल बनाने वाले कारखानों की स्थापित क्षमता

1270. श्री बी. देवराजन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: :

(क) देश में चावल की भूसी से तेल का उत्पादन करने के लिए स्थापित कारखानों की कुल स्थापित क्षमता कितनी है;

(ख) वर्ष 1988 से 1990 तक चावल की भूसी से कुल कितनी मात्रा में तेल का उत्पादन हुआ ;

(ग) क्या चावल की भूसी से तेल बनाने वाली कम्पनियां सरकार से प्रोत्साहन के अभाव में बन्द होने के कगार पर हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और उस बारे में क्या उपचारात्मक कदम उठाये गए हैं ने

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री क्रमालुद्दीन अहमद) : (क) खाद्य ग्रेड चावल की भूसी के तेल का उत्पादन करने वाली परिष्करण शालाओं की कुल संस्थापित क्षमता प्रतिवर्ष 5 लाख मी. टन के लगभग है।

(ख) तेल वर्ष (नवम्बर से अक्तूबर) 1988-89 से 1990-91 के दौरान उत्पादित चावल की भूसी के तेल की कुल मात्रा निम्नवत है :—

| वर्ष | लगभग लाख मी. टन में चावल की भूसी के तेल का उत्पादन |
|---|---|
| 1988-89 | 3.16 |
| 1989-90 | 3.49 |
| 1990-91 | 3.57 |

(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

[हिन्दी]

यमुना नदी के तटों का विकास

1272. श्री राम बदन ।

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या यमुना नदी के तटों के विकास के लिए 1987-88 में शुरू की जाने वाली योजना को इस बीच स्थगित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इस योजना को कार्यान्वित करने में कौन सी बाधाएं सामने आ रही हैं और इस योजना का कार्य कब से शुरू हो जाने की संभावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम्) : (क) जी, नहीं ।

(ख) ऊपर (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) यमुना नदी के तट का विकास करने के लिए विनिर्दिष्ट भूमि के एक भाग में कार्य प्रगति पर है ।

पानी छोड़े जाने के विभिन्न अवसरों के दौरान नदी के बहाव का अध्ययन कार्य हाथ में लिया गया है । किसानों द्वारा अड़चनें डालने के अलावा अदालत से स्थगन आदेश भी है । बाकी बचे क्षेत्र के बारे में विकास कार्य, अध्ययन के परिणाम उपलब्ध हो जाने तथा सब अड़चनों के हट जाने के बाद ही हाथ में लिया जा सकता है ।

[अनुवाद]

कोल इण्डिया लि. के कर्मचारियों द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्त

1273. श्री शिवाजी पटनायक :

क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक कोयला कम्पनी में गत तीन वर्षों के दौरान एन. सी. डब्लू. ए.-iV के खण्ड 943 के अन्तर्गत कुल कितने कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन किया है;

(ख) प्रबंध मंडल ने इन आवेदन पत्रों को स्वीकार करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनायी है ;

(ग) क्या इस खण्ड को और आगे कार्यान्वयन न करने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कोयला मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) से (घ) इस सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् में वैज्ञानिकों की भर्ती की "क्विक हायर" (प्रणाली) योजना

1274. डा. देबी प्रसाद पाल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने अपने अधीन भारत की विभिन्न प्रयोगशालाओं में तदर्थ आधार पर युवा वैज्ञानिकों की भर्ती के लिए "क्विक हायर" योजना प्रारंभ की है;

(ख) क्या ऐसे वैज्ञानिकों को इन प्रयोगशालाओं में नियमित रूप से ले लिया जाता है; और यदि हां, तो कितने समय बाद;

(ग) क्या उनकी वरिष्ठता, वेतन वृद्धि, प्रोन्नति उद्देश्यों के लिए नियमित रूप से उनके रखा लिये जाने के पूर्व की उनकी तदर्थ सेवा का जोड़ा जाता है; और

(घ) राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नई दिल्ली, राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, पुणे और राष्ट्रीय महासागर विज्ञान संस्थान, गोआ में "क्विक हायर" योजना के अन्तर्गत इस समय कितने वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) तीन वर्षों से कम अवधि के लिए संविदागत आधार पर युवा वैज्ञानिकों को भर्ती करने के

लिए सी एस आई आर की विभिन्न प्रयोगशालाओं में सीएसआईआर की "विवक हायर प्रणाली" योजना चल रही है।

(ख) जी नहीं। नियमित आधार पर वैज्ञानिकों के स्वतः आमेलन के लिए इस योजना में कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, नियमित आधार पर इन वैज्ञानिकों को नियुक्त करने के लिए कोई रुकावट नहीं है, यदि उनका चयन खुले विज्ञापित पदों पर विधिवत गठित चयन समिति द्वारा किया गया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) इस योजना के अन्तर्गत इन तीन प्रयोगशालाओं में कार्यरत वैज्ञानिकों की संख्या क्रमशः छः (6), आठ (8) और एक (1) है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

1275. श्री हरिकेवल प्रसाद :

(क) उत्तर प्रदेश के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इनमें से प्रत्येक उपक्रम का लाभ और हानि का ब्यौरा क्या है और सरकारी क्षेत्र के कितने उपक्रम घाटे के कारण बन्द कर दिए गए हैं;

(ग) इन एककों की रुग्णता के क्या कारण है और उन्हें अर्थक्षम बनाने के लिए क्या कदम उठाये गए है;

(घ) क्या सरकार का विचार कामगारों/कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने का है; और

(ङ) उत्तर प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के नये उपक्रमों की स्थापना सम्बन्धी प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. घुगन) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के जिन उपक्रमों के पंजीकृत कार्यालय उत्तर प्रदेश में स्थित है, उनका ब्यौरा तथा विगत तीन वर्ष के दौरान उनमें से प्रत्येक द्वारा उठाए गए लाभ/हानि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। फिलहाल ऐसे किसी उपक्रम को बंद नहीं किया गया है अथवा बंद किए जाने का प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) क्षमता का कम उपयोग तथा आवश्यकता से अधिक श्रमशक्ति उनकी रुग्णता के प्रमुख कारण हैं। उनके पुनर्वीकरण हेतु प्रत्येक संबद्ध प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा समुचित कार्रवाई की जा रही है जो उद्यम-दर-उद्यम भिन्न-भिन्न होती है। राष्ट्रीय नवीकरण कोष के जरिए श्रमिकों/कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जाएगी। किसी स्थान-विशेष पर सरकारी क्षेत्र के एककों की स्थापना तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता तथा सुविधाओं की उपलब्धता पर निर्भर करती है।

विवरण

(लाख रुपयों में)

| क्रम सं. | सरकारी क्षेत्र के उद्यम का नाम | वर्ष के दौरान निवल लाभ/हानि | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1989-90 | 1988-89 | 1987-88 |
| 1. | भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम | —166 | —193 | —198 |
| 2. | भारत इम्यूनोलाजिकल एण्ड बायोलाजिकल्स कारपो. लि | 0 | 0 | 0 |
| 3. | भारत लेदर कारपोरेशन लि. | —82 | —51 | —88 |
| 4. | भारत पम्प्स एण्ड कम्प्रेसर्स लि. | —919 | —2616 | —873 |
| 5. | भारत यंत्र निगम लि. | 1 | 1 | 1 |
| 6. | ब्रिटिश इंडिया कारपो. लि. | —1566 | —180 | 78 |
| 7. | ब्रुशवेयर लि. | —2 | 0 | 1 |
| 8. | कानपुर टेक्सटाईल लि. | —362 | —505 | —884 |
| 9. | एक्सिन मिल्स कम्पनी लि. | —3062 | —3107 | —2179 |
| 10. | इंडियन मेडीसिन्स फार्मास्युटिकल्स लि. | 10 | 17 | 17 |
| 11. | राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लि. | 129 | 23 | 76 |
| 12. | नेटेका (उत्तर प्रदेश) लि. | —2948 | —3048 | —3087 |
| 13. | तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग | 162384 | 60158 | 150753 |
| 14. | स्कूटर्स इंडिया लि. | —4289 | —3721 | —2712 |
| 15. | टेनरी एण्ड फुटवियर कारपो. आफ इंडिया | —1610 | —1404 | —1069 |
| 16. | विदेशी स्ट्रक्चरल्स लि. | —442 | —282 | —470 |
| 17. | उत्तर प्रदेश ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि. | —128 | —47 | —27 |

कोयले के मूल्य पर रायल्टी तय करना

1276. श्री भीमेन्द्र झा :

श्री हरि किशोर सिंह :

श्री गोविन्दराव निलकण्ठ :

क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार तथा अन्य राज्यों द्वारा कोयले के भार को अपेक्षा मूल्य पर रायल्टी तय करने तथा उसे समान भाड़ा नीति से अलग करने हेतु की जा रही मांगों को कब तक लागू किया जाएगा;

(ख) इसका केन्द्र सरकार तथा राज्यों पर क्या वित्तीय प्रभाव पड़ेगा ?

कोयला मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) कोयले पर भाड़े को समान किए जाने के सम्बन्ध में कोई योजना नहीं है अतः इसको समाप्त किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि जून के उपरान्त कोयले पर रायल्टी की दरों में ऊपरी और संशोधन किए जाने के किसी भी प्रस्ताव पर केवल जुलाई, 1994 के बाद ही विचार किया जाएगा क्योंकि अगला संशोधन देय होगा।

(ख) असम और पश्चिमी बंगाल को छोड़कर बाकी सभी राज्यों के लिए कोयले पर रायल्टी की दरें 1.8.1991 से संशोधित करके औसतन 5.30 रुपए प्रति टन से बढ़ाकर औसतन 70.00 रुपए प्रति टन कर दी गई है। इस संशोधन का संघ सरकार के राजस्व पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा। तथापि एक राज्य सरकार को कोयले से प्राप्त कुल संशोधित राजस्व, संशोधित पूर्व राजस्व से कम या अधिक हो सकता है जो कि इस बात पर निर्भर करेगा कि पूर्व की उनकी उपकर की दरें और रायल्टी की दरें मिलाकर रायल्टी की संशोधित दरों से कम अथवा अधिक थीं।

## लीज प्रणाली को समाप्त करना

1277. श्री जनार्दन मिश्र :

श्री गुरुदास कामत :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली में लीज प्रणाली को समाप्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में अब तक कोई निर्णय ले लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं; तथा यह निर्णय कब तक लिये जाने की सम्भावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ग) दिल्ली में भू-धारणाधिकार की लीज होल्ड पद्धति को फ्रीहोल्ड में परिवर्तन करने के लिए विस्तृत आदेश 14-2-92 को जारी किए गए हैं। आदेश की एक प्रति सभा पटल पर प्रस्तुत की जाएगी। आदेशों की मुख्य विशेषताएं संलग्न विवरण में दी गई हैं।

## विवरण

दिल्ली में भू-धारणाधिकार की लीज होल्ड पद्धति के परिवर्तन सम्बन्धी आदेशों की मुख्य विशेषताएं निम्नांकितानुसार हैं :—

1. स्वीकृति उन लोगों के लिए प्रयाज्य होगी, जो रिहायशी है तथा वहां बृहद् योजना में भूमि उपयोग रिहायशी है।

2. यह 500 वर्गमीटर तथा उससे कम के इमारतदार भूखंडों, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आबंटित किए गए फ्लेटों और टेनेमेंटों, पुनर्वास विभाग भूमि और विकास कार्यालय द्वारा आबंटित टेनामेंटो तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा लीज पर दी गई भूमि पर सामूहिक आवास समितियों द्वारा बनाए गए फ्लेटो पर लागू होगा।

3. भूखंडों के मामले में एक बार का परिवर्तन शुल्क देय होगा। भूखंडों के मामले में यह यथासूचित भूमि दरों से सम्बद्ध फार्मूले के अनुसार होगा। फ्लेटो के मामले में यह फ्लेट का श्रेणी तथा जोन जिसमें फ्लेट है, पर निर्भर करता है।

4. आवेदकों को इस आशय का एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि किसी प्रकार का अनधिकृत निर्माण नहीं है।

5. उन मामलों में, जहां मकान के एक भाग का गैर-रिहायशी प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता है, अतिरिक्त परिवर्तन शुल्क देय होगे जो गैर-रिहायशी उपयोग के अन्तर्गत क्षेत्र के लिए, सामान्य परिवर्तन शुल्क के तीन गुणा होंगे।

6. उन मामलों में परिवर्तन की अनुमति होगी, जिनमें सम्पत्ति हस्तांतरण मुक्तारनामे पर किया गया है बशर्ते कि, प्रार्थी के पास पट्टाधारी से सम्पत्ति के हस्तांतरण के लिए समुचित मुक्तारनामा है तथा सम्पत्ति प्रार्थी के कब्जे में हैं। ऐसे मामलों में परिवर्तन शुल्क पर 33-1/3%. अतिरिक्त अधिभार देय होगा।

7. लीजों को प्रशासित करने वाले अभिकरण आदेशों के कार्यान्वयन के लिए कृपात्मकताएं निर्दिष्ट करते हुए 60 दिन के भीतर सार्वजनिक सूचना जारी करेंगे।

8. फ्लेटों के भावी आबंटन के मामले में आबंटन फ्री-होल्ड आधार पर होगा तथा भूखंडों के मामले में प्रारंभिक आवटन लीज होल्ड आधार पर होगा तथा स्थानीय निकाय से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाने के पश्चात् ही सम्पत्ति को फ्री होल्ड में परिवर्तन की अनुमति दी जाएगी।

[अनुवाद]

## केन्द्रीय सेवाओं में आंध्र प्रदेश का प्रतिनिधित्व

1278. डा. वाई. एस. राजशेखर रेड्डी :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1 जनवरी, 1992 को आंध्र प्रदेश से आई. ए. एस., आई. पी. एस., आई. एफ. एस. और आई. ए. ए. एस. की सेवाओं में आंध्र प्रदेश का प्रतिनिधित्व कितने प्रतिशत है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा)। भारतीय प्रशासनिक सेवा में 5.6 प्रतिशत अधिकारी ऐसे हैं जिनका गृह राज्य आन्ध्र प्रदेश है। अन्य तीन सेवाओं में आन्ध्र प्रदेश से अधिकारियों के प्रतिनिधित्व के बारे में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। यह सूचना एकत्र की जाएगी तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

## ओवरसीज डेवलपमेन्ट आथारिटी स्कीम

1279. श्री महासमुद्रम गणेन्द्र रेड्डी :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के चित्तूर और पुंगनूर नगर पालिकाओं को ओवरसीज डेवलपमेंट आथारिटी स्कीम में शामिल करने के कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम. अरुणाचलम ) : (क) जी, हां। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के प्रस्ताव प्राप्त हुये थे।

(ख) चित्तूर और पुंगनूर नगरपालिकाओं के लिये कोई विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी। राज्य सरकार को सूचित किया गया है कि हैदराबाद, विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में किसी अतिरिक्त परियोजना को सहायता देना सम्भव नहीं है क्योंकि ओवरसीज डवलपमेन्ट अथारिटी की सहायता से तीन परियोजनाएं पहले ही प्रगति पर हैं।

## गन्दी बस्तियों के लोगों का पुनर्वास तथा अनधिकृत बस्तियों को नियमित करना

1280. श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में आवश्यक सेवाओं पर अत्यधिक दबाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और आवश्यक सेवाओं पर से अत्यधिक दबाव को दूर करने हेतु क्या उपाय किये गये हैं;

(ग) इस समय देश में गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है;

(घ) इस समय दिल्ली में कितनी अनधिकृत बस्तियां हैं; और

(ङ) गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों के पुनर्वास और अनधिकृत बस्तियों को नियमित करने के समयबद्ध कार्यक्रम का ब्योरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) आबादी में भारी बढ़ोतरी से दिल्ली में आवश्यक सेवाओं पर अत्यधिक दबाव पड़ता है। दिल्ली की वृद्धि को कम करने पर एम. सी. डी. आदि आयोजना विचार करती है ताकि नागरिक सेवाओं पर दबाव को कम किया जा सके।

(ग) लगभग 467.85 लाख।

(घ) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि फरवरी, 1977 के भारत सरकार के आदेश के अनुसार जून, 1977 में विद्यमान 607 अनधिकृत कालोनियों की एक सूची तैयार की गई थी। तब से अनधिकृत कालोनियों का कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। इसलिए, आज की तारीख को कालोनियों की कुल संख्या उपलब्ध नहीं है।

(ङ) मलिन बस्ती निवासियों के पुनर्वास के लिए कोई समय नियत नहीं किया जा सकता है। तथापि, दिल्ली में झुग्गी-झोंपड़ी समूहों की समस्याओं से निपटने के लिए दिल्ली प्रशासन द्वारा एक त्रि-आयामी योजना तैयार की गई है। इस योजना की व्याख्या संलग्न विवरण में की गई है। अभी तक 553 अनधिकृत कालोनियों को नियमित किया गया है। तथापि, बकाया कालोनियों के नियमितिकरण के लिए कोई समय नियत नहीं किया जा सकता है।

**विवरण**

दिल्ली प्रशासन द्वारा 1990-91 में तैयार की गई त्रि-आयामी योजना इस प्रकार है :

योजना-I- उन पात्र झुग्गी परिवारों का वैकल्पिक स्थलों में पुनर्वास करने पर विचार करना जहां भूमि के स्वामित्व वाली ऐजेंसियां बृहत लोक हित में अतिक्रमण किए गए भूखण्डों पर परियोजनाओं को कार्यान्वित करने की स्थिति में हैं और झुग्गी-झोंपड़ी समूहों के उन्मूलन के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को आवेदन प्रस्तुत करती हैं।

योजना-II-पात्र झुग्गी-झोंपड़ी समूहों का उसी स्थान पर उन्नयन तथा उन भूखण्डों में अनौपचारिक आश्रयों पर विचार करना जहां भूमि के स्वामित्व वाली एजेंसियों में अनधिवासियों के लिए अतिक्रमण किए गए भूखण्डों का उपयोग करने हेतु स्लम विंग को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिए हैं। यह परियोजना अनधिवासी परिवारों में भूमि के उचित वितरण के माध्यम से उन्नत/संशोधित नक्शे में झुग्गी परिवारों के पुनर्समायोजन पर विचार करती है।

योजना-III-पात्र झुग्गी समूहों में पर्यावरणीय सुधार स्कीम के तहत् न्यूनतम आधारभूत नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था पर विचार करना।

[हिन्दी]

शहरी मूल सेवा योजना के अन्तर्गत बिहार के शहरों का विकास

1281. श्री नवल किशोर राय :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के उन शहरों के नाम क्या हैं, जिनका शहरी मूल सेवा योजना के अन्तर्गत वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान विकास किया गया है; और

(ख) वर्ष 1992-93 के दौरान इस योजना के कार्यान्वयन के लिए बिहार के निर्धारित किये गये शहरों का ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित की गयी है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) शहरी मूलभूत सेवा योजना 1990 में संशोधित की गई थी तथा 1990-91 में निर्धनों के लिए शहरी मूलभूत सेवाएं (यू.बी.एस.पी.) नाम से एक नई योजना आरम्भ की गयी थी। 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान निर्धनों के लिये शहरी मूलभूत सेवा योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित अठारह कस्बे चुने गये हैं :—

| | | |
|---|---|---|
| 1. मुजफ्फरपुर | 7. जामतारा | 13. बिहार शरीफ |
| 2. दरभंगा | 8. लपेहर | 14. जमशेदपुर |
| 3. मुंगेर | 9. डालटनगंज | 15. आरोह |
| 4. छपड़ा | 10. रांची | 16. कटिहार |
| 5. बोकारो | 11. गया | 17. धनबाद |
| 6. सिमडिगा | 12. भागलपुर | 18. पटना |

(ख) 8 वीं योजना अवधि के दौरान कस्बों का लाभान्वयन राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों पर छोड़ा गया है तथा वास्तविक लाभान्वयन चुने गए कस्बों के आकार पर निर्भर होगा। उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु बिहार के लिए 1992-93 के लिए 70.19 लाख रु. का अन्तरिम नियतन उद्दिष्ट किया गया है।

सरकारी कर्मचारियों के लिए मकानों का निर्माण

1282. श्रीमती शीला गौतम :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) केन्द्रीय सरकार ने ने गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी कर्मचारियों को आवास प्रदान करने के लिए प्रत्येक राज्य में कितने मकान बनाये हैं;

(ख) सम्पदा निदेशालय ने किस वर्ष तक के पंजीकृत विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों को विभिन्न नगरों में मकान उपलब्ध कराये हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान श्रेणी-तीन और चार के कर्मचारियों के लिए एक विशेष योजना कार्यान्वित करने का है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख) संलग्न विवरण में दिए अनुसार।

(ग) आठवीं पंच-वर्षीय योजना अवधि में, विभिन्न नगरों में लगभग 9850 रिहायशी एककों के निर्माण के लिए 390 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था है। श्रेणी III तथा IV से सम्बन्धित कर्मचारियों के लिए रिहायशी वास का निर्माण भी निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए समय-समय पर किया जाएगा।

## विवरण

पिछले तीन वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों में सरकारी कर्मचारियों के लिए बनाए रिहायशी वास दर्शाने वाला विवरण

| क्र. सं. | वर्ष | पूरे किए गए क्वार्टरों की सं. | नगर | राज्य | ए | बी | सी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 1988-89 | | | | | | |
| 1. | | 1419 | दिल्ली | संघ शासित प्रदेश | 28 | 56 | 116 |
| | | | चंडीगढ़ | संघ शासित प्रदेश | | | |
| | | | शिमला | हिमाचल प्रदेश | | | |
| | | | मद्रास | तमिलनाडु | | | |
| | | | हैदराबाद | आन्ध्रप्रदेश | | | |
| | | | लखनऊ | उत्तर प्रदेश | | | |
| | | | | | 28 | 56 | 116 |
| | 1989-90 | | | | | | |
| 2. | | 1681 | दिल्ली | संघ शासित प्रदेश | 184 | | |
| | | | कानपुर | उत्तरप्रदेश | | | |
| | | | इलाहाबाद | उत्तरप्रदेश | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | हैदराबाद | आन्ध्रप्रदेश | | | |
| | | | बंगलौर | कर्नाटक | | | |
| | | | शिलांग | मेघालय | | | |
| | | | कोहिमा | नागालैण्ड | | | |
| | | | बम्बई | महाराष्ट्र | | | |
| | | | इन्दौर | मध्यप्रदेश | | | |
| | | | नागपुर | महाराष्ट्र | | | |
| | | | कलकत्ता | पश्चिम बंगाल | | | |
| | | | | | योग 0 | 184 | 0 |
| | 1990-91 | | | | | | |
| 3. | 1108 | | बंगलौर | कर्नाटक | | | |
| | | | मद्रास | तमिलनाडु | | | |
| | | | कोचीन | केरल | | | |
| | | | कलकत्ता | पश्चिम बंगाल | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | नागपुर | | महाराष्ट्र | | | | |
| | | | शिलांग | | मेघालय | | | | |
| | | | इम्फाल | | मणिपुर | | | | |
| | | योग : | 4208 | | | | — | — | — |

टाइप-वार अलग-अलग ब्यौरा

| I | II | III | IV | | V | V (विशेष) | हास्टल | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 |
| — | 6 | 114 | 128 | | 24 | — | 184 | 656 |
| 45 | 68 | 52 | | | — | — | — | 156 |
| 16 | 16 | | | | — | — | — | 32 |
| | 48 | 120 | 112 | | — | — | 30 | 310 |
| | | 32 | | | — | — | — | 32 |
| | 56 | 56 | 80 | 32 | — | — | — | 224 |
| 165 | 298 | 358 | 160 | 24 | — | 214 | — | 1419 |

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 90 | 300 | — | — | — | — | 574 |
| 121 | 145 | 54 | 30 | 4 | — | — | 354 |
| | | | | 3 | — | — | 3 |
| | | | | — | 32 | — | 32 |
| | | | | — | 30 | — | 30 |
| | | | 4 | — | — | — | 4 |
| | | | 40 | | — | — | 40 |
| 90 | 210 | 60 | — | | 40 | — | 400 |
| 56 | 32 | | | 24 | — | — | 112 |
| 42 | 84 | | 6 | — | — | — | 132 |
| | | | — | | — | — | — |
| योग : 309 | 529 | 454 | 72 | 31 | 102 | — | 1681 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 70 | 42 | 8 | — | — | 184 | | | | | |
| 54 | | 102 | — | — | — | 156 | | | | | |
| 32 | 48 | — | 24 | 4 | — | — | 108 | | | | |
| | | 288 | 112 | 88 | — | — | 498 | | | | |
| | | 72 | | 80 | — | — | 152 | | | | |
| | | | 4 | — | — | — | 4 | | | | |
| | | 16 | — | — | — | — | 16 | | | | |
| योग : | 320 | 366 | 340 | 70 | 12 | — | — | 1108 | | | |

वर्ष, जिस तक कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के आवेदकों को वास मुहैया किए गए हैं, को दर्शाने वाला विवरण
(यथा 31. 12. 91 की स्थिति के अनुसार प्राथमिकता की तारीख जिस तक आवंटन किया जा चुका है)

| टाइप | I | II | III | IV |
|---|---|---|---|---|
| बम्बई | दिसम्बर, 80 | जनवरी, 71 | मई, 65 | सितम्बर, 73 |
| कलकत्ता | नवम्बर, 81 | फरवरी, 65 | अगस्त, 55 | फरवरी, 63 |
| मद्रास | अक्तूबर, 66 | मई, 54 | फरवरी, 55 | अप्रैल, 58 |
| चण्डीगढ़ | अप्रैल, 71 | सितम्बर, 52 | नवम्बर, 60 | अप्रैल, 56 |
| शिमला | अगस्त, 65 | जनवरी, 66 | मई, 61 | फरवरी, 59 |
| गाजियाबाद | अगस्त, 70 | मार्च, 61 | अप्रैल, 56 | — |
| बंगलोर | फरवरी, 72 | मई, 68 | दिसम्बर' 62 | अप्रैल, 65 |
| नागपुर | मार्च, 71 | दिसम्बर, 66 | फरवरी, 63 | दिसम्बर, 76 |
| दिल्ली | 28.11.78 | 21.7.68 | 7.2.62 | 28-.10.66 |

टिप्पणी : टाइप-V और इससे ऊपर की टाइप तथा हास्टल वास के लिए सरकारी सेवा में प्रवेश की तारीख के आधार पर पर प्राथमिकता की तारीख नहीं है बल्कि किसी विशेष आवंटन वर्ष से सम्बन्धित नियमित तारीख के वेतन के अनुसार है।

[अनुवाद]

मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में औद्योगिक सहकारी श्रमिक समिति

1283. डा. मो. बशीम बेरुमान :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में औद्योगिक सहकारी श्रमिक समिति बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. चिन्ता मोहन) : (क) मद्रास फर्टिलाइजर्स लि. में औद्योगिक सहकारी श्रमिक समिति प्रारम्भ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश को उर्वरक की पूर्ति

1284. श्री रामपाल सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार को वर्ष 1991-92 में खरीफ और रबी की फसलों हेतु उर्वरकों की पूर्ति उसकी मांग के अनुसार की जा रही है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का राज्य में भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने हेतु कुछ उर्वरक संयंत्रों की स्थापना करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मंत्री (डा. चिन्ता मोहन): (क) से (ख) 1991-92 में खरीफ और रबी फसलों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश को उर्वरकों की आपूर्ति की गयी है । किसी राज्य विशेष में उर्वरकों की आवश्यकता को केवल उस राज्य में स्थित संयंत्र से ही पूरा नहीं किया जाता बल्कि राज्य के बाहर स्थित संयंत्रों से भी हर प्रकार से विचार करने के पश्चात पूरा किया जाता है । चालू रबी सत्र के दौरान उत्तर प्रदेश में कुछ हिस्सों में यूरिया की अस्थाई कमी महसूस की गई । राज्य के बाहर स्थित संयंत्रों से भी यूरिया की आपूर्ति करके कमी को पूरा करने का उपाय किया गया ।

(ग) और (घ) बबराला (जिला बदायूं) और शाहजहांपुर के नये यूरिया संयंत्र इस समय निर्माणाधीन है । वर्तमान संयंत्रों के विस्तार के लिए कुछ परियोजनाओं को उत्तर प्रदेश में आठवीं

योजना प्रस्तावों के भाग के रूप में पहचान की गयी है। तथापि आठवीं योजना अभी मंजूर की जानी है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के श्रमिक संघों के साथ मजदूरी वार्ता

1286. श्री चित्त बसु :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों जहां पहले वाला मजदूरी समझौता समाप्त हो गया है अथवा समाप्त होने वाला है, के साथ मजदूरी वार्ता में शामिल होने का निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी. के. चुंगन) : (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के लगभग सभी प्रमुख उद्यमों में मजूरी समझौतों की अवधि 31.12.1991 को समाप्त हो गई है। अगले दौर की मजूरी वार्ता हेतु नयी मजूरी नीति पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र के लिए योजना परिव्यय में कमी

1287. श्री रवि राय :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बाद खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र के योजना परिव्यय में सफलतापूर्वक कमी की गयी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) जी, नहीं। इसके विपरीत खादी एवं ग्रामोद्योग क्षेत्र के परिव्यय में नीचे उल्लिखित क्रमिक योजनावधियों के दौरान वृद्धि हुई है :—

| के. वी. आई को उपलब्ध कराई गई राशि | (करोड़ रुपए में) |
|---|---|
| दूसरी योजना | 78.71 |
| तीसरी योजना | 86.90 |
| वार्षिक योजनाएं (1966-67 से 68-69) | 53.05 |
| चौथी योजना | 97.73 |

| | |
|---|---|
| पांचवीं योजना | 118.26 |
| वार्षिक योजनाएं (1928-79 से 79-80) | 154.20 |
| छठी योजना | 521.72 |
| सातवीं योजना | 613.46 |

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 का विस्तार

1288. श्री मोरेश्वर सावे :

श्री ताराचन्द खण्डेलवाल :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में इस दृष्टि से संशोधन करने का है कि जल आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवा तथा मकान निर्माण जैसी नागरिक सेवाओं को भी इस अधिनियम की सीमा में लाया जा सकें;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक कर दिए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को और अधिक कारगर बनाने के लिए उपयुक्त संशोधनों के सुझाव देने हेतु एक उच्च शक्ति प्राप्त कार्य दल गठित किया था। कार्य दल ने अपनी रिपोर्ट में जल आपूर्ति, स्वास्थ्य और गृह निर्माण जैसी नागरिक सेवाओं को अधिनियम की परिधि में लाने का सुझाव दिया है। इस रिपोर्ट पर केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की अगली बैठक में विचार-विमर्श किया जाएगा, जो अधिनियम में संशोधन करने के लिए सरकार को उपयुक्त सिफारिशें करेगी।

"वाटर शार्टेज इन कैपिटल लाइकली" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

1289. श्री ताराचन्द खण्डेलवाल :

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

श्री सनत कुमार मंडल :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 फरवरी, 1992 के "इकोनामिक टाइम्स" में "वाटर शार्टेज इन कैपिटल लाइकली" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या हरियाणा सरकार दिल्ली को यमुना से अतिरिक्त पानी सप्लाई नहीं कर रही है;

(ग) क्या दिल्ली निवासियों को इस ग्रीष्मकाल में पेय-जल की भारी कमी का सामना करना पड़ सकता है; और

(घ) यदि हां, तो दिल्ली में पर्याप्त पेय जल की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

शहरी विकास राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी, हां ।

(ख) सामान्यतः, दिल्ली अपनी आवश्यकताओं की व्यवस्था भाखड़ा सिस्टम गंगा नहर, रैनी कुओं तथा यमुना नदी से प्राप्त आपूर्तियों से करती रही है । कभी-कभी, विशेष रूप से गर्मी के मौसम के दौरान जब यमुना नदी में पुनरुत्पति कम हो जाती है, तब अतिरिक्त मांग आवश्यक हो जाती है । इसके लिए, दिल्ली द्वारा जब कभी भी अनुरोध किया गया, विगत में हरियाणा सरकार सिंचाई के पानी के अपने हिस्से में से भुगतान पर दिल्ली को अतिरिक्त पानी की आपूर्ति करती रही है ।

(ग) और (घ) सरकार दिल्ली में जल आपूर्ति की स्थिति का ध्यानपूर्वक प्रबोधन कर रही है । दिल्ली में जल आपूर्ति की स्थिति को बढ़ाने के लिए अल्पकालिक उपायों के साथ-साथ दीर्घकालिक उपायों का उल्लेख करने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(1) हैदरपुर में 100 मिलियन गैलन प्रतिदिन क्षमता के द्वितीय जल शोधन संयंत्र का निर्माण आरम्भ कर दिया गया है ।

(2) नांगलोई में 40 मिलियन गैलन प्रतिदिन क्षमता के जल शोधन संयंत्र का निर्माण कार्य अवार्ड कर दिया गया है ।

(3) बवाना एस्केप के समीप 20 मिलियन गैलन क्षमता के जल शोधन संयंत्र के निर्माण का प्रस्ताव किया गया है ।

(4) शोधित निसावों के बदल में उपर्युक्त संयंत्रों को पर्याप्त कच्चे पानी की आपूर्ति के लिए हरियाणा सरकार से बातचीत चल रही है ।

(5) अलीपुर ब्लाक में 5 रैनी कुंओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है । इसके अतिरिक्त 27 नलकूप लगाये गये हैं तथा 15 और नलकूप शीघ्र ही क्रियाशील बनाये जायेंगे ।

(6) वितरण प्रणाली के योजितकीकरण के लिए उपाय किये गये हैं । 7 कालोनियों में भू-जलाशय तथा बूस्टर पम्पिंग स्टेशन चालू कर दिये गये हैं तथा 2 और कालोनियों में शीघ्र ही चालू किये जाने की सम्भावना है । 4 कालोनियों में यह कार्य प्रगति पर है तथा 5 और कालोनियों में भी, जैसे ही भूमि उपलब्ध होगी, इसकी आयोजना बनाई जा रही है ।

(7) जल के रिसाव का पता लगाने तथा रिसाव को न्यूनतम करने के लिये उपाय किये गये हैं। सोधित जल की बचत के लिये बागवानी के प्रयोजनार्थ 23 उथले नलकूप लगाये गये हैं। बागवानी प्रयोजनों के लिये जल की आपूर्ति हेतु शहर तथा सदर पहाड़गंज (एस पी जोन) में 101 खुले कुओं सहसम्बन्धित पम्पिंग सेट भी लगाई गई है; और

(8) पुनर्वास कालोनियों, झुग्गी-झोंपड़ी समूहों तथा नियमित की गई अधिकृत कालोनियों में नलकूपों, हैंडपंपों/नलकों और निर्धारित मानदंडों के अनुसार जल आपूर्ति सुविधाओं के माध्यम से जल आपूर्ति प्रबन्धों में निरन्तर सुधार किया जा रहा है।

दीर्घावधि उपाय

टिहरी बांध, किशाऊ बांध और रेणुका बांध के निर्माण के माध्यम से बनाये गये जलाशयों से जल की विशिष्ट प्रमात्रायें उद्दिष्ट करने का प्रस्ताव है।

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के रिएक्टर

1290. श्री एस. बी. सिदनाल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र का विचार गुरु जल रिएक्टरों को चलाने के लिए ईंधन के रूप में यूरेनियम के स्थान पर थोरियम का प्रयोग करने का है;

(ख) क्या भविष्य में रिएक्टरों को चलाने के लिए थोरियम का नियमित तौर पर उपयोग किया जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा)। (क) जी, हां। भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र भविष्य में लगाए जाने वाले विद्युत रिएक्टरों में थोरियम को उपयोग में लाने की दिशा में अनुसंधान और विकास कार्य कर रहा है। यह पाया गया है कि थोरियम को दाबित भारी पानी किस्म के रिएक्टरों में लाभप्रद रूप से उपयोग किया जा सकता है।

(ख) और (ग) फिलहाल ऐसी किसी भी योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। भविष्य में लगाए जाने वाले अपने रिएक्टरों में थोरियम को उपयोग में लाने सम्बन्धी प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञता प्राप्त करने के वास्ते इसलिए अनुसंधान किए जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास थोरियम के भंडार बहुत हैं।

[हिन्दी]

उत्पादन लक्ष्य को पूरा करने के लिए कर्मचारियों की पुनरीक्षा

1291. कुमारी उमा भारती :

क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयले के उत्पादन लक्ष्य को पूरा करने के लिए वांछित कर्मचारियों और अधिकारियों की वास्तविक संख्या का पता लगाने के लिए कोई पुनरीक्षा कराई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) जी, हां।

(ख) यह अनुमान लगाया गया है कि कोल इंडिया लि. की 6,85,092 अधिकारियों और कामगारों की अभिशक्ति द्वारा संयुक्त रूप से वर्ष 1992-93 के दौरान 210.00 मिलियन टन कोयले के उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

पामोलीन का आयात

1292. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

श्री काशी राम राणा :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 में अब तक की अवधि के दौरान पामोलीन का आयात किया है;

(ख) यदि हां, तो पाम आयल का राज्यवार तथा वर्षवार वितरण का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारें उचित दर की दुकानों के माध्यम से पूरी मात्रा में पामोलीन सप्लाई कर रही हैं;

(घ) क्या इस प्रकार से आयातित पामोलीन को खुले बाजार में वितरण के लिए भी सप्लाई किया जाता है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर पामोलीन की सप्लाई के लिए क्या प्रयास किए गए हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी हां।

(ख) खाद्य तेलों का राज्यवार तथा वर्षवार आवंटन तथा उनकी उठाई गई मात्रा का विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

(ग) आयातित खाद्य तेल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित किए जाते हैं और उपभोक्ताओं को इसके वास्तविक वितरण की जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की होती है।

(घ) और (ङ) आयातित पामोलीन की 12-1/2% मात्रा इस समय राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को उनकी बाजार दखल कार्यवाही के लिए दी जा रही है।

(च) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए पामोलीन का आवंटन, राज्य व्यापार निगम के पास उपलब्ध स्टाक तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की आवश्यकताओं आदि को ध्यान में रखते हुए खाद्य तेलों की खुले बाजार में उपलब्ध मात्रा की अनुपूर्ति करने के लिए किया जाता है .

तेल वर्ष 1989-90, 90-91 तथा 91-92 के दौरान खाद्य तेलों के आबंटन तथा उनकी उठाई गई मात्रा का वर्षवार और राज्यवार विवरण ।

| क्र. सं. | राज्य | वर्ष | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 89-90 | | 90-91 | | 91-92* | |
| | | आबंटन | उठाई गई मात्रा | आबंटन | उठाई गई मात्रा | आबंटन | उठाई गई मात्रा |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 46250 | 37710 | 9360 | 9875 | 4500 | 3090 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 930 | 53 | 200 | 82 | 150 | 18 |
| 3. | असम | 2500 | 324 | 950 | 600 | 600 | 72 |
| 4. | बिहार | 10700 | 6882 | 5000 | 3662 | 4500 | 1090 |
| 5. | गोआ | 7200 | 6180 | 2500 | 1703 | 1200 | 300 |
| 6. | गुजरात | 78450 | 66443 | 15800 | 18797 | 4500 | 3107 |
| 7. | हरियाणा | 7350 | 5238 | 2500 | 2566 | 1800 | 223 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 9700 | 6665 | 3550 | 3709 | 1500 | 493 |
| 9. | जम्मू व कश्मीर | 7500 | 3504 | 2275 | 2298 | 1500 | 358 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | कर्नाटक | 49950 | 44696 | 9460 | 9200 | 3600 | 2651 |
| 11. | केरल | 43000 | 36674 | 8560 | 8566 | 2000 | 2755 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 40000 | 22018 | 9700 | 9751 | 3600 | — |
| 13. | महाराष्ट्र | 142000 | 135678 | 22600 | 23705 | 8000 | 2756 |
| 14. | मणिपुर | 2760 | 1342 | 900 | 700 | 600 | 200 |
| 15. | मेघालय | 2150 | 1321 | 1000 | 998 | 600 | 185 |
| 16. | मिजोरम | 3250 | 943 | 1700 | 711 | 600 | 200 |
| 17. | नागालैंड | 3800 | 2936 | 2600 | 1780 | 600 | 400 |
| 18. | उड़ीसा | 23000 | 13835 | 6920 | 6485 | 3000 | 2000 |
| 19. | पंजाब | 3950 | 1725 | 3100 | 3358 | 2100 | 511 |
| 20. | राजस्थान | 9000 | 2562 | 3940 | 2898 | 2600 | 637 |
| 21. | सिक्किम | 1450 | 504 | 650 | 422 | 450 | — |
| 22. | तमिलनाडु | 49800 | 45407 | 9075 | 12724 | 1500 | 689 |
| 23. | त्रिपुरा | 2300 | 578 | 800 | 1752 | 600 | 175 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 16050 | 4913 | 7500 | 4587 | 4500 | 243 |
| 25. | पश्चिम बंगाल | 67400 | 35021 | 13100 | 18501 | 4500 | 1209 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. | अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह | 2550 | 1100 | 900 | 600 | 300 | 200 |
| 27. | चंडीगढ़ | 760 | 377 | 400 | 484 | 300 | — |
| 28. | दादरा व नगर हवेली | 700 | 709 | 290 | 235 | 150 | 98 |
| 29. | दिल्ली | 19900 | 13701 | 7000 | 7324 | 4500 | 301 |
| 30. | दमन व दीव | 1430 | 1138 | 460 | 365 | 300 | 200 |
| 31. | लक्षद्वीप | 420 | 314 | 265 | 165 | 100 | 49 |
| 32. | पांडिचेरी | 6850 | 6713 | 1150 | 1396 | 800 | 230 |

*वर्ष 91-92 के लिए आवंटन फरवरी, 92 तक तथा उठाई गई मात्रा का विवरण जनवरी, 92 तक है।

टायरों के मूल्यों में वृद्धि

1293. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगस्त/सितम्बर, 1991 में टायरों के मूल्यों में वृद्धि हुई थी,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं,

(ग) औद्योगिकी लागत और मूल्य ब्यूरों के इस बारे में क्या में क्या विचार हैं, और

(घ) टायरो के मूल्यों में कमी करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) जी, हां ।

(ख) कच्चे माल के मूल्यों में वृद्धि, अवमू यन इत्यादि के परिणामस्वरूप, अगस्त, 1991 में टायरों के मूल्यों में वृद्धि हुई थी ।

(ग) अगस्त, 1991 में मूल्य वृद्धि के संबंध में औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो के विचार प्राप्त नहीं हुए हैं ।

(घ) टायर के मूल्यों पर कोई वैधानिक नियंत्रण नहीं है ।

जवाहर रोजगार योजना के तहत महिलाओं को रोजगार

1294. प्रो. उमारेड्डि वेंकटसुब्बु :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जवाहर रोजगार योजना से भारत में महिलाओं को 25 प्रतिशत रोजगार मिलेंगे;

(ख) यदि हां, तो इसके लागू होने से वर्ष-वार और राज्यवार उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) लक्ष्य में कमी आने के क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी वेंकटस्वामी) : (क) जवाहर रोजगार योजना के मेम्यूअल मे यह निर्धारित है कि योजना के अन्तर्गत रोजगार के 30 प्रतिशत अवसर महिलाओं के लिये आरक्षित होंगे ।

(ख) और (ग) जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत इसके आरंभ होने वाले वर्ष अर्थात् 1989-90 से रोजगार सृजन में महिलाओं के अंश के बारे में राज्यवार और वर्षवार ब्यौरे संलग्न विवरण मे दिए गए हैं । योजना के अन्तर्गत महिलाओं के लिए रोजगार सृजन के अंश में कमी इस तथ्य से हुई है कि बहुत सी महिलाएं सामाजिक बंधनों के कारण शारीरिक श्रम के लिए आगे नहीं आ रही हैं ।

## विवरण

### जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत रोजगार सृजन की स्थिति

(लाख श्रम दिन)

| क्र.सं. | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | 1989-90 | | | 1990-91 | | | 1991-92 (जनवरी, 1992 तक) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | कुल रोजगार सृजन | महिला रोजगार सृजन | महिलाओं के रोजगार का प्रतिशत | कुल रोजगार सृजन | महिला रोजगार सृजन | महिलाओं के रोजगार का प्रतिशत | कुल रोजगार सृजन | महिला रोजगार सृजन | महिलाओं के रोजगार का प्रतिशत |
| 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 727.47 | 107.46 | 14.77 | 810.66 | 288.57 | 35.60 | 396.35 | 128.53 | 32.43 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 7.25 | 0.21 | 2.90 | 8.44 | 0.00 | 0.00 | 3.54 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | असम | 122.51 | 7.57 | 6.19 | 126.02 | 10.51 | 8.34 | 56.53 | 4.89 | 8.63 |
| 4. | बिहार | 907.31 | 145.33 | 16.02 | 1130.11 | 219.32 | 19.41 | 457.48 | 92.49 | 19.78 |
| 5. | गोवा | 8.62 | 2.39 | 27.73 | 8.88 | 2.18 | 24.55 | 6.85 | 2.02 | 29.49 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. गुजरात | 202.93 | 61.47 | 30.29 | 188.82 | 79.14 | 41.91 | 153.98 | 38.37 | 24.85 |
| 7. हरियाणा | 34.13 | 6.29 | 18.43 | 35.03 | 4.88 | 13.93 | 18.26 | 12.36 | 67.69 |
| 8. हिमाचल प्रदेश | 37.86 | 1.90 | 5.02 | 35.86 | 1.59 | 4.43 | 21.25 | 1.40 | 6.59 |
| 9. जम्मू व कश्मीर | 52.19 | 0.08 | 0.15 | 54.27 | 0.00 | 0.00 | 26.76 | 0.00 | 0.00 |
| 10. कर्नाटक | 407.56 | 79.57 | 19.52 | 473.20 | 100.45 | 21.23 | 219.92 | 39.81 | 18.10 |
| 11. केरल | 231.79 | 65.81 | 28.39 | 180.96 | 57.76 | 31.92 | 107.36 | 32.12 | 29.92 |
| 12. मध्य प्रदेश | 932.24 | 285.44 | 30.62 | 958.57 | 289.62 | 31.21 | 571.92 | 197.96 | 34.61 |
| 13. महाराष्ट्र | 795.93 | 232.84 | 29.25 | 850.22 | 265.82 | 31.26 | 451.69 | 138.87 | 30.74 |
| 14. मणिपुर | 10.50 | 1.30 | 12.38 | 12.16 | 2.15 | 17.68 | 2.21 | 0.43 | 19.46 |
| 15. मेघालय | 4.02 | 0.52 | 12.94 | 7.88 | 1.35 | 17.13 | 8.71 | 1.50 | 17.22 |
| 16. मिजोरम | 4.79 | 1.38 | 28.81 | 19.69 | 5.94 | 30.17 | 4.28 | 1.30 | 30.37 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. | नागालैंड | 20.29 | 0.00 | 0.00 | 18.98 | 0.00 | 0.00 | 11.07 | 0.00 | 0 00 |
| 18. | उड़ीसा | 517.63 | 107.25 | 20.72 | 341.97 | 83. 9 | 24.33 | 196.60 | 43.23 | 21.99 |
| 19. | पंजाब | 34.23 | 2.58 | 7.54 | 21.81 | 0.02 | 0.09 | 13.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20. | राजस्थान | 143.77 | 107.19 | 24.15 | 606.01 | 119.55 | 23.63 | 274.32 | 68.33 | 24.91 |
| 21. | सिक्किम | 6.28 | 0.90 | 14.33 | 8.80 | 0.41 | 4.66 | 7.32 | 0.97 | 13.25 |
| 22. | तमिलनाडु | 910.81 | 323.29 | 35.49 | 755.21 | 285.70 | 37.83 | 579.44 | 207.30 | 35.78 |
| 23. | त्रिपुरा | 19.53 | 5.89 | 30.16 | 19.06 | 5.61 | 29.43 | 8.16 | 2.80 | 34.41 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 1624.93 | 203.13 | 12.50 | 1628 27 | 160.22 | 9.84 | 959.51 | 96.30 | 10.04 |
| 25. | पश्चिम बंगाल | 558.81 | 150.65 | 26.94 | 516.85 | 161.23 | 31.19 | 299.91 | 89.14 | 29.72 |
| 26. | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 3.08 | 0.76 | 24.68 | 2.97 | 0.35 | 11.78 | 1.47 | 0.36 | 24.49 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. चंडीगढ़ | 0.42 | 0.10 | 23.81 | 0.11 | 0.02 | 18.18 | 0 00 | 0.00 | 0.00 |
| 28. दादरा और नगर हवेली | 3.04 | 0.68 | 22.37 | 2.84 | 1.78 | 62.68 | 2.97 | 1.91 | 64.31 |
| 29. दमन और दीव | 1.08 | 0.54 | 50.00 | 0.63 | 0.33 | 52.38 | 0.75 | 0.33 | 34.00 |
| 30. दिल्ली | 2.30 | 0.64 | 27.83 | 0.89 | 0.18 | 20.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31. लक्यद्वीप | 2.53 | 0.56 | 22.13 | 2.23 | 0.56 | 25.11 | 1.74 | 0.39 | 22.41 |
| 32. पांडिचेरी | 8.08 | 1.55 | 19.18 | 4.89 | 1.19 | 24.34 | 4.23 | 1.07 | 25.30 |
| | 8643.87 | 1905.17 | 22.04 | 8732.29 | 2149.62 | 24.62 | 4877.58 | 1204.07 | 24.69 |

इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि. को घाटा

1295. श्री अनादि चरण दास :

श्री सुरेन्द्रपाल पाठक ।

डा. अशोक बाला :

श्री गोपीनाथ गजपति :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड को निरंतर घाटा हो रहा है,

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं,

(ग) इसी प्रकार का एक अन्य एकक स्थापित करने में अनुमानतः कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी,

(घ) क्या इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिल्स लिमिटेड को अपने उत्पादों के लिए सरकारी अस्पतालों से संरक्षण नहीं मिल रहा है,

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है,

(च) क्या इस कंपनी को बेचा जा रहा है अथवा बन्द किया जा रहा है,

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ज) यदि हां तो इस एकक के घाटे को पूरा करने तथा इसका नवीकरण करने के लिए लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा. चिन्ता मोहन) : (क) और (ख) जी, हां। पिछले कई वर्षों से इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि. (आई.डी.पी.एल.) को घाटा हो रहा है। कंपनी को 1989-90 में 42.74 करोड़ रुपए का और 1990-91 में 88.28 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा हुआ था। घाटा होने के मुख्य कारण हैं-अधिक मजदूरी, क्षमता का कम उपयोग, प्रौद्योगिकी का अप्रचलन, अधिक ब्याज भार और नियत लागत, कच्चे माल की अनुपलब्धता और कार्यशील पूंजी संबंधी अड़चनें।

(ग) इस तरह का एकक स्थापित करने पर लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत आएगी।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार की दवाइयों की अनुमानित वार्षिक खरीद का में आईडीपीएल का औसत हिस्सा 10 प्रतिशत है। सरकारी खरीद में आईडीपीएल को किसी प्रकार विशेष संरक्षण या वरीयता नहीं दी जाती है।

(च) से (ज) इस समय आईडीपीएल को बेच देने या बन्द करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। आईडीपीएल के कार्य निष्पादन में सुधार के लिए पैकेज में क्षमता के उपयोग को बढ़ाना, अधिक

किस्तों, निर्यात पर जोर, सेवाओं और उपयोगिताओं में बचत करके, कार्य-क्षमता बढ़ाना, लागत में कमी लाना, बकाया राशियों की वसूली पद्धति में सुधार करना और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाएं आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इसमें भारी निवेश कार्यशील पूंजी के लिए सरकारी ऋण और धनराशि बट्टेखाते डालना शामिल होगा।

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा पाठ्यक्रम में परिवर्तन

1297. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा में राजनीति शास्त्र और अन्तर्राष्ट्रीय संबंध-विषय के पाठ्यक्रम में कोई परिवर्तन किया है;

(ख) क्या इस संदर्भ में शैक्षणिक निकायों ने संघ लोक सेवा आयोग को अभ्यावेदन दिए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) सिविल सेवा परीक्षा की नई योजना को पूर्ववर्ती भारतीय प्रशासनिक सेवा के स्थान पर वर्ष 1979 में शुरू किया गया था। राजनीति शास्त्र और अन्तर्राष्ट्रीय-संबंध-विषय- सिविल सेवा परीक्षा की स्कीम में-सिविल सेवा (प्रारम्भिक) परीक्षा में राजनीति शास्त्र के रूप में और सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा में राजनीति शास्त्र तथा अन्तर्राष्ट्रीय संबंध विषय के रूप में-वर्ष 1979 से शामिल हैं।

(ख) और (ग) आयोग द्वारा की जाने वाली विभिन्न परीक्षा योजनाओं में शामिल विषयों के पाठ्यक्रमों की समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है और उनमें संशोधित किए जाते हैं। आयोग को विभिन्न परीक्षा योजनाओं में शामिल भिन्न-भिन्न विषयों के पाठ्क्रमों में परिवर्तन करने के लिए विभिन्न वर्गों से सुझाव प्राप्त होते हैं। इन सुझावों को संबंधित विषय के पाठ्यक्रमों में संशोधन करने के समय ध्यान में रखा जाता है।

दिल्ली में अनधिकृत कालोनियां

1298. श्री सुशील चन्द्र वर्मा :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में वर्ष 1990 और 1991 के दौरान कितनी अनधिकृत कालोनियां बसी हैं; और

(ख) निवेशकों के हितों की सुरक्षा हेतु तथा ऐसी अनधिकृत कालोनियों को बसने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) 1990 और 1991 के दौरान बसी अनधिकृत कालोनियों का अब तक कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ख) अनधिकृत निर्माण के खिलाफ कार्रवाई विद्यमान अधिनियमों नामतः लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम, दिल्ली नगर निगम अधिनियम, दिल्ली विकास अधिनियम, इत्यादि के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत की जाती है।

## दिल्ली विकास प्राधिकरण की नई पंजीकरण योजना

1299. श्रीमती विमल कुमारी भंडारी :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण का विचार सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत फ्लैटों के आवंटन के लिए कुछ नई योजनाएं शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख) चालू योजनाओं के अन्तर्गत पिछले भारी बकाया को ध्यान में रखते हुए निकट भविष्य में नये पंजीकरण आरम्भ करने का प्रस्ताव नहीं है।

## कोयले की सप्लाई

1300. श्रीमती गिरिजा देवी :

क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षित खानों से प्राप्त साधारण और रद्दी कोयला, जिसे "टिस्को" को दिया गया तथा उसकी सहायक यूनिटों /कम्पनियों/प्रतिष्ठानों को सप्लाई किया गया दर्शाया गया था, वास्तव में बाजार में ऊंचे मनमाने मूल्यों पर बेचा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने वास्तविक स्थिति का पता लगाने हेतु कोई जांच की है;

(ग) यदि हां, तो इस जांच के क्या परिणाम निकले तथा सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्रवाई करने का विचार है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस प्रकार के कोयले की सप्लाई राज्य खनिज विकास निगम को करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

कोयला मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) से (ग) कोयला नियंत्रक द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार कोयले की गुणवत्ता का पता लगाने के बाद इस्पात संयंत्रों द्वारा उपयोग के लिए अनुपयुक्त पाए जाने वाले कोयले, जैसे अस्वीकृत कोयला और बाकी अवशिष्ट

(टेलिंग) को समय-समय पर नियंत्रक द्वारा जारी किया जाता है, जिसे टाटा आयरन और स्टील कं. लि. (टिस्को) द्वारा गैर-धातुकर्मीय उपभोक्ताओं को बेचा जा रहा है। कोयला नियंत्रक के अनुसार ऐसी सामग्री (अस्वीकृत कोयला) न तो धातुकर्मीय उद्देश्यों के लिए उपयोग की जा सकती है और न ही टिस्को से संबंधित किसी अन्य उद्योगों में उपयोग की जा सकती है। कोयला नियंत्रक ने सूचित किया कि ऐसे कोयले के लिए टिस्को द्वारा अधिक कीमत वसूल किए जाने सम्बन्धी कोई भी शिकायत उन्हें प्राप्त नहीं हुई है और इसी लिए इस संबंध में कोई जांच नहीं की गई है।

(ग) से (ङ) यदि बिहार राज्य खनिज विकास निगम ऐसे कोयले को खरीदने का इच्छुक है तो वह इस संबंध में अपने प्रस्ताव "टिस्को" और कोयला नियंत्रक के साथ सम्पर्क करें।

## नए गोदाम खोलना

1301. श्री के. मुरलीधरन :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केरल राज्य में नागरिक आपूर्ति के लिए नये गोदाम स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इन गोदामों को किन स्थानों पर स्थापित करने का प्रस्ताव है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) जी हां। भारतीय खाद्य निगम का आठवीं पंचवर्षीय योजना-अवधि के दौरान केवल क्षेत्र में खाद्यान्नों के भंडारण के लिए गोदाम बनाने का प्रस्ताव है। उनके लिए स्थान और प्रस्तावित क्षमता निम्नवत है :—

| | | |
|---|---|---|
| 1. | चिंगवनम | 10000 मी. टन |
| 2. | मारारीकुलम | 10000 मी. टन |
| 3. | मुल्लनगुनातुकवु | 5000 मी. टन |
| 4. | पय्यनूर | 25000 मी. टन |
| 5. | निडनवय | 10000 मी. टन |

## संयुक्त सलाहकार तंत्र को मिलने वाली सुविधाएं तथा अनुदान

श्री सुहिराम सेकिया :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के संयुक्त सलाहकार तंत्र को प्रत्येक वर्ष दी जाने वाली सुविधाओं और अनुदान का ब्योरा क्या है ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) ड्यूटी अवधि : यात्रा में लगने वाले समय सहित संयुक्त परामर्श तंत्र समितियों में भाग लेने के लिए व्यतीत की गयी अवधि को ड्यूटी के रूप में (1966 से) माना जाता है।

(ख) राष्ट्रीय परिषद (जे. सी. एम.) तथा विभागीय परिषदों के कर्मचारी पक्ष के सदस्यों को परस्पर विचार-विमर्श करने के लिए (अगस्त 1978 से) भी इन परिषदों की बैठकों से पहले कम से कम दो दिन दिए जाते है। (* क्षेत्रीय परिषदों के लिए केवल एक दिन, नवम्बर, 1985 से)।

(ग) जे. सी. एम. की बैठकों के लिए निर्धारित दरों पर भाड़े के वाहन सहित यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता (1966-67 से जे. सी. एम. योजना के प्रारम्भ होने के समय से ही)।

(घ) केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना सुविधाएं : विभागीय/राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों को सी. जी. एच. एस. की सुविधाएं जहां कहीं भी ये उपलब्ध हो दी जाती है (दिसम्बर, 1974 से)।

नर्सिंग होम सुविधाएं, जहां कहीं भी ये उपलब्ध हैं, राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों को दी जाती हैं (जनवरी, 1976 से)।

(ङ) टेलीफोन सुविधाएं : राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों को अपने निवास स्थान पर साधारण किराये तथा जारी से पहले के आधार पर ओ. वाई. टी. राशि जमा कराए बिना ही तथा टेलीफोन सलाहकार समिति को लिखे बिना ही टेलीफोन लगाने के लिए प्राथमिकता दी जाती है। (जनवरी, 1970 से)।

(च) आदेशों/परिपत्रों इत्यादि की प्रतियां उपलब्ध कराना : सामान्य किस्म के तथा कर्मचारियों के हित में जाने वाले सभी आदेशों, परिपत्रों इत्यादि की प्रतियां राष्ट्रीय परिषद्/विभागीय परिषद के सभी कर्मचारी सदस्यों के बीच परिचालित की जाती है।

(छ) आवास : राष्ट्रीय परिषद के सचिवालय के लिए कर्मचारी पक्ष को 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली स्थित एक बंगला दिया गया है। उन्हें सचिवालय स्थापित करने तथा फर्नीचर इत्यादि टाइपराइटर, डुप्लीकेटिंग मशीन इत्यादि की खरीद के लिए अनावर्ती अनुदान भी दिया गया था।

(ज) राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारी पक्ष के सचिवालय के लिए आवर्ती खर्च के कुछ अंश को वहन करने के लिए आवर्ती वार्षिक सहायता अनुदान दिया जाता है। प्रारम्भ में 1972 में यह अनुदान 26,000 रुपये का था जिसे 1981-82 के दौरान बढ़ाकर

29,000 रुपये कर दिया गया और 1990-91 से इसे और बढ़ाकर 39,000 रुपये कर दिया गया। राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारी पक्ष के सचिवालय में जिस टेलीफोन की व्यवस्था की गई है उसका टेलीफोन किराया प्रभार तथा पानी तथा बिजली के 20% खर्च की प्रतिपूर्ति की जाती है :

(झ) प्रशिक्षण सुविधाएं : नवम्बर, 1970 में एक निर्णय लिया गया था कि राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारी पक्ष के सदस्यों को भारत में प्रबन्ध प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए भेजा जाए। 1976 से विभागीय परिषद के सदस्य भी इसके लिए पात्र हैं।

(ञ) विवाचन बोर्ड के सम्मुख पेश होने वाले कर्मचारी सदस्य : सरकारी कर्मचारी द्वारा विवाचन बोर्ड के सम्मुख गवाह के रूप में पेश होने के लिए व्यतीत की गई अवधि को साधारण यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते सहित ड्यूटी के रूप में माना जाता है। 1969 से यह सुविधा दो व्यक्तियों तक ही सीमित थी जिसे सितम्बर, 1985 में तीन व्यक्तियों तक बढ़ा दिया गया था।

## केरल की ग्रामीण विकास परियोजनाएं

1303. श्री रमेश चेन्नित्तला :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को केरल सरकार से हाल ही में ग्रामीण विकास परियोजनाओं के बारे में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच. पटेल) : (क) जी नहीं। तथापि, एक संयुक्त आवास परियोजना तथा ग्रामीण जल सप्लाई परियोजना के लिये प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ख) "राजीव दस लाख आवासों की योजना" नामक एक संयुक्त आवास परियोजना का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। केरल सरकार ने एक दूसरा प्रस्ताव ग्रामीण जल सप्लाई परियोजना के बारे में भेजा है। ये दोनों प्रस्ताव केरल सरकार से कुछ स्पष्टीकरण न मिलने की वजह से लम्बित पड़े हैं।

## ग्रामीण पेयजल परियोजनाओं के लिये उड़ीसा को धनराशि

1304. डा. कार्तिकेश्वर पात्र :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992-93 के लिये ग्रामीण पेयजल परियोजनाओं और ग्रामीण विकास परियोजनाओं के लिये उड़ीसा सरकार को आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ख) वर्ष 1992-93 के दौरान कितने गांवों में इन परियोजनाओं को शुरू करने का विचार है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच. पटेल) : (क) 1992-93 के लिए त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम और अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए उड़ीसा सरकार और अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के लिए आवंटनों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। तथापि, "बिना अलसात वाले" समस्याग्रस्त गांवों को कवर करने के लिए 1992-93 में उड़ीसा सरकार को 12.81 करोड़ रुपये की विशेष सहायता आवंटित की गई थी। इसमें से 10 करोड़ रुपये का राशि पहले ही रिलीज की जा चुकी है और 2.81 करोड़ रुपये की शेष राशि 1992-93 में रिलीज कर दी जाएगी।

(ख) 682 समस्याग्रस्त गांवों (जिनमें 1991-92 के बकाया 187 समस्याग्रस्त गांव शामिल हैं) को 1992-93 में स्वच्छ पेयजल सुविधाएं मुहैया करा दिये जाने का प्रस्ताव है :

[हिन्दी]

मजदूरों के वेतन से अवैध कटौतियां

1305. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

क्या प्रधान मन्त्री मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली स्थित कुछ फैक्टरियों के प्रबंधक विशेष रूप से उन मजदूरों के वेतनों से अवैध कटौतियां कर रहे हैं जिन्होंने सरकार की आर्थिक और औद्योगिक नीतियों के विरुद्ध हड़ताल में भाग लिया था; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पवन सिंह घटोवार) : (क) दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार, उन्हें वेस्टन इलेक्ट्रानिक्स लि., आजाद, नई दिल्ली की कर्मकार यूनियन से ऐसी एक शिकायत प्राप्त हुई है। इसके आजाद औद्योगिक क्षेत्र में स्थित दो कारखानों के 112 कर्मकार 7.11.1991 को कर्मकारों के अधिकारों और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋण की शर्तों से सम्बन्धित व्यवसाय संघ के कार्यक्रम में भाग लेने के कारण अनुपस्थित रहे। दिसम्बर, 1991 को मजदूरी से इन कर्मकारों की आठ दिन की मजदूरी की कटौती की गयी है। प्रबंधतंत्र का यह कहना है कि ये कटौतियां मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 की धारा 9 के परन्तुक के अनुसार की गयी हैं, जिसमें कर्मकारों द्वारा कार्यस्थल से अनुपस्थित रहने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाई करने की व्यवस्था है।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने मजदूरी सन्दाय अधिनियम, 1936 के अन्तर्गत उक्त शिकायत की जांच की थी। संबद्ध निरीक्षक ने प्रबंधतंत्र को इस आशय का एक लिखित अनुदेश भेजा था कि प्रबंधक वर्ग 7.11.91 को इन कर्मकारों के अनुपस्थित रहने के लिए 8 दिन की मजदूरी की कटौती न करें। जिन प्रबंधतंत्रों ने ये कटौतियां की हैं उन्होंने निरीक्षक के लिखित आदेश का पालन नहीं

किया है और ऐसे आदेश जारी करने वाले निरीक्षक के क्षेत्राधिकार को चुनौती भी दी है। शिकायत करने वाली यूनियन को कटौतियों का ब्यौरा प्रस्तुत करने के अनुदेश दिए गए हैं ताकि दिल्ली प्रशासन आगे की कार्रवाई पर विचार कर सके।

[अनुवाद]

आन्ध्र प्रदेश में विकास केन्द्र

1306 श्री जी. एम. सी. बालयोगी :
क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में स्थापित किये जाने वाले विकास केन्द्रों का ब्यौरा क्या है,

(ख) क्या सरकार का विचार पूर्वी गोदावरी जैसे तटवर्ती जिले, विशेष रूप से अमलापुरम क्षेत्र, जो औद्योगिक रूप से कम विकसित है, किन्तु जहां प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल के प्रचुर संसाधन हैं, में कोई विकास केन्द्र स्थापित करने का है,

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(घ) इसे कब तक स्थापित किये जाने की सम्भावना है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) विकास केन्द्र योजना के अधीन आन्ध्र प्रदेश को चार विकास केन्द्र आवंटित किये गये हैं, जिनमें से अनन्तपुर, खम्मम, प्रकासम और विजयानगरम जिलों में प्रत्येक में एक विकास केन्द्र स्थापित किया जायेगा। यह योजना 8वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कार्यान्वित की जायेगी।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत तमिलनाडु को धनराशि का आवंटन

1307. श्री सी. के. कुप्पुस्वामी :
क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992-9 के लिये तमिलनाडु सरकार को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम और समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ख) गत वर्ष तमिलनाडु सरकार को विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गई तथा उसने कितनी राशि का उपयोग किया है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकटस्वामी) : (क) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम को 1.4.1989 से बन्द कर दिया

गया है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम हेतु वर्ष 1992-93 के लिए निधियों का राज्यवार आवंटन अभी तक नहीं किया गया है।

(ख) मांगी गई सूचना नीचे दर्शायी गई है :—

| | (करोड़ रुपये में) | |
|---|---|---|
| | आवंटन | उपयोग |
| राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम | शून्य | शून्य |
| ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम | शून्य | शून्य |
| समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम | 49.40 | 49.04 |

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत महाराष्ट्र के आदिवासियों को सहायता

1308 प्रो. राम कापसे :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के ठाणे, नासिक और धुले जिलों में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत तीन वर्षों के दौरान कितने आदिवासियों को लाभ पहुंचा; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान (उक्त प्रत्येक जिले के लिए) कुल कितनी धनराशि स्वीकृत हुई और जारी की गई ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकटस्वामी) : (क) और (ख) जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत महाराष्ट्र के ठाणे, नासिक और धुले जिलों में लाभान्वित आदिवासियों की संख्या बताना संभव नहीं है क्योंकि भारत सरकार लाभान्वित हुए लोगों की संख्या के रूप में कार्यक्रम के लाभों की निगरानी (मानिटरिंग) नहीं करती है। इसकी निगरानी मुख्यतः रोजगार के श्रम-दिवसों के रूप में की जाती है। जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत 1989-90 से 1991-92 (जनवरी, 1992 तक) तक की अवधि के दौरान ठाणे, नासिक और धुले जिलों में आवंटित और रिलीज की गई धनराशि के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

(लाख रुपए में)

| क्र.सं. | जिले का नाम | 1989-90 | | 1990-91 | | 1991-92 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | आवंटित राशि | रिलीज की गई राशि | आवंटित राशि | रिलीज की गई राशि | आवंटित राशि | रिलीज की गई राशि |
| 1. | ठाणे | 1291.63 | 1285.56 | 1352.22 | 1289.53 | 1352.22 | 1081.44 |
| 2. | नासिक | 1438.53 | 1431.77 | 1350.68 | 1267.45 | 1350.68 | 1077.46 |
| 3. | पुणे | 1698.85 | 1690.87 | 1602.41 | 1505.60 | 1602.41 | 1278.2 |

कोल इन्डिया लि. के प्रबन्ध बोर्ड का पुनर्गठन

1309. श्री वसुदेव आचार्य ।

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोल इन्डिया लि. के प्रबन्ध बोर्ड का पुनर्गठन करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय के उप मंत्री (श्री एस. बी. न्यायगौड़) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार ने दिनांक 2 12.1991 से कोल इंडिया लि. के निदेशक बोर्ड को निम्नलिखित रूप में पुनः गठित किया है :—

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | अध्यक्ष, कोल इंडिया लि. | — | पूर्णकालिक |
| 2. | निदेशक (पी. एंड आई. आर.), को. इं. लि. | — | पूर्णकालिक |
| 3. | निदेशक (वित्त), को. इं. लि. | — | पूर्णकालिक |
| 4. | निदेशक (तकनीकी), को. इं. लि. | — | पूर्णकालिक |
| 5. | को. इं. लि. की सहायक कंपनियों से और सिं. को. कं. लि. से बारी-बारी से | — | अंशकालिक |
| 6. | दो अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशकों को नियुक्त किया जाएगा । | — | अंशकालिक |
| 7. | सलाहकार रेलवे बोर्ड | — | अंशकालिक |
| 8. | निदेशक (संचलन) भारतीय इस्पात प्राधिकरण | — | अंशकालिक |
| 9. | सदस्य (संचलन) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण | — | अंशकालिक |
| 10. | अपर सचिव, कोयला मन्त्रालय | — | अंशकालिक |
| 11. | संयुक्त सचिव व वित्त सलाहकार, कोयला मंत्रालय | — | अंशकालिक |
| 12. | एफ. आई. सी. सी. आई./एस्सोचेम, आदि के प्रतिनिधि (इसके प्रतिनिधि को एक वर्ष के लिए नामित किया जाएगा) । | — | अंशकालिक |
| 13. | श्रमिक प्रतिनिधि—इनके प्रतिनिधि को एक वर्ष के लिए नामित किया जाएगा । | — | अंशकालिक |

14. प्रबंधन विशेषज्ञ—इसके प्रतिनिधि को एक — अंशकालिक वर्ष के लिए नामित किया जाएगा।

क्रम सं. 12 व 13 की नियुक्तियों को सरकार द्वारा प्रतिनिधियों के सम्बन्ध में चयन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिए जाने के बाद अधिसूचित किया जाएगा।

सातवीं पंचवर्षीय योजना का कार्य निष्पादन

1310 श्री प्रकाश वी. पाटील :

क्या योजना और कार्यक्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस मूल्यांकन के सकारात्मक एवं निषेधात्मक पहलुओं का ब्योरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : (क) जी, हां। सातवीं योजना के दौरान अर्थव्यवस्था के कार्य निष्पादन की समीक्षा नवीनतम प्राप्त सूचना के आधार पर व्यापक वृहद सूचकों के रूप में की गई है।

(ख) सातवीं योजना में चुनिंदा वृहद समूहों के रूप में अर्थव्यवस्था का समग्र कार्य निष्पादन निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है :—

चुनिंदा सूचकों के रूप में (1985-90) में सातवीं योजना के दौरान अर्थव्यवस्था का निष्पादन

| | सातवीं योजना | |
|---|---|---|
| | लक्ष्य | उपलब्धि |
| | 1 | 2 |
| 1. सकल घरेलू उत्पाद विकास दर (प्रतिशत प्रतिवर्ष औसत) | 5 प्रतिशत | 5.8 प्रतिशत |
| 2. उत्पादन (मिलियन टनों में) अन्तिम वर्ष (1989-90) | 175.0 | |
| (क) खाद्यान्न | 175.0 | 171.0 |

| | 1 | 2 |
|---|---|---|
| (ख) तिलहन | 16.2 | 16.9 |
| (ग) गन्ना | 212 | 225.6 |
| 3. औद्योगिक उत्पादन | | |
| (विकास दर-वार्षिक औसत) | 8.7 प्रतिशत | 8.5 प्रतिशत |
| (क) विनिर्माण | 8 प्रतिशत | 8.8 प्रतिशत |
| (ख) खान और उत्खनन | 13 प्रतिशत | 5.7 प्रतिशत |
| (ग) विद्युत | 12 प्रतिशत | 9.4 प्रतिशत |
| 4. बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पादन के प्रतिशत के रूप में चालू खाते का घाटा | 1.6 प्रतिशत | 2.2 प्रतिशत |
| 5. निर्यात (प्रतिवर्ष औसत-मात्रा विकास दर-प्रतिशत) | 7.0 | 7.8 (12.8)× |
| 6. सकल घरेलू उत्पाद एम. पी. के प्रतिशत के रूप में बचत | 1984-85 (आंकड़े) | 1989-90 (आंकड़े) |
| 6.1 सकल घरेलू बचत | 18.2 | 22.3 |
| 6.2 सरकारी बचत | 28.2 | 1.56 |

उपर्युक्त सारणी की टिप्पणी

× तीन वर्षों (1986-87 से 1988-89) की वास्तविक मात्रा पर और 1989-90 के लिए अनुमानित वृद्धि पर आधारित अनुमानित औसत।

प्रति व्यक्ति खपत की वृद्धि दर में महत्वपूर्ण वृद्धि और गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों में प्रतिशतता में कमी आना सातवीं योजना के दौरान कार्य-निष्पादन की कुछ अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। सार्वजनिक बचतों की दर में कमी आना कार्य निष्पादन की एक महत्वपूर्ण नकारात्मक विशेषता है।

### नारियल जटा उद्योग में मन्दी

1311. श्री कोडीकुन्नील सुरेश :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या नारियल जटा उद्योग गिरावट मन्दी के दौर से गुजर रहा है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है,

(ग) क्या इस उद्योग को पुनः सक्षम बनाने की कोई योजना विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) और (ख) कयर मुख्य रूप से एक निर्यातोन्मुख उद्योग है। हाल में कयर और कयर उत्पादों का निर्यात कार्य निष्पादन बहुत उत्साहजनक रहा है। अप्रैल-1991 से जनवरी, 1992 के दौरान कयर से 55.97 करोड़ रु. की निर्यात आय हुई थी। जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 39.68 करोड़ रु. की निर्यात आय हुई थी। निर्यात में वृद्धि से कयर उद्योग में अनुकूल प्रवृत्ति का पता लगता है।

(ग) और (घ) कयर बोर्ड केन्द्र सरकार की सहायता से कयर उद्योग के विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वित करता रहा है। कुछ कार्यक्रम इस प्रकार हैं :—

(1) कयर उद्योग में सहकारिताकरण के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना।

(2) बाजार विकास के लिए छूट योजना।

(3) विदेशी प्रचार व बाजार संवर्धन कार्यक्रम।

(4) उत्पादकता में सुधार करने और संशोधित उपकरणों का प्रारम्भ करने के लिए अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रम।

(5) कामगारों की दशा तथा कार्य के वातावरण में सुधार करना।

**भारत-जापान अध्ययन दल की रिपोर्ट**

1312. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान के पूंजी निवेशक भारत में निवेश करने की स्थिति के बारे में अभी भी अनिश्चित हैं जैसा कि 29 जनवरी, 1992 के "टाइम्स आफ इन्डिया" में भारत-जापान अध्ययन दल की रिपोर्ट द्वारा किए गए खुलासे के बारे में समाचार प्रकाशित हुआ है,

(ख) यदि हां, तो जापान के निवेशकों द्वारा किए गए अनुरोधों/मांगों का ब्योरा क्या है; और

(ग) इन अनुरोधों/मांगों पर केन्द्रीय सरकार ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) से (ग) टाइम्स आफ इन्डिया की रिपोर्ट में जनवरी, 1992 में जापानी आर्थिक मिशन के भारत के दौरे और भारत जापान व्यापार सहयोग समिति का मिशन के दौरे के समय हुई बैठक का उल्लेख है। इस मिशन के दौरे का उद्देश्य नए निवेश हेतु वातावरण का मूल्यांकन करना तथा भारत में जापान के निवेश सम्बन्धी स्तर को बढ़ाने की सम्भावनाओं का पता लगाना था। जैसा सामान्यतः होता है, ऐसे विचार-विमर्शों के दौरान उक्त मिशन के सदस्यों ने सम्बन्धित मन्त्रालयों एवं भारत सरकार के

अधिकारियों के साथ अपनी बैठक के दौरान भारत में विदेशी निवेश संबंधी नीतियों तथा प्रक्रियाओं से संबंधित कुछ मामलों पर स्पष्टीकरण मांगा। मिशन को इन मुद्दों पर आवश्यक स्पष्टीकरण दे दिया गया।

नयी औद्योगिक नीति की घोषणा के बाद से 31 दिसम्बर, 1991 तक जारी किए गए विदेशी सहयोग अनुमोदनों में जापानी कम्पनियों द्वारा प्रस्तावित भारत में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 40.32 करोड़ रुपए है। यह कलैण्डर वर्ष 1990 के दौरान अनुमोदित जापानी निवेश से 8 गुना अधिक है।

[हिन्दी]

महिला कर्मचारियों के लिए आरक्षण

1313- श्री शिव शरण वर्मा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महिलाओं के लिए आरक्षण सम्बन्धी मामले की जांच की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयन्तीबेन आत्वा) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार के अधीन सेवाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण संबंधी मामला विचाराधीन है।

औषध उद्योग में ऋण लाइसेंस योजना

1314. श्री शिव शरण वर्मा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच औषध उद्योग में ऋण लाइसेंस योजना से संबंधित सुझावों और अभ्यावेदनों को जांच कर ली है;

(ख) यदि हां; तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा. चिन्ता मोहन) : (क) से (ग) ऋण लाइसेंस योजना के सम्बन्ध में औषध उद्योग से प्राप्त सुझावों और अभ्यावेदनों को स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रस्तावों से ध्यान में रखा गया है। अभी यह मामला न्यायाधीन है।

[अनुवाद]

सहकारी सामूहिक आवास समितियों को भूमि का आवंटन

1315. डा असीम बाला :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली में पंजीकृत सहकारी आवास समितियों को भूमि आवंटित करने का है;

(ख) यदि हां, तो भूमि के आवंटन के लिए क्या मानदंड अपनाए जाते हैं; और

(ग) इस भूमि का प्रस्तावित मूल्य कितना है ?

शहरी विकास मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली में सामूहिक आवास समितियों को भूमि आवंटन करने का मानदंड सम्बन्धी मामला इस समय भारत के उच्चतम न्यायालय के समक्ष न्याय-निर्णयाधीन है।

(ग) सामूहिक आवास समितियों को भूमि का आवंटन समय-समय पर अधिसूचित पूर्व-निर्धारित दरों पर किया जाता है।

## विदेशी ब्रांड-नामों का प्रयोग

1316. श्री बापू हरि चौरे :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने हाल ही में घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित वस्तुओं के लिए विदेशी ब्राण्ड के नामों का उपयोग करने की अनुमति देने के बारे में निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) से (ग) सरकार ने भारत में ब्रान्ड नामों/ट्रेडमार्कों, चाहे विदेशी हों या भारतीय, के प्रयोग पर कोई प्रतिबंध न लगाने का निर्णय किया है; बशर्ते कि इससे देश के किसी कानून, नियमों अथवा विनियमों का उल्लंघन न होता हो।

## कृषि श्रमिक

1317. श्री बापू हरि चौरे :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि कार्यों में लगे हुए व्यक्तियों की वर्तमान संख्या के बारे में राज्यवार कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कृषि श्रमिक, कृषक, भूस्वामी अथवा सांझा-कृषकों की संख्या में कोई कमी या वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घोटाबार) : (क) जी, हां।

(ख) (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

| क्रम सं. | राज्य/संघ शा. क्षेत्र | 1981 की जनगणना | | 1991 की जनगणना | | वृद्धि | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | खेतिहर | कृषि श्रमिक | खेतिहर | कृषि श्रमिक | खेतिहर | कृषि श्रमिक |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | भारत | 92522835 | 55499704 | 110588822 | 74619217 | 18065987 | 19119513 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 7407938 | 8325017 | 7880336 | 11573566 | 472398 | 3248549 |
| 2. | असम | जनगणना नहीं की गयी | | 3622017 | 11386 | — | — |
| 3. | बिहार | 9042085 | 7366973 | 11136077 | 9544444 | 2093992 | 2177471 |
| 4. | गुजरात | 4114744 | 2488300 | 4721656 | 3242069 | 606912 | 753769 |
| 5. | हरियाणा | 163688 | 590324 | 1807196 | 895957 | 170314 | 305633 |
| 6. | हिमाचल प्रदेश | 1001529 | 40072 | 1127199 | 60886 | 125670 | 20814 |
| 7. | जम्मू एवं कश्मीर | 1033897 | 63540 | जनगणना नहीं की गयी | | — | — |
| 8. | कर्नाटक | 5222032 | 3655197 | 5924533 | 4957496 | 702501 | 1302299 |
| 9. | केरल | 887232 | 1917362 | 1014078 | 2103395 | 127446 | 186033 |
| 10. | मध्य प्रदेश | 10414270 | 4857829 | 12947296 | 5863961 | 2533025 | 100 0132 |
| 11. | महाराष्ट्र | 8535910 | 6470855 | 10133538 | 8311402 | 1597728 | 1840547 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | मणिपुर | 364621 | 28613 | 389690 | 63350 | 25069 | 34737 |
| 13. | मेघालय | 363010 | 57899 | 404561 | 95895 | 41551 | 37996 |
| 14. | नागालैण्ड | 266241 | 2979 | 344666 | 23889 | 78425 | 20910 |
| 15. | उड़ीसा | 4053310 | 2396974 | 4556737 | 2973455 | 503427 | 576481 |
| 16. | पंजाब | 1767286 | 1092225 | 1981675 | 1406953 | 214389 | 314728 |
| 17. | राजस्थान | 6431263 | 364625 | 8204267 | 1404387 | 1773004 | 639762 |
| 18. | सिक्किम | 88610 | 4887 | 96528 | 13280 | 7918 | 8393 |
| 19. | तमिलनाडु | 5559103 | 6037601 | 5729489 | 7846190 | 170386 | 1808589 |
| 20. | त्रिपुरा | 263427 | 146089 | 301856 | 186671 | 38429 | 40582 |
| 21. | उत्तर प्रदेश | 18897772 | 5177074 | 21846902 | 7950047 | 2889130 | 2774973 |
| 22. | पश्चिम बंगाल | 4590934 | 3891531 | 5835172 | 5037075 | 1244238 | 1145544 |
| 23. | अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह | 10274 | 2337 | 1440 | 4867 | 4166 | 2530 |
| 24. | अरुणाचल प्रदेश | 223358 | 7796 | 237918 | 19074 | 14560 | 11278 |
| 25. | चण्डीगढ़ | 2164 | 856 | 2281 | 1564 | 117 | 708 |
| 26. | दादरा एवं नगर हवेली | 26144 | 4592 | 36101 | 6424 | 9957 | 1842 |
| 27. | दिल्ली | 34841 | 16131 | 3756 | 255260 | 2728 | 9395 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. | गोवा दमन दीव | 62572 | 31394 | 56474 गोवा + 3294 दमन दीव | 35162 गोवा +1174 दमन दीव | (-)2804 | 5942 |
| 29. | लक्षद्वीप | — | — | — | — | — | — |
| 33. | मिजोरम | 146545 | 5118 | 176713 | 10835 | 31168 | 5717 |
| 31. | पांडिचेरी | 15891 | 54514 | 17863 | 76837 | 2022 | 22323 |

आंकड़ों में "कटाईदार" भी शामिल हैं। इनमें "भू स्वामी" भी शामिल हैं, यदि वे अपनी भूमि पर स्वयं काम करते हैं या खेती का निरीक्षण करते हैं।

स्रोत : जनगणना

हिन्दी]

प्लाटों की नीलामी

1318. श्री बारे लाल जाटव :

क्या शहरी विकास मन्त्री 20 नवम्बर, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्लाटों की नीलामी के बारे में जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में विलम्ब के क्या कारण हैं।

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम्) : (क) से (ग) यह मामला अभी सरकार के विचाराधीन है तथा अन्तिम निर्णय अभी किया जाना है।

[अनुवाद]

औषध उद्योग में पूंजी निवेश

1319. श्री विजय नवल पाटिल :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस शताब्दी के अन्त तक देश को कितनी दवाइयों की आवश्यकता होगी,

(ख) इस पर अनुमानतः कितनी धनराशि खर्च होगी,

(ग) क्या उस अवधि के दौरान पूंजी-निवेश के लिए आवश्यक संसाधनों का भी पता लगा लिया गया है, और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. चिन्ता मोहन) : (क) से (घ) यह अनुमान लगाया गया है कि इस शताब्दी के अन्त तक लगभग 6,000 करोड़ रुपये की दवाइयों की आवश्यकता होगी और उत्पादन के इस स्तर को प्राप्त करने के लिए लगभग 3000 करोड़ रु. के अतिरिक्त निवेश की आवश्यकता होगी।

जे. जे. रिहायशी यूनिटों की आवास योजनाओं हेतु धनराशि

1320. श्री पीयूष तीरकी :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झुग्गी झोंपड़ी विहायशी इकाइयों के लिए आवास योजनाओं हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण के स्लम विभाग को कोई धनराशि आवंटित की गई थी;

(ख) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि उपयोग की गई और यदि कोई धनराशि वापस की गयी है, तो वह कितनी थी; और

(ग) पूरी धनराशि का उपयोग न करने के क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) यह सूचित किया गया है कि दिल्ली प्रशासन द्वारा आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों को स्व सहायता आवास के लिए विकसित भू-खण्ड मुहैया करने की योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रारम्भिक कदम उठाने हेतु स्लम विंग, दिल्ली विकास प्राधिकरण को समर्थ बनाने के लिए 1582.40 लाख रुपये की धनराशि रिलीज की गई थी।

(ख) चूंकि सरकार द्वारा योजना को अनुमोदित नहीं किया गया था, अत. दिल्ली प्रशासन द्वारा रिलीज की गयी निधियों में से केवल 5000 रुपये की धनराशि खर्च की गई थी। इस राशि को वापस करने के लिए पहले ही कदम उठा लिए गए हैं और अब तक दिल्ली प्रशासन को पहले ही 581.75 लाख रुपये की धन राशि वापस की जा चुकी है।

(ग) सरकार द्वारा योजना को अनुमोदित न किये जाने के कारण इस योजना के अन्तर्गत रिलीज की गयी धनराशि का उपयोग पूरी तरह नहीं किया जा सका।

[हिन्दी]

शाहदरा की सब्जी मंडी का स्थानान्तरण

1321. श्री पीयूष तीरकी :

(क) क्या दिल्ली में शाहदरा की सब्जी मंडी को किसी अन्य जगह पर स्थानान्तरित करने की योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख) दिल्ली कृषि विपणन बोर्ड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार शाहदरा की सब्जी मंडी को गाजीपुर में स्थानान्तरित किया जाना प्रस्तावित है जहां दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 5 एकड़ भूमि आवंटित की गई है।

[अनुवाद]

कोल इंडिया लि. के कोयला हैंडलिंग एजेंट

1322. श्री पीयूष तीरकी :

क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि. ने अपनी नई नीति के अन्तर्गत उपभोक्ताओं को कोयले का वितरण करने के लिए कोयला हैंडलिंग एजेंटों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस नई नीति का ब्योरा क्या है ?

कोयला मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) और (ख) कोल इंडिया लि. कोयले के वितरण करने के लिए कोई एजेन्ट नियुक्त नहीं करता है। किन्तु वे खुली निविदाएं आमंत्रित करने के पश्चात् अपने स्टाकयार्डों के प्रबंधन के लिए एजेन्ट नियुक्त करता है। कोल इंडिया लि. कस्टाकयार्डों की कार्य प्रणाली के विरुद्ध प्राप्त कई शिकायतों को ध्यान में रखते हुए सरकार का यह विचार है कि कोयला स्टाकयार्डों का स्थापना तथा उनका प्रबंधन राज्य सरकारों अथवा उनकी एजेंसियों द्वारा किया जाए।

## पिछड़े जिलों में समेकित आधारभूत विकास योजना

1323. श्री भगवान शंकर रावत :

क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के पिछड़े जिलों में समेकित आधारभूत विकसित करने का है,

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्योरा क्या है तथा उन जिलों के नाम क्या हैं जहां पर यह योजना लागू किए जाने की संभावना है,

(ग) किसी जिले को "पिछड़े जिले" के रूप में चयन करने हेतु क्या मानदण्ड है, और

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन योजनाओं के अन्तर्गत कितनी धनराशि खर्च किये जाने का प्रस्ताव है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) से (घ) लघु, अत्यन्त छोटे एवं ग्राम्य उद्यमों को बढ़ावा देने और इन्हें सुदृढ़ बनाने के लिए 6 अगस्त, 1991 को घोषित नीति संबंधी उपायों के अनुसरण में ग्रामीण/पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योगों के लिए एक समेकित मूलभूत विकास योजना (प्रौद्योगिकीय प्रोत्साहन सेवाओं सहित) का प्रारूप तैयार कर लिया गया है और इसे आठवीं पंचवर्षीय (1992-97) के प्रस्तावों में शामिल कर लिया गया है। इस योजना के ब्योरे केंद्र और राज्य/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों में संबंधित प्राधिकरणों के साथ परामर्श करके तैयार किए जा रहे हैं।

## हिमाचल प्रदेश में "हुडको" द्वारा निर्मित मकान

1324. श्री डी. डी. खनोरिया :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में "हुडको" और अन्य एजेंसियों ने आवास उपलब्ध कराने के लिए गत तीन वर्षों के दौरान कितने मकानों का निर्माण किया;

(ख) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए "अन्त्योदय" और

इन्दिरा आवास योजना" के अतिरिक्त कोई अन्य आवासीय योजना संघ सरकार के पास विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों का निर्माण करने से हुडको का सीधा सम्बन्ध नहीं है। तथापि, निर्धन भूमिहीनों की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देते हुए ग्रामीण आवासों के विभिन्न वर्गों के लिए, मकानों का निर्माण/उन्नयन करने के लिए, सार्वजनिक आवास एजेन्सियों तथा अन्य पात्र संस्थानों को यह ऋण सहायता प्रदान करता है, 1988-89 के दौरान हुडको ने हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 11190 रिहायशी एककों के निर्माण के लिए ऋणों की मंजूरी प्रदान की है। 1989-90 से 1991-92 के दौरान हिमाचल प्रदेश से हुडको द्वारा कोई ग्रामीण आवास स्कीमें प्राप्त नहीं की गई हैं। इन्दिरा आवास योजना की केन्द्रीय स्कीम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा गरीबी रेखा के नीचे मुक्त बंधुआ मजदूरों के लिए 1988-89 से 1990-91 के दौरान हिमाचल प्रदेश में 130 मकानों का निर्माण किए जाने की सूचना दी गई है।

(ख) और (ग) ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिये 20 वर्ग मीटर के आच्छादित क्षेत्र के साथ स्टार्टर मकानों की व्यवस्था करने के लिए सरकार ने 8वीं पंचवर्षीय योजना में एक ग्रामीण आवास स्कीम तैयार की है। ब्यौरों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है तथा अनुमोदित किया जाना है।

## गाडगिल फार्मूला

1325. श्री के. चोक्का राव :

श्री राम लखन सिंह यादव :

श्री आर.एल. जालप्पा :

क्या योजना और कार्यान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गाडगिल फार्मूला की पुनरीक्षा के लिए गठित की गई समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो समिति ने क्या सिफारिशें की हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : (क) से (ग) जी, हां।

समिति की सिफारिशों पर राष्ट्रीय विकास परिषद ने 23 और 24 दिसम्बर, 1991 को हुई अपनी बैठक में विचार किया और फार्मूले को निम्नलिखित रूप में अनुमोदित किया गया :—

I. कुल केन्द्रीय सहायता से, विदेशी सहायता प्राप्त (योजनाओं) स्कीमों के लिए अपेक्षित निधियों को अलग रखना, जैसा कि अब किया जा रहा है।

II. शेष राशि में से विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों के लिए समुचित राशि रखना, जैसे :—

(क) पहाड़ी क्षेत्र,

(ख) जनजाति क्षेत्र,

(ग) सीमावर्ती क्षेत्र, और

(घ) एन. ई. सी.

III. दक विशेष अपेक्षा वाले राज्यों के लिये शेष राशि में से 30 प्रतिशत राशि रखते हुए, और

IV. निम्नलिखित मानदण्डों के अनुसार पन्द्रह गैर-विशिष्ट श्रेणी के राज्यों के बीच शेष राशि का आवंटन

| मानदण्ड | | भारिमान (%) |
|---|---|---|
| I. | जनसंख्या (1971) | 60 प्रतिशत |
| II. | प्रतिव्यक्ति आय जिसमें | 25 प्रतिशत |
| | (क) विचलन विधि के अनुसार जिनमें केवल के राज्य आते हैं जिनकी प्रति व्यक्ति एस. डी. पी., राष्ट्रीय औसत से कम है। | 20 प्रतिशत |
| | (ख) "अन्तर" विधि के अनुसार सभी 15 राज्य | 5 प्रतिशत |
| III. | कार्य निष्पादन | 7.5 प्रतिशत |
| | (क) पूर्व याचगिल फार्मूले में यथा परिभाषित "कर प्रयास" अनुसार | 2.5 प्रतिशत |
| | (ख) पूर्व संशोधित फार्मूले में यथा परिभाषित राजकोषीय प्रबन्धन के अनुसार, और | 2.5 प्रतिशत |
| | (ग) राष्ट्रीय लक्ष्यों के बारे में प्रगति के अनुपात | 2.5 प्रतिशत |

IV. विशेष समस्याएं

राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के निश्चित कार्यक्रमों के बारे में कार्य निष्पादन के मानदण्ड के तहत अनुमोदित फार्मूले में चार लक्ष्य शामिल हैं, जैसे :—

(I) जनसंख्या नियंत्रण (II) निरक्षरता उन्मूलन (III) विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के समय पर पूरा करना और (IV) भूमि सुधार में सफलता।

**कोल इंडिया लि. तथा इसकी सहायक कंपनियों का कार्यकरण**

1326. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कोल इंडिया लि. और इसकी सहायक कम्पनियों के कार्यकरण से संतुष्ट है;

(ख) क्या सरकार को कोयले के वितरण की दरों तथा इसकी अधिसूचित दरों में अन्तर होने के बारे में अनेक शिकायतें मिली हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके बारे में कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) क्या उन्हें अपने कार्यकरण में सुधार करने हेतु दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो कोल इंडिया लि. और इसकी सहायक कम्पनियों के कार्यकरण में कितना सुधार होगा ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी. ए: संगमा) : (क) शायद इस संबंध में माननीय सदस्य का संदर्भ को. इं. लि. और इसकी सहायक कम्पनियों के उत्पादन के कार्य निष्पादन से है। अप्रैल, 1991 से जनवरी, 1992 की अवधि के दौरान को. इं. लि. की कम्पनियों ने पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान उत्पादित किए गए 142.86 मिलियन टन कोयले की तुलना में 157.73 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया, अत: पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में कोयले के उत्पादन में 10.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(ख) से (ङ) कोयले के ग्रेडों में उपभोक्ताओं से ग्रेडों में परिवर्तन होने सम्बन्धी शिकायतें कोयला नियंत्रक द्वारा सुनी जाती है। वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान कोयला नियंत्रक द्वारा उक्त शिकायतों पर की गई कार्रवाई और प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

| वर्ष | प्राप्त शिकायतों की संख्या | | | की गई कार्रवाई |
|---|---|---|---|---|
| | ओपेनकास्ट खान | भूमिगत खान | जोड़ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1990-91 | 80 | 11 | 91 | 27 सीमों का दर्जा घटाया गया है। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 1991-92 | 99 | 15 | 114 | 5 खोलों का दर्जा घटाया गया है और ग्रेडों की जांच किये जाने के लिए 33 नमूने एकत्रित किए गए हैं। |

बड़ी ओपेनकास्ट खानों के कोयले की गुणवत्ता में कभी-कभी कोयले में अपरिहार्य रूप से कंकड़ तथा अन्य अवशिष्ट सामग्री मिश्रित हो जाने के कारण कमी आ जाती है। किन्तु इस सम्बन्ध में कोयले की गुणवत्ता की जांच किए जाने के लिए सख्त उपाय किये जा रहे हैं ताकि उपभोक्ता उसी गुणवत्ता का कोयला प्राप्त करें जिसके लिए वे अदायगी कर रहे हैं। कोयला कम्पनियों को खनन पद्धति के सम्बन्ध में अधिक सतर्क रहने की सलाह दी गई है ताकि कोयले में से अवशिष्ट सामग्री को चुने जाने के सम्बन्ध में भी कुछ प्रयास किए गए हैं। कोयला उत्पादन करने वाली यूनिटें "इनपिट क्रेशर" स्थापित कर रही है ताकि बड़े आकार के कोयले की आपूर्ति से बचा जा सके और कोयले की गुणवत्ता में सामानीकरण लाया जा सके।

[हिन्दी]

## उर्वरक कारखाने

1327. श्री विश्वनाथ शास्त्री :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कितने उर्वरक कारखाने हैं;

(ख) इनमें से प्रत्येक कारखाने की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है और उसमें कितनी मात्रा में उर्वरक का उत्पादन हो रहा है;

(ग) क्या सरकार का विचार विदेशी सहयोग से कुछ नये उर्वरक कारखाने स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मंत्री (डा. चिन्ता मोहन) : (क) और (ख) अप्रैल, 1991 से जनवरी, 1992 तक देश में उर्वरक कारखानों जिनमें सिंगल सुपर फास्फेट बनाने वाले कारखाने भी शामिल हैं, को उनकी स्थापित क्षमता और उत्पादन के साथ दर्शाने वाला विवरण पत्र I और II संलग्न है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

1991-92 के दौरान संयंत्रवार वार्षिक स्थापित क्षमता, वास्तविक उत्पादन।

नाइट्रोजन (000 मी. टन)

| संयंत्र का नाम | 1991-92 नाइट्रोजन के रूप में स्थापित क्षमता | 1991-92 (अप्रैल-जनवरी) वास्तविक उत्पादन |
|---|---|---|
| (I) सार्वजनिक क्षेत्र | | |
| एफ. सी. आई : | | |
| सिकन्दरी आधुनिकीकरण | 219 | 78.2 |
| गोरखपुर | 131 | — |
| रामागुण्डम | 228 | 70.4 |
| तालचर | 228 | 42.8 |
| योग एफ.सी.आई | 806 | 191.4 |
| एच.एफ.सी.आई. | | |
| नामरुप-I | 21 | 0.1 |
| नामरुप-II | 152 | 25.9 |
| नामरुप-III | 177 | 67.4 |
| दुर्गापुर | 152 | 36.8 |
| बरौनी | 152 | 23.8 |
| योग एच.एफ.सी.आई. | 654 | 154.0 |

| | | |
|---|---|---|
| एन.एच.एल. : | | |
| नांगल-I | 80 | 43.3 |
| नांगल-II | 152 | 116.3 |
| भटिण्डा | 235 | 202.9 |
| पानीपत | 235 | 167.1 |
| विजयपुर | 334 | 348.8 |
| योग एन.एफ.एल | 1036 | 878.9 |
| फैक्ट : | | |
| उद्योगमण्डल | 98 | 44.3 |
| कोचीन-I | 152 | 74.6 |
| कोचीन-II | 96 | 92.4 |
| योग फैक्ट | 346 | 211.3 |
| आर.सी.एफ. : | | |
| ट्राम्बे | 00 | 62.4 |
| ट्राम्बे-4 | 75 | 48.6 |
| ट्राम्बे-5 | 152 | 96.0 |
| चाल | 683 | 481.7 |
| योग आर.सी.एफ. | 1000 | 688.7 |
| एम.एफ.एल. : मद्रास | 176 | 117.9 |
| सेल-राउरकेला | 120 | 39.3 |
| एन.एल.सी. : नेवेली | 70 | 52 0 |
| पी.पी एल.-पारादीप | 130 | 104.4 |
| उप उत्पाद | 38 | 16.8 |
| योग सार्वजनिक क्षेत्र | 4332 | 2455.6 |

(II) सहकारी क्षेत्र :

| | | |
|---|---|---|
| इफको : कलोल | 188 | 157.2 |
| कांडला | 120 | 113.1 |
| फूलपुर | 228 | 205.6 |
| आंवला | 334 | 325.7 |
| योग | 864 | 801.6 |
| कृभको : हजीरा | 668 | 638.3 |
| योग सहकारी क्षेत्र | 1532 | 2539.9 |

(III) निजी क्षेत्र

| | | |
|---|---|---|
| जी.एस.एम.सी. : बड़ौदा | 236 | 255.7 |
| जी.एफ.एल. : विभाग | 84 | 80.3 |
| एस.एफ.सी. : कोटा | 152 | 139.7 |
| आई.ई.एल. : कानपुर | 310 | 241.5 |
| जैड.ए.सी. : गोवा | 198 | 209.6 |
| स्पिक : तुतीकोरिन | 312 | 315.2 |
| एम.सी.एफ. : मंगलोर | 181 | 119.6 |
| ई.आई.डी.पैरी इन्दौर | 15 | 13.9 |
| जी.एन.एफ.सी. : बहरुच | 240 | 311.5 |
| टी.ए.सी. : तुतीकोरिन अल्कली | 16 | 12.6 |
| पी.एन.एफ. : नागल | 16 | 7.5 |
| एच.एफ.एल. : हल्दिया | 29 | 23.0 |
| आई.जी.एफ.सी.सी. : जगदीशपुर | 334 | 270.9 |
| जी.एस.एफ.सी. : सिक्का | 59 | 53.5 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| जी.एफ.सी. । काकीनाडा | 54 | 51.8 |
| उपउत्पाद | 6 | 2.9 |
| योग निजी क्षेत्र | 2342 | 2109.2 |
| योग (I+II+III) | 8250 | 6804.7 |

| संयंत्र का नाम | 1991-92 | |
|---|---|---|
| | पी 2 ओ 5 के रूप में स्थापित क्षमता | वास्तविक उत्पादन (अप्रैल, 91-जनवरी, 92) पी. 2 ओ. 5 के रूप में |
| 1 | 2 | 3 |
| I. सार्वजनिक क्षेत्र | | |
| फैक्ट : | | |
| उद्योगमण्डल | 30 | 24.0 |
| कोचीन-II | 114 | 104.2 |
| योग, फैक्ट | 144 | 128.2 |
| आर.सी.एफ. : | | |
| ट्राम्बे | 45 | 42.7 |
| ट्राम्बे-4 | 75 | 48.6 |
| योग आर.सी.एफ. | 120 | 91.3 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| एम.एफ.एल. : मद्रास | 112 | 108.8 |
| पी.पी.एल. : पारादीप | 331 | 266.9 |
| ×एस.एस.पी. एकक | | |
| एम.सी.एल. : कैतरी | 30 | 8.8 |
| पी.पी.सी.एल. : अमझोर | 42 | 22.6 |
| आसाम और महाराष्ट्र में ए.एस.पी. एकक | 13 | 4.9 |
| योग एस.एस.पी. एकक | 85 | 36.3 |
| योग सार्वजनिक क्षेत्र | 792 | 894.5 |
| II. सहकारी क्षेत्र | | |
| इफको : काण्डला | 309 | 294.4 |
| III. निजी क्षेत्र | | |
| जी.एस.एफ.सी. : बड़ौदा | 50 | 78.5 |
| सी.एफ.एल. : विजाग | 104 | 84.5 |
| जैड.ए.सी. : गोवा | 111 | 103.0 |
| स्पिक : तुतीकोरिन | 191 | 179.3 |
| एम.सी.एफ. : मंगलोर | 63 | 62.7 |
| जी.एन.एफ.सी. बहरुच | 33 | 20.4 |
| ई.आई.डी. पैरी इन्दोर | 19 | 17.1 |
| एच.एल.एल. : हल्दिया | 71 | 58.9 |
| जी.एस.एफ.सी. : सिक्का | 150 | 116.7 |
| जी.एफ.सी./काकीनाडा | 138 | 135.2 |
| ×एस.एस.पी. एकक | 738 | 403.2 |
| योग निजी क्षेत्र | 1668 | 1269.3 |
| योग (I+II+III) | 2769 | 2195.3 |

×सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में एस एस पी एककों की कुल स्थापित क्षमता अनुबन्ध-II के विवरण के अनुसार पी 2 ओ 5केरु प में 85000+738000=23000 मी. टन है।

विवरण-II

सिंगल सुपर फास्फेट बनाने वाले एककों की सूची

(000 मी. टन)

| क्र. सं. | एकक का नाम | स्थिति (राज्य) | सामग्री के रूप में वार्षिक स्थापित क्षमता | सामग्री के रूप में उत्पादन (अप्रैल, 91-जनवरी) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **सार्वजनिक क्षेत्र** | | | |
| 1. | आसाम स्टेट फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि." वि., चन्द्रापुर | आसाम | 33.0 | 2.6 |
| 2. | हिन्दुस्तान कोपर लि. खेतरी | राजस्थान | 187.0 | 55.0 |
| 3. | महाराष्ट्रा एग्रो इन्डस. डेवलपमेंट कार्पोरेशन-प्रभादेवी, बम्बई | महाराष्ट्र | 46.0 | 14.6 |
| 4 | पाइराइट्स फास्फेट एण्ड केमिकल्स लि. अमबोर | बिहार | 264.0 | 141.3 |
| | योग (सार्वजनिक क्षेत्र) | | 530.0 | 213.5 |
| | **निजी क्षेत्र** | | | |
| 1. | आंध्रा शुगर्स लि.-तानुकु | आंध्र प्रदेश | 66.0 | 42.8 |
| 2. | कृष्णा इंड. कार्पोरेशन लि.-निडादावोले | ,, | 50.0 | 18.8 |
| 3. | प्रगति फर्टिलाइजर्स लि.-विजाग | ,, | 33.0 | 13.5 |
| 4. | कोयम्बटूर पायोनीर फर्टिलाइजर्स लि.-कोयम्बटूर | तमिलनाडु | 41.0 | 28.3 |
| 5. | ई आई डी पैरी (इंडिया) लि-मद्रास | ,, | 50.0 | 42.4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 6. | इन्डाग प्रोडक्ट्स लि..गुडालोर | तमिलनाडु | 86.0 | 42.0 |
| 7. | कोठारी इंडस्ट्रियल कार्पोरेशन लि. | ,, | 66.0 | 42.0 |
| 8. | ला वालेस एण्ड कं. लि.-आवदी | ,, | 98.0 | 62.7 |
| 9. | हिन्दुस्तान फार्मर्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि. | महाराष्ट्र | 50.0 | — |
| 10. | भारत फर्टिलाइजर्स इंड. लि. बम्बई | ,, | 66.0 | 33 5 |
| 11. | भारत फर्टिलाइजर्स इंडस्ट. लि., यूनिट-III बम्बई | ,, | 66.0 | 18.4 |
| 12. | बर्मेसी मोरारजी कैमिकल्स कं.-अम्बरनाथ | ,, | 300.0 | 185.9 |
| 13. | नोवल फर्टिलाइजर्स लि. | ,, | 20.0 | 7.4 |
| 14. | रामा कृषि रसायन लि.-पूसा | ,, | 66.0 | 14 3 |
| 15. | राशि फर्टिलाइजर्स लि.-नासिक | ,, | 33.0 | 26.5 |
| 16. | विदर्भ फास्फेट्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि.. नागपुर | ,, | 66.0 | 46.3 |
| 17. | पटेल नरेन्द्रदास भगवानदास फर्टिलाइजर्स लि. जलगांव | ,, | 33.0 | 4.6 |
| 18. | भिलाई इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लि.- बिलासपुर | मध्य प्रदेश | 66.0 | 58.8 |
| 19. | डी एम सी सी, कुम्हारी | ,, | 212.0 | 109.0 |
| 20. | स्वास्तिक फर्टिलाइजर्स | ,, | 33.0 | — |
| 21. | हर्षवर्धन कैमिकल्स एण्ड मिनरल्स लि. | ,, | 40 0 | 15.5 |
| 22. | खेतान कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि.-इन्दौर | ,, | 66.0 | 76.0 |
| 23. | रामा फास्फेट्स लि. इन्दौर | ,, | 66.0 | 84.9 |
| 24. | यूनियनकम फर्टिलाइजर्स लि -रायसेन | ,, | 66.0 | 84.9 |
| 25. | भारत कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि..अलवर | राजस्थान | 66.0 | 52.0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 26. | लिबर्टी पैस्टीसाइड्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि.-उदयपुर | राजस्थान | 40.0 | 19.2 |
| 27. | अमुबन कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि.-उदयपुर | ,, | 40 0 | 8 0 |
| 28. | फास्फेट इंडिया देवारी-उदयपुर | ,, | 45.0 | 7.7 |
| 29. | शूरवी कलर कैमिकल्स लि.-उदयपुर | ,, | 45.0 | 9.6 |
| 30. | उदयपुर फास्फेट्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि.-उदयपुर | ,, | 66.0 | 68.0 |
| 31. | सूरजगढ़ फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लि. | ,, | 15.0 | — |
| 32. | आदर्श कैमिकल्स लि.-सूरत | गुजरात | 136.0 | 67.1 |
| 33. | अनिल स्टार्च प्रोडक्ट्स लि.-भावनगर | ,, | 34.0 | — |
| 34. | गुजरात सुपर फास्फेट इंडस्ट. लि.-अहमदाबाद | ,, | 18.0 | — |
| 35. | ज्योमर फर्टिलाइजर लि.-बड़ौदा | ,, | 33.0 | 23.1 |
| 36. | डी एम सी सी-झार | ,, | 66.0 | 30.1 |
| 37. | दामा फर्टिलाइजर्स लि.-जूनागढ़ | ,, | 66.0 | 26.9 |
| 38. | नर्मदा एग्रो | ,, | 50.0 | — |
| 39. | एग्रो कैमि. पंजाब लि., चण्डीगढ़ | पंजाब | 66.0 | 48.1 |
| 40. | एच एस बी फर्टिलाइजर्स लि.-होशियारपुर | ,, | 33.0 | 21.8 |
| 41. | मोडर्न एग्रो कैमिकल्स इंडस्ट. लि.-पंजाब | ,, | 33.0 | 12.8 |
| 42. | मुनक कैमिकल्स लि.-भटिण्डा | ,, | 132.0 | 44.0 |
| 43. | शिवालिक फर्टिलाइजर्स लि.-रोपड़ | ,, | 132.0 | 77.0 |
| 44. | वरिन्द्रा एग्रो कैमिकल्स लि.-बरनाला | ,, | 66.0 | 75.7 |
| 45. | अवध फर्टिलाइजर्स लि.-बहरीच | उत्तर प्रदेश | 33.0 | 2.3 |
| 46. | बिज फर्टिलाइजर्स लि.-शिकोहाबाद | ,, | 33.0 | 2.1 |
| 47. | मैंजिस फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लि.-कानपुर | ,, | 66 0 | 52.9 |

| 1 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|
| 48. गिरीराज फर्टिगाइजर्स लि.-शिकोहाबाद | उत्तर प्रदेश | 18.0 | 3.1 |
| 49. काशी उर्वरक लि.-जगदीशपुर | ,, | 30.0 | 5.6 |
| 50. मदन राघव फर्टिलाइजर्स लि.-फतेहगढ़ | ,, | 22.0 | 10.3 |
| 51. महादेव फर्टिलाइजर्स लि | ,, | 66.0 | 47.2 |
| 52. मिलन फर्टिलाइजर्स लि.-रायबरेली | ,, | 46.0 | 53.6 |
| 53. नटराज आर्गेनिक्स लि.-मुज्जफरनगर | ,, | 45.0 | 2.8 |
| 54. नीरा केमिल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि.-गाजियाबाद | ,, | 30.0 | 11.2 |
| 55. रामपुर डिस्टीलरी एण्ड केमिकल्स लि.-रामपुर | ,, | 46.0 | 71.6 |
| 56. राम गंगा फर्टिलाइजर्स लि.-गजरौला | ,, | 66.0 | 87.4 |
| 57. श्री एसिड्स एण्ड केमिकल्स लि.-कानपुर | ,, | 66 0 | 33.5 |
| 58. श्री बिहारीजी फर्टिलाइजर्स लि.-कानपुर | ,, | 25.0 | 3.7 |
| 59. श्रीनिवास फर्टिलाइजर्स लि.-झांसी | ,, | 66.0 | 58.3 |
| 60. श्री दुर्गा बंसल फर्टिलाइजर्स लि.-फैजाबाद | ,, | 66.0 | 52.5 |
| 61. एस. डी. फर्टिलाइजर्स लि.-कानपुर | ,, | 49.0 | 10.4 |
| 62. त्रीमूर्ति फर्टिलाइजर्स लि.-कानपुर | ,, | 66.0 | 49.9 |
| 63. विजय फर्टिलाइजर्स लि.-मोहननगर | ,, | 33.0 | 12.1 |
| 64. इंडिया कैरोइल्स लि.-देहरादून | हरियाणा | 82.0 | 31.9 |
| 65. जयश्री केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स-यूनिट-III, पड़ौदी | ,, | 66.0 | 29.0 |
| 66. नितिन केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि -चण्डीगढ़ | ,, | 45.0 | 1.7 |
| 67. ओरिएंटल कार्बन एण्ड केमिकल्स लि.-चारुहेड़ा | ,, | 66.0 | 41.4 |
| 68. सूर्या फास्फेट्स लि. | बिहार | 36.0 | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 69. | श्री कृष्ण फर्टिलाइजर्स लि.-मुजफ्फरनगर | बिहार | 33.0 | 6.8 |
| 70. | तुलसी फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लि.-पटना | ,, | 33.0 | 1.7 |
| 71. | ईस्ट कोस्ट फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स लि.-कलमा | उड़ीसा | 66.0 | 11.3 |
| 72. | जयश्री कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स-(यूनिट-I) कलकत्ता | पश्चिम बंगाल | 94.0 | 44.6 |
| 73. | जयश्री कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स-(यूनिट-II) कलकत्ता | ,, | 66.0 | 60.0 |
| 74. | फेरिकेट कम्पनी लि.-कलकत्ता | ,, | 108.0 | 86.1 |
| 75. | शारदा फर्टिलाइजर्स लि.-कलकत्ता | ,, | 66.0 | 41.4 |
| 76. | सुन्दरबन फर्टिलाइजर्स | ,, | 66.0 | — |
| | योग निजी क्षेत्र | | 4284.0 | 2339.4 |
| | कुल योग (सार्वजनिक+निजी) | | 5144.0 | 2777.0 |
| | पी 2 ओ 5 | | 823.0 | 439.5 |

[अनुवाद]

**जनसंख्या/स्थानीय संसाधनों पर आधारित औद्योगिक नीति**

1328. **श्री आर्य कर्नाग्डीय :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जनसंख्या, स्थानीय संसाधनों इत्यादि पर आधारित औद्योगिक नीतियां तैयार करने हेतु कोई कदम उठा रही है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) से (ग) 24.7.1991 को घोषित की गयी नयी औद्योगिक नीति के तहत अनिवार्य लाइसेंसीकरण में आने वाले उद्योगों की एक छोटी सूची को छोड़कर शेष उद्योगों के लिए लाइसेंस की आवश्यकता समाप्त कर दी गयी है। 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में एककों की स्थापना के लिए भी कोई लाइसेंस जरूरी नहीं है। उद्यमी कहीं भी अपनी परियोजनाएं लगाने के लिए स्वतंत्र है जो तकनीकी-आर्थिक योग्यता पर निर्भर करती है और जिनमें स्थानीय स्रोतों की उपलब्धता मुख्य कारक होगी। नयी औद्योगिक नीति का उद्देश्य लघु, मझोले एवं बड़े आकार के सभी उद्योग क्षेत्रों को विकसित होने व अपने पिछले कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करना है। उक्त नीति के एक भाग तथा लघु क्षेत्र के संवर्धन की नीति के रूप में सरकार विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के बीच संबंधों की स्थापना पर बल दे रही हैं ताकि त्वरित विकास के लाभ किसी एक क्षेत्र तक ही सीमित न रहें। चूंकि लघु क्षेत्र बड़े मझोले क्षेत्रों के विकास के बिना अलग से विकास नहीं कर सकता है, इसलिए लघु, अति लघु और ग्रामोद्योगों के संवर्धन व सुदृढ़ीकरण के लिए सरकार द्वारा 6 अगस्त, 1991 को घोषित किए गए नीतिगत उपायों में इस बारे में योजनाओं का खाका दिया गया है।

"हुडको" द्वारा मंजूर की गई परियोजनाएं

1329. श्री सैयद शाहबुद्दीन :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "हुडको" की स्थापना के बाद से 31 मार्च, 1992 तक इसके द्वारा मंजूर की गई परियोजनाओं का राज्यवार ब्योरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं द्वारा राज्यवार कुल कितनी आवासीय इकाइयों और भूखंडों का विकास किया गया; और

(ग) इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार एजेंसियों के नाम क्या हैं ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री : (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख) हुडको ने प्रारंभ से 31.1.1992 तक 30 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में 8254 स्कीमें स्वीकृत की हैं। हुडको के अनुसार, ये स्कीमें 4973757 रिहायशी एककों का निर्माण/उन्नयन तथा 36334 भूखंडों का विकास सुलभ करायेंगी; जिनके राज्य-वार ब्योरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) आवास बोर्डों, ग्रामीण आवास बोर्डों, स्लम सम्मूलन बोर्डों, विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार न्यासों, नगर-निगमों, नगर/क्षेत्र समितियों, गढ़वाल मंडल, पंचायत समितियों, राज्य सरकारों और विभिन्न सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र अभिकरणों, शीर्ष सहकारी समितियों, प्राइमरी सहकारी समितियों, विश्वविद्यालयों और विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों समेत विभिन्न राज्य आवास अभिकरण, जिनकी स्कीमें हुडको द्वारा स्वीकृत की गई हैं, स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं।

## विवरण

हुडको द्वारा 31.1.1992 तक स्वीकृत रिहायशी एककों और भूखंडों का राज्य-वार ब्योरा

| क्र. सं. | राज्य/संघ राक्षासित प्रदेश का नाम | स्कीमों की सं. | रिहायशी एककों की सं. | भूखंडों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 1127 | 650541 | 5943 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 3 | 938 | — |
| 3. | आसाम | 48 | 13889 | 145 |
| 4. | बिहार | 99 | 123118 | 4078 |
| 5. | गोवा | 8 | 612 | 1525 |
| 6. | गुजरात | 812 | 481920 | 7673 |
| 7. | हिमाचल प्रदेश | 82 | 15271 | 798 |
| 8. | हरियाणा | 182 | 78302 | 109 |
| 9. | जम्मू एवं कश्मीर | 49 | 15299 | 10254 |
| 10. | केरल | 500 | 566555 | 880 |
| 11. | कर्नाटक | 606 | 630553 | 4110 |
| 12. | मेघालय | 8 | 2765 | — |
| 13. | महाराष्ट्र | 844 | 336213 | 15586 |
| 14. | मणिपुर | 7 | 3639 | |
| 15. | मध्य प्रदेश | 583 | 357257 | 188361 |
| 17. | सिक्कीम | 3 | 1756 | — |
| 17. | नागालैंड | 5 | 6020 | — |
| 18. | उड़ीसा | 245 | 120852 | 4023 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 19. | पंजाब | 272 | 119220 | 4573 |
| 20. | राजस्थान | 588 | 178876 | 16997 |
| 21. | सिक्किम | 22 | 7367 | — |
| 22. | तमिलनाडु | 936 | 540934 | 119227 |
| 23. | त्रिपुरा | 9 | 3094 | — |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 970 | 565455 | 44345 |
| 25. | पश्चिम बंगाल | 130 | 101455 | 974 |
| 26. | अंडमान निकोबार | 6 | 204 | — |
| 27. | चंडीगढ़ | 70 | 25016 | 5739 |
| 28. | दिल्ली | 46 | 16256 | — |
| 29. | दादर नगर हवेली | 1 | 42 | — |
| 30. | पांडिचेरी | 23 | 6497 | — |
| | योग : | 8254 | 4973757 | 363341 |

**बिहार में औद्योगिकरूप से पिछड़े हुए जिले**

1330. श्री सैयद शाहाबुद्दीन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1991 की स्थिति के अनुसार बिहार में औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए घोषित जिलों की संख्या कितनी है; और

(ख) 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान उनके औद्योगिक विकास हेतु उठाए गए कदमों का ब्योरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) और (ख) बिहार मे केन्द्र द्वारा घोषित पिछड़े जिले इस प्रकार हैं : भागलपुर, चंपारन, दरभंगा, मुजफ्फरपुर पलामू, पूर्णिया, सहरसा, संथाल, परगना, सारन, नालंदा, औरंगाबाद, नवादा, गया, भोजपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगरिया तथा माधेपुरा ।

केन्द्र सरकार ने 6 विकास केन्द्र आवंटित किये हैं जिन्हें बिहार में पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए आधारभूत सुविधाएं दी जायेंगी। इन छः विकास केन्द्रों में से पांच केन्द्रों के लिए स्थापना स्थलों का चयन किया गया है तथा उनकी घोषणा कर दी गई है, जो इस प्रकार हैं :—

| | विकास केन्द्र का नाम | जिला |
|---|---|---|
| 1. | भागलपुर | भागलपुर |
| 2. | हजारीबाग | हजारीबाग |
| 3. | जासोरिया | औरंगाबाद |
| 4. | मुजफ्फरपुर | मुजफ्फरपुर |
| 5. | पूर्णिया | पूर्णिया |

तत्कालीन केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना के तहत, वर्ष 1990-91 में बिहार को 1.34 करोड़ रुपए की प्रतिपूर्ति की गयी है।

## केरल में उद्योग

1331. श्री पी सी थामस :

क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल में विदेशी पूंजी भागीदारी से स्थापित किए जाने वाले उद्योगों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : चूंकि विदेशी निवेश के लिए अनुमोदन उद्यमियों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों के उत्तर में किए जाते हैं, इसलिए केन्द्र द्वारा किसी स्थान विशेष से सम्बन्धित विदेशी सहयोग के प्रस्ताव के ब्यौरे नहीं रखे जाते।

## पोलियो टीके के लिए भारत-फ्रांस परियोजना

श्री जार्ज फर्नान्डीज :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15 जनवरी, 1992 के "स्टेट्समैन" में पोलियो टीके के उत्पादन हेतु भारत-फ्रांस परियोजना सम्बन्धी समाचार की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो वस्तुस्थिति क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) जी हां, सरकार ने दिनांक 15 जनवरी, 1992 के "स्टेट्समैन" में प्रकाशित इण्डियन वैक्सीन्स कारपोरेशन लिमिटेड (इवकाल) संबंधी समाचार देखा है।

(ख) विशेषज्ञ समिति की सलाह के आधार पर तथा सरकार की स्वीकृति से, संयुक्त उद्यम कम्पनी के रूप में कम्पनी अधिनियम 1956 के अधीन भारत में इबकाल के निगमन के लिए 1989 में भारत सरकार, इण्डियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लि., बड़ौदा और पाश्चर मेरियू सीरम्स एण्ड वैक्सीन्स (तत्कालीन संस्थान मेरियू), लियोन, फ्रांस के बीच करार किया गया था। इस की सामान्य शेयर पूंजी में तीनों 25-25 प्रतिशत के साझेदार हैं। उपर्युक्त परियोजना के लिए भारत-फ्रांस के बीच एक करार भी किया गया था, जिसके अधीन विदेशी मुद्रा की मांगे पूरी करने के लिए दीर्घावधिक मिश्रित ऋण के साथ-साथ भारत को सहायता के रूप में तकनीकी जानकारी की लागत फ्रांस सरकार द्वारा वहन की जाएगी। इबकाल अद्यतन प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करते हुए अधिक क्षमता वाले आई. पी. वी. (डी. पी. टी.+पोलियो के रूप में) तथा अत्यधिक कारगर रैबीज और खसरा के टीके विनिर्मित करेगी। आशा है कि वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार इबकाल के चरण-I के अन्तर्गत विनिर्माण कार्य 1993 के दौरान शुरू होंगे। भारत के पोलियो नियंत्रण कार्यक्रम में डी पी टी पी की शुरुआत के लिए व्यवहार्यता सम्बन्धी अध्ययन चालू हैं और जब तक ये अध्ययन पूरे होंगे तथा इनका मूल्यांकन किया जाएगा, तब तक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय प्रतिरक्षण कार्यक्रम में ओ पी वी का इस्तेमाल करता रहेगा। किसी विवाद के कारण परियोजना का कार्यान्वयन अभी तक प्रभावित नहीं हुआ है।

## सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता

1333 श्री अर्जुन चरण सेठी :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते सम्बन्धी लम्बे समय से लम्बित पड़े मामले को सुलझाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक सुलझा लिया जाएगा ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. चुंगन) : (क) से (ग) सरकार ने, औद्योगिक महंगाई भत्ता सूत्र द्वारा शासित केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों को, महंगाई भत्ते का भुगतान करने के लिए उक्त सूत्र की समीक्षा करने हेतु सितम्बर, 1988 में एक त्रिपक्षीय समिति गठित की है जिसमें केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय मजदूर संघ संगठनों तथा सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के प्रतिनिधि शामिल हैं। इस समिति का कार्यकाल 31.3.1992 तक बढ़ा दिया गया है।

## पंचायतों को स्वायत्तता

1334. श्री गिरधारी लाल भार्गव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंचायतों को पूरी स्वायत्तता देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में राजस्थान सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। और

(घ) यदि हां तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी वेंकटस्वामी) : (क) और (ख) देश में पंचायती राज प्रशासन को सुदृढ़ बनाने के लिए संविधान (बहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1991 को लोक सभा में 26.9.91 को पेश किया गया था। विधेयक को संसद की संयुक्त समिति को भेज दिया गया है।

(ग) और (घ) भारत सरकार को इस सम्बन्ध में राजस्थान सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, राजस्थान सरकार ने संसद की संयुक्त समिति को एक ज्ञापन दिया है जिस पर समिति उपयुक्त कार्रवाई हेतु विचार कर सकती है।

[हिन्दी]

## गोरखपुर उर्वरक संयंत्र

1335. श्री प्रभु दयाल कठेरिया :

श्री सन्तोष कुमार गंगवार :

श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल :

श्री बलराम पासी :

श्री रामपाल सिंह :

आचार्य विष्णुलाल दास शास्त्री :

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में उर्वरक संयंत्र पिछले एक वर्ष से भी अधिक समय से बन्द पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसे पुनः खोलने के लिये इस संयंत्र का स्वास्थ्य की दृष्टि से सर्वेक्षण का काम पूरा हो गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसे कब तक खोला जाएगा और;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. चिन्ता मोहन) : (क) और (ख) जी, हां। 10. 6. 1990 को गोरखपुर में स्थित अमोनिया संयंत्र के को-कन्वर्सन प्रभाग से दुर्घटना हुई और तब से एकक बन्द पड़ा है।

(ग) जी, हां। कम्पनी को अंतिम स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट फरवरी, 1992 के अंत तक प्राप्त होगी और उसके पश्चात कम्पनी के निदेशक मण्डल द्वारा रिपोर्ट पर विचार किया जायेगा।

(घ) और (ङ) कारखाने को फिर से खोलने की व्यवहार्यता स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर एफ सी आई के निदेशक मण्डल की सिफारिशों पर निर्भर करेगी। अतः इस स्तर पर, कारखाने को फिर से चालू करने के लिये कोई तारीख बताना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

**सलीमपुर एयरोमेटिक कम्पलेक्स के लिए तकनीकी जानकारी का आयात**

1336. श्री राजबीर सिंह।

श्री सन्तोष कुमार गंगवार।

श्री षण्मुखा प्रसाद शुक्ल :

श्री पंकज चौधरी :

श्री राजपाल सिंह।

श्री चिन्मयानन्द स्वामी :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश के सलीमपुर एयरोमेटिक कम्पलेक्स के लिए तकनीकी जानकारी और पूंजीगत वस्तुओं के आयात के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. चिन्ता मोहन) : (क) और (ख) मेसर्स जे. के. पेट्रोकेमिकल्स के पास उत्तर प्रदेश के सलीमपुर में एक एरोमेटिक काम्पलेक्स स्थापित करने के लिए दिनांक 23 मई, 1989 का एक आशय-पत्र है। उक्त कम्पनी ने उपर्युक्त परियोजना के लिए तकनीकी जानकारी प्राप्त करने के लिए विदेशी सहयोग की स्वीकृति हेतु एक आवेदन दिया है। इस परियोजना के लिए पूंजीगत सामान के आयात के लिये कम्पनी से कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

विदेशी सहयोग के लिये कम्पनी द्वारा दिए गये आवेदन के संबंध में सरकार द्वारा शीघ्र ही निर्णय लिए जाने की सम्भावना है।

[अनुवाद]

**सफदरजंग फलाईओवर के नीचे गोदामों को दुकानों में बदलना**

1337. श्री अर्जुन चरण सेठी :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगर निगम ने सफदरजंग फलाईओवर के नीचे के गोदामों को दुकानों में बदलने की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस प्रकार गोदामों को दुकानों में बदलने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या उपरोक्त के सम्बन्ध में नई दिल्ली नगर निगम ने भारी घाटा उठाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(घ) क्या नई दिल्ली नगर निगम ने पडारा पार्क में दुकानों के पीछे खड़ी जगह बहुत कम दर पर आवंटित की है;

(ङ) यदि हां, तो इस प्रयोग हेतु अनुमति दी जाने वाली भूमि का ब्योरा क्या है और उसका मूल्य क्या है; और

(च) क्या इसी नीति का पालन और भी कहीं किया जा रहा है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

शहरी विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) नई दिल्ली नगर पालिका ने अपनी नीति के अनुसार तथा दिनांक 20.11.1981 के अपने संकल्प 8 के तहत अनुमोदित दरों के अनुसार दुकानों के पीछे के खाली स्थान आवंटित किए हैं, जिनका ब्योरा इस प्रकार है :—

| दुकान सं. | क्षेत्रफल | प्रयोजन जिसके लिए आवंटित किए गए | दर जिस पर आवंटित किए गए |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | 150/वर्ग फुट | रसोई घर के निर्माण हेतु | एक रुपया प्रति वर्ग फुट |
| 7 | 322 " | —वही— | —वही— |
| 8 | 305 " | —वही— | —वही— |
| 9 | 307 " | —वही— | —वही— |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 10 | 231/वर्ग फुट | रसोई घर के निर्माण हेतु | एक रुपया प्रति वर्ग फुट |
| 11 | 315 " | —वही— | —वही— |
| 12 | 317 " | —वही— | —वही— |
| 13 | 313 " | —वही— | —वही— |
| 14 | 311 " | —वही— | —वही— |
| 15 | 313 " | —वही— | —वही— |
| 16 | 809 " | —वही— | —वही— |

(च) जी, नहीं।

नई दिल्ली नगर पालिका ने प्रत्येक मार्किट की परिस्थितियों पर विचार करते हुए विभिन्न मार्किटों के लिए विभिन्न नीतियां अपनाई हुई हैं।

## उर्वरक राजसहायता को वापस लेना

1338. श्री श्रवण कुमार पटेल।

श्री चित्त बसु :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उर्वरक पर सभी राजसहायता को वापस लेने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और किसानों के बोझ को कम करने के लिए कोन से वैकल्पिक उपाय करने का विचार है; और

(ग) उर्वरकों पर राजसहायता के सम्बन्ध में समान रूप से अपनाई जाने वाली प्रस्तावित नीति का ब्योरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा. चिन्ता मोहन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रतिधारण मूल्य एवं राज सहायता योजना का तीन वर्षों में एक बार पुनरीक्षण किया जा रहा है। पहली अप्रैल, 1991 से आरम्भ होने वाली छठी मूल्य निर्धारण अवधि का पुनरीक्षण

प्रगति पर है और इसे शीघ्र ही पूरा किया जाएगा। इस सम्बन्ध में की जा रही कार्यवाही के पूर्ण होने के पश्चात ही नीति में आवश्यक परिवर्तन, यदि कोई हों, किए जाएंगे।

[हिन्दी]

बीड़ी उद्योग में बाल श्रमिकों का कल्याण

1339. श्री राम नारायण बैरवा :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बीड़ी उत्पादकों से बीड़ी उद्योग में लगे हुए बाल श्रमिकों के लिये 50,000 रुपए का बीमा कराने का प्रावधान करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घटोवर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राजस्थान के मरुस्थल का विकास

1340. श्री राम नारायण बैरवा :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि संयुक्त अरब अमीरात का मरुस्थल चारागाहों और कृषि योग्य भूमि के रूप में विकसित किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार का राजस्थान के मरुस्थल को विकसित करने के लिये उसी तरह की तकनीक अपनाने का विचार है जिस तरह की तकनीक संयुक्त अरब अमीरात के मरुस्थल के विकास के लिए अपनाई गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सा. वेंकट स्वामी) (क) जी हां।

(ख) और (ग) मरुभूमि विकास कार्यक्रम, जोकि केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है, मरुस्थलीकरण पर नियंत्रण पाने और दीर्घावधि में पारिस्थितिक सन्तुलन को बनाये रखने के मूल उद्देश्य से राजस्थान में पहले ही कार्यान्वित किया जा रहा है। इन उद्देश्यों को वनरोपण के क्षेत्रों में रेत के टीलों को जमाने पर विशेष बल देते हुए कम लागत वाली घरेलू प्रौद्योगिकियों को अपनाकर, और वायुरोधी पौधरोपण, घास वाली भूमि के विकास, भूमि तथा नमी संरक्षण और जल संसाधन के विकास के कार्यों के जरिए प्राप्त किया जाना है। केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर

जो इन स्थानीय प्रौद्योगिकियों को उन्नत बनाने के साथ-साथ मरुभूमि विकास के लिये नई प्रौद्योगिकियों को विकसित करने का कार्य कर रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय बाहर की प्रौद्योगिकियां अपनाने पर विचार नहीं किया जा रहा है।

(अनुवाद)

घाटे में चल रहे सरकारी क्षेत्र के एककों को कामगार सहकारी समितियों को सौंपना

1341. श्री रूपचन्द पाल :

श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के रुग्ण एककों के कामगारों द्वारा सहकारी समितियां बनाकर इन इन एककों को चलाने पर सरकार इनके घाटे को बट्टे खाते डालने पर सहमत हुई है;

(ख) यदि हां, तो कामगार सहकारी समितियों को सौंपे जाने वाले सरकारी क्षेत्र के एककों का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार कामगार सहकारी समितियों द्वारा इन रुग्ण एककों के संचालन हेतु अन्य सभी सहायता एवं सहयोग प्रदान करने पर भी सहमत हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ङ) कामगार सहकारी समितियों को प्रबंधन के हस्तांतरण हेतु क्या शर्तें रखी गयी हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) से (ङ) कुछ श्रमिक संघों ने विशिष्ट त्रिपक्षीय समिति की 20.1.1992 को आयोजित बैठक में कामगारों की सहकारी समितियों के गठन का सुझाव दिया। यदि कामगार इच्छुक हों तो, सरकार, सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों को कामगारों की सहकारी समितियों के जरिये चलाये जाने सम्बन्धी अर्थक्षम प्रस्तावों पर विचार करने को तैयार है। बहरहाल, कामगारों की सहकारी समितियों के विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर इस सम्बन्ध में कपनी-वार ब्योरा तैयार किया जाना है।

गांवों को सड़कों से जोड़ना

1342. डा असीम बाला :

श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे गांवों की राज्यवार संख्या कितनी है जिन्हें सरकारी अथवा प्राइवेट बस मार्गों से जोड़ दिया गया है;

(ख) ऐसे गांवों की संख्या कितनी है जहां दो किलोमीटर के क्षेत्र के भीतर पक्की सड़कें तथा रेल मार्ग अथवा बस-सम्पर्क उपलब्ध हैं; और

(ग) सातवीं योजना में ग्रामीण सड़कों के निर्माण हेतु, राज्यवार, कितनी धनराशि आवंटित की गई तथा कितनी राशि खर्च की गई ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तम भाई एच. पटेल) : (क) और (ख) गांवों को सरकारी और निजी बस मार्गों तथा रेलवे स्टेशनों से जोड़ने के कार्य में अन्य बातों के अलावा, ग्रामीण सड़कों का निर्माण और उन पर सरकारी और निजी बसों को चलाना शामिल है। ये राज्य के विषय हैं। राज्य की योजनाओं में ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए निधियां न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत मुहैया कराई जाती हैं। भारत सरकार इस विषय पर राज्यवार सूचना नहीं रखती है।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए परिव्यय और उन पर हुए व्यय का राज्यवार विवरण संलग्न है।

## विवरण

सातवीं योजना के दौरान न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के लिए परिव्यय तथा उन पर हुआ व्यय

(करोड़ रुपये में)

| राज्य | | सातवीं योजना परिव्यय | सातवीं योजना व्यय |
|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 24.00 | 24.00 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 30.00 | 26.31 |
| 3. | असम | 42.00 | 39.00 |
| 4. | बिहार | 175.00 | 188.23 |
| 5. | गोआ | 0.35 | 0·88 |
| 6. | गुजरात | 150.00 | 28.80 |
| 7. | हरियाणा | 0.10 | 0.10 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 95.00 | 55.64 |
| 9. | जम्मू व कश्मीर | 20.00 | 40.99 |
| 10. | कर्नाटक | 60 00 | 51.91 |

| 1 | | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 11. | केरल | 25.00 | 56.76 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 115.00 | 116.09 |
| 13. | महाराष्ट्र | 40.00 | 44.00 |
| 14. | मणिपुर | 15.00 | 16.00 |
| 15. | मेघालय | 10.00 | 6.66 |
| 16. | मिजोरम | 20.00 | 70.60 |
| 17. | नागालैंड | 2.50 | 2.40 |
| 18. | उड़ीसा | 50.00 | 41.51 |
| 19. | पंजाब | — | 0 41 |
| 20. | राजस्थान | 44.00 | 67.30 |
| 21. | सिक्किम | 14.00 | 11.74 |
| 22. | तमिलनाडु | 70 00 | 64.72 |
| 23. | त्रिपुरा | 20.00 | 26.95 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 650.00 | 566.65 |
| 25. | पश्चिम बंगाल | 35.00 | 29.95 |

जापान-भारत व्यापार सहयोग समिति का दौरा

1343. डा. सी. सिलवेरा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

(क) क्या जापान-भारत व्यापार सहयोग समिति के चेयरमैन ने हाल में भारत का दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस दौरे के दौरान भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय व्यापार और पूंजी-निवेश को सुदृढ़ करने से सम्बन्धित किसी मामले पर बातचीत की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार मिजोरम में जापानी पूंजी-निवेश की संभावनाओं का पता लगाने के लिए जापान-भारत व्यापार सहयोग समिति को सुझाव देने का है, और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) से (च) जी, हां। जापान-भारत व्यापार सहयोग समिति के चेयरमैन डा. रोकुरो इशिकावा ने 27 से 30 जनवरी, 1992 तक भारत का दौरा किया था। उन्होंने भारत-जापान व्यापार सहयोग समिति की 23वीं बैठक के लिए 100 सदस्यों वाले जापानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था। बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को सुदृढ़ करने के लिए चर्चा हुई थीं। भारत में जापानी पूंजी निवेश आमंत्रित करने के मामलों पर भी चर्चा हुई थी। जापानी पक्ष को भारत सरकार द्वारा हाल में किए गए नीतिगत सुधारों से अवगत कराया गया जिस पर जापानी पक्ष की अच्छी प्रतिक्रिया हुई थी।

(छ) और (च) जी, नहीं। भारत-जापान व्यापार सहयोग समितियां दोनों देशों के उद्योग के शीर्ष निकायों द्वारा स्थापित की जाती है और उद्योग स्तर पर विचार-विमर्श किये जाते हैं।

भारत के प्रमुख क्षेत्रों में जापान का पूंजी-निवेश

1344. श्री गुरुदास कामत :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार ने जापान सरकार से भारत के प्रमुख क्षेत्रों में पूंजी निवेश करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस पर जापान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) से (ग) भारतीय अर्थ-व्यवस्था का पुनर्निर्माण करने की दृष्टि से, सरकार ने हाल ही में कुछ आर्थिक सुधारों की घोषणा की है। इसी संदर्भ में जो वस्तुएं पहले केवल सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित थी उन्हें अब चयनात्मक रूप से निजी क्षेत्र के लिए खोलने हेतु समीक्षा की गयी है। भारतीय औद्योगिक आधार के विकास के लिए सरकार की नीति भी विदेशी निवेश का स्वागत करने आ रही है। इस दिशा में, विदेशों से प्राप्त जिसमें जापान भी शामिल है, निवेश सम्बन्धी प्रस्तावों पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाता है।

[हिन्दी]

दिल्ली में राशन की कालाबाजारी

1345. डा. परशुराम गंगवार।

श्री रतिलाल कालिदास वर्मा :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा कि :

(क) गत छह महीनों के दौरान दिल्ली में राशन की कालाबाजारी के कितने मामलों का पता लगा है;

(ख) उक्त कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) भविष्य में राशन की कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) (क) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि पिछले छः महीने में 258 उचित दर दुकानों और 75 मिट्टी के तेल के डिपुओं में अनियमितताओं की शिकायतें उसके तथा आपूर्ति और उपभोक्ता कार्य विभाग को जानकारी में आई हैं।

(ख) इस अवधि के दौरान 26 उचित दर दुकानों और 8 मिट्टी के तेल के लाइसेंसधारियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्टें दर्ज कराई गई हैं। 232 उचित दर दुकानों और 67 मिट्टी के तेल के लाइसेंसधारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही शुरू की जा रही है।

(ग) संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन उचित दर दुकानों और मिटटी के तेल के डिपुओं के कार्यकरण पर कड़ी निगरानी रखता है। एकत्र की सूचना तथा प्राप्त होने वाली शिकायतों के आधार पर अचानक जांच की जाती है/छापे मारे जाते हैं। जनता से शिकायतें प्राप्त करने के वास्ते एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। चूक करने वालों के विरुद्ध आपराधिक/विभागीय कार्यवाही की जाती है।

[अनुवाद]

हसन, कर्नाटक में आलू भण्डारण एकक

1346. श्री जो. माडेगौडा :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हसन, कर्नाटक में कोई आलू भंडारण एकक को स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कार्य हेतु वर्ष 1992-93 में कितनी धनराशि जारी करने का विचार है; और

(घ) इस प्रस्तावित भंडारण एकक की क्षमता कितनी होगी ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री उत्तम भाई एच. पटेल) : (क) से (घ) जी, नहीं। भण्डारण के लिए उपलब्ध माल को देखते हुए, प्रत्येक एजेंसी की आवश्यकताओं के आधार पर विभिन्न एजेन्सियों/संस्थाओं, जिनमें निजी उद्यमी, सार्वजनिक क्षेत्र के निगम और सहकारी समितियां शामिल हैं, द्वारा शीत भण्डागार स्थापित किये जा रहे हैं।

हसन में आलू, फलों आदि के भण्डारण के लिए दो शीत भण्डागार है। विपणन और निरीक्षण निदेशालय के पास किसी अतिरिक्त भडारण क्षमता के लिए कोई आवेदन पत्र लम्बित नहीं है। अतिरिक्त क्षमता के लिए जब कभी कोई आवेदन पत्र प्राप्त होगा, उस पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाएगा।

राज्यों में औषधि निर्माण हेतु लाइसेंस

1347 श्री राम विलस पासवान :

श्री ताराचन्द खण्डेलवाल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार टीके तथा कुछ अन्य उत्पादों के उत्पादन हेतु लाइसेंस जारी करने के राज्य सरकारों के अधिकारों को समाप्त करने का है,

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं, और

(ग) उस सबंध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

रसायन और उर्वरक, मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. चिन्ता मोहन) : (क) से (ग) यह विषय स्वास्थ्य मंत्रालय से सम्बन्धित है। इसलिए जानकारी एकत्र की जाएगी और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली के लिये एम. आर. टी. एस.

1348. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दिल्ली के लिये त्वरित मार्गस्थ प्रणाली बनाने एवं चलाने हेतु किसी विदेशी फर्म से सम्पर्क करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और विदेशी फर्म का चयन कब तक किये जाने की संभावना है तथा इस सम्बन्ध में हुए समझौते की शर्तें क्या है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) निजी क्षेत्र और विदेशी स्रोतों से दिल्ली जन द्रुतगामी परिवहन प्रणाली परियोजना के लिए वित्त-व्यवस्था की संभाव्यताओं का पता लगाने तथा परियोजना के निर्माण, संचालन और-अन्तरण (बी. ओ. टी.) आधार पर कार्यान्वयन की सम्भाव्यता का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से 13 दिसम्बर, 1991 को भारत तथा विदेशी प्रमुख सार्वजनिक/निजी कम्पनियों के प्रतिनिधियों के समक्ष जन द्रुतगामी परिवहन प्रणाली के प्रस्ताव को रखा गया था। तदन्तर, कुछ विदेशी और भारतीय फर्मों ने इस परियोजना में अपनी रुचि व्यक्त की थी। तथापि, किसी विदेशी फर्म से अभी तक इस सम्बन्ध में कोई ठोस प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अनिवार्य औषधियां

1349. श्री गुरुदास कामत :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में अनिवार्य औषधियों की संख्या में कमी आने की सम्भावना है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं,

(ग) क्या सरकार का विचार बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के अनुरोध पर एक औषधि उद्योग को मुक्त करने का है, और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा. चिन्ता मोहन) : (क) से (घ) डीपी सीओ, 1987 सहित औषध नीति, 1986 की अभी भी समीक्षा की जा रही है।

[हिन्दी]

कोयले का उत्पादन

1350. श्री साईमन मरान्डी :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989, 1990 और 1991 के दौरान प्रत्येक वर्ष झारखंड क्षेत्र में कोयले की कितनी मात्रा का उत्पादन किया गया;

(ख) कोयले की सप्लाई किन क्षेत्रों में की गई थी;

(ग) इसकी खरीद-बिक्री की मात्रा का ब्योरा क्या है तथा प्रत्येक वर्ष हुई कुल आय का ब्योरा क्या है;

(घ) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के हिस्सों का वर्षवार ब्योरा क्या है;

(ङ) बिहार में कोयले के उत्पादन से केन्द्रीय सरकार को कितने राजस्व की प्राप्ति हुई है; और

(च) इस राशि में से बिहार के झारखंड क्षेत्रों की विभिन्न विकास परियोजनाओं पर कितनी राशि व्यय की गई ?

कोयला मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) से (च) इस सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पेट्रोल पम्पों के लिए लाइसेंस शुल्क लिया जाना

1351. श्री साईमन मरान्डी :

डा. रमेश चन्द तोमर :

श्रीमती भावना चिखलिया :

श्री देवी बक्स सिंह :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डीजल तथा पेट्रोल पम्पों के लिए आवंटित भूमि के सम्बन्ध में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्रतिमाह कितना लाइसेंस शुल्क वसुल किया जाता है;

(ख) दिल्ली में विभिन्न डीजल तथा पेट्रोल पम्पों से दिल्ली विकास प्राधिकरण को प्रति वर्ष कितनी राशि मिलती हैं;

(ग) क्या सरकार का लाइसेंस शुल्क में वृद्धि करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इससे कितना अतिरिक्त लाभ प्राप्त होने की संभावना है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) पेट्रोल पम्पों के लिए निर्धारित वार्षिक भूमि किराया संलग्न विवरण में दिए गए अनुसार है। ये दरें 13.9.1989 तक वैध थीं।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि दिल्ली में विभिन्न डीजल और पेट्रोल पम्पों से औसत वार्षिक आय करीब 12 लाख रुपये है।

(ग) लाइसेंस शुल्क को संशोधित करने के बारे में अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

दिल्ली/नई दिल्ली में फिलिंग/फिलिंग एवं सर्विस स्टेशनों के लिए भूमि किराए की दर

| श्रेणी | फिलिंग-फिलिंग एवं सर्विस स्टेशन | क्षेत्रफल | दर (प्रति वर्ष) रुपये |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| श्रेणी | फिलिंग स्टेशन— | 100×55 | 47,788.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| "क" | फिलिंग एवं सर्विस स्टेशन | 120×100 | 1,60,500-20 |
| | फिलिंग एवं सर्विस स्टेशन | 150×120 | 264,808.00 |
| श्रेणी | फिलिंग स्टेशन | 100×55 | 33,413.00 |
| "ख" | फिलिंग एवं सर्विस स्टेशन | 120×100 | 112,380.00 |
| | फिलिंग एवं सर्विस स्टेशन | 150×120 | 196,387.00 |
| श्रेणी | फिलिंग स्टेशन | 100×55 | 28,654.00 |
| "ग" | फिलिंग एवं सर्विस स्टेशन | 120×100 | 96,346.00 |
| | फिलिंग एवं सर्विस स्टेशन | 150×120 | 150,600.00 |

[अनुवाद]

खादी और ग्रामोद्योग के परिव्यय में वृद्धि

1352. श्री हरि किशोर सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने 1992-93 के लिए खादी और ग्रामोद्योग में परिव्यय में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) से (ग) पिछले वर्ष के दौरान तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र के लिए योजनागत परिव्यय 191.00 करोड़ रु. था और 1992-93 के लिए भी इतनी ही राशि का प्रावधान किया गया है। स्रोत सम्बन्धी अत्यधिक बाधाओं के कारण परिव्यय में वृद्धि नहीं की जा सकी है।

झरिया कोयला क्षेत्र में आग लगना

1353. श्री हरि किशोर सिंह :
श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति :
श्री बी. श्री निवास प्रसाद :
श्री साईमन मरांडी :
श्री सनत कुमार मंडल :
क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने बिहार के झरिया कोयला क्षेत्र में 100 वर्षों से भूमि के अन्दर लगी आग को बुझाने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने भूमि के अन्दर लगी आग को बुझाने का कार्य विदेशी कम्पनियों को सौंपने हेतु कोई निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस बी. न्यामगौड) : (क) और (ख) कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किए जाने के बाद झरिया कोयला क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित करके कुछ बड़ी आगों से निपटने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों के परिणाम-स्वरुप 5 आगों को सफलतापूर्वक बुझा लिया गया है और 16 और स्थलों पर आगों को बुझाए जाने के लिए कार्य प्रगति पर है। यह समस्या बहुत बड़े स्वरुप की होने के कारण सरकार इन आगों से निपटने के लिए विदेशों से तकनीकी सहायता तथा वित्तीय सहायता प्राप्त किए जाने की सम्भावनाओं का पता लगा रही है. कोयला क्षेत्र की आगों से निपटने के लिए एक परियोजना यू. एन डी.पी. की सहायता द्वारा किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा कुछ निजी विदेशी अभिकरणों/कम्पनियों से झरिया कोयला क्षेत्र में आगों की समस्या से निपटने के लिए भी रुचि दिखाई है। किन्तु, किसी विदेशी कम्पनी को झरिया की आगों से निपटने के कार्य के सम्बन्ध में सरकार द्वारा कार्य को सौंपे जाने सम्बन्धी निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

बूंदी, राजस्थान में सुपर सीमेंट संयंत्र

1354. श्री गिरधारी लाल भार्गव :

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने भारतीय सीमेंट निगम की सातवीं पंचवर्षीय योजना में बूंदी (राजस्थान) में एक सुपर सीमेंट संयंत्र स्थापित करने की स्वीकृति दी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संयंत्र को कब तक स्थापित कर दिये जाने की संभावना है; और

(घ) विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) से (ग) जी, नहीं।

(घ) राजस्थान सरकार के उद्योग विभाग से मन्त्रालय को मई, 1990 में एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें सी.सी.आई. द्वारा बूंदी, राजस्थान में सुपर सीमेन्ट संयंत्र की स्थापना में विलेष करने का सुझाव दिया गया था। मामले की सी.सी.आई. के परामर्श से जांच की गई थी। बूंदी में

चूना पत्थर के भंडारों और परियोजना के लिए अपेक्षित अन्य मूल कच्चे माल की उपलब्धता पर विचार करने के बाद, यह महसूस किया गया कि सी.सी.आई. द्वारा एक सुपर सीमेंट संयंत्र की स्थापना के लिए बड़ा निवेश करना उचित और मितव्ययी नहीं होगा। राजस्थान सरकार को तदनुसार सूचित कर दिया गया था।

[अनुवाद]

औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन

1355. श्री गिरधारी लाल भार्गव :

श्री पवन कुमार बंसल :

श्री वी. धनंजय कुमार :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने श्रम कानूनों को सरल बनाने सम्बन्धी कोई सुझाव दिया है।

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या उपर्युक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन करने का विचार है;

(घ) क्या सरकार का श्रम/उद्योग राज्य मंत्रियों और श्रमिक संघों के साथ उक्त संशोधनों पर चर्चा करने का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पवन सिंह घटोरब) : (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अनधिकृत बस्तियों में मूलभूत सुविधायें

1356. डा. परशुराम गंगवार :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा दिल्ली की अनधिकृत बस्तियों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में में सुधार करने हेतु कौन सी सुविधायें उपलब्ध कराने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक अनधिकृत बस्ती के लिए कितनी राशि आवंटित की गई ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम)। (क) दिल्ली प्रशासन के अन्तर्गत दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान तथा दिल्ली मल व्ययन संस्थान, को कतिपय अपचरिकताओं को पूरा करने के शर्तों के अधीन 1.1.1911 से पूर्व अस्तित्व में आई मौजूदा अनधिकृत कालोनियों को क्रमशः विद्युत और जल आपूर्ति करनी होती है। दिल्ली नगर निगम का निम्नलिखित सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है जिनके लिए लाभभोगियों को पांच बराबर किश्तों में विकास लागत अदा करनी है। पहली किश्त क्षेत्र में कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व जमा करनी है।

(i) ईंटों का खड़ंजा, भूमि का भराव।

(ii) मल जल नालियां।

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**उत्तर प्रदेश में विश्व बैंक सहायता से जल सप्लाई योजना**

1357. डा. परशुराम गंगवार :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में जल सप्लाई की परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस बारे में क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच. पटेल) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में पेयजल सप्लाई परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने के लिए प्रारम्भिक परियोजना रिपोर्ट को अन्तिम रूप नहीं दिया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

**आवश्यक वस्तुओं के संबंध में शिकायतों का निवारण**

1358. श्री राम नारायण बैरवा :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आवश्यक वस्तुओं के वितरण से सम्बन्धित जनता की याचिकाओं और शिकायतों हेतु लोक अदालतों की पद्धति पर किसी संगठन की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) व (ख) जी, नहीं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रशासन, जिसमें उपभोक्ताओं की शिकायतें दूर करना शामिल हैं, की जिम्मेदारी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सलाह दी है कि उपभोक्ताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली को वस्तुओं के वितरण की परिवीक्षा करने के लिए वे उपभोक्ताओं, विशेषकर महिलाओं, स्वैच्छिक व उपभोक्ता संगठनों को शामिल करते हुए जांचत वर की दुकानों/ग्राम स्तर पर सतर्कता समितियां गठित करें। अनेक राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने विभिन्न स्तरों पर सतर्कता समितियां गठित कर ली है।

[अनुवाद]

किसी शहर को "मेगनेट सिटी" घोषित करने के मानदण्ड

1359. श्री अन्ना जोशी :

(श्रीमती) रीता वर्मा :

श्री दत्तात्रेय बडाक :

श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला :

श्री चेतन पी. एस. चौहान :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात और आन्ध्र प्रदेश में अब तक किन-किन शहरों को "मेगनेट सिटी" घोषित किया गया है; और

(ख) "मेगनेट सिटी" घोषित करने सम्बन्धी मानदण्ड क्या है ?

शहरी विकास मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) भारत सरकार ने किसी शहर को "मेगनेट सिटी" के रूप में घोषित नहीं किया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

छोटे और मध्यम वर्ग के शहरों के विकास हेतु धनराशि

1360. श्री अन्ना जोशी :

श्री गंगाधरा सानीपल्ली :

श्रीमती रीता वर्मा :

श्री के. प्रधानी :

(श्रीमती) महेन्द्र कुमारी :

कुमारी पुष्पा देवी सिंह :

श्री छेदी पासवान :

श्रीमती दीपिका एच.टोपीवाला :

श्री चेतन पी. एस. चौहान :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) वर्ष 1991-92 और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य को छोटे और मध्यम दर्जे के शहरों के विकास हेतु कितनी धनराशि दी गई; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान किन-किन छोटे और मध्यम दर्जे के शहरों के लिए धनराशि दी गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) सूचना संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) सूचना संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

| क्र. सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 1988-89 | 1989-90 | 1990-91 | 1991-92 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 61.50 | 85.09 | 85.00 | |
| 2. | आसाम | 59.50 | 59.50 | 65.00 | 15.00 |
| 3. | बिहार | 75.95 | 129.085 | 47.50 | |
| 4. | गोवा | — | — | 10.00 | 20.00 |
| 5. | गुजरात | 191.60 | 59.50 | 80.00 | |
| 6. | हरियाणा | 76.00 | 86.50 | | |
| 7. | हिमाचल प्रदेश | | | | |
| 8. | जम्मू और कश्मीर | 8.00 | 1.82 | 42.50 | |
| 9. | कर्नाटक | 180.441 | 52.570 | 68.50 | 20.00 |
| 10. | केरल | 61.250 | 5.00 | 55.810 | 26.50 |
| 11. | मध्य प्रदेश | 130.320 | 182.230 | 185.00 | 25.00 |
| 12. | महाराष्ट्र | 140.635 | 125.255 | 218.310 | 75.00 |
| 13. | मणिपुर | — | — | 54.428 | |
| 14. | मेघालय | 46.00 | 63.50 | 24.60 | |
| 15. | मिजोरम | — | 3.50 | — | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16. | नागालैंड | 24.00 | 24.00 | 36.20 | 9.99 |
| 17. | उड़ीसा | 71.00 | 68.00 | 178.250 | |
| 18. | पंजाब | 45.00 | 89.640 | — | 28.62 |
| 19. | राजस्थान | 36.00 | 89.750 | 82.50 | 65.00 |
| 20. | सिक्किम | 20.00 | 29.750 | — | |
| 21. | तमिलनाडु | 64.290 | 244.420 | 279.340 | 7.78 |
| 22. | त्रिपुरा | 27.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 23. | उत्तर प्रदेश | 195.026 | 44.00 | 198.50 | |
| 24. | पश्चिम बंगाल | 110.060 | 82.690 | 135.730 | |
| 25. | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | — | — | — | |
| 26. | दादरा और नागर हवेली | 23.235 | 23.750 | — | |
| 27. | लक्षद्वीप | — | — | 25.00 | |
| 28. | पांडिचेरी | 25.00 | 23.750 | 28.00 | |

विवरण-II

| क्र. सं. | राज्य/कस्बे का नाम | क्र. सं. | राज्य/कस्बे का नाम |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 |
| आंध्र प्रदेश | | 7. | गुंताकल |
| 1. | रामचन्द्रपुरम | 8. | गढ़वाल |
| 2. | तेनाली | 9. | अहीराबाद |
| 3. | भीमावरम | 10. | अंगोले |
| 4. | तिरुपती | 11. | गुड़ीवाड़ा |
| 5. | श्रीकाकुलम | 12. | आदोलाबाद |
| 6. | मेडक | 13. | खम्माम |

| 1 | 2 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| 14. मछलीपटनम | | 11. बिहार शरीफ | |
| 15. वाड़ीपालीगुडम | | 12. दरभंगा | |
| 16. टडपटरी | | 13. जहानाबाद | |
| 17. कामारेड्डी | | 14. साहिबगंज | |
| 18. नरसारोपेट | | गोवा | |
| असम | | 1. मापूसा | |
| 1. डिब्रूगढ़ | | 2. पोंडा | |
| 2. डीपू | | गुजरात | |
| 3. करीमगंज | | 1. पाटननार्थ | |
| 4. नगौन | | 2. पालनपुर | |
| 5. हाफलौंग | | 3. दाहोद | |
| 6. बोंगईगांव | | 4. मेहमदाबाद | |
| 7. शिवसागर | | 5. भुज | |
| 8. धुबरी | | 6. अमरेली | |
| 9. नार्थ लखीमपुर | | 7. महसाना | |
| 10. गोलाघाट | | 8. खाभवट्ट | |
| बिहार | | 9. देहगाम | |
| 1. गोपालगंज | | 10. महुआ | |
| 2. सहरसा | | 11. बिल्लीमोरा | |
| 3. छपरा | | 12. पिसनगर | |
| 4. आरा | | 13. अपलेटा | |
| 5. गिरडीह | | 14. डांग्रा | |
| 6. धनबाद | | 15. नवसरारा | |
| 7. सिवान | | 16. हिम्मतनगर | |
| 8. नवादा | | 17. जूनागढ़ | |
| 9. बोध गया | | 18. सुरेन्द्रनगर | |
| 10. मधुबनी | | 19. बोटाड़ | |

| 1 | 2 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| 20. मोरबी | | 11. जमखंडी | |
| हरियाणा | | 12. खुशालनगर | |
| 1. अम्बाला | | 13. रानीबेनूर | |
| 2. सिरसा | | 14. करकाला | |
| 3. सोहना | | 15. रामनगरम | |
| 4. हिसार | | 16. हरिहर | |
| 5. भिवानी | | 17. सिधानूर | |
| 6. शाहाबाद | | 18. कोलेगल | |
| 7. जींद | | 19. गोकक | |
| 8. सोनीपत | | 20. बासवकल्याण | |
| हिमाचल प्रदेश | | 21. कोलर | |
| — | — | 22. उदूपी | |
| जम्मू तथा कश्मीर | | 23. सिकारीपुर | |
| 1. अनन्तनाग | | 24. मालावल्ली | |
| 2. लेह | | 25. राबकवी-बानाहट्टी | |
| 3. डोडा | | केरल | |
| कर्नाटक | | 1. गुरुवायूर | |
| 1. चित्रादुर्ग | | 2. कोटायम | |
| 2. हुमकूर | | 3. तेलीचेरी | |
| 3. रायचूर | | 4. वड़ागारा | |
| 4. हासपेट | | 5. चोट्टूपुझा | |
| 5. चन्नापटना | | 6. पालघाट | |
| 6. कनकपुरा | | 7. कन्नानोर | |
| 7. मेंगाड़ी | | 8. कासरगुड्डू | |
| 8. हुमनाबाद | | 9. मुकट्टुपुडा | |
| 9. सागर | | 10. पुनालूर | |
| 10. शाहपुर | | 11. कालपट्टा | |

| 1 | 2 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| 12. नैन्याथंगारा | | 22. भिलाई-दुर्ग | |
| 13. सोरनूर | | 23. सतना | |
| 14. क्वायड | | 24. छतरपुर | |
| मध्य प्रदेश | | 25. बेतूल | |
| 1. बिलासपुर | | 26. अम्दुल्लागंज | |
| 2. खुजराहो | | 27. निमज | |
| 3. इटारसी | | 28. भिंड | |
| 4. रेवा | | 29. दामोह | |
| 5. कटनी | | 30. सिहोर | |
| 6. बुरहानपुर | | 31. विदीशा | |
| 7. मुरैना | | 32. पन्ना | |
| 8. डूंगरगढ़ | | 33. शिवपुरी | |
| 9. राजनंदगांव | | महाराष्ट्र | |
| 10. बालाघाट | | 1. मनमाड़ | |
| 11. खिदवाड़ा | | 2. बारसी | |
| 12. हुर्ग | | 3. पारली वैजनाथ | |
| 13. बैखान | | 4. कटोल | |
| 14. गुना | | 5. कैम्पटी | |
| 15. सिधी | | 6. किनवाट | |
| 16. होसंगाबाद | | 7. हिंगनघाट | |
| 17. गदरवाड़ा | | 8. डिगरस | |
| 18. अमरकंटक | | 9. इस्लामपुर | |
| 19. शहडोल | | 10. पंधारपुर | |
| 20. जगदलपुर | | 11. रामटेक | |
| 21. रतलाम | | 12. नीलगिर | |

| 1 | 2 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| 13. आकोट | | मेघालय | |
| 14. तुलजापुरा | | 1. शिलांग | |
| 15. वर्धा | | 2. तुरा | |
| 16. अमरावती | | 3. जोवई | |
| 17. पुसद | | 4. वाशकटोइन | |
| 18. करोड़ | | 5. विलियमनगर | |
| 19. चन्दरपुर | | 6. शोरा | |
| 20. बीड | | मिजोरम | |
| 21. गाडीचरोली | | 1. अइजवाल | |
| 22. गोंडिया | | नागालैंड | |
| 23. चोपड़ा | | 1. कोहिमा | |
| 24. धामगांव | | 2. तुईनसांग | |
| 25. नारखेड | | 3. मोकोकचुंग | |
| 26. मलकापुर | | 4. जुनहेबेटो | |
| 27. नंदरबार | | उड़ीसा | |
| 28. पैथन | | 1. क्योंझार | |
| 29. चालीसगांव | | 2. बारीपाड़ा | |
| 30. बुलदाना | | 3. बोलनगीर | |
| 31. हिंगोली | | 4. पारादीप | |
| मणिपुर | | 5. कोरापुट | |
| 1. जीरीबम | | 6. फलडानी | |
| 2. ककचिंग | | 7. भवानीपटना | |
| 3. लामलई | | 8. केन्द्रपाड़ा | |
| 4. विष्णुपुर | | 9. अंगुल | |
| 5. इम्फाल | | 10. जयपुर रोड | |

| 1 | 2 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| 11. बरगढ़ | | सिक्किम | |
| 12. रायगाड़ा | | 1. जोरथँग | |
| 13. गोपालपुर | | 2. गंगटोक | |
| पंजाब | | तमिलनाडु | |
| 1. बरनाला | | 1. पलानी | |
| 2. कपूरथला | | 2. मन्नारगुड़ी | |
| 3. गुरदासपुर | | 3. मैट्टूपलायम | |
| 4. नाभा | | 4. होसुर | |
| 5. रोपड़ | | 5. कराईकुडी | |
| 6. पटियाला | | 6. अर्नी | |
| 7. गोबिन्दगढ़ | | 7. अरक्कोनम | |
| राजस्थान | | 8. शिवगंगा | |
| 1. जालोर | | 9. मदुरनयक्कन | |
| 2. सिरोही | | 10. अंडीपट्टी | |
| 3. माउंट आबू | | 11. अरुपकोट्टई | |
| 4. बंसवारा | | 12. रामनाथनपुरम | |
| 5. झोनमल | | 13. रामेश्वरम | |
| 6. डोंगरपुर | | 14. आर्यालूर | |
| 7. भरतपुर | | 15. सयियामंगलम | |
| 8. नागोर | | 16. तूतीकोरीन | |
| 9. पुस्कर | | 17. ऊलम | |
| 10. किशनगढ़ | | 18. कोडीकानल | |
| 11. सवाई-माधोपुर | | 19. तिरुनेलवेली | |
| 12. धौलपुर | | 20. त्रिपूर | |

| 1 | 2 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| 21. | थिरुवेधीपुरम | 13. | हरदोई |
| 22. | पारामाकुडी | 14. | बिजनौर |
| 23. | पुनजय-पलियमपट्टी | 15. | बोरई |
| 24. | थिरुपाथूर | 16. | देवरिया |
| 25. | राशिपुरम | 17. | बदायूं |
| 26. | मम्मालापुरम | 18. | जमेठी |
| 27. | टिन्डीवावम | 19. | काशीपुर |
| 28. | विरुधाचलम | 20. | पदरोना |
| त्रिपुरा | | 21. | सुलतानपुर |
| 1. | उदयपुर | 22. | बिसवान |
| 2. | कैलाशाहर | 23. | इटावा |
| 3. | अगरतला | 24. | हल्द्वानी |
| 4 | अमरपुर | 25. | लखीमपुर |
| उत्तर प्रदेश | | 26. | सिकन्दराराव |
| 1. | जौनपुर | 27. | कोंच |
| 2. | फतेहपुर | 28. | कैराना |
| 3. | हाथरस | 29. | मोदीनगर |
| 4. | बांदा | 30 | जलेसर |
| 5. | बाराबंकी | 31. | औरैया |
| 6. | रायबरेली | 32. | रुड़की |
| 7. | अलमोड़ा | 33. | गोंडा |
| 8. | एटा | पश्चिम बंगाल | |
| 9. | बलिया | 1. | खड़गपुर |
| 10. | महोबा | 2. | मिदनापुर |
| 11. | गाजीपुर | 3. | कालिमपाग |
| 12. | सीतापुर | 4. | कूचबिहार |

| 1 | 2 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| 5. पुरलिया | | 22. हल्दिया (एनसीयू) | |
| 6. इंगलिश बाजार | | 23. हुगंग्राम | |
| 7. कृष्णा नगर | | 24. कमलना | |
| 8. सूरी | | 25. जंगीपुर | |
| 9. तारकेश्वर | | 26. अलीपुरदुआ | |
| 10. जलपायगुड़ी | | 27. रघुनाथपुर | |
| 11. सिलीगुड़ी | | अंडमान निकोबार द्वीप समूह | |
| 12. दार्जिलिंग | | — | — |
| 13. बेरहामपुर | | दादरा तथा नागर हवेली | |
| 14. बालूरघाट | | 1. सिलवासा | |
| 15. बसीरहाट | | लक्षद्वीप | |
| 16. रायगंज | | 1. कावारत्ती | |
| 17. रानाघाट | | पांडिचेरी | |
| 18. कटवा | | 1. कराईकाल | |
| 19. बोलपुर | | 2. पांडिचेरी | |
| 20. आरामबाग | | 3. यानम | |
| 21. हावड़ा | | | |

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विवाद

1361. श्री अम्मा जोशी :

(श्रीमती) रीता वर्मा :

श्री दत्तात्रेय बंडारू :

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में केन्द्रीय सरकार को केन्द्रीय सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के बीच तथा स्वयं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच विवादों की परिधीला हेतु एक

समिति गठित करने के निर्देश दिये थे ताकि अनावश्यक मुकदमेबाजी और जनता के धन के अपव्यय से बचा जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) जी हां।

(ख) उच्चतम न्यायालय ने तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग एवं समाहर्त्ता, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, बम्बई के वर्ष 1988 के असैनिक (सिविल) अपील संख्या 2058-59 पर विचार करते हुए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, मंत्रालयों एवं सरकारी क्षेत्र के उद्यमों तथा सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के आपसी विवादों का परिवीक्षण करने के लिए एक समिति के गठन हेतु निर्देश दिया, ताकि उक्त समिति द्वारा जांच और मुकदमें की अनुमति मिलने के पूर्व कोई मामला न्यायालय या प्राधिकरण में नहीं पहुंचे।

(ग) उक्त समिति का गठन उच्चतम न्यायालयों के निर्देशानुसार किया गया है और यह मंत्रिमण्डल सचिव की अध्यक्षता में काम कर रही है। बहरहाल, जहां तक सरकारी उद्यमों के आपसी विवादों का सम्बन्ध है, मध्यस्थता हेतु एक तंत्र सरकारी उद्यम विभाग में दिनांक 30 मार्च 1989 से ही काम कर रहा है।

"कामिनी" अनुसंधान रियेक्टर

1362. श्री गंगाधरा सानीपल्ली :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलपाक्कम में एक लघु अनुसंधान रियेक्टर "कामिनी" को चालू कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके कार्य-निष्पादन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आरवीड अल्वा) : (क) कलपाक्कम में "कामिनी" नामक लघु अनुसंधान रिएक्टर का निर्माण-कार्य प्रगत अवस्था में है। यह अभी चालू नहीं हुआ है। तथापि, इसके लिए क्रोड और रिएक्टर असेम्बली का निर्माण कर लिया गया है तथा उन्हें भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, बम्बई में स्थापित पूर्णिमा-III रिएक्टर में क्रांतिक किया गया है।

(ख) तथा (ग) रिएक्टर के भौतिकी डिजायन की जांच करने के लिए इस समय परीक्षण किए जा रहे हैं। डिजायन बनाकर तैयार किए गए क्रोड को कामिनी रिएक्टर में प्रयोग में लाने के स्थान पर, यह निर्णय लिया गया है कि पूर्णिमा-III रिएक्टर में वर्तमान क्रोड को प्रयोग में लाकर भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में ही भौतिकी सम्बन्धी कुछ परीक्षण किए जाएं। ऐसा इस तथ्य

को ध्यान में रखते हुए किया गया था कि यह यूरेनियम-233 से बने प्लेट किस्म के ईंधन का प्रयोग करने वाला पहला रिएक्टर है : आशा है कि मानसून के समाप्त होते ही क्रीड और परावर्तक असेम्बली की कलपाक्कम से जोड़ा जाएगा । इस बीच, कामिनी रिएक्टर के अन्य सभी संघटकों को बनाने और उन्हें स्थापित करने से सम्बन्धित कार्य संतोषजनक ढंग से चल रहा है तथा उनकी प्रारम्भिक जांच की जा रही है ।

### कृषि श्रमिकों के बारे में कानून बनाना

1363. श्री गंगाधरा सामोपल्ली :

श्री बारे लाल जाटव :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कृषि श्रमिकों के बारे में कोई केन्द्रीय कानून बनाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घटोवर) : (क) और (क) कृषि श्रमिकों के लिए केन्द्रीय विधान बनाने के एक प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है ।

### शहरी मूलभूत सेवा योजना का निष्पादन

1364. श्री गंगाधरा सामोपल्ली :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शहरी गरीब व्यक्तियों के लाभार्थ शुरू की गई शहरी मूलभूत सेवा योजना तथा अन्य योजनाओं को अभी तक मिली सफलता का राज्यवार एवम् योजना-वार ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम. अरुणाचलम) । शहरी निर्धन के लाभ के लिये शहरी विकास मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित की जा रही प्रमुख योजनाएं और इनके अन्तर्गत हुई प्रगति नीचे दी गई है :—

(1) शहरी बुनियादी सेवा (यू.बी.एस.)

एक प्रायोगिक कार्यक्रम के रूप में शहरी बुनियादी सेवा योजना यूनीसेफ की सहायता से सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी । प्रायोगिक चरण के दौरान प्राप्त अनुभव के आधार पर निर्धन के लिये शहरी बुनियादी सेवा (यू. बी. एस. पी.) नामक एक संशोधित योजना का उद्देश्य शहरी निर्धनों को सामुदायिक वर्गों में संगठित होने में समर्थ बनाना है ताकि उन्हें शहरी स्लमों के पर्यावरणीय सुधार की राज्य क्षेत्र की योजना के अधीन वास्तविक सुविधाओं के साथ-साथ सम्बद्ध क्रियाकलाप, गैर-औपचारिक शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, पौष्टिक भरण जैसी बुनियादी सामाजिक सेवाएं सुलभ हो सकें । निर्धनों के लिये शहरी बुनियादी सेवा से सम्बन्धित स्थिति रिपोर्ट ।बवरण-1 में दी गई है ।

(2) नेहरूरोजगार योजना

बेरोजगार और अल्प रोजगार शहरी निर्धनों को रोजगार के अवसर मुहैया कराने के उद्देश्य के साथ नेहरू रोजगार योजना (एन. आर. वाई.) अक्तूबर 1989 में 1990-91 में शुरू की गई संशोधित योजना आरंभ की गई थी। यह योजना शहरी स्लमों में गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे परिवारों/आश्रितता से कमजोर वर्गों के लिये लागू है और इस व्यापक श्रेणी के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला विशेष लक्षित वर्ग है। नेहरू रोजगार योजना से संबंधित प्रगति रिपोर्ट विवरण-II में दी गई है।

(3) केन्द्र द्वारा प्रवर्तित रैन-बसेरा योजना :

शहरी क्षेत्रों में पटरी अनिवासियों के लिये केन्द्र द्वारा प्रवर्तित रैन-बसेरा योजना के अन्तर्गत हुडको के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वयन अभिकरणों को 1000/-रु. प्रति व्यक्ति की दर से केन्द्रीय अनुदान तथा 4000/-रुपये प्रति व्यक्ति की दर से हुडको ऋण दिया जाता है। योजना की प्रगति विवरण-III में दी गई है।

विवरण-I

(लाख रुपये)

| राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम | चयनित नगर | 1990-91 के दौरान रिलीज की गई केन्द्रीय निधियां (यूबीएसपी) @ | यूबीएसपी के अन्तर्गत अब तक सूचित व्यय | क्या डी यू डी ए/ *एस यू डी ए/एसएसमसी की स्थापना की गई |
|---|---|---|---|---|
| 1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. आन्ध्र प्रदेश | 10 | 182.20 | 172.20 | एस एम सी |
| 2. बिहार | 18 | 161.75 | — | एस यू डी ए |
| 3. गुजरात | 28 | 88.65 | 74.00 | एस एम सी |
| 4. हरियाणा | 03 | 24.00 | 2.49 | एस यू डी ए |
| 5. कर्नाटक | 02 | 154.80 | 37.00 | एस एम सी |
| 6. केरल | 26 | 69.30 | 36.40 | —वही— |
| 7. मध्य प्रदेश | 10 | 164.20 | 30.73 | —वही— |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8. उड़ीसा | 10 | 45.50 | 45.60 | एस यू डी ए |
| 9. पंजाब | 04 | 46.80 | 14.00 | —वही— |
| 10. राजस्थान | 10 | 94.70 | 60.00 | एस एम सी |
| 11. तमिलनाडु | 57 | 234.90 | 1.00 | — |
| 12. उत्तर प्रदेश | 22 | 405.00 | 80.00 | एस यू डी ए |
| 13. पश्चिम बंगाल | 25 | 183.50 | 13.43 | —वही— |
| 14. असम | 03 | 21.60 | 19.80 | — |
| 15. हिमाचल प्रदेश | 02 | 12.50 | 4.50 | एस एम सी |
| 16. जम्मू तथा कश्मीर | 02 | 12.50 | — | — |
| 17. मणिपुर | 03 | 12.50 | — | एस एम सी |
| 18. त्रिपुरा | 04 | 12.50 | — | —वही— |
| 19. पांडिचेरी | 02 | 11.00 | 1.12 | एस यू डी ए |
| 20. दिल्ली | 01 | 46.20 | — | — |
| 21. महाराष्ट्र | 51 | 249.30 | 99.16 | एस एम सी |
| 22. गोवा | 01 | 12.50 | 12.50 | —वही— |
| 23. अरुणाचल प्रदेश | — | 12.50 | — | — |
| 24 मेघालय | 02 | 12.50 | 3.85 | एस यू डी ए |
| 25. मिजोरम | 21 | 12.50 | — | एस एम सी |
| 26. नागालैन्ड | — | 12.50 | — | —वही— |
| 27. सिक्किम | 06 | 12.50 | 6.50 | —वही— |
| 28. अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह | 01 | 11.00 | 4.94 | एस यू डी ए |
| 29. चन्डीगढ़ | 01 | 11.00 | — | — |
| 30. दादर तथा नागर हवेली | 01 | 11.00 | 1.07 | डी यू डी ए |
| 31. दमन तथा द्वीव | 01 | 11.00 | 0.25 | एस यू डी ए |
| 32. लक्ष्य द्वीव | — | 11.00 | — | — |
| | 271 | | | |

@ गैर सरकारी संगठन सहायता शामिल है

* एस यू डी ए = राज्य शहरी विकास अभिकरण
डी यू डी ए = जिला शहरी विकास प्राधिकरण
एस एम सी = राज्य प्रबोधन कक्ष
यू बी एस पी = निर्धनों के लिए शहरी मूलभूत सेवाएं

विवरण-II

नेहरू रोजगार योजना - 27.2.1992 की स्थिति के अनुसार प्रगति रिपोर्ट

| क्र. सं. | राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम | शहरी लघु उद्यमों की योजना | | शहरी मजदूरी रोजगार की योजना | | आवास तथा आश्रय उन्नयन की योजना | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | स्वीकृत आर्थिक सहायता राशि | प्रशिक्षित किए गए प्रशिक्षार्थी अथवा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षार्थी (संख्या) | सूचित किया गया व्यय | सृजित मानव दिवसों की संख्या (आंकड़े लाख में) | स्वीकृत की गई आर्थिक सहायता | अनुमोदित की गई ऋण राशि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 811.12 | 1504 | 715.29 | 6.98 | 325.34 | 1240.84 |
| 2. | बिहार | 53.24 | 1287 | 850.00 | 6.77 | 360.00 | 1417.50 |
| 3. | गुजरात | 57.63 | 3784 | 524.21 | 6.95 | 6.68 | 25.27 |
| 4. | हरियाणा | 85.32 | 1244 | 201.17 | 1.83 | 62.62 | 234.84 |
| 5. | कर्नाटक | 707.40 | 2046 | 621.74 | 11.40 | 392.66 | 1472.49 |
| 6. | केरल | 192.78 | 2005 | 373.50 | 6.19 | 282.63 | 1112.85 |
| 7. | मध्य प्रदेश | 375.11 | 1823 | 900.46 | 9.70 | 366.16 | 1441.81 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. महाराष्ट्र | 459.55 | 12927 | 905.50 | 23.91 | 317.23 | 1230.80 |
| 9. उड़ीसा | 184.20 | 879 | | 3.01 | 110.00 | 170.15 |
| 10. पंजाब | 123.28 | 751 | 291.32 | 2.00 | 123.90 | 453.72 |
| 11. राजस्थान | 205.00 | 758 | 770.00 | 8.51 | 17.06 | 67.65 |
| 12. तमिलनाडु | 337.18 | 9402 | 995.48 | 21.06 | 664.00 | 2614.53 |
| 13. उत्तर प्रदेश | 910.15 | 4300 | 3320.00 | 28.59 | 1161.62 | 4566.00 |
| 14. पश्चिम बंगाल | 184.45 | 2320 | 540.52 | 45.54 | 443.78 | 1742.17 |
| 15. गोवा | — | — | 24.70 | 0.45 | — | — |
| 16. अरुणाचल प्रदेश | — | — | — | — | — | — |
| 17. आसाम | 116.85 | 117 | 201.18 | 2.46 | 55.59 | 211,21 |
| 18. हिमाचल प्रदेश | 34.90 | — | 81.68 | 0.03 | 2.10 | 7.80 |
| 19. जम्मू और कश्मीर | 5.41 | 278 | 15.25 | 0.32 | 24.87 | 93.27 |
| 20. मणीपुर | — | 789 | 62.83 | 1.34 | 7.59 | 28.81 |
| 21. मेघालय | 0.35 | — | 0.93 | 0.01 | 2.36 | 8.96 |
| 22. मिजोरम | — | 54 | 31.36 | — | — | — |
| 23. नागालैंड | — | — | — | — | — | — |

| 1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. सिक्किम | 11.23 | 80 | 40.74 | — | 3.50 | 13.77 |
| 25. त्रिपुरा | 4.23 | 537 | 67.41 | 0.90 | 2.61 | 9.93 |
| 26. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | — | — | 6.53 | 0.10 | — | — |
| 27. चन्डीगढ़ | 1.04 | — | 15.57 | — | 1.82 | 6.81 |
| 28. दादरा और नागर हवेली | 0.16 | — | 0.59 | — | — | — |
| 29. दमन और द्वीव | — | — | 4 00 | 0.07 | — | — |
| 30. लक्षद्वीव | — | — | 11.53 | 0.05 | — | — |
| 31. पांडिचेरी | 2.85 | — | 15 | 0.12 | 1.52 | 6 |
| 32. दिल्ली | 25 00 | — | — | — | — | — |
| योव | 4388.49 | 46925 | 10805.46 | 188.30 | 4738.93 | 18462.91 |

विवरण-III

फुटपाथ निवासियों के लिए रैन बसेरों की योजना के विषय में प्रगति (12.2.92 की स्थिति के अनुसार)

(लाख रुपये)

| क्र. सं. | राज्य का नाम | स्वीकृत परियोजनाओं | अन्तग्रस्त ऋण राशि | अन्तर्ग्रस्त केन्द्रीय वित्तीय सहायता | अन्तर्ग्रस्त लाभग्राहियों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | उत्तर प्रदेश | 273.67 | 236.40 | 57.60 | 5760 |
| 2. | हिमाचल प्रदेश | 31.81 | 10.00 | 2.50 | 250 |
| 3. | तमिलनाडु | 73.78 | 61.37 | 17.39 | 1339 |
| 4. | असाम | उपलब्ध नहीं | 3.99 | 2.00 | 200 |
| 5. | आन्ध्र प्रदेश | 311.17 | 255.98 | 29.76 | 2976 |
| 6. | राजस्थान | उपलब्ध नहीं | 32,01 | 9.70 | 970 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. | केरल | उपलब्ध नहीं | 61.16 | 7.44 | 744 |
| 8. | उड़ीसा | उपलब्ध नहीं | 17.76 | 4.44 | 444 |
| 9. | चंडीगढ़ | 16.42 | शून्य | 2.00 | 200 |
| 10. | अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह | शून्य | 8.00 | 2.00 | 200 |
| 11. | मध्य प्रदेश | शून्य | 4.00 | 77.60 | 7360 |
| 12. | महाराष्ट्र | 233.20 | शून्य | 233.22 | शून्य |

ग्रामीण विपणन और वितरण नेटवर्क

1365. श्री आर. सुरेंद्र रेड्डी :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में ग्रामीण विपणन और वितरण क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर पहल करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक अन्तिम रूप दिए जाने की सम्भावना है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच. पटेल) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार लाने के लिए राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से परामर्श करके 1700 ब्लाकों का चयन किया है, जिनमें से अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। राज्यों और संघशासित क्षेत्रों को प्रमुख आवश्यक वस्तुओं का वितरण करने के लिए लगभग 11,000 अतिरिक्त उचित दर की दुकानें खोलने की सलाह दी गई है। इसके अतिरिक्त, उचित दर की दुकानों को, लोगों की खपत की दूसरी वस्तुओं जैसे चना, साबुन, दियासलाई, चाय, कापियां आदि के वितरण में भी शामिल किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को यथा सम्भव अधिक से अधिक मण्डियों को विनियमन के क्षेत्राधिकार में लाने की सलाह दी गई है : राज्य सरकारों से ग्रामीण मण्डियों के विकास और मुख्य थोक मण्डियों के साथ उनका समन्वय स्थापित करने के लिए मास्टर प्लान तैयार करने को भी सलाह दी गई हैं।

गैर-कृषि रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने हेतु विकास केन्द्र

1366. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फैडरेशन आफ इंडियन चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री ने संघ सरकार से गैर-कृषि रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने हेतु विकास केन्द्रों के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए अनुरोध किया है।

(ख) यदि हां, तो इस बारे में फैडरेशन आफ इंडियन चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री द्वारा केन्द्रीय सरकार को दिये गये अन्य सुझाव क्या हैं; और

(ग) इन सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) से (ग) "ग्रामीण समृद्धि की ओर" शीर्षक वाले एक पत्र में फेडरेशन आफ इंडियन चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री ने विकास केन्द्र की अवधारणा को प्रोत्साहन देकर ग्रामीण क्षेत्रों के गैर-कृषि क्षेत्र में विकासात्मक कार्यकलापों का समर्थन करने की आवश्यकता का उल्लेख किया है। सरकार ने राज्य सरकारों से परामर्श

करके 64 विकास केन्द्रों का चयन पहले ही कर लिया है। 10 केन्द्रों से सम्बन्धित परियोजना रिपोर्टों का कार्यान्वयन के लिए पहले ही अनुमोदन कर दिया गया है। अनुमोदित केन्द्रों के लिए 15 करोड़ रु. की राशि पहले ही दे दी गयी है।

[हिन्दी]

बिहार में नई फैक्ट्रियों की स्थापना

1367. श्री ललित उरांव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार बिहार के गढ़वा जिले में बाल बीयरिंग कारखाना तथा भागलपुर में एक सीमेंट कारखाना स्थापित करने का है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन कारखानों का निर्माण कार्य कब से शुरू हो जाने की सम्भावना है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

औद्योगिक क्षेत्र में पूंजी निवेश

1368. श्री ललित उरांव :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1990-91 और 1991-92 में औद्योगिक क्षेत्र में पूंजी निवेश के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्या सीमा निर्धारित की गई, और

(ख) इस अवधि के दौरान बिहार के औद्योगिक क्षेत्र में पूंजी निवेश की प्रतिशतता कितनी रही ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) राष्ट्रीय स्तर पर औद्योगिक क्षेत्र में निवेश करने के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

'बिहार तथा समूचे भारत में उद्योग तथा खनिजों के तहत परिव्यय

(रुपये करोड़ में)

| विवरण | 1990-91 (सं.अ.) | | | 1991-92 (अनुमोदित) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | बिहार | समग्र भारत | प्रतिशत | बिहार | समग्र भारत | प्रतिशत |
| राज्य क्षेत्र | | | | | | |
| बड़े तथा मझोले उद्योग जिसमें भारी तथा परिवहन और खनन शामिल है। | 24.16 | 659.15 | 3.66 | 72.35 | 827.72 | 8.74 |

[अनुवाद]

कोल इंडिया लि. में ठेकी श्रमिक

1369. श्री मनोरंजन भक्त।

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि. की कई सहायक कम्पनियों में भारी संख्या में ठेकी श्रमिक कम वेतन ले रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या कोल इंडिया लि. ने ऐसे श्रमिकों की कोई जांच कराई है; और

(ग) कोल इंडिया लि. तथा इसकी सहायक कंपनियों में कंपनीवार श्रमिकों की कुल संख्या क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी. ए: संगमा) : (क) से (ग) इस सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आवास विकास वित्त निगम द्वारा राज्यों को दिया गया ऋण

1370. डो. (श्रीमती) रीता वर्मा :

श्रीमती महेन्द्र कुमारी :

श्री दत्तात्रेय बंडारू।

श्री चेतन पी. एस. चौहान :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) आवास विकास वित्त निगम ने वर्ष 1991 के दौरान उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश और गुजरात में अलग-अलग आय समूह-वार कुल कितनी राशि के ऋण स्वीकृत और वितरित किए गए; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इनमें से प्रत्येक राज्य में कितने आवासीय एकक स्वीकृत किए गए ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम. कल्याणसुन्दरम) : (क) और (ख) स्वीकृत और वितरित किए गए ऋण तथा आवास विकास वित्त निगम द्वारा 1991 के दौरान फाइनेंस किए गए रिहायशी एककों के राज्यवार आंकड़े निम्न प्रकार से बताये गए हैं :—

| राज्य | स्वीकृत | वितरित | फाइनेंस किए गए एककों की संख्या |
|---|---|---|---|
| | (करोड़ रुपयों में) | | |
| उत्तर प्रदेश | 44.77 | 13.20 | 5,146 |
| मध्य प्रदेश | 34.78 | 22.57 | 3,998 |
| आंध्र प्रदेश | 39.24 | 34.60 | 4,510 |
| गुजरात | 74.51 | 59.57 | 8,564 |
| योग : | 193.30 | 129.94 | 22,218 |

[हिन्दी]

उपभोक्ता न्यायालय

1371. श्री राम टहल चौधरी :

श्री अर्जुन सिंह यादव :

श्री कार्णाराम राणा :

श्री श्रीकांत जेना :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सभी जिलों में उपभोक्ता अदालतों का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) बचे हुए जिलों में इनका गठन कब तक कर दिए जाने की सम्भावना है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 28 राज्य आयोगों तथा 360 जिला मंचों ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है, जैसाकि संलग्न विवरण में दिया गया है। शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उन्हें अधिसूचित कर दिया गया है।

(ग) और (घ) कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने उपभोक्ता न्यायालयों द्वारा कार्य न किए जाने के लिए वित्तीय कठिनाइयों तथा उपयुक्त व्यक्तियों की अनुपलब्धता को कारण बताया है। चूंकि राज्य आयोग/जिला मंच स्थापित करना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की जिम्मेदारी है, अतः मंत्रालय ने उन्हें जल्दी से जल्दी उपभोक्ता न्यायालय स्थापित करने के लिए लिखा है।

विवरण

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के कार्यान्वयन की स्थिति

| | | 5.2.1992 की स्थिति | |
|---|---|---|---|
| राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | राज्य आयोगों की स्थिति | जिलों की संख्या | जिला मंचों की संख्या |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| आन्ध्र प्रदेश | का. | 23 | 23 का. |
| अरुणाचल प्रदेश | का. | 11 | 11 का. |
| असम | का. | 23 | 14 का.<br>9 अ. |
| गुजरात | का. | 20 | 20 का. |
| बिहार | का. | 39 | 39 का. |
| गोवा | का. | 2 | 2 का. |
| हरियाणा | का. | 15 | 2 का.<br>13 अ. |
| हिमाचल प्रदेश | का. | 12 | 1 का.<br>11 अ. |
| कर्नाटक | का. | 20 | 4 का.<br>16 अ. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| केरल | का. | 14 | 3 का. |
| | | | 11 अ. |
| मध्य प्रदेश | का. | 45 | 45 का. |
| महाराष्ट्र | का. | 31 | 31 का. |
| मणिपुर | का. | 8 | 8 का. |
| मेघालय | अ. | 5 | 5 अ. |
| मिजोरम | का. | 3 | 3 का. |
| नागालैण्ड | अ. | 7 | 7 अ. |
| उड़ीसा | का. | 13 | 13 का. |
| पंजाब | का. | 12 | 12 का. |
| राजस्थान | का. | 30 | 30 का. |
| सिक्किम | अ. | 4 | 4 अ. |
| तमिलनाडु | का. | 21 | 21 का. |
| त्रिपुरा | का. | 3 | 3 का. |
| उत्तर प्रदेश | का. | 63 | 63 का. |
| पश्चिम बंगाल | का. | 17 | 3 का. |
| | | | 14 अ. |
| अंडमान व निकोबार | का. | 2 | 2 का. |
| चंडीगढ़ | का. | 1 | 1 का. |
| दादरा व नगर हवेली | का. | 1 | 1 का. |
| दिल्ली | का. | 1 | 1 का. |
| | | | 1 अ. |
| दमन व दीव | का. | 2 | 2 का. |
| लक्षद्वीप | का. | 1 | 1 का. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| पांडिचेरी | का. | 1 | 1 का. |

का.=कार्यरत

अ.=अधिसूचित

| | |
|---|---|
| कार्यरत राज्य आयोगों की संख्या | 28 |
| अधिसूचित राज्य आयोगों की संख्या | 3 |
| कार्यरत जिला मंचों की संख्या | 3 0 |
| अधिसूचित जिला मंचों की संख्या | 91 (दिल्ली में एक और जिला मंच अधिसूचित किया गया) |
| अभी गठित किए जाने वाले जिला मंचों की संख्या | — |
| जिलों की कुल संख्या | 450 |

**नकली इलेक्ट्रानिक सामान**

1372. श्री राम टहल चौधरी ।

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या सरकार को नकली इलेक्ट्रानिक सामान की बिक्री एवं निर्माण से संबंधित कुछ मामलों का पता चला है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे निर्माताओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ।

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) भ्रामक विज्ञापनों/मिथ्या प्रचार के माध्यम से नकली टेलीविजन सेटों को बेचकर अनुचित ढंग से व्यापार करने के मामले सरकार के सामने आये हैं । ऐसे मामलों में एकाधिकार प्रतिबन्धनकारी व्यापार पद्धति के विनियमों के अन्तर्गत प्रारंभिक जांच के आदेश दे दिये गए हैं ।

[अनुवाद]

**असंगठित क्षेत्र में महिलाओं का शोषण**

1373. श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार असंगठित क्षेत्र में महिलाओं को शोषित होने से बचाने हेतु स्वयं रोजगार प्राप्त महिला सम्बन्धी आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रख कर कोई कानून बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घोटावर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976, जिसमें समान कार्य या समान प्रकृति के कार्य के लिये पुरुष और महिला कामगारों को समान पारिश्रमिक देने और भर्ती में तथा नियोजन के बाद अन्य सेवा शर्तों में महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव नहीं करने का प्रावधान है, असंगठित क्षेत्र सहित रोजगार के सभी वर्गों पर लागू होता है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, बीड़ी और सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, ठेका श्रमिक अधिनियम आदि जैसे कुछ अन्य श्रम कानून हैं जो असंगठित क्षेत्र में पुरुषों और महिला कामगारों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। अतः इस समय असंगठित क्षेत्र में विशेषकर महिला कामगारों के लिये कोई विधेयक लाने का प्रस्ताव नहीं है।

आवास विकास वित्त निगम द्वारा सहकारी क्षेत्र को सहायता

1374. श्री शरत चन्द्र पटनायक।

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवास विकास वित्त निगम समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के लिए मकान बनाने हेतु सहकारी क्षेत्र को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख) आवास विकास वित्त निगम लिमिटेड, निजी क्षेत्र आवास वित्त संस्थान ने सूचित किया है कि वह व्यक्तिगतों को, जो समितियों के सदस्य हैं तथा जिनको सहायता की आवश्यकता होती है, को ऋण देकर सहकारी क्षेत्र की सहायता करता है; इस प्रकार वह कोई सहकारी समिति को वित्त नहीं देता है। आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग श्रेणियों के लोगों को जमीन ऋण पद्धति के माध्यम से भी ऋण दिये गये हैं तथा कुछ ऋण उन ऋणग्राही व्यक्तियों को दिए गए हैं, जिन्होंने गृह निर्माण के लिए सहकारी समितियां स्थापित की हुई हैं।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों की सेवा अवधि

1375. श्री जी. एम. सी. बालयोगी :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों की सेवा अवधि कम करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के उन सभी कर्मचारियों को सेवा-निवृत्त करने का है जिन्होंने तीस वर्ष की सेवा पूरी कर ली है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

उपमार्गों का निर्माण

1376. श्री राजवीर सिंह :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली में वर्ष 1992 के दौरान और अधिक उपमार्गों के निर्माण का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन स्थानों पर इन उपमार्गों के निर्माण का प्रस्ताव है; और

(ग) प्रत्येक उपमार्ग पर कितनी लागत आएगी।

शहरी विकास मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ग) दिल्ली डवर निगम ने निम्नलिखित प्रस्तावों की सूचना दी है :—

| | सब-वे का नाम तथा अवस्थिति | अनुमानित लागत |
|---|---|---|
| 1. | सुलचन्द फ्लाई-ओवर और डिफेंस कालोनी फ्लाई-ओवर के बीच लाला लाजपत राय का सब-वे | 48.76 लाख रुपये |
| 2. | एम.आई.जी. फ्लैट्, सुभाष नगर, तीहारपुर और राजौरी गार्डन, के समीप नजफगढ़ रोड़ का सब-वे पैदल मार्ग | 87.33 लाख रुपये |

नई दिल्ली नगर पालिका ने निम्नलिखित प्रस्तावों की सूचना दी है :—

| | सब-वे का नाम और अवस्थिति | अनुमानित लागत |
|---|---|---|
| 1. | मन्दिर और कस्तुरबा गांधी मार्ग के समीप प. पंत मार्ग, चर्च मार्ग, बाबा खड़ग सिंह मार्ग पर सब-वे | सब-वे की उप धारा की संख्या पर निर्भर करते हुए प्रत्येक के लिये 1 से 1.50 करोड़ रुपये के बीच |

[अनुवाद]

पेय जल आपूर्ति हेतु समस्याग्रस्त गांवों का पता लगाना

1377. श्री के. प्रधानी :

श्री मृत्युंजय नायक :

श्री धर्म भिक्षम :

श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसे गांवों का पता लगाया है जहां इस समय भी पेयजल सुविधाएं नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो 31 दिसम्बर, 1991 की स्थिति के अनुसार राज्यवार तथा संघ-राज्य क्षेत्रवार उनका ब्योरा क्या है;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन गांवों को पेयजल आपूर्ति हेतु क्या लक्ष्य रखे गये हैं; और

(घ) इन लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच. पटेल) : (क) और (ख) 14.4.85 की स्थिति के अनुसार पता लगाये गये पेयजल समस्या वाले 1,61,722 गांवों में से निम्नलिखित राज्यों में से निम्नलिखित राज्यों में से ऐसे 4705 गांव शेष थे जिनमें 31 दिसम्बर, 1991 तक स्वच्छ पेयजल सुविधायें मुहैया कराई जानी थी ।

| क्रम संख्या | राज्य का नाम | बकाया पेयजल समस्या वाले गांवों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | असम | 83 |
| 2. | गुजरात | 45 |
| 3. | हरियाणा | 37 |
| 4. | हिमाचल प्रदेश | 588 |
| 5. | जम्मू व कश्मीर | 604 |
| 6. | मध्य प्रदेश | 60 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 7. | महाराष्ट्र | 51 |
| 8. | मेघालय | 982 |
| 9. | नागालैंड | 5 |
| 10. | उड़ीसा | 1047 |
| 11. | पंजाब | 657 |
| 12. | राजस्थान | 118 |
| 13. | त्रिपुरा | 10 |
| 14. | उत्तर प्रदेश | 418 |
| | योग : | 4705 |

(ग) उपरोक्त पेयजल समस्या वाले गांवों में से 1818 गांवो को 31.3.92 तक तथा शेष 2874 गांवों को 1992-93 में कवर कर लिये जाने की संभावना है ।

(घ) त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के तहत असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मेघालय उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों को 31.3.93 तक लक्ष्य प्राप्त करने के लिये केन्द्र सरकार द्वारा सामान्य आवंटन के अलावा विशेष केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई है ।

## उड़ीसा के लिये एक कोयला डिवीजन बनाना

1378. श्री के प्रधानी :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न कोयला कम्पनियों के कुछ अतिरिक्त डिवीजन बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या एक कोयला डिवीजन केवल उड़ीसा राज्य के लिए ही स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इस प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) और (ग) उड़ीसा में कोल इंडिया लि. की अलग से एक सहायक कोयला कंपनी

स्थापित किए जाने का निर्णय सिद्धांत रूप में ले लिया गया है। इस सम्बन्ध में औपचारिकताओं जैसे कम्पनी, आदि को रजिस्टर करना शामिल है, में समय लग सकता है और इसलिए उक्त निर्णय को क्रियान्वित करने में समयावधि को विनिर्दिष्ट करना सम्भव नहीं हो सकेगा।

महाराष्ट्र को लघु और मध्यम वर्ग के शहरों का समेकित विकास योजना के अन्तर्गत धनराशि

1379. श्री सुधीर सावन्त :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लघु और मध्यम श्रेणी के शहरों का समेकित विकास योजना के अन्तर्गत महाराष्ट्र को शहरी विकास के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई और कितनी धनराशि का उसने उपयोग किया;

(ख) राजापुर, बेनपुर्ला, सावन्तवाड़ी और मलराम शहरों के विकास के लिए कितनी धन-राशि आवंटित की गई थी; और

(ग) उक्त क्षेत्रों में शुरू किए गए विकास कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम्) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत सरकार द्वारा 455.215 लाख रुपये रिलीज किये गए थे। सातवीं पंच-वर्षीय योजना के दौरान सम्मिलित कस्बों पर (11 कस्बों के लिए) 673.47 लाख रुपये का व्यय वहन किया गया।

(ख) मार्गनिर्देशों के अनुसार विकास के लिए कस्बों की प्राथमिकता का चयन संबंधित राज्य सरकारों में निहित है। चूंकि राज्य सरकारों द्वारा सातवीं पंचवर्षीय योजना में इन कस्बों को प्राथमिकता नहीं दी गई थी, ये कस्बे इस योजना के अन्तर्गत शामिल नहीं किए गए हैं।

(ग) ऊपर भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

अंटार्कटिक अभियान पर व्यय

1380. श्री सुधीर सावन्त :

क्या प्रधान मन्त्री मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंटार्कटिक अभियान और इसके स्थाई स्टेशन के रखरखाव का वार्षिक व्यय कितना है;

(ख) इस परियोजना के लक्ष्य और उद्देश्य क्या है;

(ग) क्या अंटार्कटिक के स्थाई क्षेत्रीय अधिकार प्राप्त करने की अन्तर्राष्ट्रीय संधि में इसका उल्लेख दिया है;

(घ) यदि हां, तो क्या भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर किये हैं; और

(ङ) सरकार का विचार किस भौगोलिक क्षेत्र पर अपना स्वामित्व स्थापित करने का है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा)। (क) अब तक ग्यारह अभियान भेजने तथा मैत्री स्थित स्थायी केन्द्र के रख-रखाव की लागत सहित, कुल लागत लगभग 8 .85 करोड़ रुपये है। अभियान-वार व्यय का विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

(ख) अंटार्कटिक में भारत की भू-राजनैतिक उपस्थिति के प्रतिष्ठापन के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों में वायुमण्डलीय विज्ञान और पर्यावरण, भूमि विज्ञान और हिमनद विज्ञान, जीवविज्ञान, मौसम विज्ञान, समुद्र विज्ञान, पर्यावरणीय शारीरिकी के क्षेत्रों में अनुसंधान और सौर मौसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन शामिल है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। अंटार्कटिक पर स्थायी क्षेत्रीय अधिकारों को पाने के लिए कोई अन्तर्राष्ट्रीय संधि नहीं है। दूसरी ओर, अंटार्कटिक संधि, 1959 जिसका भारत एक पक्षकार है, के अनुच्छेद 4(2) में यह अनुबन्ध किया गया है कि जब तक यह संधि लागू रहेगी तब तक क्षेत्रीय दावे नहीं किए जाएंगे।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

अभियान के अनुसार व्यय

(रुपए लाखों में)

| अभियान | वर्ष | जलयान को किराए पर लेना स्टेशन पर रख-रखाव, सवार एवं पुर्जे, सवारी, कपड़ा, भोजन, विविध इत्यादि सहित अभियान पर कुल व्यय। | * स्टेशन के रख-रखाव में व्यय |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 |
| पहला | 1981 | 190 | — |
| द्वितीय | 1982 | 195 | — |
| तृतीय | 1983 | 570 | 100 |
| चतुर्थ | 1984 | 620 | 70 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| पंचम | 1985 | 574 | 58 |
| छठा | 1986 | 512 | 49 |
| सातवां | 1987 | 650 | 55 |
| आठवां | 1988 | 1150 | 319 |
| नौवां | 1989 | 1290 | 80 |
| दसवां | 1990 | 1234 | 98 |
| ग्यारहवां** | 1991 | 1300 | 157 |
| योग | | 8285 | 986 |

नोट : * कालम 3 में दी गई राशि में यह व्यय सम्मिलित है।

** वास्तविक व्यय, अभियान के वापस लौटने के बाद एवं जलयान के किराए पर लिए गए दिनों की वास्तविक संख्या की जानकारी के बाद पता चलेगा।

**पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम में रत्नागिरी और सिन्धु दुर्ग (महाराष्ट्र) को शामिल करना**

1381. श्री सुधीर सावन्त :

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के रत्नागिरी और सिन्धु दुर्ग जिलों की पहचान पर्वतीय क्षेत्र के रूप में की गई है और पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम में शामिल किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सातवीं योजना (वर्ष वार) के दौरान इन क्षेत्रों के विकास के लिए कितना लक्ष्य प्राप्त किया गया ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : (क) जी, नहीं। इसमें पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम है जिनमें कुछ "ताल्लुक" आते हैं जिसमें अनेक जिले शामिल हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

**दिल्ली में लघु उद्योग**

1382. श्री बी. एल. शर्मा प्रेम :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) दिल्ली में वर्ष 1991-92 में कितने लघु उद्योगों की स्थापना की गयी,

(ख) क्या उनकी संख्या पिछले वर्ष की तुलना मे कम है,

(ग) यदि हां, तो पिछले वर्ष की तुलना में यह कितने प्रतिशत कम है, और

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा यहां और अधिक लघु उद्योगों की स्थापना करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) दिल्ली प्रशासन के अनुसार, उनके पास केवल उन औद्योगिक एककों का रिकार्ड है जो उनके पास वर्गीकरण करवाने के लिए आते हैं। क्योंकि विभाग में पंजीकरण करवाना ऐच्छिक है, अतः सभी लघु औद्योगिक एकक पंजीकरण के लिए नहीं आते है। किन्तु 1990-91 के दौरान 926 लघु औद्योगिक एककों को स्थायी रूप से पंजीकृत किया गया था। और 1991-92 के दौरान 28-2-92 तक 523 लघु एककों को स्थाई रूप से पंजीकृत किया गया था। इसी प्रकार 1990-91 के दौरान 1854 लघु औद्योगिक एककों को अनंतिम रुप से पंजीकृत किया गया था और 1991-92 के दौरान 28-2-92 तक 1648 लघु औद्योगिक एककों को अनंतिम रुप से पंजीकृत किया गया था।

(ख) जी, हां।

(ग) वर्ष 1990-91 के दौरान लगभग 43 प्रतिशत लघु औद्योगिक एकक स्थायी रुप से पंजीकृत थे और वर्ष 1990-91 के दौरान 11.11 प्रतिशत अनंतिम रुप से पंजीकृत थे। 1990-91 के आंकड़े 31-3-91 तक है जबकि 991-92 के आंकड़े 28-2-92 तक हैं।

(घ) लघु औद्योगिक एककों का पंजीकरण दिल्ली मास्टर प्लान अगस्त, 1990 द्वारा निर्धारित स्थापना-स्थल संबंधी नीतियों द्वारा शासित होता है। केवल उन औद्योगिक एककों का ही स्थायी रुप से पंजीकरण किया जाता है जो दिल्ली मास्टर प्लान के अनुसार स्थापना-स्थल सम्बन्धी मानदण्डों को पूरा करते हैं।

**मारुति उद्योग लिमिटेड की आय और व्यय**

1383. श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मारुति उद्योग लिमिटेड को वर्ष 1981 में इसके राष्ट्रीयकरण होने के बाद से जनवरी, 1992 तक हुई आय और व्यय का ब्योरा क्या है;

(ख) क्या इन वर्षों में मारुति उद्योग लिमिटेड को कोई घाटा हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है।

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) मारुति उद्योग लिमिटेड का वर्ष 1992 से जनवरी, 1992 तक का आय और व्यय का ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) मारुति उद्योग लिमिटेड को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने से किसी वर्ष भी हानि नहीं हुई है।

## विवरण

मारुति उद्योग लिमिटेड की आय और व्यय के बारे में श्री रामेश्वर पाटीदार द्वारा पूछे गये दिनांक 4-3-1992 के लोक सभा लिखित प्रश्न सं. 1383 के भाग (क) के संदर्भ में उल्लिखित विवरण

1991 के बाद से आय और व्यय का ब्योरा (करोड़ रु.)

| मद | निर्माण के दौरान व्यय | | उत्पादन के प्रारम्भ के पश्चात आय और व्यय | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1981-82 | 1982-83 | 1.4.83 से 17.11.83 | 18.11.83 से 31-3-84 | 84-85 | 85-86 | 86-87 | 87-88 | 88-89 | 89-90 | 90-91 | 1991-92* जनवरी, 1992 तक |
| आय | 0.03 | 0.14 | 0.40 | 18.27 | 147.96 | 340.28 | 662.23 | 803.21 | 984.60 | 1253.96 | 1599.64 | 1614.60 |
| व्यय | 0.57 | 1.03 | 2.45 | 16.57 | 147.06 | 337.28 | 652.00 | 776.78 | 953.19 | 1203.91 | 1551.52 | 1588.28 |

उत्तपादन/बिक्री का प्रारम्भ 18-11-83 से प्रभावी हुआ। दिनांक 18-11-83 तक का व्यय तथा अन्य विविध आय पूंजीगत लेखा में डाली गई है।

* 10 महीने की आय और व्यय दोनों (अनंतिम) हैं।

[अनुवाद]

जम्मू और कश्मीर में सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल

1384. श्री इन्द्रजीत गुप्त ।

श्री विजय कुमार यादव :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार के कर्मचारी 7 जनवरी, 1992 से हड़ताल पर हैं तथा केन्द्रीय चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों को 1 जनवरी, 1986 से लागू करने की मांग कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है और उनकी मांगों को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ।

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) । (क) और (ख) जम्मू और कश्मीर सरकार के कर्मचारियों ने हड़ताल समाप्त कर दी है ।

भोपाल गैस त्रासदी के शिकार लोगों के लिए दावा न्यायाधिकरणों की स्थापना

1385. श्री इन्द्रजीत गुप्त :

श्री आनन्द रत्न मौर्य :

श्री लोकनाथ चौधरी :

श्री परसराम भारद्वाज :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार को यह निर्देश दिया था कि भोपाल गैस त्रासदी के शिकार लोगों के मुआवजा के दावों को निपटाने के लिए 3 फरवरी, 1992 तक कम से कम 40 दावा न्यायाधिकरणों का कार्यकरण आरंभ हो जाना चाहिए था ।

(ख) यदि हां, तो क्या अब तक बहुत कम दावा न्यायाधिकरण स्थापित किए गए हैं तथा जिन न्यायालयों ने कार्य करना आरंभ भी कर दिया है उनके पास वास्तव में कार्य नहीं है क्योंकि सरकार ने उन्हें दिशानिर्देश जारी नहीं किए है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा. चिन्ता मोहन) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) कल्याण आयुक्त, 3 अतिरिक्त आयुक्तों और 5 उपायुक्तों को नियुक्त कर दी गयी है। जहां तक मार्गदर्शी रूप-रेखाओं का संबंध है, केन्द्रीय सरकार का कल्याण आयुक्त को संकेतात्मक मार्गदर्शी रूपरेखाएं जारी करने का प्रस्ताव है जिन्हें विस्तृत आन्तरिक मार्गदर्शी रूप-रेखाएं तैयार करते समय वह ध्यान में रख सकेंगे। अधिनिर्णय की कार्यवाहियां शुरू हो गई हैं।

सरकारी कर्मचारियों के लिए "गोल्डन हैंड शेक" योजना

1386. श्री ओ बल्लभ पाणिग्रही :

श्रीमती बिल कुमारी भंडारी :

श्री यशवन्तराव पाटिल :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की तरह केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए भी "गोल्डन हैंड शेक" योजना आरम्भ करना चाहती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए "गोल्डन हैंड शेक" स्कीम के मुद्दे पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

कोंडली और रोहिणी में दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों का आवंटन

1387. श्री ओ.बल्लभ पाणिग्रही :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) हुडको स्कीम, 1979 के अंतर्गत अक्तूबर, 1990 में आयोजित ड्रा में रोहिणी और कोंडली में, कितने व्यक्तियों को विभिन्न श्रेणियों के डी. डी. ए. फ्लैट आवंटित किए गए और श्रेणीवार अब तक कितने व्यक्तियों को कब्जा दिया गया है;

(ख) कितने आवंटितियों को कब्जे नहीं दिये गये हैं और इसके क्या कारण है; और क्या उनका आवंटन रद्द कर दिया गया है;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 27 अप्रैल, 1991 की उस अधिसूचना को पिछली तारीख से प्रभावी माना है जिसमें दिल्ली में कृषि भूमि का मूल्य बढ़ाया गया था और भूमि के प्रीमियम के रूप में प्रति फ्लैट 28000 रु. से 49000 रु. की मांग की गयी थी; यदि हां, तो इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने के क्या कारण है; और

(घ) इसी प्रकार के उन फ्लैटों के लिए जिनके लिए इस अधिसूचना के जारी होने से पहले मार्च, 1990 में ड्रा निकाला गया था भूमि का प्रीमियम कितना था ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) अनुलग्न के अनुसार।

(ख) 1136 मामलों में कब्जा-पत्र जारी नहीं किए गए थे क्योंकि आवंटन की शर्तों का अनुपालन न करने के कारण उनके आवंटन रद्द कर दिए गए थे। अन्य 67 मामलों में कब्जा-पत्र जारी करने की प्रक्रिया चल रही है। 565 मामलों से सम्बन्धित मामला न्यायनिर्णयाधीन है।

(ग) जानकारी एकत्र की जा रही है सभा पटल पर रख दी जाएगी;

(घ) नवम्बर, 90 में भूमि की दरों में संशोधन से पूर्व मध्यम आय वर्ग, निम्न आय वर्ग तथा आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के फ्लैटों के लिए भूमि के प्रीमियम की गणना, स्कीम के सकल क्षेत्र जमा निर्धारित दरों पर समकरण प्रभारों का 62/-रु. प्रति वर्ग मीटर की दर से की गई थी।

विवरण

अक्तूबर, 1990 में निकाली गयी लाटरी में आवंटित फ्लैटों के ब्यौरे/ जारी किए गए कब्जा पत्रों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

1. आवंटित फ्लैट

श्रेणी

| क्र. सं. | क्षेत्र | मध्यम आय वर्ग | निम्न आय वर्ग | जनता | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | कोण्डली | — | 573 | 450 | 1013 |
| | रोहिणी | 216 | 522 | 1012 | 1750 |
| | | | | कुल योग : | 2773 |

2. जारी किए गए कब्जा-पत्र

श्रेणी

| क्र. सं. | क्षेत्र | मध्यम आय वर्ग | निम्न आय वर्ग | जनता | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | कोण्डली | — | 384 | 33 | 417 |
| | रोहिणी | 107 | 293 | 188 | 588 |
| | | | | कुल योग : | 1005 |

आवास आयोजना तथा विकास में निजी क्षेत्र को शामिल करना

1389. श्री एम वी चन्द्रशेखर मूर्ति :

श्री वी श्रीनिवास प्रसाद :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बतानेकी कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंस्टीट्यूट आफ टाऊन प्लेनर्स (इंडिया) द्वारा नई दिल्ली में हाल ही में कोई गोष्ठी आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या गोष्ठी द्वारा देश में आवासीय व्यवस्थाओं की आयोजना तथा विकास में निजी क्षेत्र को भागीदारी को अनुमति देने के लिए सिफारिश की गई थी;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार का आवास विकास के कार्य को निजी क्षेत्र के हाथों में देने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

शहरी विकास संत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम अरुणाचलम) : (क) 40 वां वार्षिक नगर तथा ग्राम नियोजन सेमिनार "सेटलमेंट प्लानिंग-कन्सेप्ट्स एंड सिस्टम्स" के मुख्य विषय पर 15-17 जनवरी, 1992 तक पुणे में आयोजित किया गया था।

(ख) कार्यशालाओं में से एक कार्यशाला सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की सहभागिता को समर्पित थी। सेमिनार की अनुशंसाओं में से एक अनुशंसा उल्लेख करती है कि स्थानिक विकास प्रक्रिया में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र दोनों की सहभागिता आवश्यक है लेकिन यह विरोध मुक्त होनी चाहिए।

(ग) से (ङ) संशोधित प्रारुप राष्ट्रीय आवास नीति पर्याप्त कानूनी सहित भूमि विकास, निर्माण तथा अवसंरचनात्मक व्यवस्था में लाइसेंसधारी निजी विकासकर्ताओं की अंतर्ग्रस्तता के प्रोत्साहन पर विचार करती है।

सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा

1389. श्री मदन लाल खुराना :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सार्व जनिक भूमि पर अवैध कब्जे को गम्भीर अपराध मानने और इसके लिए कड़ा दण्ड देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कनाट प्लेस/कनाट सर्कस सहित, दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका के क्षेत्रों में अवैध रूप से कितने विज्ञापन-पट लगाये गए हैं/भूमि पर कब्जा किया गया है; और

(घ) क्या उक्त सारे अवैध कब्जो/विज्ञापन-पटों को हटा दिया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री : (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन कोष

1390. श्री राजवीर सिंह :

श्री सन्तोष कुमार गंगवार :

श्री जे. चोका राव :

श्री यशवंत राव पाटिल :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार गैरसरकारी कर्मचारियों के लिए एक पेंशन कोष गठित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस कोष के गठन के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं और यह कोष किसके अधिकार में रहेगा ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घटोवर) : (क) और (ख) कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यास बोर्ड ने निजी क्षेत्र के सदस्यों सहित कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्यों के लिये पेंशन निधि के गठन और पेंशन स्कीम शुरु करने की सिफारिश की है। बोर्ड की सिफारिशें अभी सरकार के विचाराधीन है।

बिहार के पिछड़े हुए क्षेत्रों का औद्योगीकरण

1391 श्री रामलखन सिंह यादव ।

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकरण कार्यक्रम सातवीं पंचवर्षीय योजना में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार नहीं चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार के पिछड़े इलाकों में स्थापित उद्योगों का ब्योरा क्या है; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किए जाने वाले उद्योगों के लिए प्रस्तावित योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) से (ग) किसी राज्य का औद्योगीकरण करना मुख्यतया संबंधित राज्य सरकार का उत्तरदायित्व होता है। जहां संभव होता है केन्द्र सरकार वहां उनके प्रयासों में मदद करती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार में स्थापित उद्योगों के ब्यौरे केन्द्र द्वारा नहीं रखे जाते हैं। तथापि बिहार के पिछड़े क्षेत्रों के लिए जारी किए गए आशय पत्रों और औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या नीचे दी गयी है :—

| वर्ष | आशय पत्र | औद्योगिक लाइसेंस |
|---|---|---|
| 1989 | 5 | शून्य |
| 1990 | 1 | 1 |
| 1991 | 4 | - |

विकास केन्द्र योजना के तहत बिहार को 6 विकास केंद्र आवंटित किए गए हैं। यह योजना 8वीं योजना अवधि के दौरान कार्यान्वित की जायेगी।

[अनुवाद]

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण की द्वारका परियोजना को बड़े पैमाने पर अतिक्रमण करने, फ्लैटों के गलत आवंटन और सम्पूर्ण परियोजना को ठीक से न बनाये जाने के कारण आलोचना की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है;

(ग) द्वारका परियोजना में भूमि पर किए गए अतिक्रमणों का ब्यौरा क्या है और इन्हें हटाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं; और

(घ) अतिक्रमण होने देने के क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. मल्लिकार्जुनैया) : (क) और (ख) अतिक्रमण तथा प्रभावशाली आयोजन की कमी की आलोचना हुई है।

(ग) और (ग) सूचना संलग्न विवरणपत्र में दी गई है।

विवरण

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि गांव की आबादी से समीपता के कारण इस क्षेत्र में अतिक्रमण हुआ है। निम्नलिखित क्षेत्र अतिक्रमणाधीन होने की सूचना है :—

| गांव का नाम | क्षेत्र | |
|---|---|---|
| | बीघा | बिस्वा |
| बासम | 33 | 10 |
| हावड़ी | 25 | 18 |
| निर्जापुर | 81 | 03 |
| बिन्दापुर | 19 | 04 |
| अठिम्बला | 37 | 15 |
| नवादा | 04 | 09 |
| योग : | 203 | 19 |

अथवा 42.48 एकड़

समाधि, इन अतिक्रमणों को हटाने के लिये दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा समस्त प्रयास किए जा रहे हैं। उनके द्वारा किये गए उपायों में पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराना शामिल है और कुछ मामलों में मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट के न्यायालयों में अभियोजन चल रहे हैं।

## नागरिक सुविधाओं रहित फ्लैटों का निर्माण

1393. श्री मदन लाल खुराना :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण जल आपूर्ति, मलजल निकासी और बिजली जैसी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित को बिना फ्लैटों के निर्माण की योजना बना रहा है जिसके कारण दिल्ली विकास प्राधिकरण की धनराशि अवरुद्ध हो जायेगी तथा प्रतिरक्षा पेंशनभोगियों को फ्लैटों का आवंटन नहीं होगा; और

(ख) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

## संस्कृत भाषा के लिए कम्प्यूटर

1094. श्रीमत भावना चिखलिया :

श्री देवी बक्स सिंह :

डा. रमेश चन्द तोमर :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संस्कृत भाषा के अध्ययन और अनुसंधान कार्य में कम्प्यूटर का उपयोग करने के लिए वित्तपोषित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) संस्कृत भाषा में कम्प्यूटर-आधारित शिक्षा और अनुसंधान कार्य के लिए चुनी गयी संस्थाओं की संख्या कितनी है तथा वर्ष 1990-91 के दौरान प्रत्येक संस्था के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गयी है; और

(ग) आठवीं योजना के दौरान इस प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि रखे जाने की संभावना है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) और (ख) संस्कृत में कम्प्यूटर पर आधारित शोध कार्य तथा अध्ययन के लिए इलैक्ट्रानिकी विभाग के भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम (टी डी आई एल) के अंतर्गत कई परियोजनाओं को धनराशि उपलब्ध कराई गई है। जिन परियोजनाओं/संस्थानों में यह कार्य शुरु किया गया है, उनकी सूची तथा उन्हें उपलब्ध करायी गई बजट राशि/धनराशि के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) आठवीं योजना के दौरान सभी भारतीय भाषाओं सहित समूचे टी. डी. आई. एल कार्यक्रम के लिए कुल 17 करोड़ रुपये के बजट का अनुमान लगाया गया है, जिसमें सभी भारतीय भाषाएं शामिल हैं। चूंकि वित्त का आबंटन वास्तविक रूप से शुरू की गई परियोजनाओं के आधार पर किया गया है, अतः संस्कृत के लिए विशेष रूप से कोई आबंटन नहीं किया गया है।

विवरण

| परियोजना का नाम | संस्था का नाम | कुल बजट जारी की गई राशि | |
|---|---|---|---|
| | | (लाख रुपए में) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. कम्प्यूटर वैज्ञानिकों और भाषा वैज्ञानिकों को संस्कृत व्याकरण का ज्ञान दिलाने के लिए पाठ्यक्रम के मार्गदर्शन सिद्धांत तथा पाठ्य सामग्री तैयार करना | श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, दिल्ली | 1.25 | 1.25 |
| 2. भाषा वैज्ञानिकों और कम्प्यूटर वैज्ञानिकों को संस्कृत मीमांसा का ज्ञान दिलाने के लिए पाठ्यक्रम के मार्गदर्शन सिद्धांत तथा पाठ्य सामग्री तैयार करना। | राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति | 1.25 | 1.25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 3. भाषा वैज्ञानिकों और कम्प्यूटर वैज्ञानिकों को संस्कृत निघण्टु का ज्ञान दिलाने के लिए पाठ्यक्रम के मार्गदर्शन सिद्धांत तथा पाठ्य सामग्री तैयार करना। | गुरुकुल कांगडी विश्व-विद्यालय, हरिद्वार | 1.25 | 1.25 |
| 4. कम्प्यूटर पर आधारित अर्थ निरुपण संसाधन में संस्कृत का प्रयोग। | संस्कृत अनुसंधान अकादमी, मेलकोट | 4.94 | 4.94 |
| 5. संस्कृत शास्त्र में सूचना संसाधन का ढांचा तैयार करने की संभावनाओं का पता लगाना। | सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्व- विद्यालय, वाराणसी | 13.35 | 4.45 |
| 6. शिक्षा स्नातक, शिक्षा निष्णात् के विद्यार्थियों के लिए कम्प्यूटर की सहायता से ज्ञानार्जन शिक्षण कार्यक्रम के लिए साधन स्रोत केन्द्र | श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली | 20.01 | 8.69 |
| 7. कम्प्यूटर की सहायता से संस्कृत शिक्षण/ज्ञानार्जन वातावरण (केस्टल) | श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली | 4.71 | 1.61 |
| 8. मशीन में पठन योग्य रुप में भारतीय भाषा के पाठ के मूल तत्वों का विकास (संस्कृत) | सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्व-विद्यालय, वाराणसी | 33.50 | 13.00 |

[अनुवाद]

**निर्माताओं और किसानों को उर्वरक राज सहायता**

1395. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाडडे :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत दो वर्षों के दौरान स्थिर मूल्य फार्मूला के अन्तर्गत निर्माताओं और किसानों को उर्वरक राजसहायता किस अनुपात में दी गई ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मंत्री (डा. चिन्ता मोहन) : प्रतिधारण मूल्य-सह-आधिक्य सहायता योजना के तहत उर्वरक आधिक्य सहायता सीधे निर्माताओं को दी जाती है न

कि किसानों को। पिछले दो वर्षों अर्थात् 1989-90 और 1990-91 के दौरान इस योजना के तहत स्वदेशी निर्माताओं को दी गयी उर्वरक आर्थिक सहायता क्रमशः 3771.00 करोड़ रुपये तथा 3729.73 करोड़ रुपये है।

[हिन्दी]

चुंगी समाप्त किया जाना

1396. श्री राम कृष्ण कुसमारिया :

श्री प्रभु दयाल कठेरिया :

श्री सन्तोष कुमार गंगवार।

श्री बलराज पासी ।

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चुंगी समाप्त करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) अब तक किन-किन राज्यों में चुंगी समाप्त कर दी गई है;

(घ) क्या सरकार का इन राज्यों को अनुदान देकर इन की क्षतिपूर्ति करने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख) एक स्थानीय क्षेत्र में वस्तुओं को उपभोग, प्रयोग अथवा विक्रय हेतु लाने पर कर लगाना भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि 52 में आता है। यह विषय राज्य सूची में आता है, इसे देखते हुए चुंगी हटाने के मुद्दे को जांच करना राज्यों का दायित्व है। तथापि, स्थानीय शासन तथा नगर विकास केन्द्रीय परिषद की एक बैठक में पारित संकल्प के अनुसरण में, इस मंत्रालय द्वारा गठित एक समिति द्वारा चुंगी के मुद्दे पर विचार किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट में चुंगी को आंशिक रूप से हटाने की सिफारिश की। रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि सभी सम्बन्धित राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों को आवश्यक कार्रवाई हेतु परिचालित की गई है।

(ग) राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के आधार पर, राज्यों/संघ शासित प्रदेशों जहां चुंगी नहीं लगाई जा रही है, की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) चुंगी लगाना राज्य सूची में आता है। अतः उन राज्यों, जिनमें चुंगी हटा दी गई है, को भारत सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) उपर्युक्त (घ) के उत्तर को देखते हुए, प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों की सूची जहां चुंगी नहीं लगाई जाती

1. आंध्र प्रदेश
2. आसाम
3. बिहार
4. कर्नाटक
5. केरल
6. मध्य प्रदेश
7. नागालैंड
8. सिक्किम
9. तमिलनाडु
10. त्रिपुरा
11. हिमाचल प्रदेश
12. मणिपुर
13. मेघालय
14. उत्तर प्रदेश
15. अरुणाचल प्रदेश
16. मिजोरम
17. चंडीगढ़ (संघ शासित प्रदेश)
18. दादरा तथा नगर हवेली (संघ शासित प्रदेश)
19. लक्षद्वीप (संघ शासित प्रदेश)

दिल्ली में नई परिवहन प्रणाली शुरू करना

1397. श्री सूर्यनारायण यादव :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दिल्ली की बढ़ती हुई जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए यहां किसी नयी परिवहन प्रणाली को शुरू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह नई प्रणाली दिल्ली की परिवहन समस्या को हल कर सकेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (घ) दिल्ली में यातायात की समस्याओं को हल करने तथा यातायात की भीड़भाड़ को कम करने की दिशा में एक उपाय के रूप में दिल्ली प्रशासन ने मैसर्स राईट्स द्वारा एक तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन कराया। इस अध्ययन में उत्तर-दक्षिण एवं पूर्वी-पश्चिम कोरिडोरों पर कुल 184.5 किलो-मीटर की दूरी को शामिल करते हुए एक एकीकृत बहु-रूपात्मक जन द्रुतगामी परिवहन प्रणाली को लागू करने की सिफारिश की गई है। इसमें 27 किलोमीटर की भूमिगत पैट्रो, 140 किलोमीटर की भूतल रेल एवं 17.5 किलोमीटर का बस-मार्ग शामिल है। इस अध्ययन में वर्ष 2001 तक तथा उससे आगे का यातायात प्रक्षेपण किया गया है और इस मांग को पूरा करने के लिए रिपोर्ट में वर्ष 2001 से आगे अधिक भार को ले जाने के विस्तार हेतु प्रावधान सहित वर्ष 2001 तक 67.5 किलोमीटर के प्रथम चरण को चालू करने के कार्यान्वयन की सिफारिश की गई है। 1989 के मूल्य स्तर पर इस परियोजना की कुल लागत 5378 करोड़ रुपये (लगभग) है।

दिल्ली प्रशासन और भारत सरकार ने भी इस रिपोर्ट का अध्ययन किया है। संबंधित अभि-करणों के साथ कई परिचर्चायें हुई हैं। इस प्रकार के बड़े पैमाने वाले निवेश की परियोजना को विस्तृत रिपोर्टें तैयार करने, भू-उपयोग की विवक्षा का विश्लेषण, दिल्ली बृहद योजना इत्यादि की अपेक्षा है। परियोजना पर कार्य आरम्भ करने से पूर्व वित्त व्यवस्था के अवसरों का भी पता लगाना होगा।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में पटसन मिलों के कामगारों द्वारा हड़ताल

1398. श्री धर्मण्णा मोडडया सादुल :

श्री तरित बरण तोपदार :

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी :

श्री हन्नान मोल्लाह :

श्री गुरुदास कामत :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की सभी पटसन मिलों के श्रमिकों सहित पटसन उद्योग के श्रमिक अपनी मांगों के समर्थन में 28 जनवरी, 1992 में हड़ताल पर हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस हड़ताल के दौरान उद्योग को कुल कितना नुकसान हुआ है;

(ग) क्या हड़ताल को समाप्त करने के लिए ट्रेड यूनियनों और प्रबन्धकों के बीच कोई द्विपक्षीय बातचीत हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) किन विशिष्ट मांगों पर दोनों पक्ष आप में सहमत नहीं हुए; और

(च) हड़ताल को खत्म करने तथा श्रमिकों की मांगों को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घटोवर) : (क) और (ख) अपने मांग पत्र के समर्थन में कतिपय व्यवसाय संबंध द्वारा किये गये आम हड़ताल के आह्वान पर पश्चिम बंगाल के जूट उद्योग जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र की जूट मिलें भी शामिल हैं, के श्रमिकों ने 28 जनवरी, 1992 से काम करना बन्द कर दिया। मांग पत्र की मुख्य बातें हैं (i) मजदूरी में वृद्धि (ii) परिवर्ती महंगाई भत्ते की निष्प्रभावन दर में वृद्धि, (iii) मकान किराया भत्ता, बोनस, उपदान में वृद्धि, (iv) चिकित्सा छुट्टी, चिकित्सा भत्ता, छुट्टी यात्रा भत्ता सुविधायें लागू करना, (v) जूट पैकिंग मेटीरियल्स अधिनियम का कार्यान्वयन, (vi) जूट उद्योग आदि का राष्ट्रीयकरण। हड़ताल के कारण जूट उद्योग में प्रतिदिन लगभग 6 करोड़ रुपए की हानि होने का अनुमान है।

(ग) से (च) पश्चिम बंगाल सरकार के श्रम विभाग के तत्वावधान में संघों की फेडरेशन और प्रबंधन के बीच त्रिपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों के अनेक दौरे हुए। डेल्टा जूट मिल के प्रबंधन और श्रमिकों के बीच एक द्विपक्षीय समझौता हुआ और मिल में 12 फरवरी, 1991 से पुनः कार्य शुरू हो गया।

संघ प्रबंधन को इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि मजदूरी में वृद्धि को उत्पादकता से जोड़ दिया जाए। पश्चिम बंगाल सरकार जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत समुचित सरकार है ने हड़ताल के बारे में समझौता करवाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। केन्द्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री से हस्तक्षेप की अपील भी की है।

---

## झुग्गी झोंपड़ी कालोनियों में सुधार के बारे में दिनांक २७.११.९१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९७६ के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

[अनुवाद]

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम. अरुणाचलम) : उपरोक्त प्रश्न के भाग (क) और (ख) के उत्तर में लाइन 7 में निम्न शब्दों के स्थान पर—

"ई आई यू एस स्कीम"

यह पढ़ा जाए :—

"ई आई जे जे स्कीम"

2. यह गलती टाइप संबंधी त्रुटि के कारण हुई है। सभा को हुई असुविधा के लिए खेद है।

4 मार्च, 1992

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, प्रधान मन्त्री जी यहां उपस्थित हैं और मुझे आशा है कि वह एक या दो मिनट के लिए यहां रुकेंगे।

आज दोनों सदनों के वामपंथी दलों और नेशनल फरन्ट के हमारे बहुत से संसद सदस्य संसद भवन के गेट नम्बर-1 के सामने ड्योढी पर धरने पर बैठे हैं जो सरकार की उन नीतियों के विरोध में है जिससे बहुत गंभीर समस्याएं उत्पन्न हुई हैं और इस देश के आम जनता पर बोझ पड़ा है। हमारे देश को आर्थिक प्रभुसत्ता से समझौता किया गया है और मूल्यों में वृद्धि के कारण आम आदमी के लिए जीना भी मुश्किल हो गया है।

एग्जीट पालीसी अपनाने से आम आदमी के लिऐ बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो जायेगी। हमने मांग की है कि इन नीतियों को जनता विरोधी नीतियों को बदला जाना चाहिए और इस देश को कुछ विदेशी संगठनों को तथा साम्राज्यवादी देशों को नहीं बेचा जाना चाहिए।

विभिन्न राज्यों के विधानमण्डलों के विपक्षी दलों के विधायक भी आये हैं। वे वोट क्लब पर धरने बैठे हैं। मैं प्रधान मंत्री से बाहर बैठे लोगों की भावनाओं का आदर करने का अनुरोध करता हूं। वह खुश होंगे कि कुछ बड़े लोगों जैसे एफ.आई.सी.सी.आई. और ए. एस. एस. ओ. सी. एच. एम. ने उनके बजट की और आर्थिक नीतियों की प्रशंसा की है। लेकिन सरकार द्वारा बाहर धरने पर बैठे लोगों की भावनाओं का आदर करना चाहिए। (व्यवधान)

श्री मुरली देवरा (बम्बई दक्षिण) : क्या यह आपका बजट सम्बन्धी भाषण है ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय मुझे आशा है कि प्रधान मंत्री अपने सदस्यों पर नियंत्रण रखेंगे। मैं जानता हूं कि श्री मु. भी देवरा अपनी दबाओं की मदद से मुम्बई नगरपालिका के चुनावों को जीतकर अपने नये सुखाभास के साथ वह अहिंसा की नव मूर्ति बन गये हैं। उन्हें बहुत थोड़ी देर के लिए फुर्सत मिली है। यदि वह वहां जाते हैं तो मुझे खुशी होगी। लेकिन मैं नहीं जानता कि उन के बारे में विचार क्यों नहीं किया जा रहा है। (व्यवधान)

महोदय, यह एक गंभीर मामला है। मैं चाहूंगा कि सरकार से इस बारे में ध्यान दें। अन्यथा इस देश की जनता इस स्थिति को स्वीकार नहीं करेगी और वे सरकार की इन जनता विरोधी नीतियों के विरुद्ध लड़ती रहेंगी।

प्रधान मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : मैं दादा को याद दिलाना चाहूंगा। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : लेकिन मैं बम्बई का दादा नहीं हूं।

श्री पी. वी. नरसिंह राव : मैं हमेशा आपको दादा ही पुकारता हूं। यदि आप कोई और अर्थ लगाते हो तो मैं आपको दादा नहीं कहूंगा (व्यवधान) मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि मैं और अन्य लोग उनके विश्लेषण और मूल्यांकन से जो उन्होंने किया है, जरा भी सहमत नहीं है। जनता खुश है। निःसंदेह लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। देश कठिनाई के दौर से

गुजर रहा है। बजट सत्र के दौरान इन सब बातों को स्पष्ट करने का मुझे अवसर मिलेगा। आज के समाचार पत्रों में मुख्य खबर के रूप में लिखा है कि हमारे मित्र देश रूस ने आई एम एफ की सभी शर्तें स्वीकार करके उनसे दस बिलियन डालर का लेने को तैयार हो गया है। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : कुश और येल्सिटिन की तरह आप भी प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं।

श्री पी. वी. नरसिंह राव : कभी-कभी तर्कों की कमी के कारण गुस्सा आ जाता है। इस लिए हम कहते हैं 'शेषन को पेन पूरयेत।' संस्कृत में यह एक पुरानी कहावत है कि जब किसी के पास तर्क नहीं होते तो उसको गुस्सा आ जाता है। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : यदि आप सोचते हैं कि आप इस तरह से देश की सेवा कर रहे हैं तो आप की मर्जी, जनता अपना निर्णय स्वयं करेगी। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री खेलसाय सिंह (सरगुजा) : अध्यक्ष महोदय, सरगुजा जिले के विकास खण्ड बाड़फनगर के गांव बीजापुर में गोंड और पन्डो जाति के आदिवासियों की बस्ती है। पन्डो जाति अत्यधिक गरीब व पिछड़ी आदिवासी जाति है, जिसे कि केन्द्र सरकार ने अत्यधिक पिछड़ी जाति घोषित किया है। उक्त ग्राम के श्री रिबई पन्डो के लड़के की पत्नी एवं उसके नाती की भूख से मृत्यु हो चुकी है तथा श्री रिबई के भाई की भी हालत गंभीर है। उनके मकान में न दाना है, न अनाज है और न ही उनके पास पैसा है। सम्पूर्ण क्षेत्र सूखे की चपेट में है और मध्य प्रदेश शासन की ओर से कोई राहत कार्य प्रारम्भ किये नहीं गए हैं जिसके कारण परिवारों का पलायन हुआ है तथा अब भूख से मरने की नौबत आ गई है। श्री एम एस सिंह देव भूतपूर्व मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन ने पत्र लिखकर श्री सुन्दर लाल पटवा, मुख्य मन्त्री, मध्य प्रदेश शासन को अकाल की स्थिति से अवगत करवाया था किन्तु दुख इस बात का है कि श्री पटवा ने अपने पत्र में यह मानने से इन्कार कर दिया है कि सरगुजा जिले में अकाल की स्थिति है और राहत कार्य खोलने से इन्कार कर दिया। जिले के जिला पंचायत अधिकार तो ऊपर दर्शाई भूख से मरने की घटना को स्वीकार करते हैं किंतु जिलाधीश, सरगुजा इस घटना को स्वीकार करने को तैयार नहीं है।

मैं माननीय प्रधान मन्त्री जी से निवेदन करता हूं कि केन्द्र सरकार एक अध्ययन दल मध्य प्रदेश भेजे और समस्त सूखा क्षेत्र विशेषकर आदिवासी क्षेत्र का दौरा कर राहत कार्य हेतु राशि प्रदान करे।

[अनुवाद]

श्री दिग्विजय सिंह (राजगढ़) : हम सरकार से एक वक्तव्य चाहते हैं। एक केन्द्रीय दल को मध्य प्रदेश में अव्यवस्था की स्थिति है। लोग अपने घरों को खाली करने आ रहे हैं। वहां कोई राहत कार्य नहीं हो रहा है। लोग भूख से मर रहे हैं। हम चाहते हैं कि सरकार अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करे।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को कुछ न कुछ इसमें बयान देना चाहिए, सरकार को बयान देना चाहिए। वहां से मजदूरों का पलायन हो रहा है, मजदूर भूख से मर रहे हैं इसलिए आपकी तरफ से कुछ न कुछ बयान आना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह से नहीं चलेगा। आपके मन्दसौर जिले में दो स्टारवेशन डैथ हुई हैं, सरगुजा जिले मे हुई हैं। यह कब तक चलेगा? आप इस तरह से अब तक चलाते रहेंगे? मंत्री जी को बयान देना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार राज्य कर्मचारियों के वेतन भत्तों के विषय में हमेशा नगरों का विभाजन करती रही है। दुर्भाग्य से कोटा नगर, जो हर हालत में सब प्रकार के मानदंडों के आधार पर बी श्रेणी की परिधि मे आता है लेकिन सब प्रकार के प्रयत्नों के बावजूद भी सरकार कोटा नगर को बी श्रेणी का नगर घोषित नहीं कर रही जबकि सरकार ने बीकानेर को, जो कोटा से कम आबादी का शहर है, 4 लाख 20 हजार की आबादी का शहर होते हुए भी केन्द्र सरकार ने उसको बी श्रेणी का नगर घोषित कर दिया है। मेरा निवेदन करना है कि कोटा की आबादी 5 लाख 60 हजार होने के बावजूद भी आज तक कोटा नगर को बी श्रेणी का नगर घोषित नहीं किया है जिससे वहां लगातार आन्दोलन चल रहा है, लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं, तीन टेलीग्राम मेरे पास आ चुके है, एक टेलीग्राम मैंने आपकी सेवा में उपस्थित किया है। मेरा निवेदन करना है कि राज्य सरकार, केन्द्र सरकार तुरन्त कोटा को बी श्रेणी का नगर घोषित करे। वहां जन आन्दोलन चल रहा है। एक व्यक्ति का फिर मेरे पास टेलीग्राम आया है, जिसकी मरणासन्न स्थिति हो गई है। सैकड़ों लोगों की वहां गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि केन्द्र सरकार को आप निर्देश दें कि वह कोटा नगर को बी श्रेणी का नगर घोषित कर दे। कोटा नगर के साथ आप न्याय करने की कृपा करें।

[अनुवाद]

श्री नानी भट्टाचार्य (बरहामपुर) : महोदय, मनिनद्रा-बी. टी. मिलक बरहामपुर, पश्चिम बंगाल के मजदूरों द्वारा किये जा रहे सत्याग्रह के कारण एक गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गयी है जिसमें कि वस्त्र मंत्री को शीघ्र ही हस्तक्षेप करना चाहिए।

मनमाने ढंग दिये हुये एक नोटिस जिसके द्वारा मनिनद्रा-बी. टी. मिल का संयुक्त स्वरूप समाप्त कर दिया गया है तथा इसके एक भाग (मनिनद्रा नगर विविंग मिल) को इस तथा कथित विलय के नाम पर समाप्त किया जा रहा है, को वापस लिये जाने के मांग पर राष्ट्रीय कपड़ा निगम (एन. टी. सी.) द्वारा 7-9-91 को नोटिस जारी किये जाने के समय से ही तनाव उत्पन्न हो रहा था।

वस्त्र उद्योग का राष्ट्रीयकरण किये जाने के समय से ही एन.टी.सी. द्वारा मनिनद्रा बी.टी. मिल को व्यवहारिक बनाने हेतु इसके आधुनिकीकरण, विस्तार तथा सुधार आदि के लिए कुछ भी कार्य नहीं किया गया है। रुग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1974 के उद्देश्य की

उपेक्षा की गयी है तथा इन्दिरा गांधी सरकार द्वारा सदन में दिये गए स्पष्ट आश्वासन के उल्ट कार्य किया गया है। इसके बदले एन.टी.सी ने इनके द्वारा घाटे में चलते रहने दिया रखने दिया और इस प्रकार दीर्घावधि में इन मिलों के बन्द हो जाने का आधार तैयार किया।

कर्मचारियों की मांग है कि मॉननम्बा बी. टी. मिल को बचाया जाये, इसके मिश्रित स्वरूप को बरकरार रखा जाये तथा इस मिल को अर्थक्षम बनाने हेतु आधुनिकीकरण तथा विस्तार की नीति अपनाई जाए। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय। आप रोजाना बोलते हैं। इस प्रकार से नहीं, दूसरों को भी चांस दीजिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : रिकार्ड पर नहीं आ रहा है। ऐसे नहीं, दूसरे भी मैम्बर हैं, उनको भी बोलने दीजिए। हर वक्त ऐसे नहीं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी जगह पर बैठ जाईये। डा. सौन्द्रम।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बाद में अवसर दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है। आप ही हमेशा बोलना चाहते हैं और यह ठीक नहीं है। आप अन्य सदस्यों को भी बोलने का अवसर दें। डा. सौन्द्रम।

डा. (श्रीमती) के. एस. सौन्द्रम (तिरुचेंगोड़) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उद्योग मंत्री के ध्यान में निम्नलिखित आवश्यक मामले लाना चाहती हूं। तमिलनाडु में इरोडे चमड़े के माल का एक बड़ा केन्द्र है जहां अनेकों चमड़े के कारखाने हैं। अनेकों अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लोग अपनी जीविका हेतु चमड़े को अन्तिम रूप देने के इन केन्द्रों पर निर्भर हैं। इस कारण अम्बे समय से इरोडे के चमड़े को अन्तिम रुप से तैयार करने का केन्द्र कार्य कर रहा है।

* कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

महोदय, कल मुझे इरोड लघु चमत्कार संघ के सदस्यों का तार, में चमड़े को तैयार करने के केन्द्र के बन्द हो जाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ था। उस तार में उन्होंने चमड़े को तैयार करने के केन्द्र को इरोड लघु चर्मकार संघ द्वारा संगठित इरोड लघु चर्मकार सहकारी समिति को सौंप देने का अनुरोध किया है।

चूंकि सरकार अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लोगों के लिए स्वरोजगार प्रारम्भ करना चाहती है। अतः इस केन्द्र का कार्य करते रहना आवश्यक है।

अतः मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करती हूं कि चमड़े को अन्तिम रूप देने के इस केन्द्र को बन्द न किया जाए और यदि इसे बन्द करने का निर्णय लिया जा चुका है तो मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि इसे पुनः चालू किया जाए अथवा इसे इरोड लघु चर्मकार सहकारी समिति को सौंप दिया जाए। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हरि केवल प्रसाद (सलेमपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से इस सदन में एक लोक महत्व के सवाल को उठाना चाहता हूं। यहां वैसे तो इस सदन में कानून-व्यवस्था के बारे में लगातार चिन्ता व्यक्त की गई है, किन्तु हमारे यहां उत्तर प्रदेश में आज कानून-व्यवस्था की हालत काफी खराब हो गई है। उसकी एक मिसाल मैं आपको देना चाहता हूं। अभी दो तारीख को देवरिया जनपद से लौट कर आया हूं। पथरदेवा कस्बे से लौट कर आया हूं। वहां की चार महिलाओं को···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : ऐसे नहीं होता है। आपने सेन्ट्रल स्कूल के बारे में दिया है और आप दूसरा मुद्दा उठा रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री हरि केवल प्रसाद : यह घटना जो मैं आपको बता रहा हूं, यह दैनिक-जागरण, उत्तर प्रदेश में आई है। सेन्ट्रल स्कूल के बारे में नहीं, यह उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद का सवाल है। वहां के थानाध्यक्ष, श्री विजयशंकर राय, अपने पूरे जोर से उस आदमी के घर पर आ जाता है और रात को बारह बजे जाकर दरवाजा तुड़वाता है। उसके बाद उन चारों महिलाओं को एक साथ खड़ा कर लेता है और सारी को नंगा करा देता है। उन चारों का नंगा कराने के बाद डण्डों से···(व्यवधान)· महिलाओं के साथ बलात्कार किया ···(व्यवधान)···महिलाओं के साथ बलात्कार के बाद, एक और भी आश्चर्य की बात है···(व्यवधान)···

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाईये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री नीतीश कुमार आप अपना स्थान ग्रहण कर लें।

मैं आपको एक अवसर देने की कोशिश कर रहा हूं। आप सभी एक ही समय में बोलना चाहते हैं। आप यह क्या करने की कोशिश कर रहे हैं ? कृपया ऐसा मत कीजिए। यह आपके हित में है। एक-एक कर अनुमति दे रहा हूं। और यदि मैं आपको अवसर दूं तो आप इसे एक या दो मिनट में समाप्त कर दें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है ? इससे आपको कैसे मदद मिल सकती है ? सरकार के ध्यान में यह कैसे लाया जा सकता है ?

मैं एक-एक कर अनुमति दे रहा हूं। यदि मैं आपको अवसर देता हूं तो आप इसे एक या दो मिनट में समाप्त कीजिए और बैठ जाइये। इस बात को समझने की जगह आप अन्य शासकीय सदस्यों को बोलने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। आप अपने सदस्यों को भी बोलने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। यह सब क्या है ? क्या यह इस प्रकार से चल सकता है ? कृपया ऐसा मत कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं महिला सदस्य महोदया को बाद में बोलने की अनुमति दूंगा। अब श्री के. पी. सिंह देव।

श्री के. पी. सिंह देव (ढेंकानाल) : अध्यक्ष महोदय, उड़ीसा में आतंक का राज्य व्याप्त है। प्रत्येक बार जब चुनाव होता है, चाहे यह संसदीय चुनाव हो अथवा नगरपालिका का चुनाव, सिर्फ हेराफेरी बल्कि मतदान केन्द्रों पर कब्जा भी किये जाते हैं और इसके परिणामस्वरूप हरिजनों और आदिवासियों के घरों को जला दिया जाता है। यह सब कटक में हुआ है। यह सम्बलपुर में हुआ है। यह बरगढ़ नगर में हुआ है। आज यह 'द इण्डियन एक्सप्रेस' तथा 'द टाईम्स आफ इण्डिया' में प्रकाशित हुए हैं। आदिवासियों तथा हरिजनों के जीवन, स्वतन्त्रता तथा सुरक्षा सुनिश्चित करना केन्द्र सरकार का संवैधानिक दायित्व बनता है।

इन चुनावों के परिणामस्वरूप हुए हेराफेरी के सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। उड़ीसा में नगरपालिका के चुनाव हुए सिर्फ तीन दिन ही हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप अभी नगरपालिका के चुनावों पर चर्चा करना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री के. पी. सिंह देव यह प्रेस द्वारा प्रकाशित हुआ है। गोसनारा, डमडम, अठमली, देंकानल, गोविन्दपुर, बजरंगनगर में हरिजनों और आदिवासियों के घरों को जला दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं भी यही बात कहता रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री के. पी. सिंह देव : महोदय, मैं समझ सकता हूँ कि यह राज्य सरकार का कर्तव्य है। लेकिन जब आदिवासी और हरिजन प्रभावित होते हैं। तो यह केन्द्र सरकार का संवैधानिक कर्तव्य है। उनका आश्रय और क्या है ? आप कृपया हमें संरक्षण प्रदान कीजिए। कृपया हमें निर्देश दीजिए कि हम क्या करें ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाईये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब आपने एक प्रश्न किया है। मैं जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं। अब आपने पूछा है कि आप क्या कर सकते हैं। विधान सभा में अपने सहयोगियों से आप इस मामले को उठाने के लिए कह सकते हैं। उन मामलों को उठाने का क्या औचित्य है जिस पर सदन का अधिकार नहीं है, चाहें यह किसी व्यक्ति के विरुद्ध हो अथवा नगरपालिका चुनाव से सम्बन्धित हो जैसाकि कल भी उठाया गया था ? उस मामले की जिस पर हमारा क्षेत्राधिकार नहीं है, उठाने के लिए हम सभी दोषी हैं।

श्री के. पी. सिंह देव : मैंने इस कारण पूछा कि चुनाव लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अन्तर्गत होते हैं। दूसरे, संविधान अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लोगों के जीवन और स्वतंत्रता की गारंटी देता है।

अध्यक्ष महोदय : नगरपालिका के चुनाव राज्य सरकार के अन्तर्गत है। के. पी. सिंह देव आप इसे अच्छी तरह से जानते हैं।

श्री श्रीकांत जेना (कटक) आप उन्हें ठीक सलाह दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : अब आप श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह जी को भी यही बात कहें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह उन पर भी लागू होता है।

(व्यवधान)

श्री जीकान्त झैना : दुर्भाग्य से उड़ीसा विधान सभा में कांग्रेस का विधानमण्डल दल नहीं है। सारी समस्या यही है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पंजाब के माननीय सदस्य यहां पर पहली बार बोलेंगे। अतः मैं माननीय सदस्यों से उनके साथ सौजन्यता से पेश आने का अनुरोध करूंगा।

श्री हुरचन्द सिंह (रोपड़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पंजाब में फिर से आतंकवाद और हिंसा ने अपना सिर उठाना शुरू कर दिया है। इस आतंकवाद का शिकार पहले ही कई व्यक्ति हो चुके हैं अर्थात् वह कर्मचारी वर्ग विशेषकर वे शिक्षक जिन्होंने पंजाब में चुनावी प्रक्रिया के दौरान काम किया था। एक लाख से भी अधिक चुनाव कर्मियों में मनोवैज्ञानिक रूप से भय व्याप्त हो गया है और उन्हें उनकी शारीरिक सुरक्षा के बारे में धमकियां दी जा रही हैं। उनके परिवारों के लिए भी खतरा हो गया है। आतंकवादियों ने विशेष रूप से शिक्षकों को धमकियां दी हैं कि मार्च के प्रथम सप्ताह में जब भी स्कूल खुलेंगे, उनका जीवन समाप्त कर दिया जायेगा। जैसाकि यह सभी को पहले से ही विदित है कि मतदाता और राजनैतिक दलों के समर्थकों को तो पहले से ही उन्हें शारीरिक रूप से क्षति पहुंचाये जाने की धमकियां दी जा रही हैं।

वे चुनाव कर्मी जिन्होंने राष्ट्र के हित में अपने कर्त्तव्यों का निर्वाह किया था उनको दी जा रही वर्तमान धमकियों को यदि व्यवहार्य रूप में परिवर्तित होने दिया जाता है तब उस स्थिति में जनता का सरकार में विश्वास उठ जायेगा और प्रशासनिक विश्वसनीयता को भी एक अपूरणीय क्षति पहुंचेगी।

मुझे इस सम्बन्ध में सैकड़ों प्रभावित कर्मचारियों से संदेश प्राप्त हुए हैं। मैं ऐसी गम्भीर स्थिति में जबकि लाखों कर्मचारी विशेष रूप से शिक्षकों का जीवन खतरे में हो, मैं गृह मन्त्री जी का ध्यान इस अत्यन्त महत्वपूर्ण मामले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं ताकि इस सम्बन्ध में पंजाब में होने वाली किसी हिंसक घटना को पहले से ही रोकने के लिए तुरन्त कारगर उपाय किये जा सकें। यदि राज्य को इसके लिए और अधिक अर्द्धसैनिक बलों की आवश्यकता है, तो तुरन्त ही इन बलों को वहां पर भेजा जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में और भी कोई उपाय यदि हों, तो वे भी तुरन्त किए जाने चाहिए। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती सरोज दुबे (इलाहाबाद) : अध्यक्ष महोदय, भयमुक्त समाज का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के होते हुए···(व्यवधान) यह महिलाओं का मामला है, कृपया बात रहिए। (व्यवधान) आपकी बहू-बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है, उनकी स्थिति के बारे में तो कम से कम उनको यहां बोलने दीजिए (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, महिलाओं के साथ दमन और उत्पीड़न का कार्यक्रम जारी है। पुलिस तथा नेताओं के आतंक से महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किए जा रहे हैं। देवरिया जिले के पदरेवरा ग्राम में केवल इसलिए महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, क्योंकि उनके घर वालों ने पुलिस थानाध्यक्ष के खिलाफ इस्तगासा दायर कर दिया था। केवल इस्तगासा दायर करने के बदले में थानाध्यक्ष ने अपनी पूरी पुलिस के साथ आकर उन महिलाओं के घर में उनको निर्वस्त्र करके 4-4 महिलाओं के साथ सामूहिक रूप से बलात्कार किया और उनका सारा सामान उठाकर फेंक दिया गया। उनके गुप्तांगों में डंडे डाले गए, पैट्रोल डाला गया। इससे बड़ी जलालत उनके साथ और क्या हो सकती है। देश के अंदर कौन इस चीज की वकालत करना चाहता है। क्या महिलाओं की कोई इज्जत नहीं है ? नरसंहार में तो आदमी एक बार मर जाता है, लेकिन अगर महिला के साथ बलात्कार होता है तो वह महिला पर क्षण मरती है, हर क्षण समाज में जलालत का उसको सामना करना पड़ता है।

अध्यक्ष महोदय, मैंने एक बार कहा था कि महिलाओं का मामला भी बहुत संगीन है और सारे मुख्यमन्त्रियों की बैठक बुलाकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए विचार किया जाना चाहिए और उनकी सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाए जाने चाहिए, लेकिन इस बात को इसलिए अनसुनी कर दिया गया, क्योंकि यह महिलाओं का मामला था। एक तरफ महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में कहा जाता है कि महिलाएं समाज का और इस देश का संवेदनशील अंग हैं, उनको देवी कहा जाता है, उनके प्रतिनिधित्व की बात की जाती है, लेकिन उन्हीं महिलाओं को रोज इस तरह की जलालत का सामना करना पड़ता है, ऐसा कार्य करने वालों को कोई नहीं रोकता है। बलात्कार करने वालों में नेता भी शामिल हैं। जहां के * * जो गृह मन्त्री हैं, जिन्होंने "भयमुक्त-समाज" का नारा दिया था, उनके गृह नगर में ही महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार हुआ है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में नाम सम्मिलित नहीं किए जायेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती सरोज दुबे : अध्यक्ष महोदय, जब हरिकेवल प्रसाद जी रिपोर्ट करने गए तो जिलाधिकारी ने कहा कि हमको अब मालूम पड़ा है। महिलाओं के साथ इतनी बड़ी घटना हो जाए और दरोगा खुद इस कार्य को करे और उसके खिलाफ कोई कार्यवाही न की जाए। महिलाओं का मामला किसी एक प्रदेश तक सीमित नहीं है, यह पूरे देश का मामला है। इसलिए ऐसी घटनाओं

** कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

के खिलाफ कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। मेरा आपसे यह निवेदन है कि इस प्रकार का दुष्कर्म जिन लोगों ने किया है, उनके पदों का खयाल न करते हुए, उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बार फिर आपसे निवेदनकरना चाहती हूं कि सारे मुख्यमंत्रियों की मीटिंग बुलाकर महिलाओं की सुरक्षा के बारे में विचार किया जाना चाहिए और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए जाए। गृह मंत्री को वक्तव्य देना चाहिए। इस तरह की घटना क्यों हुई। अभी तक वे सारे लोग घूम रहे हैं। उनके खिलाफ कार्यवाही होना चाहिए। अगर महिलाओं के ऊपर इस तरह के जुल्म होत रहे तो यह राष्ट्र कभी तरक्की नहीं कर पाएगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से एक अत्यन्त गम्भीर मामला उठाया गया है। मैं केवल एक मामले विशेष का जिक्र नहीं कर रहा हूं बल्कि मैं अपने देश में महिलाओं और बच्चों की दुर्दशा का जिक्र कर रहा हूं। पिछली बार भी यह सुझाव दिया गया था कि हमें इस मामले पर सभा में चर्चा करनी चाहिए। पिछले दो सत्रों मे हमने देश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्थिति एवं कानून और व्यवस्था की स्थिति इत्यादि जैसे कुछेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की थी। मैं आशा करता हूं कि इस बार हम महिलाओं और बच्चों की स्थिति पर चर्चा कर सकने की स्थिति मे होंगे। परन्तु हम इस प्रकार के कोई व्यक्तिगत मुद्दों पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि व्यक्तिगत मुद्दों के बारे में विचार विनिमय व हल करने की हमारी सीमित शक्ति है। परन्तु स्पष्ट रूप से बोलते हुए मैं यहीं कहूंगा कि महिलाओं की दशा पर चर्चा की जायेगी और हम इस मामले पर विचार करेंगे।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस सवाल को गम्भीरता से लिया और सदन को आश्वासन दिया है। श्रीमन्, इस प्रकार की घटनाएं देश में बहुत हो रही हैं, खास तौर से यह घटना उदाहरण के रूप में है। आपका मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने इस पर टिप्पणी दी है और मैं समझता हूं कि प्रधान मंत्री भी इसको गम्भीरता से लेंगे और इस पर विचार करेंगे। (व्यवधान)

श्रीमती सरोज दुबे : अध्यक्ष महोदय, एक बात और है।

अध्यक्ष महोदय : इतना सारा कहने के बाद अब आप इस मामले को नहीं उठायेंगी।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी)। अध्यक्ष जी, मैं इस पर बोलना चाहता हूं। मैं कुछ कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपको कहने की जरूरत नहीं है।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : सदन को यह जानकारी गलत दी गयी है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, ऐसे नहीं।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : मैं बहस करने को तैयार हूं। लेकिन सदन को माननीय सदस्य द्वारा गलत जानकारी नहीं देनी चाहिए। ... व्यवधान ...

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाईये। आपके कहने से कुछ नहीं होगा। अगर आप लीडर होते तो आप इसको अलग तरीके से डील करते।

(व्यवधान) *

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया, कहने दीजिए। मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री ए. इन्द्रकरन रेड्डी (आदिलाबाद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आदिलाबाद स्थित सरसिल्क कम्पनी लिमिटेड सेल्यूलोज एसेटेटरेयन धागा और वस्त्र उत्पादन कर रही है जिसकी वस्त्र उद्योग में भारी मांग है। इस कारखाने में 5,000 मजदूर कार्यरत हैं। दुर्भाग्यवश पिछले पांच वर्षों से कारखाने में मुख्यत: अल्काहल, एक मूलभूत कच्चा सामग्री की कमी और बिजली की भी कमी के कारण वहां ताला लगा हुआ है।

इस उद्योग को पुनर्जीवित करने के प्रयास किये गए और सी.आई. एफ. आर द्वारा इस इकाई की जांच इत्यादि की गई। अन्त में राज्य सरकार द्वारा गठित चार व्यक्तियों की एक विशेषज्ञ समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि यह इकाई वित्तीय दृष्टि से और तकनीकी दृष्टि से भी व्यवहार्य है। यह निर्णय किया गया कि इस कारखाने का अब मजदूर सहकारी समिति चलायेगी चूंकि वर्तमान प्रबन्धन अब इसे चलाना नहीं चाहता। राज्य सरकार भी उसके हिस्से को सहकारी समिति और निजाम न्यास का हस्तांतरित करने के लिए सहमत हो गई है। भारतीय स्टेट बैंक भी चालू पूंजी ऋण देने को सहमत है। परन्तु भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की मुख्य कार्यकारी अधिकारी इस पुनर्-संयोजना रिपोर्ट पर अपना स्वीकृति देती है और उसे ऋण पैकेज की व्यवस्था करना है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने मूल ऋण देने से इंकार कर दिया है।

इस समय परियोजना को घाटा हो रहा है क्योंकि वित्तीय संस्थाओं से पर्याप्त मात्रा में निधि और वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं हो रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री और उद्योग मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें और सभी संबंधित वित्तीय संस्थाओं जैसे आई. डी. बी. आई, एस. बी. आई, एन. सी. डी. सी, एन. टी. सी और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त बैठक बुलाये ताकि संसदीय चुनावों से पूर्व ही इस मामले का हल निकल सके। राज्य सरकार ने 12 जून को चुनाव नियमों के विरुद्ध सरसिल्क कम्पनी को पुन: खोलने के लिए सरकारी आदेश जारी किया था। मैं सरकार से सरसिल्क कारखाने को पुन: चालू

*कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

करने के लिए तुरन्त कदम उठाने का अनुरोध करता हूं क्योंकि 5000 मजदूर और उनके परिवारजन लगभग भुखमरी के कगार पर पहुँच गए हैं। (व्यवधान)

श्री सुधीर सावंत (राजापुर) : महोदय, यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।

अध्यक्ष महोदय : हम यहां रेलवे के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, आप इसे उस समय उठा सकते हैं।

श्री सुधीर सावंत : महोदय, कल श्री राम नाईक ने रेलवे से संबंधित मामला उठाया था और उन्हें अनुमति दी थी।

अध्यक्ष महोदय : नहीं वह दुर्घटना का मामला था।

श्री सुधीर सावंत : यह दुर्घटना कैसे हो सकती है ?

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस प्रकार बहस मत करें। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। यदि आप प्रक्रिया नहीं समझते हैं तो आपको अध्यक्षपीठ के निर्देशानुसार चलना होगा। कृपया बैठ जाएं।

श्री सुधीर सावंत : आप दूसरों को अनुमति दे रहे हैं और सिर्फ मुझे अनुमति नहीं मिल रही है।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाएं। आप कुछ समझते नहीं हैं और आप इसे उठा रहे हैं। हम रेलवे बजट पर चर्चा करने जा रहे हैं। क्या संसदीय कार्य मंत्री उन्हें समझाएंगे ?

श्री सुधीर सावंत : जब दूसरों को अनुमति मिल गई तो मुझे क्यों नहीं मिली।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, मैं आपको अनुमति दूंगा। यदि आप नहीं जानते तो अपनी अज्ञानता को सदन भेजें।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : महोदय ..

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बाद में अनुमति दूंगा। आप कृपया बैठ जाएं। मैं इसके बाद दूसरा कर सकता हूं।

अब, श्री पटनायक।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : अध्यक्ष महोदय, नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन के अन्तर्गत गुजरात में छह-सात मिलें चलती हैं। उनमें से दो-तीन मिलें ऐसी हैं जिसके तीन हजार कामदारों को पिछले दो महीने से तनख्वाह नहीं मिली। जब वे तनख्वाह मांगने गए तो उनको मारा-

गया। उनको यह कहा गया कि तन्ख्वाह के बदले में कपड़ा ले जाओ। मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार की क्या नीति है। कपड़े से कैसे खाना बनेगा···(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप को पूरा भाषण देने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको अपने विषय को रखने की अनुमति दी है। अपनी बात कहकर आप बैठ जाएं। अन्यथा, मैं इसे रोक दूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक : 1991 के जो उनके ड्यूज हैं जैसे एल.टी.सी. और मैडिकल अलाऊंस वगैरह, वे उनको नहीं मिले हैं। अहमदाबाद में एक न्यू टैक्सटाइल मिल एन.टी.सी. द्वारा चलायी जा रही है···(व्यवधान) उनको तन्ख्वाह मिलनी चाहिए ··(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री भोगेन्द्र झा श्री पाठक जो कह रहे हैं वह कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगी।

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का और देश का ध्यान एक गंभीर खतरे की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। पिछले कुछ हफ्तों में सरकारी दल के नेताओं द्वारा और छिपे रूप से मंत्रियों द्वारा बिहार सरकार को बर्खास्त किए जाने की धमकी दी जा रही है।···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप किस आधार पर डिसकस करेंगे। आप जैसे सीनियर मैम्बर हैं तो कैसे चलेगा। आप तो यह चाहते हैं कि जो आपके मन में आया है तो आपको बोलने की इजाजत दी जाए।

[अनुवाद]

आपको इसकी बारीकी समझनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा : मैंने इसके लिये अनुमति मांगी थी। मैं यह कहना चाहता हूं कि कानून-व्यवस्था के नाम पर खतरा है। मेरी शिकायत है कि बिहार में कानून व्यवस्था की हालत ठीक

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

नहीं है। मेरी शिकायत है कि हमारे द्वारा समर्थित सरकार इस मामले पर कांग्रेस की नीतियों पर चल रही है। हम चाहते हैं कि उस नीति को बदले। अगर बर्खास्त करने की ऊपर से कोशिश हो रही है तो बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। सरकारी पक्ष के लोग इस बात को गांठ बांध लें और बिहार में तब अशांति का समुद्र नहीं दें। जो कुछ भी हो तो विधान सभा में हो। बाहर से बर्खास्त करने की मांग न की जाए। ···(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सुधीर सावंत : महोदय, मैं एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं वे महाराष्ट्र से लेकर ·· पूरी तटीय क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है ··(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप रेलवे बजट पर चर्चा नहीं कर रहे ?

श्री सुधीर सावंत : रेलवे बजट पर चर्चा के दौरान मैं यहां नहीं होऊंगा।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप यहां नहीं होंगे, तो आप संसद पर कोई कृपा नहीं कर रहे हैं।

श्री सुधीर सावंत : महोदय, आज यहां भेदभाव का प्रश्न है, श्री सुधीर सावंत, संसद सदस्य के मामले में संविधान की धारा 14 के उल्लंघन का है। पिछली बार भी, प्रथम सत्र में, जब मैंने एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर, अन्नेवारी स्थिति पर, जिसके लिए आंदोलन भी चल रहा था, उस प्रश्न को उठाना चाहा, तो अन्य लोगों को कृषि पर मामले उठाने की अनुमति दे दी गई, सिर्फ मुझे ही अनुमति नहीं दी गई। इस बार भी, श्री राम नाईक को रेलवे से संबंधित मामले उठाने की अनुमति दे दी गई, और मुझसे प्रश्न किये गये। मैं इस भेदभाव का कारण नही जानता। यह इसलिए है कि, मैं कुछ निर्वाचक गणों का प्रतिनिधित्व करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप कुछ नहीं समझते आपको प्रक्रिया का अध्ययन करना होगा और फिर आपको इस तरह बात करनी होगी। अब, मैं आपके इस प्रकार के व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप अनुशासित बल में रहे हैं और जानते हैं कि अनुशासन कैसे रखा जाता है। जब रेलवे बजट यहां हो तो आपसे बोलने की आशा नहीं की जाती। जब उर्वरक समिति है, तो आपको इस प्रकार मुद्दे उठाने नहीं चाहिए।

श्री सुधीर सावंत : महोदय, यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है ?

अध्यक्ष महोदय : यह आपके लिये महत्वपूर्ण हो सकता है सारे सदन और संसद के लिये नहीं।

श्री सुधीर सावंत : यह सारे देश के लिए महत्वपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप जल्दी से कहिये और समाप्त कीजिये।

श्री सुधीर सावंत : यह कोंकण रेलवे का प्रश्न है। पिछली बार, 20 दिसम्बर को, मैंने राशि देने संबंधी यही मुद्दा उठाया था।

मैं सरकार को बधाई देता हूं क्योंकि बान्ड जारी हो गये हैं। किन्तु, अभी भी एक समस्या यह है कि धनाभाव के कारण, काम इस मास की 15 तारीख को रुक जाएगा, क्योंकि इस बजट में सिर्फ 50 करोड़ रुपये की राशि तय की गई है।

अब प्रश्न यह है कि बान्ड जारी तो हो गये हैं किन्तु मंजूर नहीं हुये हैं। मैं प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे स्वयं इसमें हस्तक्षेप करें ताकि वित्तीय संस्थाओं को इन बान्डों बान्डस को खरीदने का निर्देश दे जिससे इस परियोजना के लिये धन उपलब्ध हो और कार्य न रुके। धन्यवाद।

श्रीमती वासवा राजेश्वरी (बेल्लारी) : खड़ी हुईं।

अध्यक्ष महोदय : आप भी वही मुद्दा उठा रही हैं। बर्बरक के मुद्दे पर विचार करने के लिए हमने एक समिति नियुक्त की है; और आप भी वही मुद्दा उठा रही हैं। अब, यदि आप बजट पर चर्चा करने जा रहे हैं, आपने एक समिति नियुक्त कर दी है, और आप वही बात उठा रहे हैं, तो हम सदन में किस प्रकार कार्य कर पायेंगे ? आप कृपया अपनी सरकार की, अपनी जनता की सहायता करें। इस समय का प्रयोग किसी और विषय के लिए किया जा सकता है।

मैं नहीं चाहता था कि मैं इतनी सब बातें कहूं ? किन्तु, कृपया समझिए कि इस कार्य के लिये एक समिति नियुक्त की गई है।

श्रीमती वासवा राजेश्वरी : एक समिति नियुक्त हो गयी है।

अध्यक्ष महोदय : फिर, आप इसे पुनः सदन में उठाना चाहेंगी।

श्रीमती वासवा राजेश्वरी : क्योंकि यह एक ऐसा आवश्यक मामला है, जिसके लिये सरकार ने धन नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार नहीं। आप मन्त्री से बात कीजिए।

---

## सभा पटल पर रखे गए पत्र

### भारतीय इलेक्ट्रोनिकी निगम लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण का वार्षिक प्रतिवेदन तथा समीक्षा

12.36 म. प.

[अनुवाद]

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा)। मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखती हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) भारतीय इलैक्ट्रोनिकी निगम लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) भारतीय इलैक्ट्रोनिकी निगम लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 1409/92]

(ख) (एक) भारत प्रतिरक्षित तथा जैविक निगम लिमिटेड, बुलन्दशहर के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत प्रतिरक्षित तथा जैविक निगम लिमिटेड, बुलन्दशहर का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 1410/92]

(3) (एक) नेशनल फेसीलिटी फार एनीमल टिशु एण्ड सैल कल्चर, पुणे के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल फेसीलिटी फार एनीमल टिशु एण्ड सैल कल्चर, पुणे के वर्ष 1990-91 की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी.-1411/92]

(5) (एक) राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान, संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान, संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी.-1412/92]

(7) (एक) मेहता गणित और गणितीय भौतिकी अनुसंधान संस्थान, इलाहाबाद के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मेहता गणित और गणितीय भौतिकी अनुसंधान संस्थान, इलाहाबाद के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) मेहता गणित और गणितीय भौतिकी अनुसंधान संस्थान, इलाहाबाद के वर्ष 1990-91 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(8) उपर्युक्त (9) उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी.-1413/92]

(9) (एक) टाटा मेमोरियल सैंटर, मुंबई के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टाटा मेमोरियल सैंटर, मुंबई के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण)

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी.-1414/92]

(11) (एक) टाटा इंस्टिट्यूट आफ फन्डामेंटल रिसर्च, मुम्बई के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टाटा इंस्टिट्यूट आफ फन्डामेंटल रिसर्च, मुम्बई के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी.-1415/92]

(13) (एक) गणितीय विज्ञान संस्थान, मद्रास के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे।

(दो) गणितीय विज्ञान संस्थान, मद्रास के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी.-1416/92]

(15) संविधान के अनुच्छेद 320(5) के अन्तर्गत संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से (छूट) संशोधन विनियम, 1991, जो 30 नवम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 666 में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी-1417/92]

(16) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 1991, जो 28 दिसम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 759(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय पुलिस सेवा (प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 1991, जो 28 दिसम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 760(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी.-1418/92]

(17) न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड और परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच समझौता ज्ञापन 1991-92 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

केन्द्रीय मशीन टूल संस्थान, बंगलौर का वार्षिक प्रतिवेदन तथा समीक्षा

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) (एक) केन्द्रीय मशीन टूल संस्थान, बंगलौर के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय मशीन टूल संस्थान, बंगलौर के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी.-1420/92]

(2) (एक) प्रक्रिया तथा उत्पाद विकास केन्द्र, मेरठ के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रक्रिया तथा उत्पाद विकास केन्द्र, मेरठ के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी.-1421/92]

(3) व्यापार और पण्य वस्तु चिन्ह अधिनियम, 1958 की धारा 126 के अन्तर्गत पेटेंट डिजाइन और व्यापार चिन्ह महानियंत्रक के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी.-1422/92]

(4) पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 155 के अन्तर्गत पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिन्ह महानियंत्रक से वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी.-1423/92]

**स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड के वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा समीक्षा**

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी. के. चुंगन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी.- 1424/92]

## कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवर)। मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 97 की उपधारा (4) के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा नियम (कर्मचारीवृंद और सेवा शर्तें) (संशोधन) विनियम, 1992 जो 18 जनवरी 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या विज0 9(1)/74 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी.-1425/92]

(2) सम्मेलन के बारे में की गई कार्यवाही अथवा प्रस्तावित कार्यवाही तथा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन (जून, 1985) के 71वें सत्र में स्वीकार की गई सिफारिश के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये सं. एल. टी. 1426/92]

---

12.37 अ. प.

इस समय, श्री सैयद शाहाबुद्दीन सभा-पटल के निकट आए और वहीं पर खड़े हो गए

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी जगह पर बैठिए। यदि आप अपनी जगह पर नहीं जाएंगे तो मुझे आपको बाहर जाने के लिए कहना पड़ेगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह ऐसे नहीं चलेगा। नहीं, नहीं। ऐसा नहीं चलेगा। मुझे आपको बाहर जाने के लिए कहना पड़ेगा और आपके विरुद्ध कार्यवाही करनी पड़ेगी। आप इस प्रकार की बातें नहीं थोप सकते, इसकी अनुमति नहीं है। यह मेरा स्वविवेक है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप उचित आचरण नहीं करेंगे, आप यह पक्का समझ लें कि मैं आपके विरुद्ध कारंवाई करूंगा। आप इस सभा में अकेले व्यक्ति नहीं हैं, आप चिल्ला रहे हैं, आप न केवल चिल्ला रहे हैं अपितु इस स्थान तक भी आ गए हैं। यदि आपका आचरण उचित नहीं होगा तो मैं अवश्य ही आपके विरुद्ध कारंवाई करूंगा।

श्री सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) : आप जो करना चाहते हैं वह करें।

अध्यक्ष महोदय : बहुत हो चुका है। आपके जैसे सदस्य को यह पता होना चाहिए कि क्या किया जाना चाहिये और क्या नहीं किया जाना चाहिए। यह नियमित प्रक्रिया नहीं है। आप सम्पूर्ण सभा पर अपनी इच्छा नहीं थोप सकते हैं। केवल आपको ही नहीं, मैंने अपनी कांग्रेस पार्टी के सदस्यों को भी अपना जगह बैठने के लिए कहा है। आप का आचरण अनुचित है, और यदि आप उचित आचरण नहीं करेंगे तो मैं आपके विरुद्ध कारंवाई करूंगा।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : मैं अध्यक्ष महोदय की उद्घोषणा का विरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना) : अध्यक्ष महोदय, यह संसदीय इतिहास में एक कलंकित घटना है। मैं इनके व्यवहार की निन्दा करता हूं। यही व्यवहार अगर बरकरार रहा तो इसकी देखादेखी और लोग भी करेंगे। ऐसे लचनड आदमी ने जो किया है, उसकी हम निन्दा करते हैं। यह अत्यन्त अशोभनीय है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री एस. मल्लिकार्जुनय्या।

---

[अनुवाद]

12.39 म. प.

## गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

### चौथा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री एस. मल्लिकार्जुनय्या (तुमकुर) : मैं, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति का चौथा प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं। (व्यवधान)

---

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने यहां जो कुछ किया है उसके लिए मुझे उम्मीद है कि वे माफी मांगेंगे।

श्री सैयद सहबुद्दीन (किशन गंज) : माफ करना मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, जिसके लिए मुझे माफी मांगनी पड़े... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उस बात को वहीं छोड़िये। वह सब ठीक है। चलिये नियम 377 के अधीन मामलों पर विचार करें। श्री सुधीर सावन्त।

---

12.40 म. प.

## नियम 377 के अधीन मामले

(एक) ऋण राहत योजना, 1990 के के अन्तर्गत 10,000 रुपए से कम राशि के जानबूझकर व्यतिक्रम करने वालों का निर्धारण करने की अलेवरी प्रणाली की शर्त को हटाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सुधीर सावंत : ऋण राहत योजना 1012 के अंतर्गत दस हजार से कम राशि के जानबूझकर व्यतिक्रम करने वालों चूक कर्ताओं कूक कर्ताओं का निर्धारण करने के लिये अन्नेवरी प्रणाली की शर्त लागू की गई है।

यह शर्त पूरी तरह अनुचित और आपित है तथा यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है क्योंकि यह निम्नलिखित कारणों से धनी और निर्धन कृषकों में भेदभाव करती है :—

(क) अलेवारी प्रणाली राजस्व के प्रयोजन से प्रति वर्ष फसल के उत्पादन को तय करने की प्रणाली है। यह फसल की किस्म से संबंधित नहीं है। इसीलिए, गन्ना जैसी नकदी फसल और धान उत्पादकों को एक स्तर पर मान कर निर्धारण किया जाता है। गन्ना उत्पादकों की आय हमेशा अधिक होगी और इस प्रकार अन्नेवरी प्रणाली किसान की आय से संबंधित नहीं है।

(ख) यह जेल भूमि से भी संबंधित नहीं है। इस प्रकार एक कृषक जिसके पास अधिक भूमि है, फायदा उठाता है जबकि जिसके पास कम भूमि है उसे लाभ नहीं मिलता है।

(ग) इसके अन्तर्गत पश्चिमी महाराष्ट्र जैसे विकसित कृषि क्षेत्र के किसान तथा विकासाधीन क्षेत्र के किसानों को समान मान कर निर्धारण किया जाता है।

(घ) धान की औसत फसल बहुत कम होने के कारण मेरे निर्वाचन क्षेत्र को कोई लाभ नहीं मिला है। अन्नेवरी कम है इसलिए फसल कभी खराब नहीं होती और इसीलिए किसानों की अशक्तता के बावजूद योजना का लाभ उन्हें नहीं मिला है।

ऐसा खण्ड जो आय, जोत भूमि या क्षेत्रीय असंतुलन पर से संबंधित नहीं है, वह न्यायोचित नहीं है।

इसलिये मेरा सरकार से अनुरोध है कि उपर्युक्त खण्ड को समाप्त कर दिया जाये।

12.42 म. प.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

(दो) कोचीन केरल में एक नए हवाई अड्डे का निर्माण करने की आवश्यकता।

प्रो. के. वी. थामस : कोचीन हवाई अड्डा एक नौसैनिक हवाई अड्डा है जहां आधुनिक नागरिक हवाई अड्डे के लिये आधुनिक अपेक्षित सुविधायें नहीं है। अतः तत्काल एक नये हवाई अड्डे का निर्माण किया जाना चाहिये। केरल सरकार ने नए हवाई अड्डे के निर्माण के लिए कुछ स्थान तय किये हैं।

मेरा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि कोचीन में नए हवाई अड्डे के निर्माण के लिये तत्काल कदम उठाये।

(तीन) पीलीभीत, उत्तर प्रदेश के नोर्मल स्कूल परिसरों में भारतीय खाद्य निगम के अस्थायी गोदामों में हो रही गेहूं की बरबादी की घटना की ओर ध्यान देने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डा. परशुराम गंगवार (पीलीभीत) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र पीलीभीत, उत्तर प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम के अस्थायी कई गोदाम नार्मल स्कूल के प्रांगण में बने हुए हैं। वहां पर लगभग 3 वर्ष पूर्व 1989 में जो गेहूं के अस्थाई गोदाम बनाए गये थे, वहां कुछ गेहूं आज भी उन्हीं गोदामों में सड़ रहा है जिससे लगातार बदबू आ रही है। संभवतः यह गेहूं राख बन गया होगा तब भी वहां पर रखाने वालों की डियूटी रहती है। इसकी जांच कराई जाये।

(चार) चिकित्सकों के हितों की रक्षा करने के लिए चिकित्सा सेवाओं को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के खण्ड 2 (ध) के अन्तर्गत लाने की आवश्यकता।

डा. बुधीराम बुंगरोमल बेलवाणी : जिला उपभोक्ता परिषद् द्वारा बड़ी संख्या में चिकित्सकों के विरुद्ध रोगियों या उनके सम्बन्धियों की शिकायतों पर कथित लापरवाही के आरोप में मुकदमा चलाया जा रहा है और उन पर जुर्माना किया जा रहा है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम मूलतः आम जनता के हितों की रक्षा की दृष्टि से बनाया गया था ताकि उन्हें ठगा न जा सके और उन्हें अच्छे स्तर की वस्तुएं तथा बिक्री के पश्चात् समुचित सेवा की उपलब्धता हो सके।

चिकित्सा व्यवसाय की मूल्य के लिये काउंटर पर बेची जाने वाले वस्तुओं के किसी व्यापार के साथ समता नहीं की जा सकती। चिकित्सा सेवा में बुद्धिगत योग्यता पर आधारित और इसमें ज्ञान और कुशलता पर आधारित व्यक्तिगत निर्णय लिए जाते हैं। अतः आई. एस. आई. जैसे किसी मानक से इसे नहीं मापा जा सकता।

मेरा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि चिकित्सकों के हितों की सुरक्षा हेतु चिकित्सा-सेवा को उक्त अधिनियम के खंड 2 (क) में शामिल किया जाए।

(पांच) बिहार की पुनपुन दरधा सिंचाई परियोजना को आठवीं योजना शामिल करने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, उग्रवाद प्रभावित इलाकों में त्वरित विकास के लिए विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम चलाने की घोषणा केन्द्र सरकार करती रही है लेकिन विडंबना है कि मध्य बिहार के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र को लाभ पहुँचाने वाली पुनपुन-दरधा सिंचाई परियोजना को केन्द्र सरकार ने बिहार सरकार के अनुरोध के बावजूद 1992-93 की वार्षिक योजना में शामिल नहीं किया है।

पुनपुन-दरधा स्कीम अत्यंत उपयोगी सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण की परियोजना है। मध्य बिहार में पुनपुन और दरधा नदियों के पानी से हर वर्ष फसल, सड़क तथा अन्य परिसंपत्ति का भारी नुकसान होता है। साथ ही पानी बेकार बह जाता है। पुनपुन-दरधा सिंचाई परियोजना के क्रियान्वयन से मध्य बिहार के बहुत बड़े इलाके में बाढ़ की समस्या का समाधान होगा तथा सिंचाई का सुनिश्चित प्रबन्ध होगा।

अतः मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि पुनपुन-दरधा सिंचाई परियोजना को जनहित में आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया जाए।

(छः) रक्षा विभाग से संबंधित खाली भूमि की बिक्री के प्रस्ताव को त्याग देने की आवश्यकता।

श्री मोरेश्वर साबे (औरंगाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से रक्षा मंत्रालय का ध्यान सैनिक संस्थानों की अतिरिक्त जमीनों की बिक्री प्रस्ताव की ओर दिलाना चाहता हूं। कुछ समाचारों के अनुसार यह पता चला है कि रक्षा मंत्रालय पूरे देश में इस विभाग की खाली पड़ी जमीनों को बेचकर अतिरिक्त धन जुटाने की योजना बना रहा है। इस समय रक्षा मंत्रालय के पास लगभग 21 लाख एकड़ जमीन है जिसके दस प्रतिशत को बाजार दर पर बेचने की योजना है। यह जमीन बड़े शहरों में भवन निर्माताओं और सहकारी आवासीय संस्थाओं को बेचने की योजना है। हापुड़ तथा कानपुर में सेना के शिविर के लिए प्रयोग की जाने वाली 300 एकड़ जमीन बेचने की योजना है।

महोदय, रक्षा और रेल विभाग के पास बहुत सोच समझकर फालतू जमीनों को रखा गया है। इनका उपभोग भविष्य की योजनाओं में किया जाता है। लेकिन अब नई तकनीक विकसित

होने के नाम पर फालतू बताकर ऐसी जमीनों को बेचा जा रहा है। इस जमीन की बिक्री से हमारी सुरक्षा व्यवस्था को भी गम्भीर खतरा पैदा हो जाएगा। रक्षा क्षेत्रों में आवासीय भवन बनाने से रक्षा विभागों की गोपनीयता खत्म होगी और विदेशी हस्तक्षेप बढ़ने की संभावना पैदा हो जाएगी।

अतएव रक्षा मंत्रालय से मेरी मांग है कि वह योजना तुरंत बंद की जाए।

(सात) पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में कांगलोई नदी के बेसिन के साथ अनाज के खेतों में जमा हुई ताप विद्युत संयंत्र की घरकमा की शरण को हटाने की आवश्यकता।

[अनुवाद]

श्री बजानलअ बेद्दीन (जंगीपुर) : पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में कांगलोई नदी के बेसिन में फरक्का ताप विद्युत संयंत्र की जमा हुई राख पिछले वर्ष अक्तूबर में बाढ़ के दौरान बह गई। बाढ़ के पानी के साथ बहकर यह राख कांगलोई नदी के किनारे लगभग दस किलोमीटर के क्षेत्र में पांच हजार एकड़ में फैली हुई मकई के खेतो में जमा हो गई। वास्तव में उक्त भूमि पर इस राख की दो से तीन फीट तक मोटी तह बिछ गई, इस स्थिति में यदि कोई उक्त भू-खण्डों पर खेती करना जारी रखना चाहता है तो उसे पहले इस राखा को हटाना होगा, लेकिन इस राखा को हटाना काफी खर्चीला काम है और गरीब किसान इस खर्च वहन नहीं कर सकते हैं, इस पर प्रति एकड़ पांच हजार रुपए की लागत आएगी जो कि एक कठिन समस्या है,

इसके अतिरिक्त, कांगलोई नदी में राख जमा हो जाने से नदी का बेसिन दस किलोमीटर के दायरे में उथला हो गया है जिससे नदी की जल भन्डारण क्षमता घट गई है, अतः लोग आशंकित हैं कि नदी की कम हो गई क्षमता के कारण उन्हें फिर से बाढ़ का सामना करना पड़ेगा और यदि राख के इस जमाव को शीघ्र हटाने के उपाय नहीं किए गए तो और अधिक कृषि योग्य भूमि पर बाढ़ का प्रभाव पड़ेगा और जिससे बहुत अधिक संख्या में किसानों को नुकसान पहुंचेगा।

अतः मैं केंद्रीय सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि वह प्रभावित भूमि पर राख के जमाव को हटाने के लिए वितीय देयता वहन करे और बाढ़ नियंत्रण के उपाय भी करे।

(आठ) मद्रास और कलकत्ता में महानगर टेलीफोन निगमों की स्थापना करने के प्रस्ताव पर पुनः विचार करने तथा मुम्बई और दिल्ली में इसे जारी रखने की समीक्षा करने की आवश्यकता

श्री विजय नवल पाटील (इरन डोल) : ऐसा पता चला है कि सरकार दिल्ली और बंबई एम. टी. एन. एल की तर्ज पर मद्रास और कलकत्ता के लिए महानगर टेलीफोन निगम बनाने पर विचार कर रही है। महानगर दूरसंचार विभाग के राजस्व के मुख्य स्रोत हैं, इन जगहों से प्राप्त अतिरिक्त आय ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन नेटवर्क के विकास और विस्तार पर खर्च की जाती है। महानगर टेलीफोन निगमों में दूरसंचार सेवाओं को विभक्त करना खतरनाक होगा और इससे ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे कस्बों में टेलीफोन सेवाओं का विकास कार्य प्रभावित होगा,

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के कर्मचारियों को अदा किया गया वेतन ग्रामीण क्षेत्रों में कठिन जलवायु दशाओं में कार्य कर रहे विभिन्न कर्मचारियों को अदा किए गए वेतन की तुलना में असंगत रूप से अधिक होगा, साथ ही वेतन और कार्यालय पर अत्यधिक खर्च करने के कारण महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड से अतिरिक्त आय कम हो जाएगी, यदि सर्वेक्षण किया जाए तो पता चलेगा कि दिल्ली और बम्बई में टेलीफोन सेवा में सुधार महानगर टेलीफोन निगम की अतिरिक्त कार्यकुशलता के कारण नहीं हुआ है। इस सेवा में सुधार होने का श्रेय केवल इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंजों के स्वचल और त्वरित कार्य को जाता है।

अतः मैं संचार मंत्री से मद्रास और कलकत्ता के लिए महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड बनाने के प्रस्ताव और दिल्ली और बम्बई में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड को बनाए रखने पर गम्भीरता से विचार करने का अनुरोध करता हूं।

---

12.50 म.प.

[अनुवाद]

## राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : सदन अब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर श्री पी. एम. सईद द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर आगे चर्चा करेगा।

श्री के. वी. थामस अपना भाषण जारी रखेंगे।

प्रो. के. वी. थामस (एर्नाकुलम) : महोदय, मौजूदा कांग्रेस सरकार जो आठ माह पहले सत्ता में आई उसे एक ऐसा आर्थिक ढांचा विरासत में मिला जो पूर्णतः जकड़ा हुआ था और एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था मिली जो संकट ग्रस्त थी। साथ ही विश्वव्यापी राजनीतिक घटनाचक्र से पता चला है कि आजादी के नए दबाव के तहत कई साम्यवादी और समाजवादी देश विखंडित हो गए हैं। समय की कसौटी पर खरा उतरा हमारा मित्र राष्ट्र सोवियत संघ छोटे-छोटे गणराज्यों में बिखर चुका है। अतः विश्वव्यापी इन राजनीतिक व्यवस्थाओं के परिवर्तनों का प्रभाव हमारे देश की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था पर पड़ा है।

विदेशी मुद्रा भण्डार में अभूतपूर्व कमी, मुद्रास्फीति उत्तरोत्तर बढ़ती दर और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि ने नई सरकार को अत्यन्त कठिन कार्य का सामना करना पड़ेगा, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की आरक्षण नीति से उत्पन्न हुई स्थिति, देश के कई हिस्सों में व्याप्त सांप्रदायिक हिंसा और तनाव, पंजाब कश्मीर में आतंक वाद और अलगाव की गतिविधियों में वृद्धि होने, असम में अल्फा आंदोलन, तमिलनाडु में एल टी टी ई की गतिविधियों और आंध्रप्रदेश में नक्सलवाद से हमारे आर्थिक ढांचे को गम्भीर खतरा पैदा हो गया है?

अब आठ माह बाद जब हम नई सरकार के कार्यकरण का विश्लेषण करते हैं तो हमें इस पृष्ठभूमि को भी ध्यान में रखना होगा। इस सरकार ने बहुत से आर्थिक उपाय किये हैं। मैं

माननीय प्रधानमंत्री के भाषण से कुछ उद्धरण देना चाहूंगा जो उन्होंने राष्ट्र के नाम 9 जुलाई, 1991 को दिया था। उन्होंने कहा :—

"मेरा ध्येय भारत को वास्तव में आत्मनिर्भर बनाना है। आत्मनिर्भरता मेरे लिए सिर्फ एक नारा मात्र नहीं है। इसका मतलब है हमारे आयात के लिये भुगतान निर्यात के माध्यम से करने की क्षमता है। मेरा उद्देश्य व्यापार है सहायता नहीं।"

इसी तरह, जब हमने आर्थिक प्रणाली में नये परिवर्तन किये, तो हम कांग्रेस के घोषणा-पत्र का पूर्ण रूप से अनुकरण करते रहे हैं। अर्थ व्यवस्था के बारे में कांग्रेस का घोषणा-पत्र क्या कहता है? यह कहता है और मैं उसमें से उद्धृत करता हूं :—

"कांग्रेस अनावश्यक खर्चों को तेजी से कम करके, गैर-विकासशील खर्चों को तर्क-संगत बनाकर, और सरकार के राजस्व आधार को विस्तृत कर, विशेषकर एक लचीले, अधिक गतिशील और लाभप्रद सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से बजट-प्रणाली में वित्तीय संतुलनों को पुनः स्थापित करेगी।"

अतः, जब नई सरकार के ध्यान में नई औद्योगिक नीति थी, तब यह कांग्रेस पार्टी के घोषणा-पत्र का पूर्ण रूप से अनुकरण करती रही है।

नई औद्योगिक नीति के मुख्य विशेषताएं कौन-कौन सी है? हम उद्योग अवश्य के इर्द-गिर्द चक्कर लगाते लाइसेंस राज के भय को देख सकते थे, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। हमने विदेशी तकनीक और विशेषज्ञता के स्वतंत्र आगमन की अनुमति दे दी है। इसका क्या परिणाम हुआ है। परिणाम यह हुआ है कि मुद्रास्फीति की दर जोकि 16.7 प्रतिशत थी घटाकर 12 प्रतिशत पर ला दी गई है। आवश्यक वस्तुओं की कीमतें जोकि रोजाना बढ़ रही थी, या तो स्थिर हो गई है अथवा गिर गई है।

मैं केरल राज्य का रहने वाला हूं जहां चावल, खाद्य तेल और दालों की कीमतों में वृद्धि से हमें बहुत निराशा हुई है। आज जबकि मैं इस सभा के समक्ष हूं, मैं गर्व से कह सकता हूं कि चावल, खाद्य तेल और दालों की कीमतें गिर गई हैं। अतः खुले बाजार में एक आशा बंधी है कि या तो कीमत स्थिर की जा सकती है अथवा नीचे लाई जा सकती है।

जब नई सरकार सत्ता में आई, तो विदेशी-विनिमय की स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि हम केवल पंद्रह दिन तक भी सरकार नहीं चला सकते थे। उस स्थिति से, विदेशी-विनिमय बढ़कर 11,000 करोड़ रुपए हो गया है। वर्तमान बजट भी सरकार की सूझबूझ की एक नई दिशा है। विदेशों में कार्यरत भारतीय द्वारा पांच किलोग्राम सोना लाने की अनुमति देने का निर्णय, एक बहुत अच्छा निर्णय है। यह दो प्रकार से सहायक होगा। एक तो हम सोने की तस्करी को नियंत्रित कर सकते है और दूसरे प्रवासी भारतीयों द्वारा बहाये जा रहे खून-पसीने का सही पुरस्कार यह मिलता है कि जब वे वापिस आते हैं, वे कुछ सोना ला सकते हैं जोकि बाद में उनके लिए लाभदायक होगा।

इसी प्रकार, कराधान ढांचे को सरल बनाने और सहकारी क्षेत्र को और अधिक शक्तियां देने के लिये सोने के बांड लेने के निर्णय, वे निर्णय हैं जिनका जनता ने स्वागत किया है।

मुझे खेद है कि विरोधी दल के मेरे कुछ साथी, जो बाहर बैठे हैं हमेशा अपने विचार देते रहे हैं, ताकि यह धारणा जोर पकड़ ले कि यह सरकार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व-बैंक द्वारा निर्देशित की जाती है। मैं यह नहीं समझ पाता कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक से अनुदान और सहायता क्यों प्राप्त नहीं करनी चाहिए ? हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व-बैंक के संस्थापन सदस्यों में से हैं और हमें इन दो वैधिक संस्थाओं से उचित तरीके से आवश्यक सहायता प्राप्त करने के पूर्ण अधिकार हैं।

1.00 म. प.

फिर, जहां तक शर्तों का प्रश्न है, मैं कह सकता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री और माननीय वित्त मंत्री, ने दर्जनों से अधिक बार, इस सभा को आश्वासन दिया है कि हम कभी भी देश की प्रतिष्ठा से समझौता नहीं करेंगे।

अब हम क्या देखते हैं ? सोवियत संघ थ्रिट चुका है। इसके बहुत से राज्यराज्य अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व-बैंक की सदस्यता प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं।

बजट प्रस्तुत करने के बाद, जनता ने बजट प्रस्तावों का स्वागत किया है और यदि फिर भी मेरे साथी यह कहते हैं कि यह विश्व बैंक अथवा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का बजट है, तो मैं समझता हूं कि कल इस देश की जनता अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की जय जय कार करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण भोजनावकाश के बाद जारी रख सकते हैं।

1.01 म. प.

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.00 म. प. तक स्थगित हुई।

---

2.07 म. प.

मध्याह्नभोजन के पश्चात् लोक सभा 2.07 म. प. पर पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।]

## राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब प्रो. के. वी. थामस अपना भाषण जारी रखेंगे।

प्रो. के. वी. थामस : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक वर्तमान सरकार की श्रमिक नीति का सम्बन्ध है, मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि नरसिंहराव जी द्वारा जिस नीति का अनुकरण किया गया है, वह कांग्रेस घोषणा-पत्र में उल्लिखित नीति ही है। कांग्रेस का घोषणा-पत्र निम्नानुसार कहता है—

"कांग्रेस का यह दृढ़ विश्वास है कि श्रमिकों को विकास की पीड़ा ही न सहन करनी पड़े बल्कि उस न्यायोचित रूप में इसके लाभ भी मिले।"

वर्तमान सरकार ने नई औद्योगिक नीति का अध्ययन करने के लिए एक त्रिस्तरीय समिति का गठन किया है; बी.आई.एफ.आर. का एक नया स्वरूप दिया गया है ताकि निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों ही का इस तरह से पुनर्व्यवस्थित किया जा सके कि श्रमिकों पर न्यूनतम बोझ पड़े पुनर्निर्माण की प्रक्रिया के दौरान प्रभावित होने वाले श्रमिकों की सहायता हेतु राष्ट्रीय नवीकरण निधि की स्थापना की गई है।

जहां तक राजनैतिक पहलू का सम्बन्ध है, वी. पी. सिंह की सरकार की अवधि के दौरान आपको याद होगा कि एक आरक्षण नीति को शुरू किया गया तथा दिल्ली और पुणे की गलियों में हमने अपने युवा छात्रों को एक दूसरे से लड़ते हुए देखा और हमारे देश के लोगों का जाति के नाम पर विभाजन किया गया। अब, नरसिंह राव जी की सरकार की आरक्षण नीति ने पिछड़े वर्गों के हितों को पूर्णतया सुरक्षित रखा है और इसके साथ-साथ आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण देकर पर्याप्त सुरक्षा दी गई है।

महोदय, बाबरी मस्जिद-राम जन्म भूमि मुद्दा एक ज्वलंत समस्या थी जिससे राष्ट्र का अस्तित्व भी खतरे में पड़ गया था। इस समस्या पर भी कांग्रेस पार्टी ने उसी मार्ग का अनुसरण किया, जिसका अनुसरण पंडित जी, इन्दिरा जी और राजीव जी ने किया था।

इस विषय पर राष्ट्रपति कहते हैं :

"राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवाद से उत्पन्न स्थिति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सरकार ने 15 अगस्त, 1947 को विद्यमान अन्य पूजा स्थलों को यथास्थिति बनाए रखने के उद्देश्य से एक कानून पारित किया है। साम्प्रदायिक दंगों से प्रभावित परिवारों के बच्चों की देखभाल हेतु साम्प्रदायिक सद्भावना स्थापित करने के लिए उचित कार्रवाई की गई है।"

राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद के विषय पर, कांग्रेस घोषणा पत्र में कहा गया :

"इस मुद्दे पर कांग्रेस बातचीत द्वारा समझौता करने के लिए वचनबद्ध है जिसमें दोनों समुदायों की भावनाओं का पूर्ण आदर किया जाएगा। यदि ऐसा समझौता नहीं हो सका तो सभी दलों को न्यायालय के आदेश और फैसले का आदर करना चाहिए। कांग्रेस (इ) मस्जिद को बिना क्षति पहुंचाए, मन्दिर के निर्माण करने के पक्ष में है।"

वर्तमान सरकार इस घोषणा पत्र का लगभग: पालन कर रही है।

रही साम्प्रदायिक दंगों की बात, इस सरकार ने इसके लिए कई उपाय किए हैं। साम्प्रदायिक दंगों से निपटने के लिए 'काम्पोजिट रैपिड एक्शन फोर्स' गठित की गयी है।

पंजाब में चुनाव हो चुके हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की सहायता से तमिलनाडु में एल. टी.टी.इ. की गतिविधियों पर अंकुश लगाया गया।

कश्मीर समस्या अभी भी एक ज्वलंत समस्या है। हमें इसका राजनैतिक समाधान निकालना होगा। और इसके साथ हमने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि उनकी ओर से यदि कोई कार्यवाही की गयी तो उसका डटकर सामना किया जाएगा। आन्ध्र प्रदेश में नक्सलवादी आन्दोलन को नियंत्रित किया गया और कावेरी जल विवाद के संतोषजनक समाधान के लिए राजनैतिक चर्चा की जा रही है।

अत: आज भारत किस स्थिति में है ? भारत खाद्य, वस्त्र तथा कई उपभोक्ता वस्तुओं, औषधियों और कई अन्य वस्तुओं के उत्पादन में आत्म निर्भर है। भारत अपने बल पर इस्पात संयंत्र, चीनी कारखाने, खाद परियोजनाएं, पेट्रोकेमिकल एकक, आयल रिफाइनरीज और ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर सकता है।

इस मौके पर, मैं इस ओर बैठे मेरे माननीय मित्रों से एक निवेदन करना चाहता हूं। आर्थिक स्थिरता का अर्थ है राजनैतिक स्थिरता। हमारे लोकतांत्रिक राजनैतिक स्थिरता का अर्थ है, सत्ताधारी दल और विपक्षी दलों को आम सहमति द्वारा मुद्दों पर गुण दोष के आधार पर चर्चा करके उन्हें निपटाना।

महोदय मैं जब 1984 में इस सदन में आया था तब भा ज पा के इस सभा में केवल दो प्रतिनिधि थे। आज नौ वर्ष के बाद, उनकी संख्या 112 या 114 हो गई है। मैं यह प्रश्न वामपंथी मित्रों से पूछ रहा हूँ। वे हमेशा कहते रहते थे कि वे भा ज पा के विरोध में लड़ेंगे। कांग्रेस (इ) के साथ लड़ना, उनके लिए भा ज पा से लड़ना है। वामपंथी के सदस्य उन सब्जियों की तरह हैं, जो नीचे की ओर बढ़ते हैं। वे एक ही जगह जमे होते हैं। वे बढ़ते नहीं हैं। वे साम्प्रदायिक शक्ति के खिलाफ नहीं लड़ते। वे हमारे खिलाफ लड़ते हैं इसलिए कि साम्प्रदायिक शक्तियां उत्पन्न हो रही हैं।

इसी सदन में ये आरोप लगाया कि भा ज पा के प्रति हमारा दृष्टिकोण नरम है। महोदय, ये सरकार अल्पमत सरकार है। हमें मान्यता प्राप्त विपक्षी दल का सहयोग लेना चाहिए। भाजपा एक मान्यता प्राप्त विपक्षी दल बन गई है,

इस सदन में क्या हुआ है : हम इस सदन में गैर-महत्वपूर्ण मुद्दों पर लड़ रहे हैं। वर्ष 1989 सारा बोफोर्स, फेयर फैक्स तथा सबमेरिन्स पर बरबाद किया गया। मुझे अभी भी वो दिन याद है, जिस दिन श्री वी. पी. सिंह की सरकार गिर गई थी। उस दिन जब विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था और श्री वी. पी. सिंह जी ने अपना भाषण समाप्त किया था। माननीय श्री आडवाणी जी इस ओर बैठे हुए थे : उन्होंने श्री वी. पी. सिंह जी से एक प्रासंगिक प्रश्न किया था हमने एक बड़े

मुद्दे-बोफोर्स पर पिछला चुनाव लड़ा था। आप ग्यारह महीने तक सत्ता में थे। अब वाचाल कार्यकाल समाप्त हो गया है। कृपया सदन के पटल पर बोफोर्स से संबंधित सभी दस्तावेज रखिए। श्री वी. पी. सिंह जी ने इसे स्वीकार नहीं किया। फिर, आप इस सदन में बोफोर्स का मुद्दा उठा रहे हैं। आप इस गैर-महत्वपूर्ण मुद्दे को क्यों उठा रहे हैं?

इसलिए मैं अपने माननीय मित्रों से अनुरोध करता हूं कि हमें गुणों के आधार पर लड़ना चाहिए। यहां माननीय प्रधान मंत्री ने एक सही मंच चुना है। ऐसा इसलिए नहीं है कि हम अल्पमत में हैं। जब हम बहुमत में रहे हैं तब भी सभी मुख्य मुद्दों पर हमने सही मंच चुना है।

हम इस देश के लोगों के प्रति उत्तरदायी हैं। हमारे ऊपर 83 करोड़ लोग निर्भर हैं। हमारे अनेक मित्र बरामदे में बैठे हैं। कुछ क्लब पर बैठे हैं। अगर देश की समस्याओं के प्रति आपका रवैया यही रहा तो आप स्थाई रूप से ही बरामदे में बैठे रहेंगे। (व्यवधान) हमें रचनात्मक रवैया अपनाना चाहिए। हमारे पास भी समस्याएं हैं। अनेक मुद्दे हैं। गरीबी है। हम इन सभी मुद्दों पर कार्यवाही कर रहे हैं। बेरोजगारी की समस्या है।

हमारा राज्य उन राज्यों में से है जहां पर वैधानिक रूप से राशन की व्यवस्था है। हम रियायती दर पर चावल प्राप्त करते हैं। अब इससे संबंधित राज सहायता वापस ले ली गई है और केरल सरकार को इसके लिए लगभग 100 करोड़ रुपये अपने अतिरिक्त वित्त के द्वारा प्राप्त करने हैं। केरल राज्य को पर्याप्त वित्तीय सहायता और राजसहायता दी जाए।

श्री चित्त बसु (बारासाट) : हम इसका समर्थन करेंगे।

प्रो. के. वी. थामस : इसी प्रकार जहां तक साक्षरता अभियान का सम्बन्ध है हमारे राज्य के शत प्रतिशत लोग साक्षर हैं। लेकिन हमें साक्षरता अभियान को जारी रखना है। हमें साक्षरता अभियान के लिए कुछ राजसहायता प्राप्त करनी है।

केरल औद्योगिक विकास की दृष्टि से पिछड़ा हुआ राज्य है। यहां सबसे अधिक बेरोजगारी है। केरल में और अधिक उद्योग स्थापित किए जाएं। यद्यपि केरल में अधिक असंतोष है तथापि मैं पूर्ण विश्वास से यह कह सकता हूं कि केरल में श्रमिक वर्ग संगठित है और यह एक अत्यन्त अनुशासित क्षेत्र है। जहां भी दीर्घ-कालिक समझौता हुआ है हमने पूर्ण रूप से उसका अनुसरण किया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : नम्बूदरी और एन्टोनी के बीच विवाद के बारे में क्या कहना है?

प्रो. वी. के. थामस : शंकरन नम्बूदरिपाद और सुरजित के बीच विवाद का क्या हुआ। क्या आप जानते हैं कि ई.एम.एस. नम्बूदरिपाद और सुरजीत में कुछ विवाद है? सुरजीत ने स्वयं दो दिन पहले एक वक्तव्य दिया है। (व्यवधान)

केरल एक छोटा और सुन्दर राज्य है। यह दिल्ली से बहुत दूर है। यद्यपि राजधानी से यह

2,500 किलोमीटर दूर है, फिर भी हमारी उपेक्षा हुई है। हमारा अनुरोध है कि हमारे हितों की रक्षा होनी चाहिए।

मैं इन शब्दों के साथ राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर मैं से साबित होता है कि हमने संसद के संयुक्त सत्र का बहिष्कार बिल्कुल ठीक ही किया था क्योंकि हम इस अत्यन्त पुनीत अवसर पर जिसे संविधान की स्वीकृति प्राप्त है, इस औपचारिक कार्य में भाग लेना नहीं चाहते थे।

अगर अभिभाषण का अध्ययन करें तो हम सक्रिय और प्रगतिशील भारत के राष्ट्रपति की बजाय ऐसे देश के राष्ट्रपति की आवाज सुनते हैं जो अपनी आत्म-निर्भरता और गरिमा को चुका है। इसी वजह से किसी स्वतन्त्र और लोगों की पक्षधर विचारधारा अथवा किसी बुनियादी नीति निर्माण का कोई संकेत देने की बजाय राष्ट्रपति को पूरे अभिभाषण में घिसे-पिटे कथन और नीरस उपदेश बोलने पड़े।

महोदय, मुझे बड़े खेद के साथ यह कहना पड़ रहा है कि यह अभिभाषण ऐसी सरकार द्वारा तैयार किया गया है जो बंधक है, बुश कमेडेशस और प्रेस्टन के एक फंदे में फंसी चल रही है। इसी कारण हम देखते हैं कि इस अभिभाषण से देश को प्रोत्साहन नहीं मिला है, इसमें लोगों की निन्दा की गई है, उनकी गरिमा पर समझौता किया गया है और आत्म-निर्भरता की उनकी बचनबद्धता का मखौल उड़ाया गया है। कुछ महीनों में ही एक सज्जन से अमंडी व्यक्ति के रूप में बदले नरसिंह राव की यह सरकार इतिहास मे ऐसी सरकार कहलाएगी जिसने कुछ कलंकित लाभ के लिए साम्राज्यवादी वित्तीय लुटेरों के पास हमारे देश को गिरवी रख दिया। हमारी आर्थिक प्रभुसत्ता और राष्ट्रीय सम्मान का भी सौदा किया जा रहा है। हमें सारे विश्व के सम्मुख उन एजेंसियों के प्रति घिघियाते याचक के रूप में दर्शाया गया है जिनके तृतीय विश्व युद्ध के प्रति साम्राज्यवादी और पूंजीवादी कार्य सर्व विदित हैं। वे विकासशील और तृतीय विश्व के देशों का वास्तव से बचाव करने की बजाय अपना प्रभुत्व कायम रखने में अधिक उत्सुक। यही कारण है कि 19 पृष्ठ के अभिभाषण में में केवल छः लाइनें नाम मात्र को उन अत्यन्त गंभीर समस्याओं पर कही गई हैं जिन्हें देश के सामान्य और आम लोग झेल रहे हैं इस देश के अधिकतम आय प्राप्त करने वाले लोग नहीं जैसे कि आवश्यक वस्तुओं का मूल्य अत्यधिक और लगातार बढना, जबकि बुश और उनके साथियों के कथित मानवतावादी, लोकोपकारी और लोकतांत्रिक दावों के लिए पूर्णतया प्रशंसा करते हुए 16 लाइनें कही गई हैं।

महोदय, उल्लेखनीय है कि हमारी रक्षा सेनाओं से संबंधित अति गंभीर घटना का इस अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है। हम उन समझौतों पर अपनी पूरी चिन्ता व्यक्त करते हैं जिन्हें भारत सरकार ने संसद के बगैर ही लोगों और संसद को विश्वास में लिए बगैर ही अमेरिका के साथ सैन्य सहयोग के लिए किया है। यह कहा गया है कि एक दूसरे की थल सेना के बीच एक सहयोग के लिए एक संयुक्त कार्यकारी समिति गठित की गई है जिसमें संयुक्त जल सेना अभ्यास सहित थल सेना के कार्मिकों को भेजना और दीर्घकालिक सहयोग के अन्य रूप सम्मिलित हैं। हमारे

अनुसार तो जब हमारा एक साझा शत्रु नहीं है तब ऐसे सहयोग का उद्देश्य केवल उनके हित पूरे करना है, संयुक्त अभ्यास तो साझा शत्रु के खिलाफ किए जाते हैं। यह सहयोग तो अमेरिका के हितों की पूर्ति कर सकता है जो कि हमारे सशस्त्र बलों को भेदना चाहता है और सामरिक हितों के लिए इसके कार्मिकों को फंसाना चाहता है। हम सरकार द्वारा किए गए ऐसे गैर जिम्मेदाराना समझौतों को तुरन्त समाप्त करने की मांग करते हैं क्योंकि वे हमारी राष्ट्रीय प्रभुसत्ता और राजनैतिक प्रभुसत्ता पर अत्यधिक प्रभाव डालेंगे। यह चिन्ता का विषय है कि इस बारे में राष्ट्रपति के अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है और जब से इस सभा का बजट सत्र शुरू हुआ है किसी भी मंत्री प्रधानमंत्री अथवा रक्षा मंत्री ने सभा में इस बारे में ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर कोई वक्तव्य नहीं दिया है। आत्म-निर्भरता और मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो स्वप्न पंडित जवाहर लाल नेहरु ने देखा था और जिसे आमतौर पर हमारी राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था, चालू वर्ष का बजट उसके कफन में अन्तिम कील बन गया है। लेकिन पंडित जवाहर लाल नेहरु कांग्रेस पार्टी के लिए अनुपयोगी नाम बन गया है। नेहरु की आर्थिक नीति को गन्दे शब्दों के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री बल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : जब वह जीवित थे तब वे उनकी आलोचना करते थे। और जब उनका निधन हो चुका है तब हम उन्हें याद करते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपकी तुलना में वह एक महान व्यक्ति थे। नेहरू की आर्थिक नीति को विरोधी कारण के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है। (व्यवधान) हम अब यह नहीं सुनते कि सरकारी क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में उच्च स्थान रखता है। यह युवा व्यक्ति चेन्नीथला ऐसा कहा करते थे लेकिन अब वह भूल गए हैं। लेकिन जो लोग अभी भी सरकारी क्षेत्र की प्राथमिकता में विश्वास रखते हैं। उन्हें राष्ट्र-विरोधी बताया जा रहा है। अब कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सरकार के लिए अमरीकी बाजार अर्थव्यवस्था मंत्र बन है और पंडित जवाहर लाल नेहरू की नीति को अपमानजनक तरीके से दफना दिया गया है। अभी तक केन्द्र की आर्थिक नीतियों के प्रति हमारी आपत्ति आत्म निर्भरता के सिद्धांतों को धीमी गति से लागू करने के विरुद्ध रही है। अभी तक हमारी आपकी सरकारी क्षेत्र को कमजोर करने और देश में कुछ एकाधिकारवादियों और सटोरियों को कांग्रेस सरकार द्वारा सतत संरक्षण देने और आम लोगों की तकलीफों बढ़ाने के विरुद्ध रही हैं। लेकिन अब क्या हो गया है ? इस सरकार ने लोगों से बहुमत लिए बिना, चुनाव घोषणा पत्र पर में उल्लेख किए बिना, इस देश के लोगों के बहुमत का समर्थन लिए बिना ही न सिर्फ इस नीति को बदल दिया है बल्कि उन्होंने हमारे आर्थिक विकास की दिशा को भी बदल दिया है। उन्होंने बाजार अर्थव्यवस्था की पूंजीवादी पद्धति को एक दम अपना लिया है जोकि आम लोगों की तकलीफों और कष्टों को ही बढ़ाएगा। इसके कारण पहले ही एकाधिकारवादियों, विदेशी एजेंसियों के सम्मुख समर्पण हो चुका है और हमारे भविष्य का निर्णय लेने की हमारी क्षमता पर भी समझौता कर लिया गया है।

आज प्रधान मंत्री का हस्तक्षेप अत्यन्त महत्वपूर्ण था। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि वह घमंडी और असंवेदी हो गए हैं। वह बहुत खुश हैं···(व्यवधान)

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : क्योंकि वह आपसे असहमत हैं इसलिए वह घमंडी हो गए।

(व्यवधान)

श्री चन्दूलाल चंद्राकर (दुर्ग) : वह अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। लेकिन वह कहते हैं कि वह घमंडी हैं। मैं समझता हूं कि यह सही नहीं है। आप चाहें कैसे भी व्याख्या करें लेकिन बहुत गलत व्याख्या न करें। उन्होंने इस देश के लोगों के विचार और भावनाएं व्यक्त की हैं।

(व्यवधान)

श्री मृत्युञ्जय नायक (फूलबनी) : उन्होंने आपको 'दादा' कहकर बुलाया, इससे अधिक कौन से आदर की आप प्रधान मंत्री महोदय से अपेक्षा रखते हैं ? आपको भी इसके बदले में उन्हें कुछ आदर देना चाहिए। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं उन्हें 'बड़दादा' कहकर बुलाऊंगा। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अनावश्यक हस्तक्षेप न करें। उनकी बात सुनिये। जब आपको अवसर मिले तब आप अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने कहा कि मैं अप्रसन्न था। श्री नरसिंह राव से इस प्रकार की उम्मीद नहीं थी। (व्यवधान)

श्री पी. सी. थामस (मुक्तपुजा) : चलिये, 40 वर्षों तक इन्तजार करते हैं। तब वे कहेंगे कि श्री नरसिंहराव एक महान् व्यक्ति थे। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने कहा कि उनके लाये गये बजट और आर्थिक नीति की सभा के बाहर आम आदमी बहुत खुश हैं। (व्यवधान) प्रधान मन्त्री महोदय के अनुसार लोग इस बजट की बढ़-चढ़कर प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन वे लोग कौन हैं। ये हैं वाशिंगटन पोस्ट, अमरीका साम्राज्यवादियों का एक समाचार पत्र अनिवासी भारतीय फिक्का, एसोचम और ऐसे ही कुछ अन्य वर्ग : डा. मनमोहन सिंह को एक मसीहा के रूप में निरूपित किया जा रहा है, जिन्होंने इस देश को बचाने का भार ग्रहण किया है। लेकिन क्या आम लोगों ने, श्रम जीवियों ने बजट का स्वागत किया है ? नहीं, उन्होंने सामान्य जन ने वित्त मन्त्री और प्रधान मन्त्री महोदय को आर्थिक विश्वासघात और वित्तीय विनाश के मसीहा और देश की प्रतिष्ठा और गौरव को गिरवी रखने वाले व्यक्ति माना है। हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम इस विघटन और संकीर्णता की प्रक्रिया के भागीदार नहीं हो सकते हैं और न होंगे। फिर बहुत कुछ देर पहले जैसे डा. थामस हमारे समर्थन के लिए अनुनय कर रहे थे। हम इस सभा के बाहर और भीतर, गलियों में, फैक्टरियों में, खेतों में और देश के हम कोने में इसका विरोध करेंगे। हम उन्हें पहले से ही यह चेतावनी दे रहे हैं।

वे उस बात पर भी बहुत खुश हैं कि कुछ सरकारी अर्थशास्त्री तथा कुछ सरकारी पत्रकार

इस बजट की प्रशंसा में स्तुतिगान कर रहे हैं। वे लोग हमेशा ऐसा ही करते हैं। वे हमेशा सरकार के बजट की प्रशंसा है चाहे कोई भी सरकार हो, कोई भी बजट हो। उन्होंने राजीव गांधी के बजट की प्रशंसा की और अब वे राजीव गांधी के बजट की आलोचना कर रहे हैं और नरसिंहराव सरकार के बजट की प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन इस बजट को तैयार किए जाने में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की शर्तों का प्रभाव होने से इन्कार नहीं कर सकता। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सरकार ने इस संसद और लोगों से वे तथ्य जानबूझकर छिपाये, जिन्हें वे इस सभा और जनता के विचारों के दबाव के सामने खोलने के लिए बाध्य थे। बड़े दुःखद और गंभीर मामले प्रकाश में आये हैं। मैं सत्ता पक्ष के माननीय सहयोगियों से अनुरोध करूंगा कि वे इसे तरफदारी का मुद्दा न बनायें और अगर वे इस अस्थायी बहुमत को बनाये रखना चाहते हैं तो अपनी सरकार के लिए सभी तथ्यों पर ध्यानपूर्वक विचार करें। आप इसकी उपेक्षा कर सकते हैं और देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। इसी वजह से मेरे द्वारा किये गये पूर्व हस्तक्षेप के समय मैंने सत्ता पक्ष के अपने मित्रों से अनुरोध किया था कि वे उस पर विचार करें। कृपया अपने विवेक को गिरवी मत रखिये। यह कोई सचेतक का मामला नहीं है। जब इतने लोग यह प्रश्न उठा रहे हैं तो कृपया सारे तथ्यों को पढ़ने तथा सरकार द्वारा पहले किये गये वायदों का पता लगाने का प्रयत्न कीजिये। (व्यवधान)

श्री ए. चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : हमने इसे देख लिया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अगर यह जानते हुए भी आप उनका समर्थन कर रहे हैं तो फिर हमें आपसे छुटकारा पाना होगा। अगर यह सरकार वित्तीय नीतियों के सम्बन्ध में ईमानदार होती, तो उसने स्वयं ही तथ्य उजागर कर दिये होते। (व्यवधान)

श्री ए. चार्ल्स : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। दस्तावेज के पहले पृष्ठ पर ही यह बहुत स्पष्ट रूप में कहा गया है कि यह एक बहुत ही गोपनीय दस्तावेज है जिसे कार्यालय में प्रयुक्त किया जाना है और इसके प्रकाशन के लिए विश्व बैंक की पूर्वानुमति ली जानी आवश्यक है : जब उन्होंने बार-बार माननीय मन्त्री महोदय से अनुरोध किया तो उन्होंने कहा कि वे बजट-प्रस्तुत करने वाले दिन पूरा रिकार्ड पेश कर देंगे। लेकिन वे पेश कराने के लिए आमादा थे और उन्हें यह पेश किया गया। हमने इसे देखा है। पैरा 97 में केवल एक शब्द है कि 1992-93 के बजट में सरकार द्वारा नियुक्त समितियां कुछ ढांचागत समायोजन करेंगी। ये गोपनीय दस्तावेज हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। माननीय सदस्य से मेरा अनुरोध है कि जो हस्तक्षेप होते हैं उनसे माननीय सदस्य का समय व्यर्थ होता है। इससे, आखिरकार इसके समय की कमी होगी। आपको इसका विरोध करने का मौका मिलेगा। अतः कृपया धैर्य रखिये।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : श्री चार्ल्स का हस्तक्षेप नहीं, बल्कि व्यवधान ने मेरी मदद की है। उन्होंने स्वीकार किया है कि समझौते के अन्तर्गत जब तक बड़ा भाई-विश्व बैंक सरकार को संसद के सम्मुख दस्तावेज खोलने की अनुमति नहीं दे देता तब तक यह देश कोई दस्तावेज खोल नहीं सकता। यह इस देश की हालत है।

हमारा आरोप है कि इस सरकार ने देश की आर्थिक संप्रभुता के साथ समझौता किया है और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की आज्ञाओं के अनुपालन के रूप में ही यह बजट लागू किया गया है। मैं आज बजट पर विस्तार में चर्चा नहीं कर रहा हूं। उस पर तभी विचार किया जायेगा जबकि हम बजट पर चर्चा करेंगे।

[हिन्दी]

**चौधरी राम प्रकाश (अम्बाला)** : मैं सिर्फ यह कहूंगा कि किसके पास गिरवी रखा गया है, यह बता दीजिये। यह बात नहीं करनी चाहिये। आपको इस तरह से नहीं बोलना चाहिये। कोई अपने मुल्क को गिरवी रख सकता है ?

[अनुवाद]

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : यह बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट है। हमने इस सभा के सम्मुख यह आरोप लगाया और बार-बार दोहराया है कि बजट के मुख्य प्रावधानों की इससे पहले कि इस सभा को जानकारी होती, विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दोनों को समवेत रूप में जानकारी थी।

**श्री श्रीवल्लभ पाणिग्राही** : यह तो वह पिछले वर्ष भी जानते थे।

**उपाध्यक्ष महोदय** : कोई टिप्पणी आवश्यक नहीं है। जब आपको अवसर मिले तो आप पूरी शक्ति से इसका विरोध कर सकते हैं। अनावश्यक रूप से आप हस्तक्षेप क्यों करते हैं ? जब-तब टिप्पणी करने के इस प्रलोभन पर नियंत्रण रखिए।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : कुछ भी, मुझे यह जानकर कुछ प्रसन्नता हुई कि विवेक नाम की चीज अब भी बची हुई है। उन्हें बेचैनी का अनुभव हो रहा है। इसी वजह से वह व्यवधान पहुंचा रहे हैं।

यह जन-विरोधी आर्थिक नीति अपनाने के लिए सरकार ने यह बहाना बनाया है कि विदेशी मुद्रा का संकट उत्पन्न हो गया है। लेकिन हमें यह कभी नहीं बताया गया कि इस संकट के लिए जिम्मेदार कौन है। यह उनका प्रकाशन है, मेरा नहीं। वर्ष 1983-84 में जब वे सत्ता में आये तब 2,493 करोड़ रुपये थे। वर्ष 1988-89 में जब कांग्रेस की सरकार गिरी तो लघु अवधि के वाणिज्यिक उधार 18,400 करोड़ हो गये। इस सरकार की सम्पूर्ण देनराशि गैर-सरकारी वाणिज्यिक उधार, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की देनराशि जो वर्ष 1980-81 में 13,747 करोड़ रुपये थी कांग्रेस सरकार के शासन के समय बढ़कर 80,135 करोड़ रुपये हो गई। इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? यह सरकार निर्लज्जता से यह कहने का प्रयत्न कर रही है कि हमारे आर्थिक ढांचे में प्रत्येक मुश्किल पहली दो सरकारों ने उत्पन्न की है, जिनमें से एक का उन्होंने समर्थन किया, जो बिल्कुल अल्पसंख्यक सरकार थी। उन्होंने उस सरकार को अपना बजट रखने की भी अनुमति भी नहीं दी। वे कहते हैं कि यह सरकार की जिम्मेदारी है और उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। यह उनके उत्तरदायित्व की समझ है। वर्ष 1991-92 में कुल ऋण 11,936 करोड़ रुपये होने का अनुमान था,

जिसमें से 4,158 करोड़ रुपये के वाणिज्यिक ऋण थे। यह कुल ऋण का 35% भाग था, जिसका अर्थ हुआ कि ऋण का शिकंजा और कस गया। ये आंकड़े मैंने नहीं दिए हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है और आप इसका समाधान किस प्रकार कर रहे हैं? उन्होंने केवल एक ही मार्ग चुन लिया है और वह है अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के समक्ष घुटने टेक देना।

हमने विश्व बैंक से 1981 में किये गये अनुरोध का भी विरोध किया था, जबकि वर्तमान राष्ट्रपति जो उस समय यहां के वित्तमन्त्री थे। वह अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास कर्ज लेने के लिए गये थे। मैं उस समय किये गये समझौते के बारे में जानना चाहूंगा। क्या आप अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष और विश्व बैंक के साथ वर्ष 1981 में किये गये समझौतों के बारे में बतायेंगे? हम जानना चाहेंगे कि उस समय किन शर्तों पर समझौता किया गया था। ऐसी कौन सी वह शर्त है जिसने आपको उनके समक्ष, जहां तक हमारी आर्थिक नीतियों का सवाल है, अपने सारे अधिकार समर्पित करने को विवश कर दिया है।

जहां तक व्यावसायिक बैंकों से ऋण लेने का सम्बन्ध है इसका समाधान यह नहीं था कि हम अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के पास जाय बल्कि हमें गैर-जरूरी आयात पर प्रतिबन्ध और निर्यात को बढ़ाना चाहिए था। परन्तु इस नीति को नहीं अपनाया गया।

वर्तमान नीति की दिशा क्या है? योजना आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष ने योजना की रूपरेखा वाले कुछ दस्तावेजों का पारचालित किया था। यह कहा गया था कि योजना की सफलता इस बात पर निर्भर करती है और यह केवल तभी सफल हो सकती है जबकि प्रत्येक वर्ष निर्यात में 13.6 प्रतिशत वृद्धि की जाय। उस सीमा तक पहुँचना असम्भव है। वे अब यह भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं। तत्पश्चात् स्वयं योजना आयोग का कहना है कि योजना प्रक्रिया रुक जायेगा। इसके लिए कौन जिम्मेदार है और इसका क्या समाधान हो सकता है? क्या इसका समाधान केवल यही है कि हम अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के पास भीख जायें? इस देश में इसका क्या और कोई समाधान नहीं है? क्या यह इसलिए है क्योंकि यह देश सदैव संघर्ष करता रहा है। जब यह देश आजाद हुआ था और उसके बाद सार्वजनिक क्षेत्र ने क्या भूमिका अदा की थी। महत्वपूर्ण आधारिक क्षेत्र में कौन आगे आया था? इस देश में एक भी एकाधिकारवादी व्यक्ति ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र को आगे नहीं बढ़ा। इस्पात और तेल के क्षेत्र में वे कौन लोग थे, वे कौन से उद्योगपति थे, क्या उनमें आपके कोई मित्र थे जिन्होंने इन क्षेत्रों में निवेश किया? यह सार्वजनिक क्षेत्र ही था जो उस समय आगे बढ़कर आया और जवाहर लाल नेहरू ने यह महसूस किया था कि सार्वजनिक क्षेत्र ही इस समस्या का एकमात्र समाधान था। अपने अनुभव के आधार पर ही उन्होंने वर्ष 1956 में सभा के औद्योगिक नीति प्रस्तुत की थी, जिसने कांग्रेस पार्टी ने अपनाया था। परन्तु निश्चित रूप से अब यह कांग्रेस नहीं रही है।

इस समय सोवियत संघ की सहायता से हमारे यहां भिलाई, बोकारो और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र स्थापित हैं। अतः इस्पात अपने विशाल व्यापक रूप में आगे बढ़कर आया। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, भारतीय तेल निगम, भारतीय इस्पात प्राधिकरण इत्यादि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने इस देश के विकास में सहायता की है। जिस लोकतंत्र का विकास विभाजन के उपरान्त और एक ऐसी स्थिति में हो रहा था, जिसमें भारी संख्या में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान को आ जा रहे थे, ऐसे में सार्वजनिक क्षेत्र ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और अब इसी का उपहास

किया जा रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के कु-प्रबन्धन के लिए कौन जिम्मेवार है? आज आप सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लाभदायक क्षेयरों को किसे बेच रहे हैं? क्या आप बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को और एकाधिकारवादियों को बेच रहे हैं। वे भी उस सार्वजनिक क्षेत्र में आ जायेंगे जिसे नौकरीपेशा वर्ग और इस देश की आम जनता ने अपने पसीने और श्रम से विकसित किया है। अब आपको कुछ करना चाहिए और आप नौकरीपेशा वर्ग और इस देश में सार्वजनिक क्षेत्र को यह पुरस्कार दे रहे हैं। क्यों प्रावधान किया गया है और राष्ट्रपति के अभिभाषण में मूल्य-वृद्धि की समस्या से किस प्रकार निपटा जाए इस बारे में क्या संकेत दिया गया है? उस बारे में केवल थोड़ा सा उल्लेख किया गया था। मुझे आशा है कि उन्होंने अपने चुनाव घोषणा पत्र के पृष्ठ 25 को नहीं फाड़ा होगा, जिसमें यह उल्लिखित है कि कांग्रेस डीजल, मिट्टी का तेल, नमक, खाद्य तेलों इत्यादि की कीमतें जुलाई 19:0 की कीमतों पर लाने का दृढ़ संकल्प करती है। या तो उस पृष्ठ को फाड़ दिया गया है अथवा आपने उस पर स्याही डाल दी है। के दूसरी तरफ पृष्ठ 26 थी है। उस पृष्ठ को फाड़ देने से ही उन्हें मदद होगी। उसमें कहा गया है:

"कांग्रेस प्रति वर्ष 10 मिलियन और शताब्दी के अंत तक 100 मिलियन नये रोजगार का सृजन करेगी।"

कीमतें और बढ़ गई हैं। इस सरकार की आश्चर्यजनक भूमिका है। यह उनका चुनाव घोषणापत्र है। इसी मैंने कल कहा था कि उन सभी घोषणापत्रों को कबाड़ीवालों को बेच दिया गया है। कम से कम डा थामस ने एक प्रतिलिपि अपने पास रख ली होगी।

मुझे यह नहीं कहना चाहिए कि कीमतों में गिरावट नहीं आई है, क्योंकि इसमें तो कई गुना वृद्धि हुई है। मुद्रास्फीति की दर में 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कभी-कभी यह बेहतर रहता है कि मैं उन्हीं के दस्तावेज से उन्हें स्मरण कराता हूँ। मूल्य वृद्धि में कितने प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई है? जहाँ तक मूल्यों का सम्बन्ध है। उसमें सरकार द्वारा वृद्धि की गई है। साधारण किस्म के चावल में 30.4 प्रतिशत, उत्तम किस्म में 25.2 प्रतिशत क्योंकि धनी व्यक्ति उसका उपभोग करते हैं, सर्वोत्तम किस्म के चावल में उससे भी कम अर्थात् 23.85 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। परन्तु साधारण किस्म के चावल में आपने 30.4 प्रतिशत? गेहूं में 19.7, चीनी में 13.1 प्रतिशत वृद्धि की है। थोक बिक्री मूल्य सूचकांक में वृद्धि हुई है। वर्ष 1991 से वही सरकार काम कर रही है। थोक मूल्य सूचकांक में मुद्रास्फीति की वार्षिक की दर 13.5 प्रतिशत, पिछले दशक में सर्वोच्च हो गई है और कीमतों में मौसमी गिरावट बहुत नगण्य रही है। अप्रैल से दिसम्बर की अवधि के दौरान, जब इस सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अनुकम्पा से कार्य किया, मूल्यों में 9.3 प्रतिशत की तुलना में 13.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। श्री चन्द्रशेखर का भी कार्यकाल आपसे बेहतर रहा था। वर्ष 1991 में मूल्यों में माहवार वृद्धि का विश्लेषण 16.3 प्रतिशत मुद्रास्फीति की दर दर्शाता है, जो कि जून के 12.2 प्रतिशत की तुलना में सितम्बर में सर्वोच्च थी। कलैण्डर वर्ष के दौरान प्राथमिक वस्तुओं में मूल्य वृद्धि की दर 18 9 प्रतिशत आंकी गई है।

इससे भी अधिक हम और क्या देखते हैं? अन्तर-सत्र अवधि के दौरान उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। जी हां, खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री यहां पर उपस्थित हैं। उन्होंने सरकारी मूल्यों में वृद्धि की। जैसा कि मैंने बताया कि आवश्यक खाद्य वस्तुएं जैसे गेहूं, चावल, चीनी इत्यादि के

मूल्यों काफी वृद्धि हुई है जिससे इस देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत लाया जा रहा है। यह घोषणा जयपुर में उनके मित्र, राजस्थान के मुख्यमन्त्री, की उपस्थिति में की गई थी।

इस समय मूल्यवृद्धि ही आम व्यक्ति के दुःखों का सबसे बड़ा कारण है। मध्यम वर्गजी इससे प्रभावित हो रहा हैं। न बजट में और न ही राष्ट्रपति के अभिभाषण में मूल्य वृद्धि पर अंकुश रखने की बात कही गई है। मेरे विचार से श्री कमल चौधरी के लिए यहां आने और इस सरकार की निष्क्रियता को देखने की अपेक्षा सभा से बाहर रहना ही अधिक अच्छा था। वह हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं।

दूसरी एक और अत्यन्त गम्भीर स्थिति जिसका सामना हमारा देश और विशेष रूप से आम व्यक्ति कर रहा है, वह है बेरोजगारी की समस्या। महोदय, वर्ष 1951 में 3.29 लाख व्यक्ति बेरोजगार थे। कांग्रेस के आश्चर्यजनक योगदान से इस देश में यह संख्या बढ़कर 3.27 करोड़ हो गई है। ये आंकड़े पंजीकृत बेरोजगार व्यक्तियों के हैं। अतएव जनसंख्या में जितनी भी वृद्धि होगी वह सब अब बेरोजगारों की श्रेणी में जायेंगे। यह आपकी आश्चर्यजनक उपलब्धि है। रोजगार क्षेत्र में भी नियोजनकर्ता बेरोजगार रहेंगे। यह आपकी आश्चर्यजनक उपलब्धि है। महोदय, हम एक अत्यन्त गम्भीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री पी. सी. आयको (त्रिचूर) : पश्चिम बंगाल में क्या स्थिति है ? (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : यदि उसका उल्लेख करने से आपको सुख, सन्तोष मिलता है तो मैं यह मानने के लिए तैयार हूं जोकि ठीक नहीं है।

मार्च 1991 में कांग्रेस के समर्थन से चन्द्रशेखर सरकार के कार्य-निष्पादन का परिणाम यह था कि पंजीकृत शिक्षित बेरोजगारों की संख्या 3,48,90,000 हो गई है। और उस अवधि के दौरान अधिसूचित रिक्तियों की औसतन संख्या 38,000 थी। एक ही वर्ष में रोजगार कार्यालय में बेरोजगार कार्यालय में बेरोजगार सम्बन्धी रजिस्टारों में बेरोजगारों की संख्या 33.48 लाख हो गई है और उसमें से केवल 4.56 लाख व्यक्तियों को ही रोजगार दिया जा सका है। इन शेष बेरोजगारों का क्या होगा ? इन व्यक्तियों का जीविका-स्रोत क्या है ? वे कहां जायेंगे ? क्या कृषि अथवा औद्योगिक क्षेत्र और रोजगार-सृजन कर सकता है ? चेन्नितला जी, वे कहां से अपनी जीविका-निर्वाह करेंगे ? कृपया हमें बताइये। मैं इस बारे में जानना चाहूंगा। और इस समय क्या हो रहा है ? हमें बताया गया है कि कर्मचारी आवश्यकता से अधिक हैं। चार लाख रेलवे कर्मचारी अपना रोजगार खो देंगे। सरकारी दफ्तरों को बन्द किया जा रहा है और आपने निकास नीति को अपनाया हुआ है। आपने एक भी रुग्ण उद्योग को पुनर्जीवित करने के सम्बन्ध में नीति नहीं अपनायी है। जहां तक हमें ज्ञात है, नयी आधुनिकी उच्च-तकनीकी युक्त उद्योग साधारण आम व्यक्ति को बहुत थोड़ा रोजगार दे पायेंगे, क्योंकि वे अधिक यांत्रिकी है और स्वचालित मशीनों का वहां इस्तेमाल किया जाता है। तब फिर रोजगार हेतु ये व्यक्ति कहां जायेंगे ? लघु उद्योगों के माध्यम से अपनी जीविका वे अर्जित कर सकें, इस बारे में आप उनकी क्या सहायता कर रहे हैं ? आप उन्हें कौन सी उचमी सहायता दे रहे हैं ? महोदय, दो लाख से भी अधिक निजी क्षेत्र में रुग्ण कम्पनियां हैं और इतनी ही और हो जायेंगी। निजी क्षेत्र के इतने अधिक उद्योग बन्द अथवा रुग्ण क्यों हैं ? आप इन व्यक्तियों की सहायता हेतु क्या करने का विचार कर रहे हैं और इस समय आप सरकारी

क्षेत्र के कर्मचारियों से छुटकारा पा रहे हैं। आप बी.आई.एफ.आर. के पास एककों को बन्द करने के लिए भेज रहे हैं। परन्तु उन कर्मचारियों का फिर क्या होगा ? राष्ट्रीय नवीकरण कोष का क्या अभिप्राय है ? यह कहा जाता है कि इसकी धनराशि का उपयोग पुनः प्रशिक्षण और पुनः नियोजन में किया जायेगा। मैं पूरी गम्भीरता और ईमानदारी से पूछना चाहूंगा कि आप उन्हें पुनः कहां पर नियोजित करेंगे। आप उन्हें कौन सा वैकल्पिक प्रशिक्षण देंगे ? नवीकरण कोष की राशि से आप कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण देंगे ? भगवान के लिए आप हमें इस बारे में बताइये। इन बेरोजगारों का क्या भविष्य होगा, जो न तो अपराधी हैं अथवा न ही वे समाज विरोधी तत्व हैं। वे साधारण धनराशि के साथ न कि करोड़ों रुपयों से अच्छा जीवन जीना चाहते हैं। वे अपने परिवारों की देख-भाल करना और एक आदर्श, अच्छी जिन्दगी व्यतीत करना चाहते हैं। उन्हें पुनः कहां पर नियोजित किया जायेगा ? कृपया हमें बता दें ताकि हम उन्हें सूचित कर सकें और यह दयालु सरकार उन्हें नौकरियां दे देगी।

महोदय, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यह निर्गम (एक्जिट) नीति देश पर थोपी है। यदि आप उन लैटिन अमेरिकन देशों का इतिहास देखें। जिन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या विश्व बैंक से सहायता ली है तो आप पाएंगे कि बिल्कुल समान शब्दों का प्रयोग किया गया था। हम भी वही शब्द सुनते हैं—'व्यापक आर्थिक नीति' संरचनागत समायोजन' और इसी प्रकार के अन्य शब्द। डा. मनमोहन सिंह ने अभी यही शब्दावली प्रयोग की है और हम इसका प्रत्येक शब्द पहले सुन चुके हैं। ब्राजील, पेरु और कई अन्य देशों को भी इन शब्दों को गले उतारना पड़ा है, वहां भी (निगेम) 'एक्जिट' नीति थी। क्या सिर्फ थोड़ी सी विदेशी मुद्रा के लिए आपने अपनी आंखें बन्द कर ली हैं और असंवेदनशील हो गए हैं ? क्या अपने सोचने का और स्वयं निर्णय लेने का अधिकार छोड़ दिया है ? अब क्या होगा ? यहां तक कि राष्ट्रपति जी से भी ऐसे शब्द कहलवाए गए हैं, यदि मैं ऐसा ऐसा हूं, जो इस देश की आम जनता के हितों के खिलाफ हैं। वे कहते हैं कि कोई हड़ताल नहीं होनी चाहिए और कोई औद्योगिक कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। लोगों की नौकरी छूट सकती है और वे भूखों मर सकते हैं। किन्तु उन्हें विरोध नहीं करना चाहिए। क्या यह देश गुलामों या भेड़ों या बकरियों का देश है कि वे चुपचाप भूखों मरते रहें और इस सब के खिलाफ विरोध न करें। औद्योगिक क्रिया-कलापों को बन्द करने के सरकार के प्रयास को यह देश कभी भी नहीं मानेगा। यह सरकार की कृपा नहीं है। यह श्रमिक वर्ग ने स्वयं एक लम्बे समय तक संघर्ष करके अर्जित किया है और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए औद्योगिक कर्म के अपने अधिकार को वे कभी नहीं छोड़ेंगे।

आज की आर्थिक स्थिति अत्यन्त गम्भीर है। क्या राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह प्रतिबिम्बित होती है ? इस गंभीर आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए अभिभाषण में किस नीतिगत वक्तव्य का उल्लेख है ? कोई भी इससे इंकार नहीं कर रहा। यहां तक कि सरकार भी कह रही है कि आर्थिक स्थिति अत्यन्त गम्भीर है। किन्तु राष्ट्रपति के अभिभाषण में इसका कोई उल्लेख नहीं है ? पहले कम से कम हमें यह तो बताया गया था कि अभिभाषण जल्दी में तैयार हुआ है और वे इस बारे में ढंग से विचार भी नहीं कर पाए। किन्तु अब, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से भी, राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करने के लिए सात महीनों के लिए सहायता प्राप्त थी जैसा कि सुविदित है। किन्तु यह स्थिति है। यह

अभिभाषण एक ऐसा धर्म पत्र भर है जिसमें देश की जरूरत की सभी बातों का जानबूझकर उल्लेख नहीं किया गया। राष्ट्रपति जी का अनादर करना मेरा तात्पर्य नहीं है, मैं कहूँगा कि यह एक व्यर्थ दस्तावेज है और इसे कूड़े की टोकरी में फेंक देना चाहिए।

एक वैकल्पिक दृष्टिकोण होना चाहिए। हमने कई बार ऐसा सुझाव दिया है। किंतु कौन सुनता है? यह सरकार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के पास गिरवी है। क्या वे सुन रहे थे? हमने एक वैकल्पिक प्रस्ताव किया है। किन्तु उन्होंने इतना शिष्टाचार भी नहीं दिखाया कि वे हमारे हाँस आते इस पर चर्चा करते या हमें बुलाकर इस वैकल्पिक प्रस्ताव पर चर्चा करते।

भूमि सुधारों का क्या हुआ? क्या आपने इस देश में भूमि सुधार लाने के बारे में कभी सोचा है? हमने सुझाव दिया कि भूमि सुधार के बिना और औद्योगिक पूंजी में मालिकाना हक के व्यापक बंटवारे के बिना, एक आधुनिक और श्रमोन्मुख प्रौद्योगिकी के बिना, जो श्रमिकों का उपयोग करेगी और इसे हटाएगी नहीं, हम अपनी अर्थव्यवस्था को सुधार नहीं सकते। जब हम इस प्रकार के सुधार लाएंगे, सिर्फ तभी हम आम जनता की क्रय शक्ति बढ़ा सकते हैं और सिर्फ तभी कृषि और औद्योगिक विकास घरेलू बाजार के विस्तार के आधार पर हो सकता है अन्यथा नहीं। किंतु इस क्षेत्र की ओर वे कभी ध्यान नहीं देते।

हम पाते हैं कि इसकी बजाय वित्तीय क्षेत्र में, इस सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र पर एक आक्रमण एक व्यापक स्तर पर आक्रमण किया है। जब उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र में 49 प्रतिशत अनिवेश का निर्णय लिया तो उन्होंने संसद को भी विश्वास में नहीं लिया। यह सर्वाधिक खतरनाक नीति है। उन्होंने निर्गम (एक्जिट) नीति अपनाई है। अंत: सत्रावधि में उन्होंने हाथ की सफाई से फेरा और एम.आर.टी.पी. के प्रावधानों को समाप्त कर दिया और 'फेरा' एक फालतू दस्तावेज बन गया है। अब वे, डंकेल प्रस्तावों पर विचार कर रहे हैं जो इस देश के कृषकों के लिए और औषधि उद्योग के लिए विनाशकारी होगा। किंतु यह सरकार उस दिशा में विचार कर रही है। हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं। दूसरे सदन में भी इस पर चर्चा हुई है। मन्त्री महोदय ने कहा है कि जहां तक कृषि क्षेत्र का संबंध है डंकेल प्रस्तावों में कुछ सकारात्मक बातें हैं।

3.00 अ. प.

किन्तु, श्री चिदम्बरम ने कहा कि उस मामले पर संसद में विचार विमर्श किए बिना, सरकार कोई निर्णय नहीं लेगी। किन्तु, महोदय, इन बड़े औद्योगिक घरानों के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई है, ऐसा सुनने में नहीं आया। 50,000 करोड़ रुपए का कालाधन उस देश में चलन में है। क्या यह हमारी अर्थव्यवस्था पर एक दबाव नहीं है? क्या इस कालेधन को निकालने के लिए कोई कदम उठाया गया? हम जानते हैं कि सरकार ने क्या किया है। इस देश के दस औद्योगिक घरानों ने 31 मार्च, 1991 तक निम्नलिखित वित्तीय संस्थानों से ऋण लिए हैं:

| | |
|---|---|
| आई. डी. बी. आई. | 1496 करोड़ रुपए |
| आई. एफ. सी. आई. | 553 करोड़ रुपए |
| आई. सी. आई. सी. आई. | 626 करोड़ रुपए |

कुल ऋण 2666 करोड़ रुपए का है जो इन दस व्यापारिक या औद्योगिक घरानों पर उन सरकारी संस्थाओं का बकाया है। जब लघु उद्योग या मध्यम उद्योग इन बैंकों से ऋण माँगते हैं तो उन्हें ऋण नहीं दिया जाता। इन बड़े औद्योगिक घरानों का ऋण बने के लिए बैंक आधिक समय काम करते हैं और इन ऋणों को वर्षों तक चुकाया नहीं जाता। यहां तक कि ब्याज भी नहीं दिया जाता। इस सरकार की या इस दल की क्या विश्वसनीयता है जिसने चालीस वर्ष के आधिक के अपने कुशासन से इस देश का सर्वनाश कर दिया है।

वर्तमान नरसिंह राव सरकार का कार्य निष्पादन क्या है? एक ही रात में उन्होंने लम्बी छलांग मारी है। इन दिनों राजीव गांधी के बारे कोई भी कुछ नहीं कह रहा।

कुल वृद्धि दर ऋणात्मक 23 प्रतिशत है। सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि 9 प्रतिशत के स्थान पर 2.3 प्रतिशत है।

अप्रैल से अक्टूबर तक कुल वृद्धि दर ऋणात्मक 8 प्रतिशत थी। इस सरकार के शासन के दौरान खाद्यान्न उत्पादन 1.5 प्रतिशत तक कम हो गया है। कृषि उत्पादन स्थिर है। जनसंख्या बढ़ रही है पर कृषि उत्पादन नहीं बढ़ रहा। भुगतान संतुलन की समस्या कुछ कठिन थी। मैं नहीं जानता कि वे हमें विश्व बैंक की रिपोर्ट की प्रति देंगे, हम किसी प्रकार एक प्रति पा सके हैं। इसमें आप पाएंगे कि विश्व बैंक से ऋण लेने का एक कारण था कि आयात के लिए कुछ विदेशी मुद्रा मिल सके। फिर हमारी अर्थव्यवस्था की ऐसी दशा क्यों है? औद्योगिक उत्पादन गिर क्यों रहा है? कृषि उत्पादन क्यों कम हो रहा है? सरल घरेलू उत्पाद नीचे क्यों जा रहा है? पिछले सात या आठ महीनों में आपने क्या किया है? यह इस सरकार का कार्य निष्पादन है? प्रधानमंत्री ने आज हमें बताया है कि उन्हें कुछ नहीं कहना और वे सिर्फ अपना क्रोध दिखा रहे हैं। जब मंहगाई आसमान छूने लगती है तो जनता बहुत प्रसन्न हो जाती है। नौकरी ना हो तो इस देश की जनता बहुत प्रसन्न हो जाती है। यदि नौकरी पेशा लोगों की नौकरी छूट जाती तो इस देश की जनता बहुत प्रसन्न होती हैं।

अब, प्रधानमंत्री सिर्फ 'फिक्की' के भाषण पढ़ते हैं इस देश के साधारण समाचार पत्र नहीं पढ़ते। वह इस देश के आम आदमी से उनका सम्पर्क नहीं रहा। मुझे यह भय है। यह हमारा दुर्भाग्य है। शायद हमारे प्रधानमंत्री को अपने आप सोचने नहीं दिया जाता जब तक कि आई.एम.एफ. और विश्व बैंक उन्हें सोचने की अनुमति नहीं देते।

यदि आप देश की राजनैतिक स्थिति को लें। पंजाब में क्या हुआ? आपने इस समस्या को कैसे सुलझाया? हमें प्रसन्नता है कि पंजाब के कुछ मित्र यहां हैं, किन्तु क्या आपने पंजाब की समस्या को सुलझा लिया है? दुर्भाग्य से चुनाव का परिणाम स्थिति को और बदतर कर देगा। कोई समाधान नहीं दिया जाएगा। हमने बार-बार यह अनुरोध किया है कि उन्हें चुनाव प्रक्रिया में लाने के लिए इस देश की जनता को सम्मिलित करना होगा। आपको एक राजनैतिक पैकेज (योजना) की घोषणा करनी चाहिए। आपके पास राजीव-लोंगोवाल समझौता है। आपने उस समझौते को कार्यान्वित नहीं किया है। मैं नहीं जानता कि चण्डीगढ़ से निर्वाचित संसद सदस्य ऐसा चाहते हैं या नहीं।

किंतु राजीव-लोंगोवाल समझौते को लागू नहीं किया जा रहा है। हमारे पक्ष से 12 मित्रों के उस ओर जाने से उन्होंने किसी तरह अपनी अल्पमत सरकार की स्थिति को सुधार लिया है। किन्तु इस प्रकार के जोड़-तोड़ से राज्य से में शांति नहीं आयेगी, और देश को बड़ा भारी मूल्य चुकाना पड़ेगा।

बहुत बड़ी संख्या में ग्रामीण जनता ने मतदान नहीं किया; केवल अलगाववादी एवं आतंकवादी शक्तियों का बढ़ावा मिला है। कुछ चुने हुए क्षेत्रों में मतदान में घोटाला हुआ। मैं नान्देड़ का उल्लेख नहीं कर रहा हूं। जो कुछ हुआ है उसके लिए पंजाब का हवाला देना पर्याप्त होगा। साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण हो चुका है। हम सब चाहते हैं कि पंजाब में पुनः शांति बहाल हो जाये; किन्तु यह सरकार ऐसा करने में सफल नहीं हो पायेगी। उन्होंने संसद में अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए दलगत फायदों के लिए स्थिति का दुरुपयोग किया है। किन्तु आज पंजाब लगभग टुकड़े-टुकड़े हो चुका है। वहां पर स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। हम प्रधानमंत्री से जानना चाहते हैं कि पंजाब के लिए उनकी क्या नीति है? यह सरकार पंजाब में किस प्रकार कार्य करने वाली है?

आज भी हमने अखबार में पढ़ा था कि वहां पर स्थिति में रंच मात्र भी सुधार नहीं हुआ है। बल्कि स्थिति अधिक दुरुह तथा गंभीर हो गई है। मेरी दुआएं नई सरकार के साथ हैं। मेरी नई सरकार से कोई लड़ाई नहीं है; किन्तु क्या वे काम कर पाएंगे।

श्री नरसिंह राव ने अपने मित्र चुन लिए हैं; उन्होंने पंजाब चुनावों द्वारा अपनी संख्या ली है, और वे यह भी जानते हैं कि इस पक्ष में भी उनके मित्र हैं, वे सदा उनका साथ देंगे।

अभी हाल ही में कश्मीर, श्रीनगर में, जो एकता यात्रा सम्पन्न हुई वह कुछ और नहीं, अपितु राव-आडवाणी का एक संयुक्त प्रयास था। देश साम्प्रदायिकता फैलने के कारण बंट रहा है। किन्तु राष्ट्रपति के अभिभाषण में इसका कोई उल्लेख नहीं है। जसवन्त सिंह जी के लिए अपने सम्मान वास्तविक सम्मान के बावजूद मैं यह कहूंगा कि उनका यह कहना कि कश्मीर में समस्या का एक कारण वहां मुसलमानों की अधिक जनसंख्या है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।

3.08 अ. प.

[श्री राम नाईक पीठासीन हुए]

हम चाहते हैं कि कश्मीर मसले को शिमला समझौते के आधार पर सुलझाया जाना चाहिए; किन्तु हमें पाकिस्तान की मंशा को भी मद्देनजर रखना होगा। पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने 5 फरवरी को सामान्य हड़ताल का समर्थन किया था। उच्चायुक्त खुले तौर पर इस मुद्दे को अन्तरराष्ट्रीय रूप देने का प्रयत्न कर रहा है। यह कुछ और नहीं अपितु हमारे आन्तरिक मामलों में स्पष्ट हस्तक्षेप है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार क्या कर रही है? राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जम्मू कश्मीर में शान्ति और सामान्य स्थिति बहाल करने के विषय में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। मैं नहीं जानता कि डा. मुरली मनोहर जोशी इतने गाजे-बाजे के साथ श्रीनगर में झण्डा फहराने हेतु कौन से लड़ाकू विमान अथवा अन्य विमान से गए; झण्डा तो प्रतिवर्ष फहराया जाता है। यह विशेष व्यवस्था क्यों की गई थी? श्री थामस का इस बारे में क्या कहना? अतः, देश

में यह स्थिति बहुत खतरनाक है; इस कांग्रेस/भाजपा गठजोड़ को सत्ता में रहना है; जो एक ओर गम्भीर स्थिति है। मैं सभी शुभचिन्तक मित्रों से निवेदन करता हूं कि यदि अभी भी उन्होंने अन्तरात्मा गिरवी नहीं रखी है तो वे कृपया इस बारे में विचार करें।

मुझे प्रसन्नता है कि श्री जसवन्त सिंह ने बोफोर्स का उल्लेख किया है। प्रो. थामस बहुत चिन्तित थे कि कोई बोफोर्स का उल्लेख न करे; उन्होंने कहा था, बोफोर्स का उल्लेख न करें। नई सूचना के अनुसार देश में एक स्वच्छ राजनैतिक व्यवस्था हेतु, यदि सम्भव हो तो कांग्रेस सरकार के दौरान, बोफोर्स मुद्दा काफी आवश्यक है। अतः, मैं जानना चाहता हूं कि इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है। यदि किसी प्रकार की जांच की जा रही है, तो वह किस चरण में है? इस जांच का इंचार्ज कौन है? जांचकर्ता अधिकारियों को बदला क्यों गया? उसे किस के आदेश पर बदला गया?

सें. किट्स की जांच का क्या हुआ? सिर्फ इसलिए कि इसमें वर्तमान प्रधान मन्त्री का नाम शामिल है, तो आपने इस मामले को दबा दिया है। और आपने इसे कितने जोर-शोर से आरम्भ किया था? हम माननीय प्रधान मन्त्री से जानना चाहते हैं कि वहां पर भारतीय दूतावास में हमारे सलाहकार को उनके क्या निर्देश थे।

एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू जिस का कोई उल्लेख नहीं किया गया है वह है केन्द्र-राज्य संबंध जिन्हें जानबूझकर बिना सुलझाए लम्बित रखा गया है। उनके लिए सरकारिया आयोग रिपोर्ट बहुत उपयुक्त है क्योंकि वे कहते हैं कि वे इसकी जांच कर रहे हैं। वे वर्षों तक इसका अध्ययन करेंगे, किन्तु कभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे। इस पर अनेकों बार सदन में चर्चा हो चुकी है। इस परामर्शदात्री समिति में भी चर्चा की गई है। सभी राजनैतिक पार्टियों ने अपने-अपने विचार व्यक्त कर दिए हैं। राज्य सरकारों ने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। किन्तु कुछ नहीं किया जा रहा है। इसका परिणाम यह है कि सभी राज्यों को जिनमें कांग्रेस पार्टी शासित राज्य भी शामिल हैं, बहुत गम्भीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि केन्द्र-राज्य सम्बन्धों पर कोई पुनः विचार नहीं किया जा रहा है। प्रत्येक राज्य के वित्तीय स्त्रोत कम हो रहे हैं।

पहले जिन छोटी-छोटी बचत योजनाओं से राज्य सरकारों को मदद होती थी, उनका प्रभाव अब पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है क्योंकि यह अब अन्य फन्डों के ब्याज दर में परिवर्तन के कारण इतना आकर्षक नहीं रह गया है।

महोदय, जहां तक छोटी-छोटी बचतों का सम्बन्ध है, मुझे सूचना मिली है—यह सरकार द्वारा शुद्धि के अध्यधीन है—कि रंगराजन समिति नामक एक समिति गठित की गई थी। मैं जानना चाहता हूं कि उस समिति की रिपोर्ट क्या है। मैंने माननीय वित्त मन्त्री को छोटी बचतों पर रंगराजन समिति की रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि सभा-पटल पर रखने को लिखा है किन्तु अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है। मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय से भी यह निवेदन किया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि यह सभा में प्रस्तुत किया जाये।

हम किसी भी कोण से देखें हम किसी भी पहलू से देखें, तो यह पाते हैं कि इस सरकार के बजट शासन के कारण, इस सरकार के विदेशी उपनिवेशवादियों तथा बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों के

प्रति समर्पण के कारण देश अत्यन्त गम्भीर समस्याओं से जूझ रहा है । आज इस देश के लोग भारी बोझ के नीचे कराह रहे हैं और मैं सरकार को सतर्क करता हूं। आज आप अपने अस्थायी बहुमत का लाभ उठाते हुए हमारा मजाक उड़ा सकते हैं, जैसा कि आप सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में जवाहर-लाल नेहरू की अवधारणा का मजाक उड़ा रहे हैं। किन्तु, महोदय, इस देश के लोग इसे इतनी आसानी से नहीं मानेंगे।

आप केवल इस देश की एक प्रतिशत से भी कम जनसंख्या के प्रति चिन्तित हैं। आपको शेष 99 प्रतिशत की चिन्ता नहीं है। आपकी बाजार अर्थव्यवस्था से इस देश के निर्धनतम व्यक्तियों को लाभ नहीं मिलेगा। आज देश के 55 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। देश में करोड़ों व्यक्ति अशिक्षित हैं। ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई नौकरी नहीं है, जिनका इस देश में कोई भविष्य नहीं है। आपको उनकी चिन्ता नहीं है। आप स्वयं अपनी ही पीठ थपथपा रहे हैं। वह भी आप इसलिए थपथपा रहे हैं क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है, "आप अपनी पीठ ठोकिए।"

कुछ अन्य मुद्दे भी हैं—जैसे विदेश नीति। मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मेरी साथी मालिनी भट्टाचार्य अपनी बारी आने पर उस बारे में कहेंगी। चूंकि हमारी अर्थव्यवस्था विदेशी शक्तियों पर निर्भर है उसका हमारे देश की विदेश नीति व्यवस्थाओं पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है।

अतः, ये ऐसे मामले हैं जिनके बारे में हम चिन्ता व्यक्त किए बिना नहीं रह सकते। और मैं माफी चाहता हूं, मैं विरोध करता हूं और बड़ी दृढ़ता से विरोध करता हूं कि राष्ट्रपति का अभिभाषण लोगों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा है न कि निर्धनता एवं बीमारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा है।

[हिन्दी]

श्री विद्यानाथ दास शास्त्री (सुल्तानपुर) : सभापति जी, आपने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। इस पर विचार व्यक्त करते हुए कुछ समस्याओं की ओर इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पूरे देश की दृष्टि लगी हुई होती है। यह सरकार की आगामी नीतियों को कहलाने वाला दस्तावेज कहलाता है उससे आशा रहती है कि यह देश इसी दस्तावेज के आधार पर चलेगा। लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण को गंभीरता से पढ़ने पर देश की जनता को निराशा हुई है। ऐसी कुछ मूलभूत समस्याएं है जिन पर आज तक ध्यान नहीं दिया गया है जैसे-बेरोजगारी की समस्या है। किसी देश के अन्दर सात आठ करोड़ नौजवान बेकार हों तो उन्हें देश की रचना और संरचना में लगना चाहिए जबकि वह ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट होकर सड़कों पर घूमता है तो उसका दिमाग स्वाभाविक है। खुराफात में लगता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस दिशा में कोई भी उल्लेखनीय बात नहीं की गई है कि बेरोजगारी की समस्या के लिए सरकार कैसे काम करेगी। सरकार को इस दिशा में अवश्य सोचना चाहिए और काम के अधिकार को मौलिक अधिकारों से जोड़ा जाना चाहिए। जैसे हमको रोटी और वस्त्र की आवश्यकता है, उसकी पूर्ति के लिए इस देश के नौजवानों के काम के अधिकार को उसके मौलिक अधिकारों के साथ जोड़ा जाना चाहिए। अब यह देखने में

आया है कि इस देश के नौजवानों के चेहरे उड़े हुए हैं क्योंकि उसे आशा की किरण कहीं से भी दिखाई नहीं देती है। स्कूल और कालेज की प्रतिभाएं सोचती हैं कि कहां से रास्ता मिलेगा। इसका नतीजा यह है कि देश की प्रतिभाओं का पलायन होता जा रहा है। हमारे देश की ऊंची प्रतिभाएं विदेशों में जा रही हैं, इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। इस सम्बन्ध में मीरा की चार पंक्तियों का उल्लेख करना चाहता हूं।

"तन की हवस मन को गुनहगार बना देती है,
बाग के बाग को बीमार बना देती है,
भूखे पेटों को देश भक्ति सीखाने वालों
भूखे इन्सान को गुनहगार बना देती है"।

करोड़ों की संख्या में सारे देश के अन्दर नौजवान सड़कों पर घूमते हैं तो इस बारे में हमको चिंता होनी चाहिए। जितनी गंभीरता से विचार करना चाहिए था तो लगता है कि सरकार ने विचार नहीं किया। राष्ट्रपति के अभिभाषण में इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। सारा देश औद्योगिक क्षेत्र में जिस प्रकार से गतिशील होना चाहिए तो गतिशील नहीं है। जिस प्रकार से औद्योगिक विकास होना चाहिए था, वह नहीं हुआ। देश का विकास कुटीर उद्योग से हो सकता है। हमारा देश गांवों का देश है। सिर्फ दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास जैसे शहरों से देश नहीं है। यहां की पंचतारा संस्कृति इस देश की संस्कृति नहीं है। इस देश की संस्कृति गांवों की संस्कृति है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। कृषि से जुड़े हुए उद्योगों में विकास होना चाहिए। हम बड़ी फैक्ट्रियों से नमक खाने को मिलता है। इसी प्रकार से सामान्य जीवन के अन्दर साबुन, तेल हम उपयोग में लाते हैं उनको भी बड़ी-बड़ी बहुराष्ट्रीय कम्पनीज बनाकर हमारे घरों में भेजती हैं। गांव में मटर तैयार होता है, लेकिन उसको बहुराष्ट्रीय कम्पनीज बोतल में बन्द करके सुखाकर हमें बेचती हैं, जबकि हमारे खेत का यह उत्पादन है। इस तरह से हमारी रोजमर्रा से जुड़ी हुई वस्तुएं हैं वे बहुराष्ट्रीय कम्पनीज हमें दे रही हैं। जैसे ईस्ट इंडिया कम्पनी ने हमारे देश को गुलाम बनाकर रखा था, डेढ़ सौ, दो सौ वर्ष तक हमारा देश गुलाम रहा, गुलामी को झेला आज उसी प्रकार का खतरा हमें दिखाई दे रहा है। यदि इन वस्तुओं का उत्पादन लघु उद्योगों या कुटीर उद्योगों के जरिये नहीं किया गया तो हमारे देश में इन कम्पनीज का प्रभुत्व बढ़ेगा और यह सदन चर्चा मात्र के लिए रह जायेगा। हमें फिर से गुलामी अपने माथे पर उभारनी पड़ेगी। इसलिए सरकार को स्पष्ट नीति होनी चाहिए और इस प्रकार की नीति होनी चाहिए कि हम इन्हें बढ़ावा न दें। इस नीति की घोषणा सरकार को करनी चाहिए।

लघु उद्योग और कुटीर उद्योग की चर्चा हम करते हैं, हम घोषित भी करते हैं, कुछ लोगों को उद्यम में लगा भी देते हैं, लेकिन जो उद्यमी उस दिशा में लगता है उसका कुछ बनता नहीं है। उसकी वस्तुएं बाजार में कहीं पहुंच पाती हैं। लोगों के उपयोग में नहीं आती हैं। क्योंकि बहुराष्ट्रीय कम्पनीज का दबाव इतना होता है कि वह अपने प्रयास में विफल हो जाता है। इसलिए वर्गीकरण किया जाना चाहिए कि कौन कौन सी वस्तुएं लघु उद्योगों में बनेंगी और किन-किन वस्तुओं का उत्पादन बहुराष्ट्रीय कम्पनीज को हम प्रदान करेंगे, ऐसी एक नीति हमें बनानी पड़ेगी। क्योंकि आज इसका दुष्परिणाम सारा देश भोग रहा है। लघु उद्योगों और कुटीर उद्योग का विकास नहीं

होगा तब तक हम बेरोजगारी पर कोई अंकुश नहीं लगा सकते। यह बेरोजगारी बढ़ती जायेगी और इस तरह से इसका बढ़ना ठीक नहीं है। हम इस सदन में सुन चुके हैं, कई बार चर्चा आती है कश्मीर की समस्या, पंजाब की समस्या, बिहार में झारखंड की समस्या, असम, नागालैंड, मिजोरम की समस्या, इनमें तमाम प्रकार की अलगाववादी प्रवृत्तियां देश में उभर रही हैं, इसमें भी बहुत बड़ा हाथ बेरोजगारी का है। जब नौजवान बेरोजगार होता है तो उसका दिमाग खुराफात की ओर चलता है। इसलिए इस समस्या पर अब्बी ही हमें सोचना पड़ेगा।

राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कश्मीर की समस्या का उल्लेख किया है। उनका हिन्दी का जो मूल पाठ है उसमें उन्होंने कहा है, "कश्मीर में आतंकवादियों की सहायता और हथियार देने तथा संभार-तंत्र का समर्थन देने में सीमा पार के दलों का शामिल होना अब एक सर्वविदित तथ्य है।" मैं इस सदन में निवेदन करना चाहता हूं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह स्पष्ट है कि हमारे देश के अन्दर हमारे ही नौजवानों को हथियार देकर हमारे देश के किसी भाग को अलग करना चाहता है। हमारे देश के नौजवानों को गुमराह करके वह हमारे देश को तोड़ना चाहता है। हमें इस पर गम्भीरता से सोचना पड़ेगा और इसमें कहीं भी स्पष्ट नहीं है कि सीमा पार से जो सहायता आतंकवादियों को आ रही है उसको हम कैसे रोकेंगे। मैं तो इस पर बार-बार सोचता हूं। सदन में भी कई बार यह तथ्य आया है और राष्ट्रपति जी ने भी यह सत्य कहा है। इसलिए निश्चित रूप से सदन में भी इस पर चर्चा होना स्वाभाविक है। यदि सीमा पार से पाकिस्तान हमारे नौजवानों को गुमराह करके और आतंकवादी गतिविधियों में प्रवृत्त करता है तो उनको एक दिन का अल्टीमेटम देना चाहिए कि बन्द करो इस खुराफात को, यदि नहीं करते हो तो हम तुम्हारे सामने कमजोर नहीं हैं, देश को तोड़ने में जो तुम्हारी दुष्प्रवृत्ति है उसे हम चकनाचूर करके रख देंगे। जब तक हम स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं कहेंगे तो कैसे काम चलेगा। हमारे देश को तोड़ने की पाकिस्तान की यह साजिश है और हमारे देश के अन्दर ही वह करवा रहा है। उससे हम कैसे निपटेंगे इस सम्बन्ध में राष्ट्रपति जी ने कोई उल्लेख नहीं किया है। सरकार को इस पर विशेष चिन्ता करनी चाहिए और विचार करना चाहिए। कहा जाता है कि बीजेपी की एकता यात्रा हुई है, उससे बुराई पैदा हुई है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इस सदन में बैठने वाले माननीय सदस्य विरोधी पक्ष और सत्ता पक्ष के हैं, वे कश्मीर की धरती पर जाकर राष्ट्र ध्वज को फहराने का काम करें तो निश्चित रूप से हमारा देश टूटने से बचेगा। मैंने स्वयं वहां जाकर देखा है और अनुभव किया है कि हमारी सेनाओं में उत्साह की भावना जागृत हुई है। वहां का सामान्य आदमी यह स्वीकार नहीं करता है कि आतंकवादी गतिविधियों से उनका कोई सम्बन्ध है। उनकी आत्मा दबी हुई है, उनकी आत्मा कुंठित हो रही है और इस एकता यात्रा ने उनकी कुंठित आत्मा को कहीं न कहीं से सहलाने की कोशिश की है। इस यात्रा ने उनके अन्दर एक विश्वास पैदा किया है, इस एकता यात्रा ने उनको एक संबल प्रदान किया है। इस यात्रा को सही नजरिये से देखने की आवश्यकता है न कि रंगीन चश्मे से देखने की जरूरत है क्योंकि सावन के अंधे को हरा ही हरा सूझता है, इसलिए बी. जे. पी. की यह राष्ट्रवादी गतिविधि उनको उल्टी दिखाई देती है। इसमें हमारा और हमारी पार्टी का कोई दोष नहीं है।

मैं अंत में इस सदन का ध्यान दो बिन्दुओं की ओर आकर्षित करते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। एक तो शिक्षा नीति है। दुर्भाग्य है कि आज भारत की आजादी को 44 साल हो गये हैं

लेकिन इसकी शिक्षा नीति स्पष्ट नहीं है। भारत अपने सांस्कृतिक मूल्यों के साथ अपने देश की मिट्टी से लगाव रखने वाले अपनी शिक्षा नीति की घोषणा नहीं कर सके हैं। सच बात तो यह है कि सच बात कहने से अगर समझ में बगावत है तो सुन लें कि हम भी बागी हैं, हमारा मजहब बगावती है। सारे देश में आम चर्चा होती, पढ़े-लिखे लोगों में चर्चा होती, इस देश में काम करने वाले लोगों के मुंह पर चर्चा होती लेकिन एक चीज ने इस देश को बदनाम कर रखा है और वह है भ्रष्टाचार जिसने देश के गर्त में झोंक रखा है। मैं कहता हूं कि इसके पीछे इस देश की गलत शिक्षा नीति है जिसमें आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। हमने जिम्मेदार लोगों से इस बात को कहा है लेकिन उसके लिए इस देश में सही मायनों में कुछ प्रयत्न नहीं हुए हैं। इसके लिए सोचा नहीं गया है। मैं इस विषय की ओर भी इस सदन का ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं।

मेरा दूसरा बिन्दु है—मंहगाई। सौ दिन में मंहगाई समाप्त करने की घोषणा करते हैं और चुनाव जीतकर आये हैं लेकिन यह सरकार मंहगाई क्या समाप्त कर सकेगी, यह इस बजट को देखकर समझा जा सकता है। महगाई बढ़ती जा रही है, लगातार बढ़ रही है, उस पर किस प्रकार से अंकुश लगायेगी, इसकी घोषणा कहीं स्पष्ट रुप से राष्ट्रपति के अभिभाषण में नहीं हुई है। सभापति महोदय, यदि इस प्रकार से मंहगाई बढ़ती चली गयी, तो एक दिन ऐसा आयेगा कि देश में ऐसी स्थिति पैदा होगी कि लोग दाने दाने के लिए तरसने लगेंगे। अंग्रेजी शासन जब इस देश में था तो स्वतंत्रता संग्राम में लगे हुए लोगों ने एक गीत गाया था जो मुझे पूरा तो याद नहीं लेकिन उसके शब्द कुछ इस प्रकार के थे : अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे। इसी बात को देखकर मुझे लगता है कि इस सदन में बड़ी अच्छी अच्छी बातें तो करते हैं लेकिन वे सही दिशा में कुछ सोच नहीं पाते हैं, उसका कारण यह है कि— अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, गगन बेच देंगे, धरा बेच देंगे, कलम का पुजारी अगर सो गया तो वतन के पुजारी वतन बेच देंगे। अतः आम जनता के लिए कुछ सोचा नहीं जाता है। मैंने कई बार इस विषय को गहराई से सोचा है कि लोग वोट देकर इस सदन में भेजते हैं, हमें माननीय सदस्य की गरिमा प्रदान करते हैं उस देश की जनता के लिए जो इस जमीन से जुड़ी हुई है, उसके लिए हम क्या सोचते हैं तो लगता है कि गलत ही है। इस दिशा में इस सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव आया है, उसका विरोध करता हूं।

श्री जगमीत सिंह बराड़ (फरीदकोट) : आदरणीय सभापति जी, मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन और हिमायत में खड़ा हुआ हूं। मैं अपने आपको बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि आज अपनी 80 करोड़ जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के बीच में मुझे अपने लोगों की बात, अपनी धरती की बात कहने का मौका मिला है जिसका वर्णन राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में किया है।

विपक्ष के नेताओं ने पंजाब के चुनावों का बड़ी शिद्दत से वर्णन किया। मैं उनको यह कहना चाहता हूं कि जब सारी दुनिया की निगाहें हिन्दुस्तान में पंजाब के चुनावों पर लगी थीं और एक तरफ सरहद पार से यह धमकियां आ रही थीं कि पंजाब के चुनावों को मुकम्मल नहीं होने दिया जाएगा पंजाब में ऐसी स्थिति बना दी जाएगी कि पंजाब के चुनाव को मुकम्मल होने से रोक दिया जाएगा, मैं पंजाब की जनता की ओर से अपनी हुकूमत को इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि जिन्होंने इस चुनाव को मुकम्मल किया और किसी महान शायर के इस कथन को सत्य किया कि—

"बरसों रहा है दुश्मन दौरे जमां हमारा,
कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी।"

ये पंजाब का चुनाव कोई आर्डिनरी चुनाव नहीं था। यह चुनाव इसलिए गम्भीर था, मैं बधाई देना चाहता हूं विपक्ष की उन पार्टियों को जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया।

अभी सोमनाथ चटर्जी साहब बोल रहे थे और कल राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जसवंत सिंह जी बोले। मैं उनको यह कहना चाहता हूं कि आपको मान होना चाहिए अपनी पार्टी के उन नुमाइंदों पर जिन्होंने अपनी छाती के ऊपर बम बांधकर इस आड़े वक्त पर इस देश के लिए कुर्बानी की और चुनाव में हिस्सा लिया। बड़े गौरव की बात होती अगर आज अकाली दल के वे नुमाइंदे, जो पिछली बार इतनी भारी गिनती और इतनी भारी जीत के बावजूद एक शमशीर का बहाना बनाकर, कि हम तलवार लेकर अंदर आना चाहते हैं, उन्होंने पंजाब की मिट्टी का दर्द, पंजाब के लोगों का दुख इस इतनी बड़ी सभा में आकर बयान नहीं किया। हमें यह खुशी होती हमारे में से अगर 5-7 आदमी न भी पहुंच पाते, लेकिन अगर अकाली दल के नुमाइंदे यहां आते और वह पंजाब की धरती का दुख बयान करते तो इससे मेरी धरती को निजात मिलती, इस बात का मेरे मन में बहुत गहरा असर है। मैं श्री पी वी. नरसिंहराव जी की सरकार और हकूमत को इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि जैसे गुरु नानक साहब ने हमारी धरती पर जन्म लिया और बरसों पहले मशरक के महान शायर अलाम इकबाल ने कहा था कि—

"फिर सदा आखिर उठी तौहीद की पंजाब से
हिन्द को एक मर्दे-काबिल ने जगाया खाब से।"

यह रोल श्री नरसिंहराव जी ने ऐतिहासिक मोड़ पर पंजाब के चुनाव मुकम्मल कराकर अदा किया है। वे इसके लिए बधाई के पात्र हैं।

समापति जी, इन 10 बरसों में···(व्यवधान)···क्योंकि यह मेरी मैडिन स्पीच है इसलिए मैं विनती करूंगा कि टोके नहीं। दस बरस में 16,000 आदमियों का पंजाब में कत्ल हुआ। भारतीय जनता पार्टी के नेता हितभिलाषी जैसे इंसान कत्ल हुए, कांग्रेस के नेता ब्लाक से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पंजाब में कत्ल हुए, सी. पी. एम., सी. पी. आई. (एम), के लोगों के कत्ल हुए पंजाब के अन्दर एक तरफ वे लोग खड़े थे जो इस देश को बचाना चाहते हैं, दूसरी तरफ वे लोग खड़े थे जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं। मैं अपने विपक्ष के बहुत मशहूर नेता को जो सदन में हाजिर हैं, बताना चाहता हूं कि क्योंकि हम फील्ड से आए हैं, उन कैंपों में जो पाकिस्तान की सरहद के पार लगे, उनमें यह बात हुई कि—

[अनुवाद]

पंजाब एक खजाना है। शक्ति का रास्ता पंजाब है। यदि आप पंजाब पर कब्जा कर लेंगे, तो आप भारत पर कब्जा कर लेंगे।

[हिन्दी]

लेकिन पंजाब के अवाम, पंजाब के लोगों को, चूंकि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जिसका

जिक्र हुआ है, उन्होंने जो कुरबानी की है, मेरे साथी यहां वोटों मे परसेंटेज की बात कर रहे हैं कि वोटों में इतना परसेंटेज रहा, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि पंजाब के साबका मुख्यमंत्री श्री प्रकाश सिंह बादल, जो पंजाब चुनाव का बायकाट करने वाले सबसे बड़े नेताओं में से एक थे, मैं उनके हल्के, फरीदकोट जिले से चुनकर यहां आया हूं। उनके अपने गांव में करीब 1 00 वोटों में से, 700 वोट पोल हुए जिसमे 400 के करीब वोट कांग्रेस पार्टी को मिले हैं। इसलिये सभापति जी, आज मुझे यह कहते हुए मान महसूस होता है कि फैज अहमद फैज साहब ने, जब रावलपिंडी का जेल में उन्हें बंद कर दिया गया था, उस देश की हकूमत ने जब उनकी कलम पर पाबंदी लगा दी थी, आज अगर यहां अकाली दल बैठे होते, हमारे अकाली भाई यहां होते, फैज अहमद फैज साहब ने कहा था :

मताह-ए लौहें कलम छिन गई तो क्या गम है,
कि खूने दिल मे डुबा ली है उंगलियां मैंने।
कि खूने दिल में डुबो ली है उंगलियां मैंने।
जुबां पर मुहर लगी है तो क्या,
रख दी है हरेक हल्का-ए जंजीर पर जुबां मैंने।

इसलिये हमें पंजाब के चुनावों में परसेंटेज की तरफ नहीं जाना चाहिये क्योंकि एक तरफ धमकियां आ रही थीं परिवारों को कि जो कोई सी. पी. एम. का पोलिंग एजेंट बनेगा, जो कोई कांग्रेस का पोलिंग एजेंट बनेगा, जो कोई बहुजन समाज पार्टी का पोलिंग एजेंट बनेगा, उसके सारे परिवार को खत्म कर दिया जायेगा। मैं पंजाब की जनता को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं और उन सभी पार्टीज को बधाई देना चाहता हूं कि लोग निकले और अपना छाती ताप कर निकले और उन्होंने तमाम उन साजिशों को, जो अपने आप को पाकिस्तान कहते हैं, उनके इरादों को नापाक किया, उन साजिशों को नाकाम किया और इस देश के झण्डे को बुलंद किया।

आज इस मौके पर, अपने महान सूबे का जिक्र करते हुए, मैं कहना चाहता हूं कि पंजाब की धरती ने अपने इतिहास को दोहराया है इन चुनावों में। इसलिये दोहराया है कि शहीद करतार सिंह सराभा, भगतसिंह, लाला लाजपत राय के—साईमन कमीशन का बॅक—के नारों की गूंज में, जिन्होंने हम कभी सतलुज दरिया के किनारे, सभापति जी, मैं उस धरती से आता हूं, जब शहीद भगत सिंह को फांसी हुई राजगुरु सुखदेव के साथ, और लाहौर की जेल में वे बन्द थे, एक दिन पहले जब उन्हें फांसी देकर निकाला गया और सतलुज दरिया के किनारे, उनके ऊपर मिट्टी का तेल डालकर फूंका गया, हमारे इलाके के उस महान देशभक्त की राख को इकट्ठा करके आज तक तक लोगों ने अपने घरों में सम्भाल कर रखा है। मैं उस पंजाब से आता हूं जहां देश भक्तों ने कालकोठरियों में यह गीत गाये :

सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है,
देखना है जोर कितना बाजु-ए कातिल में है।
वक्त आने पर तुम्हें बता देंगे ऐ आसमां,
हम अभी से क्या बतायें क्या हमारे दिल में है।

यहां के लोगों ने उन महान शहीदों को प्रणाम किया है। मैं आज पी. वी. नरसिंह राव और उनकी हकूमत को बधाई इस बात के लिये देना चाहता हूं कि औरंगाबाद में अपने भाषण में पी. वी. नरसिंह राव जी ने केवल एक ही बात कही थी "आई वांट ए गवर्नमेंट"—मुझे हकूमत चाहिए पंजाब में। इससे बड़ा डेमोक्रेट कोई दूसरा हो नहीं सकता। उन्होंने यह नहीं कहा कि मुझे कांग्रेस की हकूमत चाहिये, उन्होंने सिर्फ इतना कहा "आई वांट ए गवर्नमेंट" पंजाब के लोगों ने एक सरकार दी। इतने बड़े ऐतिहासिक कदम के लिए मैं राष्ट्रपति जी को, पी. वी. नरसिंह राव जी और कांग्रेस हकूमत को बधाई देना चाहता हूं।

इसके साथ ही, मैं अपने फर्ज से कोताही करूंगा कि जिन लोगों ने अपनी जिन्दगी, अपनी जान हथेली पर रखकर, आज मुझे इस सभा में भेजा है, अगर मैं उनका जिक्र न करूं, उनकी तकलीफों और उनके दर्द का यहां जिक्र न करूं। जैसा किसी ने कहा है—

किस्सा ए दर्द सुनाते हैं कि मजबूर हैं हम,
किस्सा ए दर्द है।

लेबनान में एक बहुत बड़े, महान शायर हैं, जिनको पोयटिक मास्टर या अनक्वेश्चनेबल मास्टर कहा गया है। यहां मेरा तात्पर्य खलील जिब्रान से है, जिन्होंने बहुत प्यारी नज्में लिखी हैं। उनकी एक नज्म है—वी एण्ड यू। उसमें उन्होंने कहा है कि—वी आर द सन्स आफ सौरो एण्ड यू आर द सन्स आफ जाय। आगे जाकर उन्होंने इसका विस्तार से वर्णन किया है।

"हम और आप"

हम पुत्र हैं दुःख के और आप
पुत्र हैं सुख के
हमारे क्रंदन को आप समझ सकते नहीं।
क्योंकि कोलाहल दिवस का
संकुल कर देता है आपके कानों को।
सत्य के प्रति अनासक्ति से।
के ठोस तत्व से कर्ण हैं अवरुद्ध आपके।

[हिन्दी]

मुझे इस बात का जिक्र इसलिए करना पड़ा कि सच्चाई से अलग होकर पंजाब को बचाया नहीं जा सकता, आज पार्टीबाजी के नाते सोचकर पंजाब को बचाया नहीं जा सकता। इस सदन में डिफरेंट पार्टीज के माननीय सदस्य हैं, मैं कहना चाहूंगा कि 1984 से 992—आठ वर्ष बीत जाने के बाद हिन्दुस्तान की हकूमत ने एक वाईट पेपर दिल्ली के दंगों पर जारी किया। यह माना कि पांच हजार आदमी कत्ल कर दिए गए। उनके गलों में टायर डाल-डालकर, बच्चों को बोरियों में बन्द करके कहा गया कि यह डिस्को डांस हो रहा है।

तीन सौ वर्ष पहले गुरु तेग बहादुर पंजाब से चलकर आए थे। उन्होंने सीसगंज में आकर उस धर्म की खातिर कुर्बानी दी थी जिसको वे मानते नहीं थे :

तिलक जंजू राखा प्रभ ताका
कीनो बड़ो कलहूं मैं साका।

आठ वर्ष बीत जाएं और किसी एक आदमी को सजा न मिले, देश में हुकूमतें बदलती रहें, वी. पी. सिंह आए, श्री चंद्रशेखर आए लेकिन किसी एक पुलिस आफिसर को और ऐसे आदमी को जिसने इसमें रोल अदा किया हो, सजा न मिले, इससे बड़ी शर्मनाक बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती। लोगों में जिस बात का जिक्र और पंजाब में जिस बात का जिक्र है, राष्ट्रपति के अभिभाषण में जिक्र किया गया है कि पंजाब के हालात को कंट्रोल करना है। मैं कहना चाहूंगा कि 1982 में एक तरफ हमारे माने हुए ऐथलीट श्री मिलखा सिंह हाथ में मशाल लेकर हिन्दुस्तान की ज्वाला जला रहे थे और दूसरी तरफ हमारे माने हुए जरनैल जिन्होंने देश की सरहद पर कुर्बानी की, वे अब गेम को देखने आ रहे थे, बात पुरानी है लेकिन किस्साए दर्द जहां से शुरु होता है उसका जिक्र करना जरूरी है, उन जरनैलों को जिनके कंधों पर हिन्दुस्तान की सरकार ने मैडल सजाए थे, गाड़ियों से घसीट-घसीटकर कहा गया कि आपके सिर पर दस्तार है इसलिए आप ऐशियाड गेम को देखने नहीं जा सकते। ये वे बातें हैं जिनका जख्म, दुख, दर्द आज पंजाब के लोगों में बसा हुआ है।

बात चंडीगढ़ की नहीं, बात मांगों की नहीं, बात पानी की नहीं, बात प्राइज की, दर्द की जख्म की है जिसको ठीक करने के लिए बेशक उबाले हुए लेकिन उसको अम्ली जामा नहीं पहनाया गया। एक तरफ हमारी हुकूमत के मंत्रीगण, हमारी हुकूमत के लोग बैठे हैं, पंजाब में चुनाव के पहले पैकेज की बात हो रही थी कि पंजाब में पैकेज दे दिया जाएगा, पंजाब में पानी के झगड़े को मुकम्मल कर दिया जाएगा, पंजाब को आर्थिक सहूलियत दे दी जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं कि जहर के बंजारे हैं, जहर के व्यापारी हैं, पैकेज की बात हो रही थी लेकिन कुछ लोग चण्डीगढ़ के हवाई अड्डे पर महाभारत के अर्जुन बनकर पहुंचे हुए थे कि हमने पंजाब को पैकेज नहीं लेने दिया, हम आज हीरो बनकर चंडीगढ़ में आए हैं।

आज मैं यहां पर पंजाब को रिप्रेजैंट करता हूं, पार्टी को रिप्रेजैंट करता हूं। दिल से जो बात निकलती है वह असर रखती है।

पर नहीं ताकते परवाज मगर रखता है।

हमारे दुख और दर्द को सम्भालने की जरूरत है, इस बात का जिक्र मैं आपके सम्मुख करना चाहता हूं।

हरियाणा पंजाब के साथ लगता हुआ प्रदेश है। राजस्थान हमारा प्रदेश है जहां से पंजाब के पूर्वज आए। राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहा गया है कि पानी का बंटवारा स्टेटस की आपसी बात से हो जाना चाहिए। लेकिन हमारे साथ का सूबा हरियाणा हो, वहां 20 परसेण्ट पंजाबी बैठे हों, भाषाएं तो सारी देश की हैं, हम हिन्दी पढ़े हैं, कोई तेलुगू पढ़ा है, कोई पंजाबी पढ़ा है लेकिन

वहां पर सैकेण्ड लैंग्वेज का स्टेटस तेलुगू को दे दिया जाय और पंजाबी को इग्नोर कर दिया जाय और दूसरी तरफ यह कहा जाय कि पंजाब का सतलुज यमुना लिंक नहर का पानी हम बोर्डर सिक्योरिटी फोर्स और आर्मी को लगाकर लेना चाहते हैं तो यह असलियत की बात है। कौन मानेगा इस बात को कि एक तरफ अपनी भाषा की बात है, बेशक देश भाषा से ऊपर है,

[अनुवाद]

हम पहले भारतीय है ? हम इसकी परवाह नहीं करते कि भाषा कौन सी है।

[हिन्दी]

लेकिन पंजाब में जो सिगनल्स गये हैं, वह वह गये हैं कि पंजाबी मां बोली के साथ जो भारी वितकरा हुआ है, उसका यह सबूत है कि आज जो मसले लटक रहे हैं, उन मसलों का कोई हल नहीं हो रहा। मैं आपके जरिये और आनरेबिल हाउस के जरिये इन बातों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

इसके साथ-साथ मैं यह बात भी कहना चाहूंगा कि चण्डीगढ़ के मामले में 1966 से 199- आ गया, 26 वर्ष बीत गये, पंजाब के छोटे-छोटे गांव उजाड़कर झोपड़ियों में रहने वाले किसानों को उजाड़कर, ल्योक ब्यूजर नाम के आर्कीटैक्ट ने वहां खूबसूरत चण्डीगढ़ बना दिया। पंजाब के गांव उजड़े और 26 वर्ष बीत जायें और उसमें देश की हुकूमत की कमिटमैंट हो कि चण्डीगढ़ पंजाब को मिलना है लेकिन 26 वर्ष बीत जाने के बाद भी वह न मिल पाये तो मैं इस बात के लिए आपके जरिये सरकार को और हमारी हुकूमत का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जब सुरजीत सिंह बरनाला की वहां हुकूमत थी, हमारी हुकूमत वह नहीं थी, अकाली दल की हुकूमत थी तो चण्डीगढ़ के बारे में रात को कार्ड छप गये, पंजाब सरकार ने 26 जनवरी का दिन तय किया कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर को चण्डीगढ़ का उद्घाटन करना था और वह कार्ड्स सारे चण्डीगढ़ में डिस्ट्रीब्यूट कर दिये गये कि कल चण्डीगढ़ पंजाब को मिलने वाला है लेकिन पता नहीं फिर वह बात कहां रह गई कि सुबह फिर यह एलान हुआ कि पहले इस बात का झगड़ा खत्म हो, पहले अबोहर फाजिल्का का हो, पहले और जो पंजाबी भाषायी और हिन्दी भाषायी क्षेत्र का मसला हो, यह कहां का इन्साफ है ?

हिन्दुस्तान में केवल एक जगह है, जहां पर बोली और भाषा के आधार पर इनोमरेशन किया गया और कन्डूखेड़ा, जो कि पंजाब के अन्दर बोर्डर पर लगता है, वहां पर लोगों को मजबूर किया गया कि आप बताइये कि आप कौन सी भाषा बोलते हैं। इस देश के लिए इससे बड़ी शर्म की बात और कोई हो नहीं सकती कि भाषा के नाम पर इस बात का जिक्र किया गया, मैं आपके जरिये यह बात भी कहना चाहूंगा।

सभापति महोदय : आपका तो पहला दर्शन है इसलिए मैंने रोका नहीं लेकिन ···

श्री जगमीत सिंह बरार : मैं दो बातें और कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा।

इस बात का जिक्र मैं इसलिए करना चाहता हूं कि हमारे मरहूम नेता राजीव गांधी आज सदन में नहीं है। किसी ने कहा है कि—

"दामन किसी का हाथ से जाता रहा मगर,

एक रिश्ता-ए-ख्याल है, जो टूटता नहीं।"

वह 1988 में पंजाब की गोविन्दवाल की धरती पर गये। मैं आपका दो तीन मिनट का समय जरूर लूंगा। इस बात को कहने की जरूर इजाजत मुझे दीजिए। पंजाब में गोविन्दवाल की धरती वह धरती है, जिसको एक्सेल और न्यूक्लियस कहा गया है, पंजाब का सैण्ट्रल प्लेस. जहां से सारे धर्मों की भावनाएं शुरू हुई. राजीव जी वहां गये तो गोविन्दवाल की धरती पर लाखों लोगों का इकट्ठा हुआ। वहां उन्होंने कहा कि 300 करोड रुपये का प्रोजेक्ट का मैं आज गोविन्दवाल साहब में यहां एलान करता हूं और उन्होंने यह भी कहा कि गोविन्दवाल साहब से लेकर तरन-तारन तक का रेल ट्रैक का मैं एलान करता हूं लेकिन मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी मिट्टी की एक टोकरी वहां नहीं डाली गई। हमारे मरहूम नेता का यह एलान हो लेकिन ब्यूरो क्रेटिक सैट-अप ने यह कहा कि वह प्रोजेक्ट वायबल नहीं है इसलिए उसको तोड़ दिया गया और उसको मुकम्मल नहीं किया गया।

मैं इन बातों के साथ एक दो बातें और आपके सामने करके आपसे इजाजत लूंगा कि आज सारे देश की बात है, चाहे बी.जे.पी. की हुकूमत हो, चाहे सी.पी.एम. की हुकूमत हो. आज पंजाब के लोग यह महसूस करते हैं कि उन्होंने देश की जो बंजर कदीम जमीन थी, उसको अपने खून पसीने से आबाद किया इस देश के अन्नदाता के रुप में कुर्बानियां की हैं, लेकिन आज देश के कोने-कोने में बिना किसी वजह के उनके ऊपर एफ डी एक्ट लगाकर, उनको मोर्टिसेज इशू कर दिए गए हैं। घर-घर में इस बात की चर्चा है कि हम यहां देश के लिए बैठे हैं, मुल्क के लिए यहां बैठे हैं और जो हमारे से हो सकता है, वह कर रहे हैं। अगर कुछ मुट्ठी भर लोग इस बात के लिए जिम्मेदार हैं कि उन्होंने रुद्रपुर जैसे कांड किए, तो उस बात के लिए सारे सिख जिम्मेदार नहीं हो सकते हैं।

अन्त में, मैं एक बात और कह कर अपनी बात समाप्त करुंगा। आज बड़े-बड़े देश के आनरेबिल प्राइम मिनिस्टर ओपन जीप में बैठकर गोल्डन टैम्पल के चक्कर काट आए हैं। बहुत बड़े ड्रामे हुए हैं और बहुत बड़ा तामाशा पंजाब के साथ खेला गया है। मैं आपके माध्यम से अपनी हुकूमत से विनती करुंगा कि जो ऐतिहासिक फैसला श्री पी. वी. नरसिंह राव जी ने लिया, उसकी वजह से पंजाब में चुनाव हुए हैं। वे जायें गोल्डन टैम्पिल में और पंजाब के लोगों के दुःखदर्द, जख्म और उनकी नब्ज पर हाथ रखकर पंजाब की मुश्किलात को हल करें। उनमें दिल्ली के दंगों की बात कांटे की तरह से, हिन्दुस्तान के घर-घर में जो पंजाबी बैठे हैं, खटक रही है उनके हृदय और उनके दिमाग में। मैं चाहूंगा कि पंजाब के लोगों को इन्साफ दिलाने के लिए सरकार कब कदम उठाए। जहां तक दरियाई पानी की बात है, पानी पंजाब के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इंदिरा गांधी कैनाल के बारे में एक बात का जिक्र और करना चाहता हूं। राजस्थान को 8 मिलियन एकड़ फीट पानी दिया गया है। "इकोनोमिक्स टाइम्स" जो देश का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पेपर है, उन्होंने एक दस्तावेज जारी किया है। उसमें कहा गया है कि आठ मिलियन एकड़ फीट जो पानी पंजाब राजस्थान को दे रहा है, वहां सत्तर प्रतिशत क्षेत्र में वाटर लागिंग हो गया है। वहां की सोयल इस

पानी को झेलने में असमर्थ है। वहां की सोयल इस काबिल नहीं रही कि वहां की जमीन की उपजाऊ शक्ति कायम रह सके। मैं हुकूमत से विनती करूंगा कि एक हजार किलोमीटर तक पानी जाएगा और पानी का हक है, उसको जाना चाहिए, लेकिन पानी के बारे में जिक्र किया गया है, उसको मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं :

[अनुवाद]

"कमान क्षेत्र के पहले चरण में, पानी रुक जाने से अनेकों गांव डूब गए हैं और नहर के साथ छोटे-छोटे क्षेत्रों पर पानी रुक गया है और भूमि में लवणता तथा भूमिगत जल की आपूर्ति में भी लवणता आ गई है।"

[हिन्दी]

मैं आपसे विनती करूंगा कि पंजाब का मसला इसी बात से हल हो जाएगा कि जो दो मिलियन एकड़ फीट पानी आज आया हो रहा है, जमीन बंजर हो रही है, वह राजस्थान से लेकर पंजाब और हरियाणा को दे दिया जाए, ताकि वहां के जो बंजर कदीम इलाके हैं, वे आबाद हो सकें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का समर्थन करते हुए, अपनी बात समाप्त कर आपसे इजाजत लेता हूं। ···(व्यवधान)···

[अनुवाद]

प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटस्वरलु (पेनाली) : अध्यक्ष महोदय, 24 फरवरी को संसद के दोनों सदनों के समक्ष राष्ट्रपति जी ने जो अभिभाषण दिया है, उसमें आधारभूत अस्तविकताओं की झलक दिखाई नहीं देती।

परम्परा यह रही है कि रिपोर्ट में विगत घटनाओं का उल्लेख किया जाए और भावी कार्यों के लिए सरकार को नए दिशा निर्देश दिए जाएं।

खेद इस बात का है कि रिपोर्ट में न तो विगत वास्तविक घटनाओं का उल्लेख किया गया है और न ही कोई भावी प्राथमिकताओं का इसमें उल्लेख किया गया है जोकि सरकार को अवश्य पूरी करनी चाहिए। 1991 वर्ष के चुनावों में कांग्रेस-इ दल ने बड़े लम्बे-लम्बे वायदे किए थे लेकिन आज तक उनकी सफलता निराशाजनक ही है। कांग्रेस-इ दल ने वायदा किया था कि

"यदि कांग्रेस दल सत्ता में आया तो दल कीमतों को जुलाई 1990 के स्तर तक लाने के लिए दृढ़ संकल्प है।"

अब मैं कांग्रेस दल के चुनाव घोषणा-पत्र के पृष्ठ 25 से कुछ पंक्तियां उद्धृत करना चाहूंगा :

"कांग्रेस आम उपभोग की वस्तुओं तथा अनिवार्य वस्तुओं की कीमतों को कम करने,

मुद्रास्फीति पर नियन्त्रण करने हेतु राज्य की पूर्ण शक्ति को जुटाने के अपने दृढ़-संकल्प को दोहराती है। आर्थिक नीति को इस दिशा में परिवर्तित किया जाएगा। काला बाजारी, जमाखोरी तथा मुनाफाखोरी व आम आदमी की दुर्दशा से मुनाफा कमाने वाले लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

विशेषतया, कांग्रेस डीजल, घिट्ठी का तेल, नमक, खाद्य तेल साइकिल, दुपहिया वाहन, बिजली के बल्ब 40-एस काउन्ट व इससे नीचे के स्तर की सूती साड़ियां तथा धोतियां, धुआं रहित चूल्हा सहित स्टोव, न्यूज-प्रिंट, पोस्ट-कार्ड, अन्तर्देशिय पत्र व बंद लिफाफों की कीमतों को जुलाई 990 के स्तर तक लाने के लिए दृढ़ संकल्प है :"

यह वायदा किया गया था। किन्तु इसके विपरीत विगत आठ महीनों में हुआ क्या है ? मैं नहीं जानता कि विगत आठ महीनों में कितने जमाखोरों, कालाबाजारियों या मुनाफाखोरों को सजा दी गई है, जहां तक काले-धन का संबंध है, इसका कितना पता चला है। हमारे मित्र श्री मुखर्जी ने बताया है कि काले-धन के रूप में अभी तक 50,000 करोड़ से अधिक धनराशि अभी भी लटका हुआ है जोकि भारत की आर्थिक स्थिति के लिए एक चुनौती है। हैरानी इस बात की है कि सरकार की आर्थिक नीतियों से कीमतें और बढ़ी हैं जिनसे अभूतपूर्व मुद्रास्फीति आई है और इसके परिणामस्वरूप आम व्यक्ति का जीवन और अधिक व्ययनीय हो गया है। महोदय, सत्ता सम्भालने के तत्काल बाद ही इस सरकार ने एक नई व्यापार नीति अपनायी जिसमें भुगतान सन्तुलन को ठीक करने के लिए कई संरचनागत परिवर्तनों किए गए। लेकिन इन तथाकथित आर्थिक नीतियों, जिनकी शुरुआत दो बार रुपये के अवमूल्यन, सोने की बिक्री आदि के साथ हुई, में समाज में और इसकी आर्थिक स्थिति में भ्रम पैदा कर दिया। इनसे निर्यात में कमी आई, औद्योगिक विकास रुक गया, औद्योगिक विकास की दर 8 प्रतिशत से घट कर 1 प्रतिशत हो गई, सकल घरेलू उत्पादन में 8 प्रतिशत की गिरावट, मुद्रा स्फीति में 16.7 प्रतिशत की भारी वृद्धि है, अनिवार्य वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि और यहां तक की निर्यात में भी कमी आई। इनमें विगत आठ महीनों में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। इस अवधि में सामान्य चावल तक की कीमत भी 30.4 प्रतिशत बढ़ गई है। परन्तु उर्वरकों पर राज सहायता हटा लेने की अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तें विगत खरीफ की फसल के लिए अनुत्पादक सिद्ध हुई हैं। विशेष रूप से यह कहना होगा कि इससे 103 मीलियन टन के खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य में 6-7 मीलियन टन की कमी आई। इन्हीं आठ महीनों की अवधि में मुद्रा स्फीति में 16.7 प्रतिशत की अभूतपूर्व वृद्धि हुई।

जहां तक रोजगार का सम्बन्ध है, कांग्रेस-इ सरकार ने रोजगार पैदा करने के बारे में भी कहा था। अपने चुनावी-घोषणा-पत्र के पृष्ठ 26 पर पार्टी ने कहा था, जो कि मैं उद्धृत कर रहा हूं :

"आठवीं पंचवर्षीय योजना में कांग्रेस ने 1.6 प्रतिशत प्रति-वर्ष की वर्तमान रोजगार सृजन दर को बढ़ा कर 3 प्रतिशत करने की परिकल्पना की थी। कांग्रेस, उचित औद्योगिक, कृषि, वित्तीय नीतियों के माध्यम से प्रतिवर्ष 3 प्रतिशत रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए कार्यनीति तैयार करेगी। कांग्रेस प्रतिवर्ष

10 मीलियन नए रोजगार और इस शताब्दी के अंत तक 100 मीलियन रोजगार सृजित करेगी। कांग्रेस ग्रामीण रोजगार गारन्टी शुद्धा के अंतर्गत 100 करोड़ कार्य-दिवसों का भी प्रतिवर्ष सृजन करेगी।"

क्या विगत आठ महीनों में इनमें से एक भी वायदा पूरा किया गया है।

4.00 म.प.

इसने 1 करोड़ रोजगार सृजित करने का वायदा किया था और यहां तक कि एक भी रोजगार सृजित नहीं किया गया अथवा दिया गया। इस वायदे के विपरीत, नई नौकरियों को सृजित करना आदि सब एक तरफ रखकर सरकार एक्जिट पालिसी लागू करके औद्योगिक श्रमिकों को नौकरी से बाहर निकालने पर तुली हुई है। स्पष्टत: यह अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मानी हुई शर्तों का एक भाग ही है चूंकि नेशनल रिवोल्विंग फंड की स्थापना के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध कराने हेतु इसने अपनी सहमति दे दी है ताकि एक्जिट पालिसी लागू करने के फलस्वरूप नौकरियों से निकाले जाने वाले कर्मचारियों के वित्त संबंधी दायित्वों का तत्काल निपटारा किया जा सके।

यदि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्टाफ अधिक है या फिर उत्पादकता कम है, तो उन्हें सुधारा जाना चाहिए न कि उपक्रमों को ही बंद कर दिया जाना चाहिए।

कांग्रेस-इ को विगत आठ महीनों के शासन में कई राजनीतिक पराजय का सामना करना पड़ा। वे यह दावा कर रहे हैं कि विगत आठ महीनों के बीच जो चुनाव हुए हैं, उनमें उन्हें सफलता हाथ लगी है। मैं यह कहूंगा कि विगत आठ महीनों में लोकतंत्र की खिल्ली उड़ाई गई है और राजनीति के साथ कपट हुआ है। दुर्भाग्यवश राष्ट्रपति जी के पूरे अभिभाषण में इस बात का कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया।

यद्यपि सरकार यह दावा करती है कि अभी हाल में, उन्होंने पंजाब में बड़े सफलतापूर्वक चुनाव करवाए हैं। लेकिन पंजाब, असम,जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक अस्थिरता का कोई लोकतन्त्रात्मक समाधान नहीं निकाला गया है। सरकार द्वारा सत्ता संभालते ही तत्काल, नियत तिथि के एक दिन पहले पंजाब चुनाव 1991 को रद्द किए जाने की घोषणा के पीछे छिपा तथ्य यह स्पष्ट दर्शाता है कि 1991 के चुनावों में कांग्रेस इ सरकार को अपनी हार की आशा थी। यह एक प्रथा बन गई है और पहले भी चुनावों का बहिष्कार किया जाता रहा है। 1992 के चुनावों में, कई अन्य राजनैतिक दलों ने भी इसका विरोध किया था और यही कारण है कि चुनावों के दौरान वोट बहुत ही कम डाले गए। कुल 2 6 प्रतिशत मतों में से केवल 9 प्रतिशत मत अपने हक में लेकर कांग्रेस 83 सीटों पर विजयी हुयी। लगभग 2000 गांवो में तो लोग वोट डालने भी नहीं आये। "जोगा" नाम के निर्वाचन क्षेत्र में तो अचरज ही हुआ जहां कि कुल 1032 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया जबकि वहां कुल मतदाता एक लाख से भी अधिक हैं। इस प्रकार से केवल एक प्रतिशत ही मतदान बनता है और इसका एक अंश ही कांग्रेस-दल के उम्मीदवार के हक में गया। उसे विधान सभा के लिए निर्वाचित घोषित किया गया है। इस ढंग से यह कहा गया है लोकतंत्र बहाल किया गया है। लेकिन यह इस बात का द्योतक है कि पंजाब में, जहां कि बहुसंख्यक मतदाताओं ने चुनाव में भाग तक नहीं लिया, पंजाब में लोकतंत्र की किस कदर खिल्ली उड़ाई गई है। यहां तक कि सिख नेता, मान्य सिख नेता जेलों में बन्द कर दिए गए और चुनाव आयोजित कराए गए।

असम जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक स्थिति अस्थिर है। जे. के. एल. एफ तथा उल्फा के आतंकवाद व उग्रवाद की समस्या का कोई हल नहीं निकला है और विनाश तथा राजनीतिक अराजकता से लोकतन्त्र के आधारभूत सिद्धान्तों को आज भी चुनौती आ रहा है। कांग्रेस (आई) का यह दावा पूर्णतया खोखला और स्वयं को धोखा देने वाला है कि विगत आठ महीनों की उनकी उपलब्धियों को मतदाताओं ने हाल ही में सम्पन्न चुनावों में समर्थन प्रदान किया है।

हाल ही में जो उप-चुनाव हुए हैं विशेषकर आन्ध्र-प्रदेश में, जहां स्वयं प्रधान मन्त्री भी चुनाव मैदान में थे, आपने समाचार-पत्रों की रिपोर्ट से भी देखा होगा कि किस तरह से लोकतन्त्र की हत्या की गयी है। नान्दयाल निर्वाचन क्षेत्र में, जहां प्रधान मन्त्री जी स्वयं चुनाव लड़ रहे थे उनकी सफलता में कोई गुंजाइश ही नहीं थी क्योंकि तेलगु देशम पार्टी व इसके अध्यक्ष श्री एन. टी. आर ने अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। लेकिन उस निर्वाचन क्षेत्र में भी हर तरह के हथकंडे अपनाये गए जिनमें उम्मीदवार को नामांकन दाखिल करने से मना करना से लेकर, मतदान केन्द्रों पर कब्जा, हेरा-फेरी, जाली मतदान सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग व इसी तरह की बात शामिल हैं। चुनाव में प्रधान मन्त्री द्वारा 5.8 लाख मत प्राप्त कर बहुमत पाने के प्रयास सफल हुए। इसका गिन्नीज बुक आफ रिकार्ड में भी उल्लेख किया गया होगा। लेकिन साथ-साथ गिन्नीज बुक आफ रिकार्ड में यह सभी हथकंडे भी दर्ज कर दिए जाने चाहिए।

मणिपुर में मुख्यमन्त्री की सिफारिश और मंत्रिमंडल के निर्णय के बावजूद कि विधान सभा भंग कर दी जाए और नए चुनाव करवाए जाएं, सरकार ने दुर्भावना वश इसे अनिश्चित समय तक निलम्बनाधीन रख दिया है ताकि मामूली राजनीतिक लाभ हो सके और सदस्यों को खरीद फरोख्त के लिए समय मिल सके।

आन्ध्र-प्रदेश में निदेशक मंडल के हाल के चुनावों में दो सदस्यों को नामित कर तमाम सहकारी भावना को विकृत कर दिया गया जोकि सरकारी भावना का बरकरार रखने की दृष्टि से अनपेक्षित है और अभूतपूर्व प्रयास है। दुर्भाग्यवश भारत सरकार चुप्पी साधे रही जैसा कि उसका कोई अस्तित्व ही न हो। स्मरणीय है कि यह सहकारी आन्दोलन के विनाश का प्रारम्भिक अवस्था होगी और सहकारी तथा लोकतान्त्रिक मूल्यों की ऐसा जघन्य हत्या के लिए कांग्रेस-इ पार्टी को उत्तरदायी ठहराया जाएगा। यदि भारत सरकार स्वयं ऐसा करती है तो इस बात की क्या कोई गारन्टी है कि अन्य सरकार इससे, इस अलोकतांत्रिक प्रथा से प्रेरित नहीं होगी और जब उनकी बारी आएगी तो राजनैतिक स्वार्थों के लिए इससे भी अधिक सदस्य नामित नहीं करेगी ?

नागपुर नगर-पालिका चुनावों के सम्बन्ध में समाचार-पत्रों तथा समाचार-पत्रों की रिपोर्टों से पता चलता है कि कांग्रेस (इ) से राजनीतिक सत्ता हथियाने के लिए अनेक धांधलेबाजियां की हैं। अन्य दलों द्वारा दायर की गई शिकायतों को नहीं सुना गया।

लोकतन्त्रात्मक मूल्यों की यही सब विकृतियां हैं जो कि वर्तमान नरसिंहराव सरकार के आठ महीनों के शासन में पनपी हैं।

केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगा कि केन्द्र के पास शक्तियों का

अधिक केन्द्रीकरण देश की संघीय संरचना में सहायक नहीं है। यदि सोवियत संघ और यूगोस्लोवाकिया में राजनीतिक घटनाओं से कोई सबक लिया जाए तो सरकार को इस संघीय संरचना का सम्मान करना चाहिए, विशेष रूप से, जबकि अनेक राज्यों गैर-कांग्रेसी सरकारें हैं।

मैं नहीं जानता कि सरकारिया आयोग की सिफारिशों का क्या हुआ। इन सिफारिशों को सही भावना से लागू किए जाने की आवश्यकता है। हाल में हुए राजनैतिक परिवर्तनों को देखते हुए मैं यह सुझाव देता हूं कि सरकार के लिये यह बेहतर होगा कि वह संविधान के संघीय मूल्यों के अनुरूप समय-समय पर केन्द्रराज्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए एक "पृथक संस्थान" का सृजन करने के लिए कुछ संवैधानिक परिवर्तन करे।

राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में समय-समय पर देश में घटित कुछ मुख्य दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है जैसे कि आन्ध्रप्रदेश में हथकरघा बुनकरों की भुखमरी के कारण हुई मौत तथा आन्ध्रप्रदेश में सुन्दूर, गया तथा बिहार इत्यादि जैसे स्थानों पर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का बड़े पैमाने पर हत्याकाण्ड। राष्ट्रपति के इतने लम्बे अभिभाषण में सरकार ने इन गंभीर मामलों पर थोड़ी सी भी चिन्ता व्यक्त नहीं की।

सरकार चुनाव सुधार, दल-बदल विरोधी विधेयक, प्रसार भारती के कार्यकरण, दूरदर्शन पर चैनल II आरम्भ करना और वाक्फोर्स मामला जिसने कि नया मोड़ ले लिया है, आदि का उल्लेख करने के बारे में भी भूल गई है। यह कुछ मुख्य मुद्दे हैं।

आज के बढ़ते हुए नक्सलवाद, आतंकवाद, उग्रवाद, रूढ़िवाद इत्यादि से अनेक राज्यों में कानून तथा व्यवस्था की स्थिति पूर्णतः बिगड़ रही है जिससे सम्भवतः हमारे देश की एकता तथा प्रभुसत्ता को खतरा पहुंच सकता है। यह सरकार के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय है और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए।

अन्त में, डंकल प्रस्ताव जिसके बारे में बहुत कुछ कहा गया है तथा जिसने कृषि, औषध उद्योगों, बायो प्रौद्योगिकी इत्यादि के भावष्य के बारे में मनोविकृति उत्पन्न कर दी है, का भी पूरे अभिभाषण में कोई स्थान नहीं था।

अन्त में, भा. ज. पा. के नेताओं द्वारा आयोजित एकता यात्रा ने देश की एकता को प्रोत्साहित करने की बजाए रूढ़िवादिता तथा सांप्रदायिक विभाजन को उकसाया है जबकि कांग्रेस (इ) सरकार ने अपनी शुभ कामनाएं भी दी थी तब भी पूरी यात्रा ढोंग साबित हुई तथा यहां तक कि उन्हें जल्दी में राष्ट्रीय झंडा फहराने के लिए भी सेना से झंडा उधार मांगना पड़ा।

इन शब्दों के साथ, मैं अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे बोलने का अवसर दिया।

4.09 म.प.

[श्री पी. एम. सईद पीठासीन हुए]

[हिन्दी]

अयूब खां (झुंझनू) : मोहतरम चेयरमैन साहब, जो सईद साहब ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव रखा है, उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले इस दस्तावेज में जो पंजाब के इलैक्शन के बारे में जिक्र किया, मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय प्रधान मंत्री साहब को, हमारी सरकार ने जो वायदा किया था कि हम पंजाब के अन्दर फरवरी में चुनाव करवा देंगे, ऐसी मुश्किल घड़ी के बावजूद हालतों को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने अपने वायदे पर कायम रहते हुए पंजाब में इलैक्शन करवाया। वहां की जनता ने एकमत होकर कांग्रेस को समर्थन दिया और बहुत बड़ी तादाद में वहां से लोग चुनकर आए। यह पंजाब के लोगों के लिये बहुत बड़ी बधाई की बात है। पंजाब के लिये जितनी सुविधा देनी चाहिए, वह हमारी सरकार को देनी चाहिये क्योंकि खासकर पंजाब के लोग मुश्किलों से गवनर राज की और आतंकवाद की परेशानियों को झेलकर आए हैं तो उनसे छुटकारा देने के लिये जितनी राहत दे सकें वह अवश्य देनी चाहिए। पंजाब के बहुत से लोगों को झूठे या सही नाम पर जेलों में डाला हुआ है, उसको आप माफी करके जरूर छोड़ना चाहिए।

जो राजीव-लोंगोवाल समझौता हुआ है, उस पर जल्दी से जल्दी अमल करना चाहिए। पंजाब को मद्देनजर रखते हुए चण्डीगढ़ को पंजाब को देना चाहिए। इसके बाद और दूसरी बातों पर गौर होना चाहिए। ये सब बात पहले की जाएं। एक तो आम जनता को आम माफी देनी चाहिए और चण्डीगढ़ पंजाब को दिया जाए। उसके बाद आगे की बात सोची जाए। कश्मीर के हालात को जिस मुस्तैदी से सरकार ने टैकल किया है उससे भी ज्यादा अगर सख्ती की जरूरत है तो सख्ती करना चाहिए। वहां पर मोबालाइज करके इलैक्शन के लिए तैयार करना चाहिए। सबको मालूम है कि एकता यात्रा का क्या हश्र हुआ। मुल्क को जोड़ने के लिए यात्रा बनती तो तारीफ की जाती। यह एकता यात्रा राजस्थान में जयपुर से पिलानी तीन सौ किलोमीटर होती हुई गई। राजस्थान सरकार पानी के पानी के लिए कुछ खर्चा नहीं कर सकी जबकि जिस सड़क से यह एकता यात्रा गुजरी तो बिजली के खंभों और दरख्तों को काटा गया और सड़कों की मरम्मत की गई। इतना करोड़ों रुपया सड़कों पर खर्च किया गया तो क्या यह यात्रा हो सकती है। यही रकम राजस्थान में पीने के पानी के लिए इस्तेमाल की जाती तो वहां की प्यासी जनता उनको आशीर्वाद दे सकती थी। वहां के लोगों को जवाहर योजना के तहत पानी के लिए दो फीट का कनैक्शन नहीं दिया जा सका जबकि एकता यात्रा पर करोड़ों रुपयों का खर्चा हुआ। यह क्या कोई मुगलों की यात्रा हुई जिसमें सड़कों को सजाना पड़ा और दरख्तों काटा गया व बिजली के खंभे हटाए गए। कश्मीर में बी.एस.एफ. की बस से उतरते हुए खुराना साहब अपना हाथ हिला रहे थे। अगर बर्फीला रास्ता रुक गया तो कोई आदमी वहां जाकर झंडा फहरा सकता था। उस यात्रा को इस देश की एकता और अखंडता की यात्रा बनाते। आप अपने आपको देश भक्त कहते हो। इस मादरे वतन में जो नागरिक पैदा हुए हैं उनको साथ लेकर चलो। उसको एक साथ लेकर चलो। यह स्वार्थ मत पालो कि इस तरह से अगर माइनारटीज पर हमला करेंगे तो लोग खुश होंगे और वोट मिलेंगे। यह देश हमारा है यह हमारा वतन है। हिन्दी में हम, हिन्दू हैं हम, वतन है हिन्दुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसितां हमारा। हम इस मुल्क में पैदा हुए। हमारा धर्म है, कर्तव्य है इस मादरे वतन की इंच-इंच भूमि की इज्जत करना। यह नहीं कि जहरीली स्पीच देकर सिर्फ वोट की खातिर हम लोगों में जहर भरें। हम जहरीले भाषण देते हैं इसलिए देते हैं कि

जो लोग अभी तक गुमराह हुए है वे लोग जो हमे वोट देते है आगे भी वोट दें। आप लोग मन्दिर-मस्जिद का नाम लेकर वोट बटोरते है। लेकिन यह नहीं सोचा कि मान्दर और मस्जिद में कोई फर्क नहीं है, दोनो ही इबादत की जगह है। इसमे जो हम भेद कर रहे हैं इस भेद को हमें मिटाना होगा। इसी से हमारा मुल्क तरक्की करेगा। अगर हम इन बातो पर ही झगड़ते रहे, देश की आर्थिक नीति को मद्दे नजर नहीं रखेंगे, और देश मे लोगों को आपस में ही लड़ाते रहे तो हम मुल्क को आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। मैं इसमे सभा का कसूर बताऊंगा कि माइनोरटीज के साथ जिस तरह से लोगो ने कहा कि भेड़िया आयेगा वोट हमें दे दो तो वह भेड़िया आ गया, लेकिन लोगों को बाद में पता चला कि भेड़िया कहा है और क्या करने वाला है।

आखिर मे मैं कश्मीर के सम्बन्ध मे फौज के बारे में जरूर जिक्र करना चाहूंगा। मैं आपसे इल्तिजा करता हू, मैं आपके माध्यम से सरकार को भी बताना चाहता हू कि हिन्दुस्तान की फौज को पुलिस की जगह न इस्तेमाल किया जाय। उस फौज को जो मैदान जंग मे हमारी सरहदों की हिफाजत के लिए है उसको पुलिस काम के लिए इस्तेमाल न किया जाये। अगर आप फौज को पुलिस काम में बार-बार लगायेंगे, अगर मुल्क के अन्दरूना हालात के लिए उसको इस्तेमाल करेंगे तो उसका जो असला काम है वह उससे वंचित हो जायेगा। अब मुल्क को फौज की जरूरत होगी तो वह शायद अपना काम नहीं कर पाय। मैं आपसे कहना चाहता हू कि फौज को किसी भी सूरत मे, किसी भी हालत मे मुल्क के अन्दरूनी मामलो मे इस्तेमाल न करें। बल्कि फौज को अपनी ट्रेनिंग के लिए उसकी जरूरत के मुताबिक उसके साधनों के लिए उसको पूरी छूट देनी चाहिए। फौज अगर पुलिस का काम करेगी तो पुलिस मे जो जहरीली जहनीयत पैदा हुई है वह उसमे भी हो जायगी और वह मुल्क की हिफाजत नहीं कर सकेगी। इस मुल्क मे समुदाय के मुताबिक पुलिस मे लोगो को भर्ती होनी चाहिए, आवश्यकता के मुताबिक उनको नहीं लेना चाहिए। इसमे हर समुदाय के लोग लिये जाने चाहिए। इससे हिन्दू-मुस्लिम झगड़े नहीं होंगे। आये दिन जो हमारी मां-बहनों की इज्जत के बारे मे यहां मामले उठाये जाते है वे भी बन्द हो जायेंगे। जिस तरीके से हम और जगहों में तब्दीली ला रहे है, उसी तरीके से इस मुल्क की पुलिस में भी बड़े पैमाने पर तब्दीली कर और उसमे हर समुदाय के लोग शामिल किये जायें। इससे हर वर्ग को यह रहेगा कि हमारी भी स्थिति ठीक रहेगी, क्योंकि हमारे भी प्रतिनिधि पुलिस मे है और इस तरह की हरकत नहीं होगी।

मैं एक बात का और जिक्र करना चाहता हूं। हमारे से पहले जो वी. पी. सिंह और चन्द्रशेखर जी की सरकारें थीं। उन्होंने किस तरीके से बेरहमी से हमारे खजाने को लूटा कि वह खाली हो गया। केवल प्रचार किया गया कि हमारा खजाना खाली है हम क्या कर सकते हैं। अगर किसी प्रधान मन्त्री द्वारा देश के खजाने बाबत यह प्रचार कर दिया जाय कि हमारे देश का खजाना खाली है तो हमारी कौन मदद करेगा। इतने बड़े मुल्क के प्रधानमंत्री यह कहें कि मेरे देश का खजाना खाली है तो कौन दूसरा देश उस मुल्क की मदद करने के लिए आयेगा। ऐसी स्थिति में हम अपने प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने हमें ऐसी पालिसी दी जिससे हमारे मुल्क का विकास हो सके। हम लोग एक अरसे बन मैन बन रैंक की जो मांग कर रहे थे वह हमारी सरकार ने पूरी की। यह कल की बात है।

हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने और हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने एक लम्बे अरसे

से चली आ रही मांग 'वन रैंक वन पैंशन" को पूरा किया, उसके लिए बधाई के पात्र है। मैं आप से अपील करूंगा कि एग्रीकल्चर के लिए, किसानों के लिए जो प्रावधान इस बजट में किया है, उसी को मद्दे नजर रखते हुए फर्टिलाइजर पर गौर करना चाहिये। देश में कुल फर्टिलाइजर का प्राडक्शन मुल्क के 80 प्रान्तों को जाता है जिसमें राजस्थान को उस फर्टिलाइजर का सिर्फ 18 प्रतिशत हिस्सा मिलता है। राजस्थान का इतना बड़ा इलाका होते हुए भी 61 प्रतिशत आज डेजर्ट है और 31 प्रतिशत में पौपुलेशन है जहां की एकमात्र पानी का स्रोत इन्दिरा गांधी नहर है। यदि राजस्थान की प्यासी जनता का ख्याल न किया गया और इन्दिरा गांधी कैनाल को 100 प्रतिशत सहायता सैंटर से नहीं दी गयी तो राजस्थान पानी से वंचित हो जायेगा। सैंटर उस कैनाल का काम अपने हाथ में ले नहीं तो वहां की सरकार इन्दिरा गांधी कैनाल पर खर्च न करके सड़कें चौड़ी करके और एकता यात्रा पर खर्च करेगी, ऐसा मेरा मानना है।

सभापति महोदय, मैं बधाई देना चाहता हूं कि हमारा जो रेल बजट आया है, उसमें मीटर गेज को ब्राड गेज में परिवर्तित करने का साधन किया है, उसमें एक कि. मी. लाईन में दस हजार वरकर्स काम करेंगे, ऐसा मेरा मानना है।

आखिर में एक बात और कहना चाहता हूं कि माइनरटीज के लिए 15% लागू है, मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा कि यह खारिज कर देना चाहिये। माइनरटीज के लिए आईडेंटिफिकेशन होनी चाहिये, इसका अलग काम होगा, वह इस मुल्क का हिस्सा है, वह इस देश का नागरिक है जो दूसरों की हिस्सा मिलता है इसको मिले। यदि इस तरीके से अलग रखेंगे तो उसके अन्दर कटुता आयी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं कि इसको दूर किया जाये और राजस्थान के बारे में गौर किया जाये।

[अनुवाद]

श्री पी. सी. थामस (मुक्तुपुजा) : महोदय, मुझे खुशी है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में लगभग सभी मुख्य समस्याओं का उल्लेख किया गया है जिनका यह देश सामना कर रहा है तथा इन समस्याओं के संबंध में सरकार की नीति पर भी सामान्य रूप से प्रकाश डाला गया है। विशेष तथा पंजाब, कश्मीर, असम तथा अन्य विक्षुब्ध क्षेत्रों की समस्याओं के सम्बन्ध में राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में ठोस नीतिगत उपायों के बारे में उल्लेख किया है।

साम्प्रदायिकता तथा ऐसी अन्य समस्याएं, जिनका देश सामान्यत: सामना कर रहा है, के संबंध में राष्ट्रपति के अभिभाषण में सही उल्लेख किया गया है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाये जाने वाले कदमों के बारे में भी बताया गया है।

नई आर्थिक, औद्योगिक तथा विदेश नीति का हमारी सभा के कुछ वर्गों द्वारा विरोध किया जा रहा है। बहस होने जा रही है। मैं समझता हूं इस सम्बन्ध में प्रभावी कदम उठाने के लिए हमारी नई सरकार आगे आई है।

बढ़ते हुए मूल्यों तथा केन्द्र की कुछ समस्याओं तथा संबंध सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदमों के बारे में हमें भी कुछ आशंका है। हम सब इन समस्याओं को बहुत महत्व दे रहे हैं। उसका मैं समझता हूं कि आर्थिक क्षेत्र में नई नीतियां, जिनकी सरकार द्वारा घोषणा की गई है तथा जिनमें

से काफी निर्यात के क्षेत्र तथा अन्य नये क्षेत्रों के लिए हैं, पूर्णतः बाजार मुक्त तथा नये उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हैं। मैं समझता हूं इन नीतियों के परिणाम समझेंगे। अब हमारा विचार है कि कार्यकुशलता को जो प्रोत्साहन दिया गया है, वह किसी भी तरह ऐसे लोगों के लिए समस्या उत्पन्न नहीं करेगा जो कि प्रतियोगी नहीं हैं। उस मामले में कुछ आशंकाएं हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि प्रतियोगिता जिसके बारे में कहा गया है अथवा विचार किया गया है, कार्यकुशलता को बढ़ावा देगी तथा यही एक तरीका है जिसके द्वारा हम इस भयानक मूल्य वृद्धि की स्थिति तथा अन्य समस्याओं से निपट सकते हैं जिनका कि हम सामना कर रहे हैं। मेरा विचार है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में कृषि क्षेत्र के संबंध में कुछ विशिष्ट सुझाव दिए गए हैं। जो हां राष्ट्रपति जी ने यह उल्लेख किया है कि सरकार कृषि क्षेत्र में नये साहसिक कदम उठाने जा रही है ताकि अधिक उत्पादन किया जा सके और इस क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा सके। मैं उन कदमों का स्वागत करता है। लेकिन मेरा विचार है कि जब हम कृषि के बारे में बात करते हैं तो हम हमेशा खाद्यान्नों अथवा तिलहन की ही बात करते हैं। सामान्यतः कृषि क्षेत्र में हम अन्य मदों पर विचार नहीं करते हैं जिनको कि अधिक महत्व दिया जाना चाहिए।

केरल में बड़े पैमाने पर काली मिर्च का उत्पादन होता है। लेकिन काली मिर्च के उत्पादक बहुत समस्याओं में घिरे हुए हैं। उन्हें कोई उम्मीद नहीं है कि वे इस भयानक स्थिति से कभी बाहर निकल पायेंगे जिसमें कि वे आज हैं। मेरा विचार है कि काली मिर्च जैसे कृषि उत्पाद द्वारा विदेशी मुद्रा अर्जन के बारे में विशेष उल्लेख किया जाना चाहिए था।

रबड़ भी एक अन्य कृषि उत्पाद है जिसका विशेष उल्लेख किया जाना चाहिए था क्योंकि यह भी एक ऐसी मद है जिसमें कि भारत अधिक उत्पादन द्वारा काफी बचत करता रहा है और आयात पर प्रतिबन्ध लगा रहा है जो कि अन्यथा किया जाना था। मेरा विचार है कि इस क्षेत्र को कुछ और प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए जैसा कि यह क्षेत्र उपयुक्त मूल्य न मिलने की मुख्य समस्या का सामना कर रहा है।

मैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सम्बन्ध में एक बात कहना चाहूंगा। केरल एक ऐसा राज्य है जहां चावल पूर्णतः राशन में दिया जाता है। यह वास्तव में एक समस्या है जबकि राशन के चावल का मूल्य भी बढ़ गया है। केरल सरकार का बजट अन्य राज्यों के बजट की तुलना में बहुत कम है। राशन के चावलों की कीमतों में वृद्धि को एक आम आदमी पर प्रभाव न पड़ने देने के लिए इस सम्बन्ध में बजट का काफी बड़ा प्रतिशत व्यय किया जाए। मेरा विचार है कि सरकार को इस ओर कुछ विशेष ध्यान देना चाहिए और यह देखना चाहिए कि कम से कम उन राज्यों में, जहां खाद्यान्नों तथा खाद्य सामग्री के सम्बन्ध में इस प्रकार की राशनिंग का आह्वान किया गया है, जोकि एक आम आदमी द्वारा उपयोग में लायी जाती है, कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने चाहिए। केरल जैसे राज्य को विशेष सहायता दी जानी चाहिए ताकि वे एक आम आदमी को इस सम्बन्ध में उपयुक्त सहायता दे सके।

मुझे खुशी है कि राष्ट्रपति जी ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए विशेष अदालतों और नौकरी के अवसरों सहित अनेक बातों का उल्लेख किया है। इसी तरह, आवास के लिए भी राष्ट्रीय आवास नीति पर विचार किया गया है। इस सम्बन्ध में मेरे

विभाग में एक अन्य विचार है। केरल में एक नई आवास नीति आरम्भ हो रही है। अब यह प्रस्ताव रखा गया है कि उन सब लोगों को मकान दो जिनके पास मकान नहीं है जिसके लिए एक बड़ी धनराशि आवश्यकता है। निःसंदेह, केन्द्र में वित्त पोषण करने वाले अभिकरण इस सम्बन्ध में केरल राज्य के लिये सहायक हैं। मैं सुझाव देता हूं कि योजना को इस प्रकार से बनाया जाए कि गरीब से गरीब जनता को इसका अधिक-से-अधिक लाभ पहुंचे। मैं उम्मीद करता हूं कि केन्द्र द्वारा इस संबंध में केरल को दी गई सहायता और अधिक प्रोत्साहक होगी।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में मंद बुद्धि और मानसिक रूप से विकलांग लोगों के कल्याण हेतु एक राष्ट्रीय न्यास स्थापित करने का विधेयक लाने का विशेष उल्लेख किया गया है। मैं इसका स्वागत करता हूं क्योंकि सरकार ने समाज के कमजोर और कम भाग्यशाली लोगों के कल्याण के लिए एक बहुत अच्छा कदम उठाया है।

अपना वक्तव्य समाप्त करने से पहले, मैं यह कहना चाहूँगा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में हमारी विदेशी नीति और विभिन्न देशों के साथ हमारे व्यापार का जिक्र किया गया है। परन्तु उसमें एक बात का विशेष उल्लेख होना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो दूसरे देशों में जाते हैं और अपनी जीविका कमाते हैं। हम उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं। परन्तु वे पासपोर्ट प्राप्त करने में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। मेरा सुझाव है कि हमारे देश के नागरिकों के लिये उनके विदेश जाकर रोजगार के लिए विदेश जाने वाले लोगों के लिए पासपोर्ट सुलभ कराने हेतु इस की प्रक्रिया में कुछ महत्वपूर्ण सुधारों की आवश्यकता है। बहुत-सी ऐसी नर्सें हैं जो भारत से बाहर जाकर रोजगार प्राप्त करना चाहती हैं। यदि पासपोर्ट प्राप्त करने की अवस्था में ही उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, तो यह उनके लिए बहुत हतोत्साहित करना होगा। जब विदेशों में काम के अवसर उपलब्ध हैं, तो लोगों को पासपोर्ट प्राप्त करने में सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

कुल मिलाकर, केवल आठ माह की अवधि में ही, सरकार बहुत से नये प्रस्ताव लेकर आई है कि और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये प्रस्ताव लोगों को भयावह स्थिति से उभरने में सहायक सिद्ध होंगे।

[हिन्दी]

श्री पीयूष तोरकी (धनोपुरद्वारस) : सभापति जी, मैं राष्ट्रपति अभिभाषण पर आये धन्यवाद प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। राष्ट्रपति जी को मालूम है कि हमारा देश कितना बड़ा है, यहां कितने धनी लोग रहते हैं, कितने गरीब लोग रहते हैं। आज भी हमारे देश की आधी आबादी गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन व्यतीत करती है लेकिन उनके सम्बन्ध में अभिभाषण में कुछ नहीं कहा गया है। इस देश के 12 करोड़ लोग, जो एम्पलायमैंट चाहते हैं, काम चाहते हैं, उनके विषय में भी कुछ नहीं कहा गया है कि सरकार उन्हें किस तरह काम देना चाहती है।

नई सरकार अपनी नीतियों को प्रोग्रैसिव नीतियां कहकर सारे देश में ढोल पीट रही है, सारे हिन्दुस्तान में। उसकी नीतियों की आम जनता में क्या प्रतिक्रिया रही है, उसे ढकने के लिये बहुत सी चेष्टा भी इसमें की गयी है। अभी जो बजट इस सरकार ने पेश किया है वह वास्तव में

हिन्दुस्तान का बजट नहीं है, उसमें किसी दूसरे देश के प्रभाव की गंध आती है, देश को गिरवी किया हुआ यह बजट है। बजट में जो कुछ इन्होंने इस देश की जनता के सामने रखा है, वह किस के फायदे के लिये है, सभापति महोदय, आपको ख्याल होगा कि इस देश में जो भी विदेशी आया, वह हमारे भले के लिए नहीं आया बल्कि वह अपना खुद का भला करने के लिये यहां आया, इस देश की धन सम्पत्ति को लूटने के उद्देश्य से यहां आया। आपको मालूम होगा कि अंग्रेजों के समय में, इस देश की कितनी धन सम्पत्ति को इंगलैंड या दूसरे देशों में ले जाया गया, हमारा सब कुछ चला गया। उसी इतिहास को हम फिर से दोहराने जा रहे हैं, आजादी मिलने के 40-45 साल बाद। इस दौरान हमने जो धन कमाया, आजादी मिलने के बाद, आप देखें कि आजादी के बाद कितने लोगों को फायदा यहां पहुँच पाया है। फिर आज इस देश को गिरवी करके, हमारे प्रधानमन्त्री और वित्त मन्त्री, दूसरों के पांव में पड़कर, उनसे अर्ज विनती कर रहे हैं और एक चपरासी जैसा इनका काम हो गया है। अंग्रेज जब इस देश में आये थे, हमारा इतिहास गवाह है कि उन्होंने इस देश के राजा महाराजाओं को बेइज्जत करने का एक तरीका निकाला कि राजा महाराजाओं की पोशाक उन्होंने अपने चपरासियों को पहनाना आरम्भ कर दिया। आप आज भी देख सकते हैं कि हमारे होटलों में जो दरबान या चपरासी होते हैं, वे राजा महाराजाओं की तरह पोशाक पहने होते हैं, जैसी पोशाक किसी समय राजा महाराजा इस देश में पहना करते थे। हमारे प्रधान मन्त्री, वित्त मन्त्री और उनकी पूरी कैबिनेट उसी तरह ** करने के लिये, जनता को धोखा देने के लिये, उसी तरह आम जनता को ऐसी जगह ले जाने के लिये खड़े हैं और उनके गुण गा रहे हैं कि जो वर्ल्ड बैंक या इंटरनेशनल मोनिटरी फण्ड कहेगा, हम वह मानेंगे। इधर सारी जनता को धोखा देंगे।

रुपये का डीवैलूएशन दो बार किसके कहने से किया गया। रुपए का मोल नहीं है इसका क्या कारण है। सब चीजों के दाम बढ़ गए। इतना गेहूं, धान, चावल रहते हुए भी गेहूं मंगाना पड़ रहा है। कहते हैं कि दो लाख टन गेहूं मंगाना पड़ेगा क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन में गेहूं नहीं मिल रहा है। इतना गेहूं कहां गया ? जो व्यवसायी हैं उनको और ज्यादा नफा देने के लिए उनके गोदामों में बन्द करके रखने के लिए किया गया है।

कलकारखाने बन्द हैं, आदमी काम के लिए त्राहि-त्राहि कर रहा है और उनको निकाला जा रहा है। कहा जाता है कि रेल के कर्मचारी, बैंकिंग कर्मचारी घटाए जाएंगे, सब जगह आदमी कम किए जाएंगे। गरीबमार सरकार जो आयी है यह हिन्दुस्तान की सरकार नहीं है, इसने देश को बिक्री करने का सौदा किया है, इसका पर्दा फाश होना चाहिए।

सारे देश में ट्राईबल की समस्या है, बांध के नाम से, कारखाने के नाम से उनके खेत छीने जा रहे हैं और उनको बसाने की व्यवस्था नहीं है। बीमारी बढ़ रही है, बच्चे भूखे मर रहे हैं। आज आर्थिक रूप से, राजनैतिक रूप से हमें गिरवी रखा जा रहा है। विदेशी आकर हमारी कल्चर को भी नष्ट करेंगे। सब कुछ लूटकर अपने देश में ले जाएंगे। बाहर से व्यवसायी अपने फायदे के लिए यहां आता है। साधारण व्यक्ति इन सब बातों को समझता है। यदि इस सरकार को समझ नहीं है तो इस सरकार को रिजाइन करना चाहिए पर देश को गिरवी नहीं रखना चाहिए।

लैंड रिफार्म आज तक नहीं हुआ है, असली किसान को अभी तक जमीन नहीं मिली

** अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

है । ट्राइबल्स का जो आन्दोलन चल रहा है, झारखण्ड मूवमेण्ट चल रहा है, बोड़ो मूवमेण्ट चल रहा है, उनकी जमीन लूटी जा रही है, उनकी माँ बहनों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, शेड्यूल्ड कास्ट्स पर, शेड्यूल्ड ट्राइब्स पर अत्याचार हो रहा है, इसका इसमें कोई उल्लेख नहीं है कि किस तरह से देश को बचाया जायेगा, किस तरह से यूनिटी, यहां पर किस तरह से एकता बुलन्द की जायेगी कि देश के सब लोग इसको अपना समझें और देश को आगे बढ़ाने की चेष्टा करें । आप लोगों ने कहीं पर कहा है कि आम जनता को कान्फीडेंस में लिये बिना कोई काम नहीं होगा किन्तु यहां आम जनता का कान्फीडेंस में लेने की बात तो दूर रही, यहां मन्त्रीपरिषद् को भी कान्फीडेंस में नहीं लिया गया और दो तीन आदमी जो दलाल बन चुके हैं, विदेशियों के दलाल बन चुके हैं, वह उनके हाथ में सारे देश को गिरवी रखकर सारे देश को शर्मिन्दा कर रहे हैं । इतिहास इनको कभी माफ नहीं करेगा ।

मैं घोर शब्दों में इस प्रेसीडेन्ट के अभिभाषण का विरोध करता हूं और इस सरकार को कहता हूं ताकि इसके ध्यान में आये कि देश किसी के बाप का नहीं है, 80 करोड़ जनता ने आपके हाथों में देश को चलाने की शक्ति दी है और एक दिन बैकडोर से नहीं आयी है बल्कि 40 वर्ष की पूंजीवादी व्यवस्था की नीति के कारण आज हमारा देश दिवालिया हुआ, आज हमारा देश लंगड़ा हुआ और इसके कारण उसको अपना सिर झुकाना पड़ा है···**·····(व्यवधान)···चपरासी कोई छोटा शब्द नहीं है, मंत्री के बराबर है, उसके समान काम कर रहे हैं इसलिए चपरासी कहना बुरा नहीं है···

सभापति महोदय : आपने यह जो शब्द कहा है, यह अनपार्लियामेण्टरी नहीं है लेकिन

[अनुवाद]

श्री पीयूष तीरकी : इसमें गलत क्या है ?

सभापति महोदय : मैं मानता हूं कि यह शब्द असंसदीय नहीं है, परन्तु, साथ-ही, आप जैसे जैसे व्यक्ति का इस प्रकार के शब्द का प्रयोग शोभा भी तो नहीं देता ।

श्री पीयूष तीरकी : मैं इसे वापस लेता हूँ ।

सभापति महोदय : इन शब्दों को कार्यवाही-वृतान्त से निकाल दिया जाना चाहिए ।

(हिन्दी)

श्री पीयूष तीरकी : लेकिन इस तरह से व्यवहार किया जा रहा है कि कोई साधारण आदमी भी नहीं करेगा और प्रधान मन्त्री साधारण आदमी नहीं होता है, वह 80 करोड़ जनता का नेता है और यदि हम सब लोगों को गरीबी झेलनी है, दुख उठाना है तो एक नेता की तरह सब उठायें लेकिन देश को कान्फीडेंस में लिये बिना किसी के साथ सौदा करना प्रधान मन्त्री की गरिमा के खिलाफ है, यही मेरा कहने का मतलब है ।

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृतान्त से निकाल दिया गया ।

[अनुवाद]

श्री पीटर जो. मरबीन खोंग (शिलांग) : श्री पी. एम. सईद द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं। मैं पहले तो आपका ध्यान राष्ट्रपति के अभिभाषण के पृष्ठ नो, पैरा-23 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मैं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों सम्बन्धी नीति के लिए सरकार को बधाई देता हूं। मुझे दुख है कि अनु. जाति और अनु. जनजाति के ईसाइयों सहित मूल ईसाइयों के बारे में राष्ट्रपति के अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। लगभग 15 मिलियन अनु. जाति और अनु. जनजातियों के लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित होने के उनके अधिकारों और विशेषाधिकारों से वंचित रखा गया है। इसमें उनको उक्त सूची में लाने हेतु राष्ट्रपति का आदेश जारी करने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

वे उन्हें अनुसूचित जातियों के वापिस विशेषाधिकार हेतु पुनः प्रदान करने के लिए लड़ते रहे हैं। परन्तु राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज द्वारा गैर-सरकारी सदस्यों का एक विधेयक परिचालित किया गया है और यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें इसका समर्थन करना पड़ा। दलित ईसाइयों को अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित करने हेतु सरकार को कुछ करना चाहिए।

ठीक है, राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार के समय से ही, जब उन्होंने नव-बौद्धों को उनके अधिकार दिये थे, दलित ईसाईयों की सूची में शामिल करने की मांग की जाती रही है। यद्यपि, अनुसूचित जातियों से परिवर्तित ईसाईयों के लिए अभी तक कुछ नहीं किया गया है।

महोदय, अभिभाषण का पृष्ठ 10, पैरा 27 सार्वजनिक वितरण-प्रणाली का उल्लेख करता है। मैं सरकार को इसे प्रभावी बनाने के लिए इसके प्रयासों के लिए बधाई देता हूं। परन्तु, उत्तर-पूर्वी आंचल के पर्वतीय क्षेत्रों के अधिकतर लोग पर्याप्त चावल पैदा नहीं करते। वहां चावल की भारी कमी है और, सरकार को इस प्रणाली को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए इन क्षेत्रों में अधिक खाद्यान्नों की आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए। वर्तमान आपूर्ति लोगों के लिए इतनी कम है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कारगर कार्यान्वयन की सराहना करना मात्र है।

मुझे सरकार को उचित सतर्कता और सही निरीक्षण करने के लिए बधाई देनी चाहिए। यह सच है, लेकिन उत्तर-पूर्वी आंचल के इन राज्यों को और अधिक खाद्यान्न उपलब्ध किए जाने चाहिए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में और अधिक वस्तुओं को शामिल करना चाहिए और इससे विशेषकर गरीब लोगों को सहायता मिलेगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अधिक प्रभावशाली बनाने तथा लोगों की सहायता करने के लिए इसके माध्यम से वितरित की जाने वाली वस्तुओं में नमक, खाद्य तेल और दालों को भी शामिल किया जाना चाहिए।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में भी उपभोक्ताओं के संरक्षण हेतु और अधिक उपबंध किए जाने चाहिए। अन्यथा, हम देखते हैं कि व्यापारी-वर्ग द्वारा उपभोक्ताओं का शोषण किया जा रहा है और अतः इसके लिए कुछ किया जाना चाहिए।

राष्ट्रपति के अभिभाषण के पृष्ठ 6 पैरा 18 में पर्यटन का उल्लेख है। यह बहुत अच्छा विचार है और मैं सरकार को केवल यही बताना चाहता हूं कि भारत का उत्तर-पूर्वी भाग भी यहां आने वाले पर्यटकों को अच्छे स्थान प्रदान कर सकता है। यहां हमारे पास सुन्दर वनस्पति और जीवजन्तु है। हमारे पास कोई साधन नहीं है, और इन्हें उत्तर-पूर्वी आंचल में अभी विकसित किया जाना है।

हमारे लिए सबसे जरूरी यह है कि इंडियन एयरलाइन्स की सेवा शिलांग हवाई अड्डे तक उपलब्ध की जानी चाहिए।

सरकार को अवसर मैं यह बताता रहा हूं कि बोईंग विमान को उड़ानों के शिलांग हवाई अड्डा उपयुक्त है। वास्तव में 1968 में सरकार ने इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानों को शिलांग हवाई अड्डे तक बढ़ाने का वायदा किया था। किसी कारण, वह पूर्ण नहीं किया जा सका। शिलांग हवाई अड्डे को प्रारम्भ करना अवश्य ही मेघालय और दूसरे राज्यों के लिए सहायक होगा और इससे पर्यटन को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

अभिभाषण के पृष्ठ 7 पर पैरा 19 में कृषि का उल्लेख है। इसमें कृषि संबंधी बहुत से कार्यक्रमों और नीतियों का उल्लेख है और मैं इन सभी का स्वागत करता हूं। मैं सरकार पर केवल एक ही दबाव डालना चाहूंगा कि उत्तर पूर्वी राज्यों को कुछ सहायता प्रदान करने की जरूरत है क्योंकि आज तक इन राज्यों में से खेती के लिए अधिकतर वर्षा-पोषित पर ही निर्भर रहना पड़ता है। मुझे यह कहते हुए खेद है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, यद्यपि यह यहां स्थित है, अपनी जिम्मेदारी का पूरी तरह नहीं निभा रहा है। इन्हें यहां की मिट्टी का परीक्षण करना चाहिए। और इन्हें नये बीजों का क्षेत्र बढ़ाना चाहिए जिससे उत्पादन लागत कम होगी। अन्यथा उत्तर-पूर्वी आंचल में देश के किसी भी स्थान से कृषि उत्पादन-लागत अधिक है। इस बारे में कुछ किया जाना चाहिए।

अब मैं अभिभाषण के पृष्ठ 12 और 13 पर आता हूं। मैं सरकार का शिक्षा के क्षेत्र में उसकी विभिन्न नीतियों के लिए बधाई देता हूं। मैं सरकार से केवल यही अपील करता हूं कि खासी भाषा को मान्यता प्रदान की जानी चाहिए। जब सरकार मणिपुरी भाषा और नेपाली भाषा को मान्यता प्रदान करें, तो उन्हें खासी भाषा को भी मान्यता प्रदान करनी चाहिए। कभी-कभी हम देखते हैं कि सरकार सम्भवतः भूल जायेगी। मैं सरकार को केवल यह स्मरण करवाना चाहता हूं कि खासी भाषा भी एक पूर्ण भाषा की तरह ही पूरी तरह विकसित हो गई है। इसे मान्यता दी जानी चाहिए और इसे संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

अन्त में, मैं अभिभाषण के पृष्ठ 2 के पैरा 5—उल्का कार्य के कार्यकलापों पर आता हूं। मैं प्रधान मन्त्री और गृह मन्त्री को उल्का कार्यकर्त्ताओं को वार्ता-पटल पर लाने और असम में सेवा की कार्रवाई स्थगित करने के लिए बधाई देता हूं। हालांकि, मैं पुनः सरकार को केवल यह स्मरण कराना चाहता हूं कि यह समस्या मानवीय-समस्या है और इसे मानवीय बातचीत के जरिए, कैदी, उल्का कार्यकर्त्ताओं का आदर करते हुए सुलझाना चाहिए, और उनके उचित पुनर्वास को भी खोजा करनी चाहिए, ताकि उनका आत्मसम्मान बना रहे।

अत: सरकार को, इस मांग को आदर देते हुए और मानवीय दृष्टिकोण से इस समस्या को हल करने का प्रयत्न करना चाहिए।

महोदय, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि असम में 'बोडो आन्दोलन' चल रहा है। अब वादे किए गए हैं और एक समिति का गठन किया गया है। मुझे विश्वास है कि सरकार इस ओर ध्यान देगी और एक शांतिपूर्ण समाधान निकालने के लिये प्रयत्नशील रहेगी क्योंकि 'बोडो आन्दोलन' की ओर सरकार को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं सरकार से अपील करता हूं कि इस आन्दोलन पर भी विशेष ध्यान दे। समय के अभाव के कारण मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती गिरिजा देवी (महाराजगंज) : सभापति महोदय, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण का, जो सारे वायदों को भुलाने का एक वायदा है उसका विरोध करने के लिए यहां खड़ी हुई हूं। मैं पिछले वर्ष इस सदन में आई, पहले-पहल जब अभिभाषण सुना तब उन्होंने कहा था कि पिछड़ों में जो अत्यन्त पिछड़ा है उनके लिए उनका दिल दुखता है। मैंने अपने को पिछड़ा में पिछड़ा इसलिए माना क्योंकि महिलाओं की स्थिति समाज में सबसे निचले स्तर पर है चाहे वह पंडित के घर में हो या पतितों के घर में हो, हर जगह वह दलित है, प्रताड़ित है।

कई साल बीत गए और आगे भी इसी तरह से साल बीतते जाएंगे लेकिन आजादी के बाद 44 साल बीत जाने पर भी कुछ नहीं हुआ है और ऐसा लगता है कि शायद हमारे आगे आने वालों पर भी यही प्रताड़ना का क्रम चलता रहेगा।

उन्होंने महंगाई का मुद्दा उठाते हुए उसके बाद पिछले साल भी महिलाओं के मुद्दे को उठाया कि यह हमारे देश का संवेदनशील हिस्सा है। महिलाएं और बच्चे, विशेषकर गरीब घरों के, ये हमारी जनसंख्या का अत्याधिक नाजुक हिस्सा है, जिनकी ओर अत्याधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। काफी महीने बीत गए, अगर संकल्पशक्ति होती, इच्छा शक्ति होता तो कोई ठोस रिजल्ट सामने आता, पूरे महिला वर्ग का उत्थान नहीं तो कम से कम इस ओर कुछ कदम आगे बढ़ते महिलाओं और बच्चों के लिए कुछ किया जाता, लेकिन आज हम देखते हैं कि महिलाओं और बच्चों की वही स्थिति है, जैसी पहले थी। इस ओर कोई निर्णय या कोई ठोस कदम इस सदन में नहीं लिया गया है।

महिला विकास के लिए एकीकृत कार्यक्रम की बात की गई है, चाइल्ड डेवलपमेंट और यूनीवर्सल डेवलपमेंट आफ चाइल्ड की बात की जाती है, सिर्फ शब्दों की गरिमा से मंडित न करते हुए इस दिशा में कुछ ठोस कदम उठाएं, ताकि महिलाओं को राहत मिले।

सभापति महोदय, 1934 में देवदासी प्रथा के विरोध में कानून बना, 1935 में एक कानून बना, 1942 में भी एक कानून बना और उसके बाद कर्नाटक में 1982 में कानून बना। माता येलम्मा के नाम पर गरीब परिवारों की बालिकाओं को देवदासी बना दिया जाता है, हकीकत से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता। "जोगिनी" प्रथा आंध्र प्रदेश में, हैदराबाद में है, वहां पर गरीब लड़कियों को

जोगिनी बनाते हैं। माताएं अपनी गरीबी को छिपाने के लिए धर्म का सहारा लेती हैं और लड़कियों को येलंमा माता के सुपुर्द कर देती हैं और यह जोगिनी नाम और कुछ नहीं है।

[हिन्दी]

यह छद्म वेश में वेश्यावृत्ति है।

[अनुवाद]

सीधे-सीधे प्रोस्टीटयूशन में ये लड़कियां लगी हुई हैं। इसका ब्योरा सरकार के पास भले ही न हो, लेकिन समाज की बहुत सारी इस तरह की स्वयं सेवी संस्थाएं हैं, जिनके पास आंकड़े हैं और उन्होंने बताया है कि तकरीबन 75 लाख से एक करोड़ तक औरतें इस पेशे में लगी हुई हैं। ऐसे पेशे में कोई स्वेच्छा से नहीं आता। ऐसे पेशे में आने के बाद उनकी क्या स्थिति है, यह हम सब जानते हैं। पेट के चलते ये महिलाएं इस जघन्य कार्य में लगी हुई हैं। यदि औरतों को इतना संवेदनशील कहा जा रहा है तो इनके विकास के लिए प्रयास कब किए जाएंगे, यह मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहती हूं।

सभापति महोदय, यह भी जिक्र किया गया है कि औरतें अगर शिक्षित हो जाएं तो समाज का विकास जल्दी हो जाएगा। मैं भी इस बात को मानती हूं, लेकिन शिक्षा के नाम पर साक्षरता के आंकड़े आप अगर देखें तो पाएंगे कि देश में शिक्षा के मामले में भी महिलाओं की घोर अवहेलना होती रही है। देश के स्तर पर यदि हम साक्षरता को देखें तो यह केवल 40 प्रतिशत है और बहुत से तो ऐसे राज्य हैं जो पिछड़े हुए हैं, वहां पर केवल 18-20 प्रतिशत ही शिक्षा का स्तर है। शिक्षा के बारे में भी यहां पर बहुत सारी बातें कही गई हैं, ऐसे-ऐसे स्कूल यहां पर हैं जो भवन-विहीन हैं। आप शिक्षा का तकनीकीकरण करना चाहते हैं जब ओरिए टेड शिक्षा देना चाहता हैं, लेकिन शिक्षा के जो तीन मुद्दे हैं, पठन, पाठन पुस्तक, तो भवन-विहीन स्कूलों में इसकी कल्पना कैसे की जा सकती है। इस तरह के हमारे यहां 13 प्रतिशत प्राइमरी स्कूल हैं और 4.11 प्रतिशत अपर-प्राइमरी स्कूल हैं। आप सोचिए कि अपर प्राइमरी स्कूल के भवन के बिना चलेगा, कैसे साइंस की परीक्षाएं यहां पर होंगी। इसी तरह से सिंगल रूम स्कूलों की संख्या 34 प्रतिशत है। सिंगल टीचर के यहां पर 23 प्रतिशत प्राइमरी स्कूल हैं, लेकिन इसमें एक आंकड़ा रह गया है, विदाउट टीचर स्कूल का। यह मेरी जानकारी में है कि जैसे एक टीचर का ट्रांस्फर हो जाता है तो गांव के गांव 3-4 महीने तक एकमात्र शिक्षक की लालसा में रहते हैं कि कोई शिक्षक यहां पर आएगा और हमें शिक्षा मिल

5.00 म. प.

जाएगी। इस तरह स्त्रियों की दशा को देखते हुए और शिक्षा की दशा को देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि ये सारे वायदे टालने के वायदे इन्होंने किए हैं, शिक्षा और स्त्रियों के लिए। और भी बहुत सारी बातें कही गयी हैं इसमें, जिसमें पर्यटन को महत्व देने की बात कही गयी है।

बिहार मेरा सूबा है वहां पर्यटन की बहुत सारी सम्भावनाएं हैं। रेलवे लाईन से भी जोड़ने की बात कही गयी है। लेकिन बिहार के जितने भी मुख्य पर्यटन स्थान हैं-बौद्ध गया, राजगीर, नालंदा, उत्तरी बिहार में वैशाली और नेत्रहाट, गांधी का आश्रम, ये सारे स्थल बिना रेल लाइनों के हैं। यहां तक कि बिहार का नाम रोशन करने वाला ही नहीं बल्कि देश का नाम रोशन करने वाला वैशाली, यहां तक भी रेल की लाईन नहीं पहुंची है। इस तरह से घोर उपेक्षा का शिकार बिहार

ही रहा है। पर्यटन की दृष्टि से और रेल लाइनों को बढ़ाने की बात कही गयी है। मैंने दो-चार मुद्दे उठाए हैं कि किस तरह से बिहार उपेक्षित हो रहा है। ऐसे में रेल लाइनों को बढ़ाने और पर्यटन को महत्व देने का वायदा करना उसी क्रम की कड़ी दिखायी दे रही है जैसे वायदा करके भूल जाने की बात यहां की गई है।

समाज का एक अंग कलाकारों का भी है। दो वर्ष में जबसे हुए हैं, उसके पहले भी मैं टी. वी. पर देखती रही हूं राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी संगीत के साथ गाने के जलसे आयोजित किए जाते रहे हैं। पूर्व में भी दर्शन के लिए भारत जाना जाता है, तकनीकी विद्या के लिए जाना जाता है, संगीत के ज्ञान के लिए जाना जाता रहा है। उसकी घोर उपेक्षा हो रही है, यह किसी से छिपी हुई नहीं है। दिन-प्रति-दिन कलाकारों की संख्या में कमी होती चली जा रही है। हमारे नौजवानों के मन में भी शास्त्रीय संगीत सीखने का आकर्षण कम होता जा रहा है। इसका क्या कारण है, इसको कभी नहीं देखा गया है। संगीतज्ञ जो भी हुए, किसी भी तबके के हों, दो-चार को छोड़ कर सभी समाज में उपेक्षित हैं। उनमें यदि कोई महिला हो तो वह घोर उपेक्षित है। इस उपभोक्ता के चलते वहां भी उसकी घोर उपेक्षा है। बहुत सारी जनजातियां हैं जिनको आजीविका प्रदान करता है संगीत। चाहे राजस्थान के गायक हों, लंगा हों कठपुतली नचाने वाले हों, नट, भाट बिहार के हों, सबकी आजीविका किसी न किसी तरह से संगीत पर निर्भर है। लेकिन सामाजिक प्रतिष्ठा न मिलने के चलते हमारे फोक आर्टिस्टस की संख्या कम होती जा रही है। इनकी ओर सरकार की नजर कभी नहीं जाती है। वे बाहर नर्तकियों को ले जाते हैं, फड़-गायकों को ले जाते हैं उनका गाना सुनाने के लिए, लेकिन आज और कहीं क्या दिल्ली की सड़कों पर देख लीजिए, कठ-पुतली नचाने वाले सड़क के किनारे झुग्गी-झोंपड़ी डाल कर वहां सोए हुए मिलेंगे। उसी तरह और भी बहुत से गायक-वादक अभाव के कारण लुप्त होते जा रहे हैं, घराने नष्ट होते चले जा रहे हैं।

मैं कहना चाहूंगी बिहार का मलिक घराना जो ध्रुपद गायन के लिए विख्यात रहा है वह भी समाप्त होता जा रहा है। उनके पास जो धरोहर थी उसको संरक्षित करने वाला कोई नहीं रह रहा है। यदि सरकार आगे आ कर कलाकारों और उनकी विद्या के संरक्षण का काम करती तो बहुत बड़ा काम हो सकता था अपने भारत की संस्कृति के बचाव में। मैं यह चित्र करना चाहती हूं कि अभी वहां पर बचे हुए हैं मलिक और पंचोग घराने के गायक, नौलखिया और पचलखिया घराने के गायक, कुछ दिनों में वे भी नष्ट हो जायेंगे और आपके यहां कोई कलाकार सिर ऊंचा उठा कर गायन और वादन करने वाला नहीं रह पाएगा।

बड़े नेताओं की तस्वीर स्टैम्पस पर छाप देते हैं, लेकिन ओंकार नाथ की तस्वीर स्टैम्प पर नहीं छपी है। कांग्रेस ने अपना टाईम कैपसूल दबा कर रखा था उनके गायन का रिकार्ड दबा कर रखा था। उनके गुरु विष्णु का भी चित्र मैंने स्टैम्प पर नहीं देखा, जब उनकी विवरणी को निकाल कर मैंने पढ़ा। इस तरह से घोर उपेक्षा के शिकार यहां के गाने के कलाकार हो रहे हैं। इसलिए मैं अपनी ओर से इन घोर उपेक्षित सब्जैक्टस की ओर ध्यान आकृषित करने के राष्ट्रपति के अभि-भाषण पर घोर विरोध करती हूं।

श्री जे. चोक्का राव : (करीमनगर) : सभापति जी, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सईद साहब ने जो मोशन आफ थैंक्स का प्रस्ताव रखा है, उसका मैं दिल से ताईद करता हूं। श्री पी. वी. नरसिंह राव के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद देश में जो इकोनोमिक क्राइसिस है, आर्थिक

मुश्किलात और सियासी मुश्किलात को हल करने के लिए उन्होंने एक ठोस कदम उठाया है। इस पर पूरे भारतवासियों का उनके प्रति विश्वास बढ़ता जा रहा है। अपोजीशन लीडर्स भी कुछ हद दिल में मानते हैं कि श्री पी. वी. नरसिंह राव के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है तो ठीक ढंग से काम हो रहा है। हमारे देश में बदकिस्मती की बात यह है कि राजनीति में कुछ सियासी जमातें ऐसा सोच रही हैं कि हम इलैक्शन कैसे जीतें और सत्ता को कैसे हासिल करें। इस कारण चालीस साल से देश की कठिनाइयों का मुकाबला करना पड़ रहा है। मैं आपके माध्यम से अपोजीशन पार्टीज से यह अपील करता हूं कि वे केवल सियासी को नजर छोड़ दें और देश की कठिनाइयों का हल करने के लिए एक कंस्ट्रक्टीव एप्रोच लें। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि वे ओपन माइन्ड, इश्यु बेस्ड हर तरीके से चर्चा करने के लिए तैयार हैं और कन्सेंस आफ ओपीनियन निर्णय लेना चाहते हैं। मैं बोल सकते हैं। यह वादा करने के बाद भी जो लेफटोस्ट पार्टियां हैं, वे ठीक ढंग से नहीं सोच रही हैं। मैं उनसे अपील करता हूं कि वे अपना रवैया चेंज करें और प्रधानमंत्री जी को कन्सेंस आफ ओपीनियन में अपनी राय बताएं। उस राय पर खुले दिल से चर्चा कीजिए, एजीटेशन से कुछ हल होने वाला नहीं है। हमने देश में जो सियासी नजर से स्टैप लिए हैं उनको भुगतना पड़ रहा है इसलिए अभी भी सियासी जमातों को सोचना चाहिए। मैं, अपोजिशन पार्टियों से ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान के अवाम से अपील करता हूं कि इन कठिनाइयों के वक्त पूरा साथ दें। श्री पी. वी. नरसिंह राव ने इक्तदार (पावर) में आने के बाद बाई इलैक्शन, पंजाब इलैक्शन और बम्बई में कार्पोरेशन इलैक्शन हुए। इन चुनावों में कांग्रेस की जीत लोगों के दिलों में यह उम्मीद है कि सरकार कुछ न कुछ करेगी। लेकिन, बद-किस्मती से अपोजिशन पार्टियां अपने रवैये को गलत तरीके से पेश कर रही हैं। मैं पचास साल से राजनीति में हूं। मैं दुखी होकर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए अपोजिशन पार्टियों से अपील करता हूं कि वे कंस्ट्रक्टीव एप्रोच लें और देश के लिए सोचें। दूसरी बात मैं पंजाब के चुनाव के बारे में कहना चाहता हूं। लोग नहीं मान रहे थे कि फरवरी में चुनाव होंगे। मगर हमारे प्रधान मंत्री ने ऐसा कदम उठाया और कहा कि हम मुश्किलों का सामना करेंगे लेकिन चुनाव जरूर करायेंगे इस बात के साथ उन्होंने पंजाब में चुनाव कराये। हमारे प्रधान मंत्री जी जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, ने कभी भी वहां पर कांग्रेस पार्टी को वोट देने के लिए अपील नहीं की। वहां पर जनता द्वारा चुने हुए लोगों का राज होना चाहिए यह उन्होंने कहा। वहां सभी बड़ी पार्टियों ने हिस्सा लिया। मैं उनको मुबारकबाद देता हूं क्योंकि यह एक हिम्मत का काम था। लोगों ने वहां पर कांग्रेस को चुना है। वहां कांग्रेस की सरकार बनी है, उस पर बड़ी जिम्मेदारी है, मगर विपक्ष वाले यह न समझें कि कांग्रेस की सरकार है इसलिए हम ताईद नहीं करेंगे। उनको यह भी नहीं सोचना चाहिए कि कांग्रेस वहां कुछ नहीं करेगी। हम सत्ता में रहने के बावजूद सिर्फ कांग्रेस के लिए ही वहां काम नहीं करेंगे। आज पंजाब की समस्या पूरे देश की समस्या है। पंजाब में यह पहला कदम है। वहां चुनाव कराने के बाद अवामी हुकूमत कायम हुई। इसके साथ-साथ वहां राजनैतिक समाधान भी होगा। मुझे उम्मीद है कि वहां राजनीतिक समाधान होगा और हमें कामयाबी मिलेगी।

इसी तरह से कश्मीर में भी हम कठिनाई दौर से गुजर रहे हैं। हमारे पड़ोस का मुल्क पाकिस्तान बदकिस्मती से हमें परेशान कर रहा है। हमें कश्मीर के सम्बन्ध में भी कदम उठाना है और वहां के लोगों को विश्वास में लेना है। जैसे पंजाब में चुनाव हुए हैं, कश्मीर में भी चुनाव हमें कराने हैं।

मगर बदकिस्मती से बी.जे.पी. ने जोकि यहां मेन ओपोजिशन है, उसने कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा निकाली, उससे हुआ या नुकसान हुआ यह तो उसको सोचना चाहिए। यह केवल भारतीय जनता पार्टी की समस्या नहीं है। अपनी पार्टी के हक में हिन्दू सेंटीमेंट्स से वोट हासिल करने का यह गलत तरीका है। हम पूरे मन से यह तय कर लें कि प्रधानमंत्री की सब दल मदद करेंगे। मुझे आशा है कि कश्मीर में भी हमें कामयाबी मिलेगी। हमने असम में भी अल्फा से बातचीत शुरू की है। यहां पर भी राजनैतिक समाधान हम हासिल करेंगे। आज विपक्ष वाले यह समझ रहे हैं कि इससे कांग्रेस मजबूत होगी, नरसिंह राव मजबूत होंगे। इसलिए कुछ लोग एजीटेशन से जुड़ना चाहते हैं। मगर मुझे उम्मीद है कि लोग इनको समझ गये हैं और वे ऐसे आंदोलनों का साथ नहीं देंगे। देश की एकता को हमें कायम रखना है। पी. वी. नरसिंह राव के नेतृत्व में आर्थिक सुधारों के बारे में जो हमारी सरकार ने कदम उठाया है कुछ लोगों को उससे तकलीफ भी हो रही है। जबकि प्रधान मंत्री स्वयं संसद में कह चुके हैं कि हमें कुछ त्याग करने की जरुरत है। आई.एम.एफ. और वर्ल्ड बैंक की जो शरायत है, पूरी दुनिया जानती है उसके बारे में। जब हम मजबूरी में हैं, हम कर्ज लेना चाहते हैं तो हमें इन शरायतों के सामने झुकना चाहिए। उसके लिए कोई विकल्प होना चाहिए। विकल्प ऐसा हो कि अगर वे लोन न दें तो हमारे देश की जो मैन पावर और रिसोरसिज हैं, उन्हें हमें यूटिलाईज करना चाहिए और चन्द दिन तक सैक्रीफाईस करना चाहिये। बड़े-बड़े लोगों के लग्जरी काम में जो खर्चे हो रहे हैं, उनको कम करना चाहिये।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से अपोजीशन पार्टीज से अवायश करता हूं कि उनकी क्या पालिसी है, क्या चेंज चाहते हैं ? वे कंस्ट्रक्टिव रुप से सामने आयें। हम कांग्रेसी लोग भी पब्लिक सैक्टर को मानते हैं। हमारे आनरेबल मिनिस्टर संसदीय कार्य राज्य मंत्री ट्रेड यूनियन लीडर हैं। ट्रेड यूनियन में आजकल कमिटिड लोग बहुत कम हैं, कांग्रेस के ही नहीं, अपोजीशन के भी कम हैं। हमारे प्राईम मिनिस्टर ने कहा है कि जो ट्रेड यूनियन्स हैं उन्हें सिक युनिटस हवाले करेंगे, क्या वे चलाने के लिए तैयार हैं लेकिन वे तैयार नहीं हैं। नेहरू जी ने पब्लिक सैक्टर की बुनियाद बनायी, इसलिए इसको कमजोर नहीं होना चाहिए। इसे मजबूती के साथ बल देना चाहिये। इन हालातों में यदि अपोजीशन।

5.17 म. प.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

चैलेंज करे कि हमें सिक युनिट्स दीजिये, हम टेक ओवर करेंगे और एक दो साल में हालात ठीक करके दिखायेंगे तो केवल चर्चा करने से कोई फायदा नहीं है उन्हें कर के दिखाना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि आंध्र प्रदेश और दूसरी स्टेट्स में नैक्सलाईट्स की प्राब्लम का सामना करना पड़ रहा है। वहां भी पालिटिकल साल्यूशन होना है। जो बेरोजगार हैं, ग्रामीण इलाकों में गरीब लोग हैं, उनकी उन्नति के लिए ज्यादा काम होना चाहिये इसलिये ही प्राईम मिनिस्टर ने रुरल डेवलपमेंट का पोर्टफालियो अपने पास रखा है। जो दरिद्र लोग हैं, उनके लिए काम होना जरुरी है।

उपाध्यक्ष महोदय, हनुमन्तराव कमेटी की रिपोर्ट सरकार के सामने है जिसका राष्ट्रपति के अभिभाषण में जिक्र किया गया है। यदि गवर्नमेंट उन रेकमेंडेशन्स को जल्द से जल्द अमली रूप में ले ले तो दरिद्र रेखा से नीचे जो लोग हैं, उनकी उन्नति के लिए हम कुछ प्रयास कर सकते हैं। लोगों में जो डिससैटिसफैक्शन है, वह दूर होगा लेकिन आज के बजट में रूरल डेवलेपमेंट, एग्रीकल्चर, प्रायमरी एजूकेशन और इन मुद्दों पर भी खर्च का प्रस्ताव बहुत कम किया गया है। आज प्रधानमन्त्री ने एक सवाल के जवाब में बताया कि गैप, जो कमी है, हम उसे थोड़े महीनों के बाद बढ़ाएंगे। इस ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिये और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की तरफ जाने की जाने की जरूरत नहीं है और गवर्नमेंट को कोई ठोस कदम उठाना चाहिये कितने ही इरिगेशन प्राजेक्ट्स हैं, वर्ल्ड बैंक से करोड़ों रुपयों की मदद ली है, उसका पूरा उपयोग नहीं हो रहा है ? पूर्व प्रधानमन्त्री ने कहा था कि हर काम में जो लोगों के लिए खर्च कर रहे हैं, 80 प्रतिशत उनके पास नहीं पहुंच रहा है, इसको दूर करने की जरूरत है। इसमें कोई रुकावट नहीं है। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, गवर्नमेंट में और ब्यूरोक्रेसी में जो हैं, उनकी एक राजनीति होनी चाहिये, एक कमिटमेंट होना चाहिये। कई करोड़ों रुपये जो बरबाद हो रहे हैं, बीच में लीकेज हो रहा है आज करप्शन और दूसरे ऐसे माध्यमों से गरीबों तक पैसा नहीं पहुंच रहा है उसको चेक करने की जरूरत है। हमें उसको ठीक करना चाहिए। यदि बाहर के मुल्क से इनवेस्टमेंट आए, आप उसका जिस प्रकार प्रयोग करें, वह जरूरी नहीं कि आप खाने की चीज बनाए और लग्जरी में खर्च करें। हमारे प्रायोरिटी सेक्शन में जो देहातों में बेरोजगारी है उसको दूर करने के लिए हमें जो पैसा बाहर से आ रहा है उसकी प्लानिंग करने की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि आजकल जो कुछ हो रहा है प्रधान मन्त्री उससे अवगत हैं। उनका दीर्घकालीन अनुभव रहा है। कई साल वे मंत्री रहे हैं। मैं समझता हूं कि वे चंद ही महीनों में इसके लिए बहुत अच्छा कदम उठाएंगे। मगर आज के हालात में अपोजीशन द्वारा जो लोगों को बरगलाया जा रहा है, एक्स्प्लाइटेशन किया जा रहा है, सब जगह राजनीति घुस गई है। सुबह से लेकर शाम तक राजनीति चलती है। सुबह उठकर मुंह धोते हैं तो राजनीति लाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं तो राजनीति लाते हैं और लंच करते हैं तो राजनीति लाते हैं इस राजनीति के चलते हमें आज देश में मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। आज पालिटिकल पार्टीज को थोथी राजनीति को छोड़ना चाहिए।

हमारे तत्कालीन नेता स्वर्गीय राजीव गांधी जी पंचायती राज का बिल लाए। पंचायती राज में जो लोग देहात में हैं, जो एग्रीकल्चर लेबर है, आर्टिजन्स है। और जो स्माल और मार्जनल फार्मर्स हैं वे देहातों में 80% हैं। पंचायती राज में उन्हीं को सत्ता दीजिए। उन्हीं सेक्शन के लोगों को प्लान प्रिपरेशन में प्रायोरिटी हो। इन गरीबों को जो मदद होनी है, जिस एरिया के गरीब हैं एग्रीकल्चर लेबर हैं, आर्टीजन्स हैं और स्माल और मार्जनल फार्मर्स हैं, उनको प्लान बनाने का मौका दें और इम्प्लीमेंटेशन में भी उनको हक देना चाहिए। तभी हमारे जो मकसद हैं, वह पूरे हो सकते हैं जो हमारा नान प्लांड एक्सपेंडीचर है उसमें हम कमी ला सकते हैं। वेस्ट एक्सपेंडीचर और नान प्लांड एक्सपेंडीचर में कमी लानी चाहिए। हम पार्लियामेंट मेम्बर्स जब टूर पर जाते हैं तो फाइव स्टार होटल में नहीं रहना चाहिए। जो कार का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें कमी करनी चाहिए। पेट्रोल की कीमत बढ़ाने से पेट्रोल की बचत नहीं होगी, उसका कंसंप्शन नहीं घटेगा, उसका इस्तेमाल कम करना चाहिए। तमाम आफिसर्स को 5-6 कि. मी. पैदल चलकर आने की आदत होनी चाहिए। जब वे कार में चल कर आ रहे हैं उनकी समझ में ठीक नहीं आ रहा है। कुछ आफिसर इंडिया

गेट पर गाड़ी लेकर वार्किंग करते हैं फिर घर जाते हैं। ऐसे लोगों को कहना चाहिए कि कंपलसरी रिटायरमेंट ले लें। आई.एम.एफ. के नाम से, वर्ल्ड बैंक के नाम से हम जो पैसे ले रहे हैं उसे कैसे खर्च करना चाहिए आप बताइए डन्केल प्रोपोजल्स अपने देश के लिए ठीक नहीं है। सरकार ने भी नहीं माना है। हमारे कामर्स मिनिस्टर ने कहा है कि उस पर चर्चा होगी, उसमें बात कीजिए। अपने देश की तरफ कुछ कर्तव्य निभाइए। आज इन कठिनाइयों का हमें मुकाबला करना चाहिए। मैं एक बार फिर आपके माध्यम से अपोजीशन पार्टीज और देश के लोगों से, सरकार जो कदम उठा रही है, इसमें समर्थन देने की अपील करते हुए आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

प्रो. के. वेंकटगिरि गौड़ (बंगलोर दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं, 24 फरवरी, 199 के दिए गए राष्ट्रपति के भाषण पर रखे गए धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ा हूँ। यह अभिभाषण भारत सरकार द्वारा किया गया था।

सरकार ने अपेक्षित रूप से अपने उपलब्धियों को अधिक और अपनी असफलताएं व कमियों का कम उल्लेख किया है मेरे मित्र, श्री पी.एम. सईद ने धन्यवाद प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हुए लगभग एक घन्टे तक भाषण दिया। उन्होंने एक प्रभावशाली भाषण दिया।

अपने भाषण के दौरान उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय जीवन, सरकारी व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, समाज, विदेश नीति आदि का उल्लेख किया। लेकिन अपने भाषण के दौरान उन्होंने राष्ट्रपति अभिभाषण के मुख्य विषय से हटकर, अनेक विषयों का उल्लेख किया जो कि मुख्य विषय से बिल्कुल भी संबद्ध नहीं थे।

तथापि मैं उन्हें दिशा निर्देश देने के लिए धन्यवाद देता हूं।

राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में, दयनीय आर्थिक स्थिति का उल्लेख किया है। लेकिन उन्होंने यह इसका उल्लेख नहीं किया कि यह कितनी गम्भीर है। यहां तक कि विद्यालय का प्रत्येक छात्र यह जानता है कि आर्थिक स्थिति अत्यन्त दयनीय है। कितनी गम्भीर है, यह नहीं बताया गया। वर्तमान में मुद्रास्फीति की दर 12 प्रतिशत है। धन आपूर्ति, 15 से 18 प्रतिशत के दर से बढ़ रही है। उत्पादन, 5 से 6 प्रतिशत दर से बढ़ रहा है। इस अतिरिक्त धन आपूर्ति के कारण मूल्यों में वृद्धि हो रही है।

देश में 5 करोड़ लोग बेरोजगार है। प्रधानमन्त्री ने कहा है कि इस दशक के अन्त तक बेरोजगार भारतीय श्रमिकों की संख्या में 7 करोड़ लोगों की वृद्धि होगी। इन सभी लोगों के लिए रोजगार के अवसर कैसे जुटाए जाएं, सरकार के लिए ये एक समस्या है।

1,80,000 करोड़ रुपयों का कालाधन है। हम नहीं जानते है कि इतना धन कहां से आया और इसे कैसे खर्च किया जाएगा। ये इस कालेधन से मुद्रास्फीति दर में और वृद्धि होगी। वित्तीय और आर्थिक नियन्त्रण, अर्थ व्यवस्था में मुद्रास्फीति के खतरे को रोक नहीं सकते हैं।

आन्तरिक ऋण 26,000 करोड़ का देश के भीतरी ही ऋण अदा करना सरकारी राजस्व का 33 प्रतिशत ब्याज के भुगतान के रूप में खर्च हो जाता है।

विदेशी ऋण ,0०,000 करोड़ रुपये है। हमारे निर्यात उपार्जन का 30 प्रतिशत, ब्याज के भुगतान में ही खर्च हो जाता है।

इन सभी कारणों से स्थिति गम्भीर बनी हुई है। इसके अलावा असम, कश्मीर और पंजाब में राजनैतिक समस्याएं हैं। इन सभी समस्याओं का समाधान निकाला जाना है। राष्ट्रपति महोदय ने इनके हल के लिए कई सुझाव दिए हैं।

आज तक भारतीय अर्थशास्त्र नेहरू की परिकल्पना पर चल रहा था। 'नेहरूवियन माडल' ने आर्थिक विकास को रोक दिया था। इस नीति ने विकास के मार्ग में दो अड़चने खड़ी की। ये अड़चने हैं मुद्रास्फीति और भुगतान सन्तुलन। 'नेहरूवियन माडल' ने हमें मुद्रास्फीति और भुगतान सन्तुलन बांटा दिया है। इस कारण हमें बार-बार, ऋण के लिए, विश्वबैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास जाना पड़ता है।

अब आर्थिक विकास से संबंधित इस नीति के स्थान पर 'राव सिंह माडल' अपनाया जारहा है। श्री पी वी. नरसिम्हा राव जी भद्र, सज्जन, मृदु एवं मधुर भाषी व्यक्ति हैं। उनके सहयोगी डा. मनमोहन सिंह में भी ऐसे ही गुण है। इन सज्जनों ने आर्थिक विकास का एक नया माडल विकसित किया है जिसे मैंने 'राव सिंह माडल' नाम दिया है। इन्होंने नई औद्योगिक नीति का विकास किया है। पिछले वर्ष 24 जुलाई को बजट के दिन संसद में सरकार द्वारा औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। आधुनिक युग में उन्नति करने के लिए यह भारत के लिए आवश्यक है। भारत विश्व बाजार में कदम रखना चाहता है। यदि ऐसा है तो यह आवश्यक है। संसद में और बाहर कुछ सदस्य यह कहते है कि यह अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सामने आत्म समर्पण किया है और यह भारत के गौरव और प्रतिष्ठा के साथ किया गया समझौता है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि यह बहुराष्ट्रीयों के लिए एन्ट्री पालिसी है और देशी उद्योगों के लिए 'एक्जिट पालिसी' है। यह सही नहीं है क्योंकि सिंगपुर जैसे छोटे देश में जहां केवल 2.5 मिलियन की जनसंख्या है, वहां पर 700 बहुराष्ट्रीय कम्पनियां है। वे सरकार को नियंत्रण में नहीं कर सके। फिर वे किस तरह से भारत सरकार को, जिसकी जनसंख्या 85 करोड़ है, नियंत्रित कर सकेंगे ?

अतः जो लोग बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का विरोध करते है वे विकास विरोधी और राष्ट्रविरोधी है।

औद्योगिक नीति क्यों आवश्यक है ? भारत में पूंजी की कमी है और जो भी पूंजी है वो दुष्प्राप्य है।

भारतीय प्रौद्योगिकी पुरानी हो गई है। भारतीय प्रबंधकीय तकनीक भी पुरानी हो गई है। विदेशी मुद्रा के माध्यम से ये भारत में आएंगी और अर्थव्यवस्था का विकास करेंगी। यह सच है कि इसमें कुछ प्रारंभिक कठिनाइयां हैं। लेकिन यदि उन पर काबू पा लिया गया, तो भारत विश्व में तेजी से प्रगति कर सकेगा।

महोदय, यह सच है कि 'एक्जिट पालिसी' औद्योगिक नीति में निहित या अन्तर्निहित है। ऐसे क्यों है। देश में कई उद्योग रुग्न हैं, ये अर्थक्षम नहीं है, ये घाटे पर चल रहे एकक है। प्रतिवर्ष भारत सरकार द्वारा बजट के माध्यम से सहयोग दिये जाने के कारण ये चल रहे है। यह बजट के माध्यम से सहयोग दिया जाना, कर देने वाले के लिए बोझ है। अतः इसको परिणामस्वरूप उद्योग रुग्न हो जाते हैं और इसलिए भारत सरकार इस 'एक्जिट पालिसी' पर विचार कर रही है।

लेकिन जो लोग उद्योग छोड़ देते हैं, जो बेरोजगार हैं, उन्हें यूं ही बीच में भटकने के लिए नहीं छोड़ देना चाहिए। उनको सहयोग देने के लिए 'सोशल सेफ्टी नेट' है। 2,000 करोड़ रुपयों का राष्ट्रीय पुनर्निर्माण कोष है। जो बेरोजगार है उन्हें पुनः प्रशिक्षण दिया जाएगा और उन्हें कुछ समय के बाद फिर से रोजगार दिया जाएगा। इसलिए यह नीति देश के लिए अच्छी है। इसलिए मैं सहृदय उसका स्वागत करता हूं।

तब, कृषि क्षेत्र के विषय में क्या है ? राष्ट्रपति महोदय ने इसका उल्लेख अपने अभिभाषण में किया था। लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि कृषि के विषय में हमें किन नीतियों का अनुसरण करना चाहिए। भारत में खाद्य पदार्थों के मूल्य सामान्य मूल्य सूचकांक को नियन्त्रित करते हैं, यही मूल्य मुद्रास्फीति की दर को भी प्रभावित करते हैं। जब भी खाद्य पदार्थों के मूल्य अधिक होते हैं तो मुद्रास्फीति भी बढ़ती है और जब खाद्य पदार्थों के मूल्य गिरते हैं तो मुद्रास्फीति की दर भी गिरती है। इसलिए नीति का मुख्य कार्य मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखना है। इसे पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्धता सुनिश्चित रखनी चाहिए।

अब, मैं अपनी भारतीय आयोजना का उल्लेख करना चाहूंगा। मैंने भारतीय आयोजना अनुभव से कुछ सीखा है। पहली योजना इतनी विशाल थी और यह कृषि उन्मुख थी। इसका आकार बहुत छोटा था। इस योजना को लागू करने के दो वर्ष बाद मूल्यों के स्तर में कमी आई। भुगतान संतुलन की अतिरिक्त राशि बहुत कम थी। इसलिए पहली योजना अत्यंत सफल रही, क्योंकि खाद्य पदार्थों के मूल्यों में गिरावट रही तथा तब अपनाई गई मूल्य नीति के कारण भी ऐसा हुआ। जब यह योजना आधी रह गयी थी तब श्री चाऊ इन लाई ने भारत की यात्रा की। जब वह भारत आए तो उन्हें भारतीय औद्योगिक प्रतिष्ठानों का दौरा कराया गया। उन्होंने अपने देश वापस जाते समय पंडित जवाहर लाल नेहरु को चीन की यात्रा के लिए आमंत्रित किया। एक वर्ष बाद पंडित जवाहर लाल नेहरू ने चीन का दौरा किया। उन्हें चीन में औद्योगिक प्रतिष्ठान दिखाए गए और वह चीन की आर्थिक प्रगति से अत्यधिक प्रभावित हुए। नेहरु जी वापस भारत आए, अपने आर्थिक सलाहकार प्रो. महलानोबिस को बुलाया और कहा कि चीनी नमूने पर आधारित एक योजना बनाए। यह नमूना रूसी नमूने पर आधारित था जो आगे फेल्डमैन नमूने पर आधारित था। योजना तैयार की गयी। इसे 1956 में कार्यान्वित किया गया। लेकिन दुर्भाग्य से दो वर्ष बाद दोनों बाधाएं जिनका मैं पहले उल्लेख कर चुका हूं सामने उपस्थित हुई—अर्थात् मुद्रास्फीतीय बाधा और भुगतान सन्तुलन की बाधा। उस समय श्री मोरार जी देसाई वित्त मन्त्री थे और वह अमेरिका जा रहे थे। पालम हवाई अड्डे पर संवाददाताओं ने उनसे पूछा कि वह अमेरिका क्यों जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह कर्ज लेने के लिए जा रहे हैं। जब उनसे यह पूछा गया कि किस उद्देश्य के लिए तो उन्होंने कहा वह इसलिए कर्ज ले रहे है क्योंकि उन्हें उस कर्ज पर ब्याज की अदायगी करनी है जिसे वह पहले ही ले चुके थे। इसलिए उन्होंने कहा कि वह धनराशि उधार लेंगे और ब्याज की अदायगी करेंगे। वह वहां से खाली हाथ लौटे। उन्होंने यही कहा था। मुद्रास्फीति, भुगतान संतुलन, विदेशी ऋण की समस्याएं नेहरु की योजना से उत्पन्न हुई। यह अच्छी बात है कि अब इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। अब हमारे पास रावसिंह की योजना है। इसलिए देश को खाद्य पदार्थों की सप्लाई की रणनीति अपनानी चाहिए। लोगों का पेट आधा भरा है। खाद्य पदार्थों की सप्लाई में कमी के कारण मूल्य बढ़ रहे हैं और जब मूल्य बढ़ते हैं तो आप मुद्रास्फीति को बिल्कुल भी नियंत्रित

नहीं कर सकते । अगर आप मुद्रास्फीति को नियन्त्रित करना चाहते हैं तो आपको अवश्य ही खाद्य पदार्थों की सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी और खाद्य पदार्थों के मूल्य नियंत्रित रखने होंगे । अगर ऐसा होता है तो मुद्रास्फीति पर नियंत्रण स्वत: ही बिल्कुल आसान हो जाएगा ।

महोदय, राष्ट्रपति ने जनसंख्या नीति का उल्लेख किया है । जनसंख्या वृद्धि से हमारे संसाधनों पर अत्यधिक दबाव पड़ेगा । भारत की जनसंख्या उप्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है । प्रति वर्ष हमारी जनसंख्या में 1.70 करोड़ की बढ़ोतरी हो जाती है। हम हर वर्ष अपनी जनसंख्या में एक आस्ट्रेलिया जितनी वृद्धि कर रहे हैं । प्रधान मन्त्री ने कहा है कि इस दशक के अन्त से पहले हमारी जनसंख्या में सात करोड़ लोग अधिक हो जाएंगे । यह समस्या है । हमें एक बच्चे के परिवार का नियम को अपनी जनसंख्या नीति का नियम बनाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भारत की जनसंख्या वृद्धि की दर शून्य तक पहुंच जाये । केवल तब ही भारत अधिक समृद्ध हो सकता है । बढ़ती हुयी जनसंख्या में उत्पादकों की तुलना में उपभोक्ता अधिक होते हैं । वे सामान्य बचत का उपभोग कर लेते हैं । जो आमतौर पर बचत होती है वह उपभोग पर व्यय हो जाती है । बचत कम हो जाती है । यदि बचत कम होती है तो निवेश भी कम हो जाता है और निवेश के कम होने पर वृद्धि भी कम हो जाती है । इसलिए यदि आप आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना चाहते हैं तो आपको निवेश को बढ़ावा देना होगा । यदि आप निवेश को बढ़ावा देना चाहते हैं तो बचत को बढ़ावा दीजिए और बचत को बढ़ावा देने के लिए आपको जनसंख्या की तेजी से हो रही वृद्धि में कमी लानी है । अब जनसंख्या मे अत्यधिक वृद्धि हुयी है, इस कारण यह प्रगति में एक बाधा है । इसलिए सरकार क्षेत्र और समाज के प्रत्येक वर्ग पर लागू होने वाले परिवार नियोजन के कार्यक्रम चलाए । मैं किसी 'धर्म' की बात नहीं कर रहा हूं । कुछ दिन पूर्व श्री फोतेदार ने परिवार नियोजन को 'धर्म' से न मिलाने के लिए कहा । मैं इसे मिलाने के लिए नहीं कहता । मैं कहता हूं कि जनसंख्या वृद्धि की दर नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन के तरीकों को अपनाने के लिए समाज को कहा जाए ।

राष्ट्रपति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पुनर्गठित करने के लिए कहा है। लेकिन यह प्रणाली बहुत बुरी तरह चलाई जा रही है । उचित मूल्य की दुकानें जिनके माध्यम से खाद्य पदार्थ सप्लाई होते हैं, दुर्भाग्य से 'अनुचित मूल्य की दुकानें' बन गई है । उचित मूल्य के डिपुओं में कालाबाजारी होती है । उचित मूल्य की दुकानों के प्रभारी राशन कार्ड धारियों को खाद्य पदार्थ सप्लाई नहीं करते । वे इसे काला बाजार के मूल्य पर रेस्त्राओं तथा होटलों को सप्लाई कर देते हैं । और लाभ कमाते हैं । इसलिए इस प्रणाली को व्यवस्थित किया जाए, ताकि गरीब और दलित को खाद्य पदार्थों की सप्लाई हो सके ।

राष्ट्रपति ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में की गई प्रगति का उल्लेख किया । लेकिन वह इस सन्दर्भ में अत्यधिक आशावादी लगते हैं । मैंने दो वर्ष पूर्व 'भारत में विज्ञान की प्रगति' के बारे में 'फ्रन्टलाइन' पत्रिका में एक लेख पढ़ा था । इस लेख में एक अमरीकी पत्रिका का उल्लेख है जिसने एक हजार वैज्ञानिकों की एक सूची बनाई है, जिसमें एक भी भारतीय नहीं है । हम कैसा अनुसन्धान कर रहे हैं । हमारी अनुसंधान संस्थायें ऐसे सफेद हाथी हैं जो कि गरीब आदमी का बहुत सा धन व्यर्थ में ही हड़प रही हैं । अनुसंधान में कोई नई बात नहीं होती बल्कि यह एक मात्र नकल

होती है। विश्व विद्यालय भी अनुसंधान कार्य पर बहुत सा धन खर्च करते हैं। परन्तु अधिकांशतः यह अनुसंधान मात्र दिखावा है। यह पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं। परन्तु इसे कोई नहीं पढ़ता। इसलिए भारत सरकार तथा दूसरी जो संस्थायें इस प्रयोजन के लिये धन उपलब्ध करवाते हैं, उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिये कि अच्छे स्तर का अनुसंधान कार्य किया जाये तथा भारत और विदेशों में विज्ञान सम्बन्धी पत्रिकाओं में प्रकाशित हो।

राष्ट्रपति महोदय ने प्राथमिक स्कूलों का उल्लेख किया है बहुत से प्राथमिक स्कूलों के पास अपनी कोई ईमारत नहीं है। उनमें ब्लैक बोर्ड नहीं है। फर्नीचर नहीं है। अध्यापक नहीं है। इसलिये 50 प्रतिशत लड़के तथा 66 प्रतिशत लड़कियां स्कूलों में प्रवेश लेने के एक वर्ष के भीतर ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। प्राथमिक शिक्षा ही उच्च शिक्षा का आधार है। इसलिए इसे सुनियोजित किया जाना चाहिये तथा इसकी नींव को सुदृढ किया जाना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि प्राथमिक स्कूलों में अच्छे अध्यापक अच्छा साजोसामान, अच्छे पुस्तकालय, अच्छा फर्नीचर इत्यादि उपलब्ध हो।

राष्ट्रपति महोदय ने देश में नदी जल सम्बन्धी विवादों की भी चर्चा की है। बेशक उनके विभाग में कावेरी जल विवाद रहा होगा। परन्तु उन्होंने स्पष्ट रूप में ऐसा नहीं कहा। कावेरी जल विवाद ने दक्षिण भारत के कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्यों में एक महीने तक हलचल मचाये रखी। 25 जून को जल न्यायाधिकरण ने अपना निर्णय देते हुए कर्नाटक को 2.6 टी. एम. सी जल तमिलनाडु को उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया। इससे कर्नाटक के कावेरी तट क्षेत्र के किसानों ने आन्दोलन कर दिया। 5 दिसम्बर के एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मण्डल प्रधान मन्त्री से मिला। कर्नाटक के मुख्य मन्त्री ने प्रधान मन्त्री के समक्ष कर्नाटक के पक्ष को स्पष्ट किया। प्रधान मन्त्री ने धैर्य से उनकी बात सुनी तथा अन्त में कहा, "न्यायालय में मत जाईए। इसका निर्णय मुझ पर छोड़ दीजिए।" लगभग एक महीने तक कुछ नहीं हुआ। 5 जनवरी को मान्डया में एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ। मैं भी प्रतिनिधि मण्डल में सम्मिलित था। इसमें तीन प्रस्ताव पारित किए गये। प्रथम, यह कि प्रधान मन्त्री को एक समय सीमा देनी होगी जिसके भीतर उन्हें कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच उत्पन्न इस विवाद को सुलझाना चाहिए। दूसरे जो न्यायाधिकरण का आदेश को राजपत्र में अधिसूचित किया गया है, इसे वापस लेना होगा। अगर सब पद बातें 19 फरवरी से पहले पूरी नहीं होती हैं, तो कर्नाटक के सभी विधायक, नगरपालिका सदस्य तथा संसद सदस्य एक साथ त्यागपत्र देंगे। तत्पश्चात् श्री रंगराजन कुमार मंगलम ने कहा कि वे भी त्यागपत्र देंगे तथा तमिलनाडु के विधायक भी त्यागपत्र देंगे। यह चेतावनी और टकरावपूर्ण दृष्टिकोण है जिससे हमारे नदी जल सम्बन्धी विवाद नहीं सुलझेंगे। राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि विवादों को सुलझाने के लिए निर्णय देना होगा। परन्तु निर्णय देने से यह समस्या नहीं सुलझेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय दिया परन्तु सम्बन्धित राज्य चुपचाप इसे स्वीकार नहीं करेंगे। उनके मन में कड़वाहट भरी है तथा वे सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में परिवर्तन का प्रयत्न कर सकते हैं।

1956 में जब श्री नेहरु भारत के प्रधान मन्त्री थे तथा श्री टी. टी. कृष्णामचारी वित्त मंत्री थे, तब इसी सदन में दो विधेयक प्रस्तुत किये गये थे। एक नदी बोर्ड विधेयक था तथा दूसरा जल न्यायाधिकरण विधेयक। जल बोर्ड विधेयक समझौते की भावना पर आधारित था तथा जल न्यायाधिकरण विधेयक निर्णयात्मक भावना पर आधारित था। फिर भी भारत सरकार ने जल बोर्ड

अधिनियम को अस्वीकृत कर दिया तथा जल न्यायाधिकरण अधिनियम को अपनाते हुए निर्णयात्मक पद्धति का सहारा लिया। इसलिए भारत सरकार को जल न्यायाधिकरण अधिनियम को छोड़ कर जल बोर्ड अधिनियम को पुनः लागू करना होगा तथा यह सुनिश्चित करना होगा कि दोनों मुख्य मंत्रियों की बैठक का आयोजन करवा कर मुद्दे का सौहार्दपूर्ण हल ढूंढा जा सके।

अन्ततः, 17 फरवरी को, प्रधान मन्त्री महोदय ने कर्नाटक तथा तामिलनाडु के मुख्य मंत्रियों की बैठक का आयोजन करवाया। बैठक बड़े ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई। बैठक के अन्त में श्री बंगारप्पा ने कहा कि यह एक अच्छी शुरुआत रही तथा तमिलनाडु के मुख्यमन्त्री ने कहा कि यह व्यर्थ की कार्यवाही थी। इससे उनका क्या तात्पर्य था, मैं समझ नहीं सका। फिर भी मैं भारत सरकार तथा श्री पी. वी. नरसिंह राव से अपील करता हूं कि वे दोनों मुख्यमन्त्रियों की बैठक का आयोजन करवायें तथा जून महीने से पहले इस मसले का कोई सौहार्दपूर्ण हल निकालें क्योंकि जून से यह मसला फिर सिर उठा सकता है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि अपने व्यवहारिक दृष्टिकोण तथा दूरदर्शिता के द्वारा वे दोनों मुख्य मंत्रियों की बैठक करवाने तथा जल विवाद का कोई समाधान ढूंढने में समर्थ होंगे। अन्यथा, दोनों राज्यों सम्बन्धों में और कड़वाहट आयेगी तथा कर्नाटक, तामिलनाडु और भारत सरकार तीनों के लिए समस्या उत्पन्न होगा।

राष्ट्रपति महोदय ने कुछ अन्य मुद्दों का भी उल्लेख किया है। उन्होंने विदेश नीति का हवाला देते हुए 'सार्क' का उल्लेख किया है। 'सार्क' ऐसे देशों का समूह है जो एक दूसरे के प्रतिपक्षी हैं। पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बंग्लादेश और मालदीव भारत को पसंद नहीं करते और केवल मालदीव ही ऐसा देश है जो भारत को पसंद करता है। अतः मेरा विचार है कि 'सार्क' शिखर सम्मेलन नहीं किया जाना चाहिए।

भारत के रक्षा संबंधी पहलू का भी उन्होंने उल्लेख किया। पाकिस्तान ने अणु बम तैयार कर लिया है। अमरीकी सीनेटर श्री प्रेसलर ने जनवरी में पाकिस्तान की यात्रा की थी और भारत आने पर उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के पास आणविक हथियार हैं। हम शान्तिपूर्ण कार्यों के लिए परमाणु ऊर्जा विकसित करना चाहते हैं।

पांचवें दशक के आरम्भ में जब श्री चर्चिल इंगलैंड के प्रधान मंत्री थे तब उन्होंने 'डिफेंस टू डिटेरेन्स' सिद्धांत प्रस्तुत किया। वह अणु बम बनाना चाहते थे लेकिन लेबर पार्टी ने इसका विरोध किया। श्री चर्चिल ने कहा था 'हम अणु बम रूस तथा अन्य किसी देश पर गिराने के लिए नहीं बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए बनाना चाहते हैं। यदि हमारे पास अणु बम होगा तो अन्य देश हमारे देश पर यह बम नहीं गिराएंगे, वे ऐसा करने से डरेंगे। अतः विदेशी आक्रमण से स्वयं को बचाने के लिए बम बनाना आवश्यक है।' अतः भारत को भी अणु बम बनाना चाहिए। दुर्भाग्यवश, राष्ट्रपति ने भारतीय सुरक्षा और उसकी आवश्यकताओं के बारे में कुछ नहीं कहा।

इन संशोधनों के साथ राष्ट्रपति के अभिभाषण का मैं स्वागत करता हूँ।

श्री याइमा सिंह पुनताम (आंतरिक मणिपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मणिपुर और देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों की जनता

आतुरता से राष्ट्रपति के अभिभाषण की प्रतीक्षा कर रही थी। वे यह आशा कर रहे थे कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस क्षेत्र के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की जाएंगी। हम जानते हैं कि राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार का नीति संबंधी वक्तव्य है। आने वाले वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा क्या उपाय किए जाएंगे, इसका उल्लेख राष्ट्रपति के अभिभाषण में होता है। इसीलिए हम ऐसे उपायों की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन अभिभाषण के बाद सभी वर्गों के लोगों को बहुत निराशा हुई। उन्हें इस बात का दुख हुआ कि अभिभाषण में जिन उपायों की आशा की गई थी उनका कोई उल्लेख नहीं किया गया।

हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत राज्यों का संघ है। देश के किसी भी भाग में कठिनाइयां होने से पूरे देश में कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं। यह कठिनाइयां पंजाब, कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, मणिपुर अथवा कहीं भी हो सकती हैं। यदि देश के किसी भाग कठिनाइयां हैं तब यह दूसरों के लिए भी चिंता का विषय होगी। मैं सत्तारूढ़ दल से यह कहना चाहता हूं कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत राज्यों का संघ है। राष्ट्रपति के अभिभाषण का अध्ययन करने के बाद हम पूर्वोत्तर भारत के लोग संतुष्ट नहीं हैं।

मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि आप पूर्वोत्तर राज्यों, विशेष रूप में मणिपुर, के बारे में जानते हैं कि इसकी सीमाएं बर्मा के साथ लगती हैं और इसका देश की सुरक्षा के लिए सामरिक महत्व है। यदि भारत-चीन युद्ध में सीमा पर रह रहे लोगों को देशभक्ति से उत्प्रेरित किया होता तो इसके परिणाम दूसरे होते। उस समय उनकी उपेक्षा की गई। पूर्वोत्तर क्षेत्र में सीमावर्ती राज्यों की उपेक्षा की गई। इसी कारण उस समय चीन का प्रभाव अधिक रहा। यदि हम इस क्षेत्र की इसी प्रकार उपेक्षा करते रहे तो उनका भविष्य अंधकारमय है।

केन्द्र सरकार द्वारा पंजाब और कश्मीर में की गई गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए। पंजाब अथवा कश्मीर के कुछ वर्गों के लोग देशद्रोही हो गये हैं। उन्होंने ऐसा क्यों किया ? इतिहास यही कहेगा कि उस समय उनकी उपेक्षा की गई थी : इसीलिए उन लोगों ने हथियारों का सहारा लिया। इसी प्रकार यदि पूर्वोत्तर राज्यों में यही गलती की जाती है तो वहां भी कोई कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। अतः इस संदर्भ में मैं सत्तारूढ़ दल से यह अपील करना चाहता हूं कि केन्द्र इन क्षेत्रों की उपेक्षा न करे।

अब मैं अपने संशोधनों पर आता हूं। मेरे संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय हैं। सबसे पहले हम भाषा संबंधी मामले को लेते हैं।

मैं इस माननीय सभा के समक्ष मणिपुरी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने पर जोर देता रहा हूं : मेरे विचार से यह सभा और कुछ सदस्य मेरी इस बात को दोहराने पर ऊब सकते हैं। लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता और आज फिर मुझे इसे दोहराना ही है, क्योंकि यहां हम कुछ असंतोष महसूस कर रहे हैं। हम मणिपुर के लोगों के लिए हमारी मणिपुरी भाषा ही सब कुछ है। हम आठवीं अनुसूची में मणिपुरी भाषा को शामिल करने की मांग करते रहे हैं, जिसका अर्थ है कि राष्ट्र द्वारा इस भाषा को मान्यता दी जाये। यह बात इस सीमा तक बढ़ गई है कि मुझे इसे यहां पर फिर से दोहराना पड़ रहा है-हजारों लोगों ने, जिनमें महिलाएं, विद्यार्थी

युवा और अन्य सब लोग शामिल हैं, भूख हड़ताल का सहारा लिया है पूरे राज्य, पहाड़ों पर, घाटी में और जिलों में क्रमिक भूख हड़ताल की गई हैं। धरने भी हुए हैं।

युवाओं ने विद्यार्थियों ने आज से असहयोग शुरू कर दिया है। आन्दोलन का यह एक अन्य खतरनाक मोड़ है। इससे हिंसा भड़क सकती है और इससे राज्य के लोगों का नुकसान भी हो सकता है। लेकिन हम इस बात के विरुद्ध हैं और हम अहिंसा को बनाये रखना चाहते हैं। अब यह हमारे नियन्त्रण से बाहर है अतः मैं सरकार से इस बात पर ध्यान देने का अनुरोध करती हूं और उचित कार्यवाही करने के लिए कहता हूं जिससे कि विधेयक को इसी सत्र में पुरः स्थापित किया जा सके। यह लोगों की बहुत ही उचित मांगें हैं। सभी पार्टियों का एक शिष्ट-मण्डल प्रधानमन्त्री से मिला था। और प्रधानमन्त्री ने हमारे साथ सहानुभूति दिखाई थी। हम यह आशा कर रहे हैं कि यह विधेयक सरकार द्वारा इसी बजट सत्र के दौरान लाया जाना चाहिए। इस सभा को सभी दलों के सदस्यों की इस मामले से सहानुभूति है कि यदि सरकार विधेयक प्रस्तुत करती है तो यह आसानी से पारित हो जाएगा। ऐसा ही मैं सोचता और समझता हूं।

प्रो. एम. कामसन (बाह्य मणिपुर) : मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूं। लेकिन जब श्री युमनाम बोल रहे थे, तो टी. वी. पर मेरा नाम कामसन दिखाया जा रहा है था। आपके माध्यम से मैं अनुरोध करता हूं कि इसे ठीक किया जाये अन्यथा मेरी आवाज राष्ट्रपति के अभिभाषण के विरोध में रिकार्ड हो जायेगी, जबकि मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण का पूरा समर्थन कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप खुश है ?

प्रो. एम. कामसन : जी हां, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का भी पूरा समर्थन करता हूं।

श्री याइमा सिंह युमनाम : मैं यह बताते हुए प्रसन्न हूं कि मेरा नाम नहीं दिखाया गया है। मुझे आशा है इसे ठीक किया जायेगा जैसाकि कामसन ने कहा है।

जहां तक भाषा के सम्बन्ध में मणिपुर के लोगों की मांग का प्रश्न है, मैं भी केन्द्र सरकार से इस बजट सत्र के दौरान एक विधेयक प्रस्तुत करने के लिए मांग करता रहा हूं। अब मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे भी अपने वायदे पूरे करें। चाहे वो राजीव-लोंगोवाल समझौता हो, आसाम समझौता हो या अन्य कोई समझौता हो।

जहां तक मणिपुर का प्रश्न है, एक विलय समझौता हुआ था। जैसा आप जानते हैं और इस सभा में मैं यह भी कह चुका हूं कि मणिपुर एक प्रभुसत्ता सम्पन्न रजवाड़ा था। इसका लगभग 40 वर्ष पहले इस आशा के साथ भारत में विलय हुआ था कि समझौते की सभी बातें इंडियन यूनियन की ओर से सत्ता में रहने वाली सरकार द्वारा पूरी की जायेंगी।

एक वास्तविकता भाषा के बारे में है। उस समय एक विशेष क्षेत्र को घाटी के रूप में जाना जाता था। जब मणिपुर एक प्रभुसत्ता सम्पन्न रजवाड़ा था तो यह क्षेत्र मणिपुर के अन्तर्गत आता था। यद्यपि यह बर्मा का एक हिस्सा था लेकिन यह मणिपुर के अन्तर्गत था, लेकिन

स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू के प्रस्तावों को पूरा करने के लिए हम उन प्रस्तावों को स्वीकार करने के लिए राजी हो गये थे। हमने इसका बलिदान कर दिया। हमने बलिदान दिया क्योंकि हमें आशा थी कि उस बलिदान के बदले में मणिपुर के लोगों को और अधिक सुविधाएं मिलेंगी। अतः वचनबद्धता को पूरा कीजिए।

जहां तक भाषा का सम्बन्ध है, संविधान की आठवीं अनुसूची में मणिपुरी भाषा को शामिल करने की वचनबद्धता है। इसे अभी तक पूरा किया गया है।

आपने घंटी बजा दी है, लेकिन मैं कुछ अन्य मुद्दे भी उठाना चाहता हूं। केन्द्रीय सरकार को, मणिपुरी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने में क्या कठिनाई है, समझौते में भाषा को शामिल करने का वचन दिया गया था। अतः मैं एक बार फिर केन्द्र सरकार को इस मांग को पूरा करने का अनुरोध करता हूं।

महोदय चार दशक बीत गये हैं, लेकिन बड़ी महत्वाकांक्षाओं के बावजूद मणिपुर राज्य में अभी तक कोई बड़ी परियोजना स्थापित नहीं हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय : समय बहुत कम है। कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री थाइमा सिंह युमनाम : मैं अपनी पार्टी की ओर से बोल रहा हूं। अतः मुझे अधिक समय दिया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : हम भारत की ओर से बैठे हुए हैं।

श्री थाइमा सिंह युमनाम : कृपया मुझे पांच-दस मिनट तक और बोलने की अनुमति दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय। आप केवल अब एक या दो मिनट तक और बोल लीजिए।

श्री थाइमा सिंह युमनाम : ठीक है मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं क्योंकि आपने मुझे समय दिया है। अब मुझे कुछ अन्य मुद्दे भी शामिल करने हैं। मैं बोडो और कारबीओंग आन्दोलन के बारे में भी बोलना चाहता हूं कारबीओंग आसाम में एक स्वायत्त राज्य की मांग कर रहे हैं। मेरा विचार है कि हमें इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। वहां बोडो आंदोलन भी चल रहा है सरकार ने इस मामले के लिए एक समिति नियुक्त की है, जिसे 31 मार्च तक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।

6.00 अ. प.

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि यह देश के हित में होगा, यदि उन रिपोर्टों को निश्चित समय के भीतर, अर्थात् 31 मार्च तक प्रस्तुत किया जाए। मैं अपने एक संशोधन के बारे में कहना चाहूंगा। यह संशोधन आसाम राइफल्स को कांगला से जो राज्य का एक पवित्र स्थान माना जाता है। हटाने के बारे में है। कांगला एक पवित्र स्थान है। जब अंग्रेजों ने मणिपुर पर कब्जा कर लिया था, तो आसाम राइफल्स को वहां कैम्प लगाने की अनुमति दी गई थी और वे अब तक उस

क्षेत्र पर कब्जा किये हुए हैं। यह राज्य के लोगों की इच्छा के विरुद्ध है। अतः लोगों की मांग रही है। कि आसाम राइफल को किसी अन्य स्थान पर स्थानान्तरित कर दिया जाए। यह केन्द्रीय सरकार के लिए यदि वे इसे करना चाहे, तो कोई मुश्किल काम भी नहीं है। यदि राज्य में शान्ति कायम रखनी है तो केन्द्रीय सरकार को इन छोटी-छोटी बातों को तुरन्त मान लेना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं, यद्यपि मैंने बहुत से मुद्दे छोड़ दिये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा 5 मार्च 1992 को 11.00 म. पू. पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

6.02 म. प.

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 5 मार्च, 1992/15 फाल्गुन, 1913 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

———

गुप्ता प्रिंटिंग वर्क्स, दिल्ली-6